वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2023-24

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE
AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक मंडल की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लेखे

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए
निक्षेप बीमा के माध्यम से
बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके
वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के रूप में
पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं
के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

विवरण	**पृष्ठ सं.**
भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित पत्र	i
भारत सरकार को प्रेषित पत्र	ii
निदेशक मंडल	iii
संगठन की संरचना	iv
निगम की संपर्क जानकारी	v
निगम के प्रमुख अधिकारी	vi
संक्षेपाक्षर	vii-viii
2023-24 एक नज़र में	ix
विशेषताएँ	x-xiv
1. डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन	1-6
परिचय	1
इतिहास	1
संस्थागत कवरेज	1
बैंकों का पंजीकरण	2
बीमा कवरेज	2
सुरक्षा प्रदत्त जमा राशियों के प्रकार	2
बीमा प्रीमियम	2
पंजीकरण रद्द करना	3
बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण	3
दावों का निपटान	3
निपटाए गए दावों की वसूली	4
निधि, लेखे और कराधान	4
अनुबंध चार्ट 1	5
अनुबंध चार्ट 2	6
2. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण	7-20
परिचय	7
प्रबंधन नीति और कार्यनीति	8
संचार रणनीति और नीति	15
जमा बीमा में डेपटेक/फिनटेक	17
जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरते जोखिम- जलवायु परिवर्तन	18
आगे की राह	19

विषय सूची

3. निदेशक मंडल की रिपोर्ट 21-30

भाग I: परिचालन और कार्यपद्धति 21

निक्षेप बीमा योजना 21

निक्षेप बीमा निधि 22

निक्षेप बीमा दावों का निपटान 22

निपटाए गए दावे/प्राप्त चुकौतियाँ 23

कोर्ट मामले 24

ऋण गारंटी योजनाएं 24

भाग II: अन्य महत्वपूर्ण पहल/विकास 24

डीआईसीजीसी अधिनियम – वित्तीय सुरक्षा कवच 24

वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय 24

संचार नीति और रणनीति 25

जोखिम प्रबंधन 25

भाग III: लेखा विवरण 25

बीमा देयताएं 25

वर्ष के दौरान राजस्व 25

संचित अधिशेष 26

निवेश 26

कराधान 26

भाग IV: खजाना परिचालन 26

भाग V: संगठनात्मक मामले 27

निदेशक मंडल 27

निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति 27

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति 28

आंतरिक नियंत्रण 28

प्रशिक्षण और कौशल विकास 28

स्टाफ की संख्या 28

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 29

हिंदी का प्रयोग 29

निगम में शिकायत निवारण कक्ष 29

जन जागरुकता 29

अंतरराष्ट्रीय संबंध 30

विषय सूची

लेखा परीक्षक 30

परिशिष्ट सारणियाँ 31-60

1 निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक – स्थापना के बाद से प्रगति 31

2ए बीमाकृत बैंक - बैंक समूह-वार 32

2बी बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार 32

3 2023-24 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक 33

4 जमाराशि की सुरक्षा की सीमा: स्थापना के बाद से 34

5 बैंक समूह-वार: बीमाकृत जमाराशियाँ 35

6 2023-24 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे 36
(परिसमाप्त/विलय किए गए बैंक)

6ए 2023-24 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे 37
[सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत बैंक]

7 आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान 38

7ए आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान 38
एआईडी के तहत बैंक

8 निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2024 39
तक परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

8ए बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती 57
सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च 2024 तक

8बी त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे 60
31 मार्च 2024 तक

4. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 61-63

5. तुलन पत्र और लेखे 64-79

विषय सूची

बॉक्स	पृष्ठ सं.
बॉक्स 1 अ-बीमाकृत जमाराशियों का अध्ययन: वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव	11
बॉक्स 2 जमा बीमा पर लक्षित जागरूकता अभियान के लिए नया दृष्टिकोण	17
बॉक्स 3 जलवायु जोखिम और जमा बीमा	19

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

केंका.डीआईसीजी.सवि.सं.S 681 /01.01.016/2024-25 27 जून, 2024

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई – 400 001

महोदय,

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में, निदेशक मंडल द्वारा मुझे निदेशित हुआ है कि मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अग्रेषित करूं:

(i) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम का तुलन-पत्र तथा लेखे, और
(ii) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

2. उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।

3. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां यथासमय आपको भेजी जाएंगी।

भवदीय,

(एन. अरुण विष्णु कुमार)
निदेशक

अनु.: यथोक्त

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

केंका.डीआईसीजी.सवि.सं.S679/01.01.016/2024-25 20 जून, 2024

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएँ विभाग
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्र, लेखे तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में, निदेशक मंडल द्वारा मुझे निदेशित हुआ है कि मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि अग्रेषित करूं:

(i) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम का तुलन-पत्र तथा लेखे, और
(ii) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

इसकी तीन प्रतियां भी संलग्न हैं।

2. उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित सामग्री की प्रतियां (अर्थात, तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं।

3. हमें कृपया यह सूचित किया जाए कि उपरोक्त दस्तावेज पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात लोक सभा और राज्य सभा) के समक्ष किस तिथि/तिथियों को रखे गए हैं। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां आपको यथासमय प्रेषित की जाएंगी।

भवदीय,

(एन. अरुण विष्णु कुमार)
निदेशक

अनु.: यथोक्त

निदेशक मण्डल*

अध्यक्ष **डॉ. एम. डी. पात्र** **उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (31 मार्च 2020 से)
निदेशक **डॉ. दीपक कुमार** **कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (4 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2024 तक)
श्री आर. लक्ष्मीकांत राव **कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (10 मई 2024 से 30 जून 2024 तक)
श्री अर्णब कुमार चौधरी **कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (01 जुलाई 2024 से)
श्री पंकज शर्मा **संयुक्त सचिव** **वित्त मंत्रालय** **वित्तीय सेवाएं विभाग** **भारत सरकार**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (1 अप्रैल 2022 से)
श्री शाजी के. वी. **अध्यक्ष** **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (15 फरवरी 2023 से)
डॉ. तरुण अग्रवाल	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (10 जुलाई 2024 से)
प्रो. पार्थ रे **निदेशक** **राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान**	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (10 जुलाई 2024 से)

* 10 जुलाई 2024

संगठन की संरचना

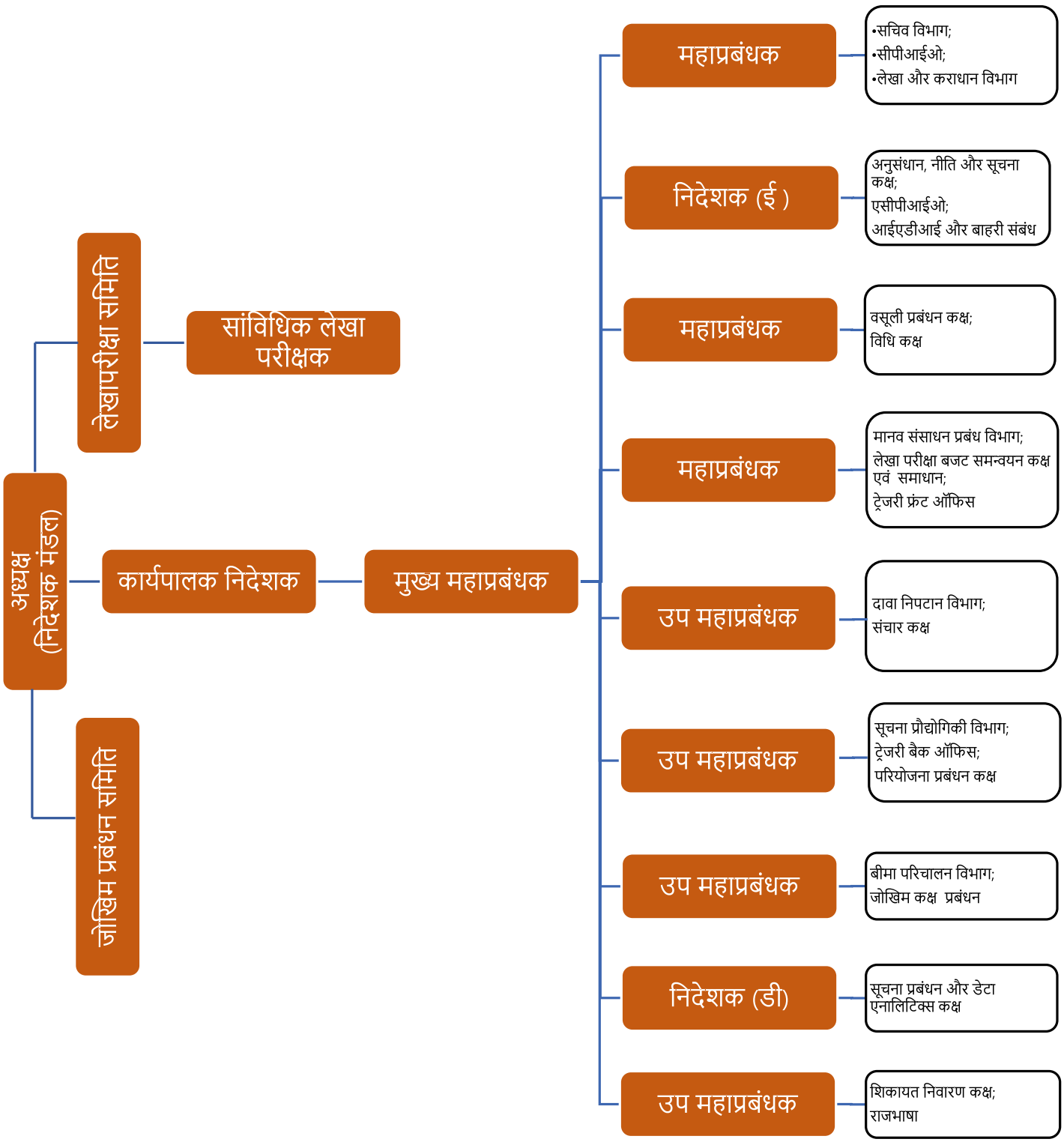
अध्यक्ष (निदेशक मंडल)
लेखापरीक्षा समिति
सांविधिक लेखा परीक्षक
कार्यपालक निदेशक
मुख्य महाप्रबंधक
जोखिम प्रबंधन समिति
महाप्रबंधक
•सचिव विभाग;
•सीपीआईओ;
•लेखा और कराधान विभाग
निदेशक (ई)
अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष;
एसीपीआईओ;
आईएडीआई और बाहरी संबंध
महाप्रबंधक
वसूली प्रबंधन कक्ष;
विधि कक्ष
महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग;
लेखा परीक्षा बजट समन्वयन कक्ष एवं समाधान;
ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस
उप महाप्रबंधक
दावा निपटान विभाग;
संचार कक्ष
उप महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग;
ट्रेजरी बैक ऑफिस;
परियोजना प्रबंधन कक्ष
उप महाप्रबंधक
बीमा परिचालन विभाग;
जोखिम कक्ष प्रबंधन
निदेशक (डी)
सूचना प्रबंधन और डेटा एनालिटिक्स कक्ष
उप महाप्रबंधक
शिकायत निवारण कक्ष;
राजभाषा

निगम की संपर्क जानकारी*

टेलीफोन

022-2302 8237	बीमा परिचालन विभाग
022-2302 8233	दावा निपटान विभाग
022-2306 8223	वसूली प्रबंधन कक्ष
022-2301 1991	सचिव विभाग और आरटीआई कक्ष

प्रधान कार्यालय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, 2रा तल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला,
मुंबई – 400 008. भारत

मुख्य महाप्रबंधक	anupkumar@rbi.org.in	022-2302 8220
महाप्रबंधक	sathishkumar@rbi.org.in	022-2302 8226
निदेशक	arunvishnukumar@rbi.org.in	022-2301 9792
महाप्रबंधक	rkrajkumar@rbi.org.in	022-2302 8209
महाप्रबंधक	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8201
उप महाप्रबंधक	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 8206
उप महाप्रबंधक	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205
उप महाप्रबंधक	sunurajan@rbi.org.in	022-2302 8508
निदेशक (डी)	msadki@rbi.org.in	022-2302 8224
उप महाप्रबंधक	sroychowdhury@rbi.org.in	022-2302 8219

ईमेल : dicgc@rbi.org.in
वेबसाइट : www.dicgc.org.in

*10 जुलाई 2024 के अनुसार

निगम के प्रमुख अधिकारी*

कार्यपालक निदेशक

श्री अर्णब कुमार चौधरी

मुख्य महाप्रबंधक

श्री अनूप कुमार

सचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री एस. सतीश कुमार, महाप्रबंधक

महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, और निदेशक

श्री एन. अरुण विष्णु कुमार (निदेशक 'ई')

श्री राज कुमार (महाप्रबंधक)

श्री मंगेश वाई सोरते (महाप्रबंधक)

श्रीमती पवनजीत कौर ऋषि (उप महाप्रबंधक)

श्रीमती संगीता ई (उप महाप्रबंधक)

श्री सुनू राजन (उप महाप्रबंधक)

श्री मधुसूदन एस अडकी (निदेशक 'डी')

श्री शुभाशिस रॉयचौधुरी (उप महाप्रबंधक)

बैंकर्स

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चौधरी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
104, मॉडल रेजीडेंसी,
बी. जे. मार्ग, जैकब सर्कल,
महालक्ष्मी, मुंबई-40000, भारत

* 10 जुलाई 2024 के अनुसार

संक्षेपाक्षर

एई	:	विकसित अर्थव्यवस्थाएं
एएफएस	:	बिक्री के लिए उपलब्ध
एआईडी	:	सर्व समावेशी निदेश
एएलएम	:	आस्ति देयता प्रबंधन
एपीआरसी	:	एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति
एएस	:	लेखांकन मानक
बीसीबीएस	:	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
सीए	:	चार्टर्ड अकाउंटेंट
सीएएपी	:	कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा कार्यक्रम
सीएएसबीआई	:	सीसीआईएल अखिल भारतीय सॉवरेन बांड सूचकांक
सीसीआईएल	:	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईएसटीएटी	:	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीजीसीआई	:	क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीजीएफ	:	ऋण गारंटी निधि
सीजीएस	:	ऋण गारंटी योजना
सीआईसी	:	मुख्य सूचना आयोग
सीआईएसओ	:	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
सीपी	:	मूल सिद्धांत
सीआरसीएस	:	सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार
सीएसएए	:	नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीआई	:	जमा बीमा
डीआइए	:	जमा बीमा एजेंसी
डीआईसी	:	जमा बीमा निगम
डीआईसीजीसी	:	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	:	निक्षेप बीमा निधि
डीआईएस	:	जमा बीमा प्रणाली
डीआर	:	आपदा बहाली
ईएडी	:	डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोज़र
ईसी	:	अनिवार्य मानदंड
ईडी	:	कार्यपालक निदेशक
ईकेपी	:	एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल
ईएमई	:	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ
ईआरएम	:	उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन
एफआईएमएमडीए	:	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन
एफआरएन	:	फर्म पंजीकरण संख्या
एफवाई	:	वित्तीय वर्ष
जीएएपी	:	आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
जीडीपी	:	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफ	:	सामान्य निधि
जीएनपीए	:	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
जीओआई	:	भारत सरकार
जीएस/जी-सेक	:	सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसटी	:	वस्तु एवं सेवा कर
एचवाई	:	छमाही
आईएडीआई	:	जमा बीमाकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईसीएआई	:	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

संक्षेपाक्षर

आईडीएल	:	अंतर्दिवसीय चलनिधि
आईएफआर	:	निवेश उच्चावचन रिज़र्व
आईएफआरएस	:	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग मानक
आईएमएफ़	:	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईआरए	:	निवेश आरक्षित खाता
आईटी	:	सूचना प्रौद्योगिकी
केवाईसी	:	अपने ग्राहक को जानो
एलएबी	:	स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एलएआर	:	तरलता पर्याप्तता अनुपात
एलसीआर	:	तरलता कवरेज अनुपात
एलजीडी	:	चूकने से हुआ घाटा
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमपीसी	:	मौद्रिक नीति समिति
एमटीएम	:	मार्क टू मार्केट
एमवीबी	:	शुरुआत में बाजार मूल्य
एमवीई	:	अंत में बाजार मूल्य
नाबार्ड	:	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीएच	:	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनडीएस-ओएम	:	निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मिलान सिस्टम
एनएनपीए	:	शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
एनएसओ	:	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
ओईसीडी	:	आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन
ओटीसी	:	ओवर द काउंटर
पीबी	:	भुगतान बैंक
पीडी	:	डिफ़ॉल्ट की संभावना
पीएमसीबीएल	:	पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड
क्यूसीसीपी	:	योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष
क्यूआर	:	त्वरित प्रतिक्रिया
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए	:	जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरसीएस	:	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
आरआर	:	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	:	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	:	सूचना का अधिकार
एससी	:	अनुसूचित जाति
एसएफबी	:	लघु वित्त बैंक
एसएलजीएस	:	लघु ऋण गारंटी योजना
एसओपी	:	मानक संचालन प्रक्रिया
एसटी	:	अनुसूचित जनजाति
टैफकब	:	सहकारी शहरी बैंकों पर टास्क फोर्स
टीएमओ	:	ट्रेजरी मिड ऑफिस
टीडब्ल्यूआर	:	कुल भारित रिटर्न
यूडीआईएन	:	विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या
यूएसए/यूएस	:	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र
वीएआर	:	वैल्यू एट रिस्क

2023-24 एक नज़र में

62 वर्ष – जमा बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखने के

1,997 पंजीकृत बीमाकृत बैंक (मार्च 2024 के अंत तक)

₹ 1,98,753 करोड़ निक्षेप बीमा निधि (मार्च 2024 के अंत तक)

2.11% आरक्षित अनुपात (मार्च 2024 के अंत तक)

97.8% पूर्णत: संरक्षित जमा खाते (मार्च 2024 के अंत तक)

43.1% संरक्षित जमा राशियाँ (मार्च 2024 के अंत तक)

₹ 23,879 करोड़ एकत्रित प्रीमियम

₹ 1,432 करोड़ 2023-24 में निपटाए गए दावे (परिसमाप्त और एआईडी के तहत बैंकों के लिए)

₹ 5,359 करोड़ अब तक सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंकों के 3,76,661 जमाकर्ताओं को किया गया अन्तरिम भुगतान

₹ 901 करोड़ निपटाए गए दावों से वसूली

विशेषताएं-I: निक्षेप बीमा एक नज़र में

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	2019-2020	2020-21	2021-22	2022-23	(अ) 2023-24
1 पूंजी *	50	50	50	50	50
2 निक्षेप बीमा					
(i) निक्षेप बीमा निधि	1,10,384	1,29,904	1,46,842	1,69,602	1,98,753
	(17.74)	(17.68)	(13.04)	(15.50)	(17.19)
(ii) बीमाकृत बैंक (वास्तविक संख्या)	2,067	2,058	2,040	2,026	1,997
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ	1,34,88,910	1,49,67,770	1,65,49,630	1,94,58,915	2,18,23,481
	(12.36)	(10.96)	(10.57)	(17.6)	(12.15)
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ[@]	#36,96,100 (9.68)	76,21,251 (10.91)	81,10,431 (6.42)	86,31,259 (6.42)	94,10,674 (9.03)
(v) बीमित खातों की कुल संख्या (करोड़ में)	235.00	252.63	262.19	276.3	289.8
	(8.10)	(7.50)	(3.78)	(5.38)	(4.87)
(vi) पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या (करोड़ में)	#216.10 (8.05)	247.80 (7.27)	256.67 (3.58)	270.5 (5.38)	283.3 (4.74)
(vii) योजना के प्रारम्भ से प्रदत्त दावे[^]	5,199	5,763	14,278	15,031	16,326

अ – अनंतिम

* निगम की सामान्य निधि के अंतर्गत।

@ 4 फरवरी, 2020 से जमा बीमा कवर ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया।

वर्ष 2019-20 के लिए, ₹5 लाख के जमा बीमा कवर के लिए बीमित जमा और पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या क्रमश: ₹68,71,500 करोड़ और 231 करोड़ होने का अनुमान है।

^ रिज़र्व बैंक द्वारा ''सर्व समावेशी निदेशों'' के तहत रखे गए बैंकों के दावों में 2021-22 से आगे परिसमाप्त बैंकों के दावे भी शामिल हैं।.

टिप्पणी:

1) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत हैं।

2) 2 (iii) से 2 (vi) तक की मदों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के आकड़ें 30 सितंबर (पिछले छमाही) के अनुसार है, हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यही आकड़ें मार्च 31 के अनुसार हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

परिचालनात्मक विशेषताएं-II: निक्षेप बीमा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व विवरण					
प्रीमियम आय	13,234	17,517	19,491	21,381	23,879
	(9.89)	(32.36)	(11.27)	(9.70)	(11.68)
निवेश आय	8,532	9,650	10,496	11,908	13,947
	(17.76)	(13.10)	(8.77)	(13.45)	(17.12)
निवल दावे	54	993	8,121	730	1,586
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	15,486	26,555	20,566	33,391	34,278
कर के बाद राजस्व अधिशेष	10,302	19,332	15,239	24,559	24,438
तुलन पत्र					
निधि शेष (बीमांकिक)	12,087	12,275	13,974	12,174	16,887
निधि अधिशेष	98,297	1,17,629	1,32,868	1,57,427	1,81,866
दावों संबंधी बकाया देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निष्पादन मैट्रिक्स					
1ए. परिसमाप्त बैंकों के लिए दावे की प्राप्ति और दावा निपटान के बीच दिनों की औसत संख्या@	11	7	3	-	14
1बी. एआईडी के तहत बैंकों के लिए दावे की प्राप्ति और दावा निपटान के बीच दिनों की संख्या			45	45	45
2. बैंक का पंजीकरण रद्द करने और दावा निपटान (प्रथम दावा) के बीच दिनों की औसत संख्या@	508	500	184	-	466
3. कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत	0.29	0.20	0.14	0.16	0.18
(इसमें से: कुल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में कर्मचारी लागत)	0.10	0.10	0.06	0.08	0.09

@ निगम द्वारा दावों का निपटान परिसमापक (सहकारी समितियों के संबंधित राज्य रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त) से जमाकर्ता सूची प्राप्त होने पर निर्भर करता है। निगम ने परिसमापक से जमाकर्ता सूची प्राप्त होने के 14 दिनों (औसत) के भीतर दावों का निपटान कर दिया है।

डीआईसीजीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिसमापन के तहत बैंकों के लिए मुख्य दावे का निपटान नहीं किया है। तथापि, सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत बैंकों के संबंध में, विभाग ने डीआईसीजीसी द्वारा भुगतान के लिए उत्तरदायी होने और भुगतान की वास्तविक तारीख अर्थात 90 दिनों से अधिक न होने के बीच सांविधिक समय-सीमा का पालन किया है।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर का प्रतिशत हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

विशेषताएँ - III

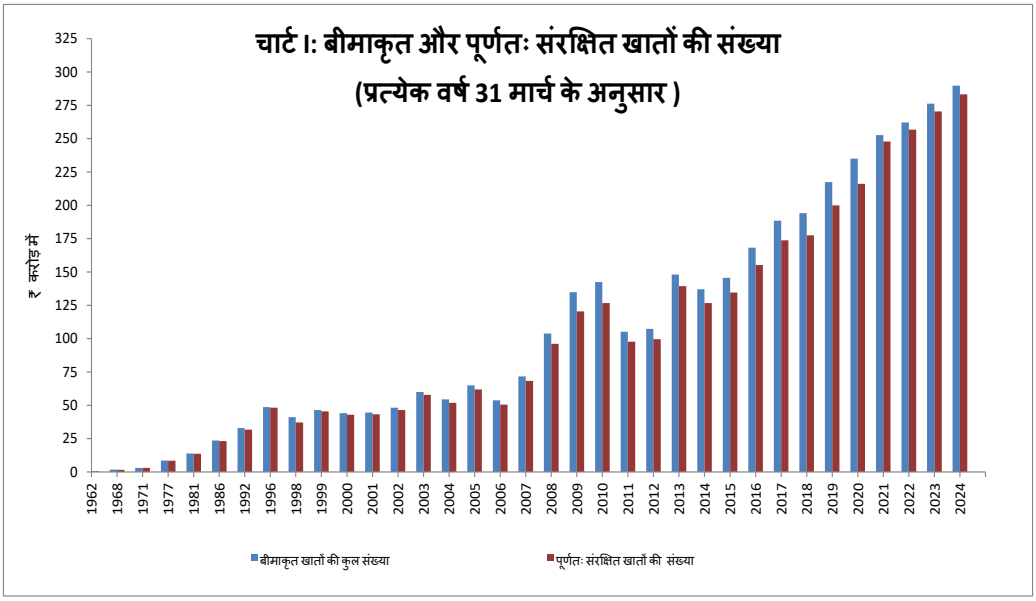

टिप्पणी: 2020-11 के लिए आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

विशेषताएँ - IV

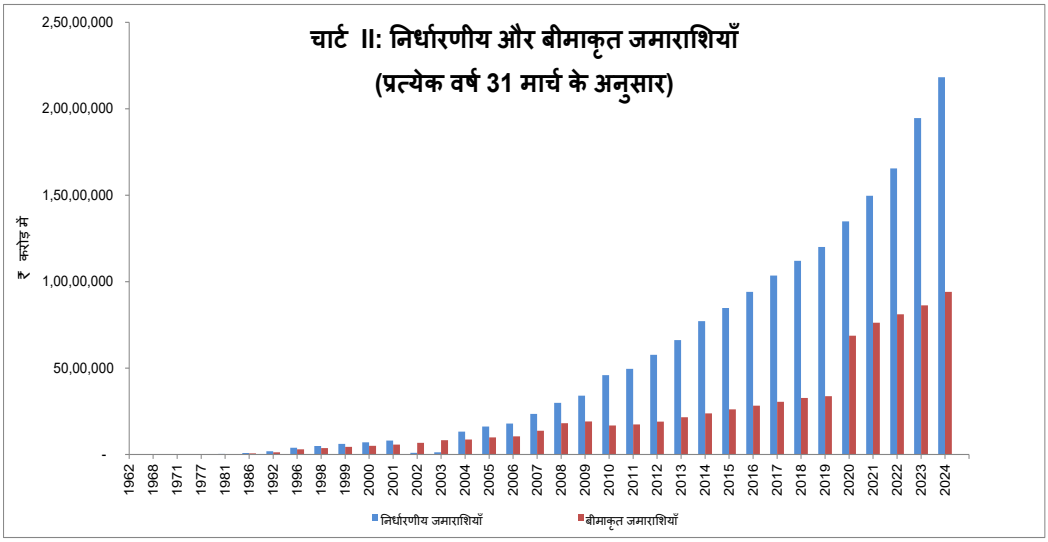

टिप्पणी: 2009-10 से आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

विशेषताएँ - V

बीमाकृत बैंकों की जमाराशि की तुलना में बीमा कवरेज का विस्तार
(31 मार्च 2024)

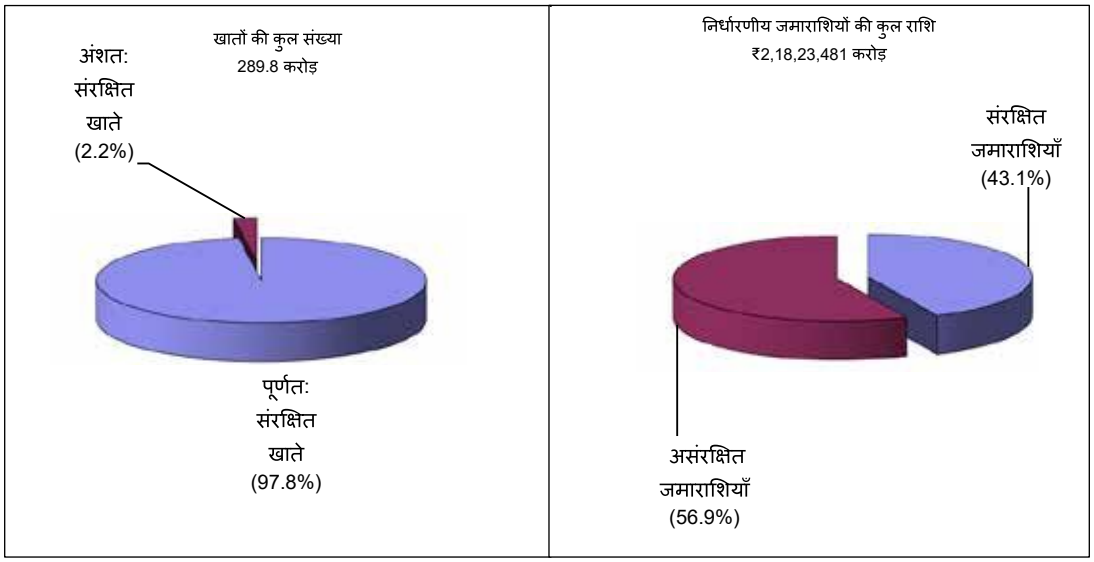

टिप्पणी:

1. आंकड़े रिपोर्टिंग के नए फॉर्मेट के अनुसार हैं।
2. ₹ 5 लाख जमा बीमा कवर से संबंधित आकड़े ₹ 94,10,674 करोड़ हैं।

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

विशेषताएं - VI

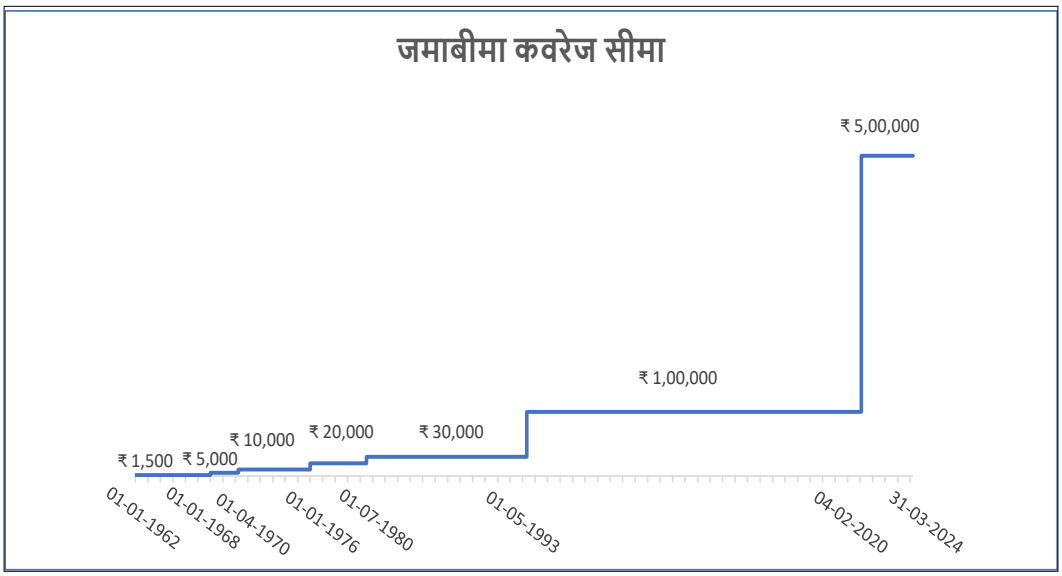

स्रोत: डीआईसीजीसी

विशेषताएं - VII

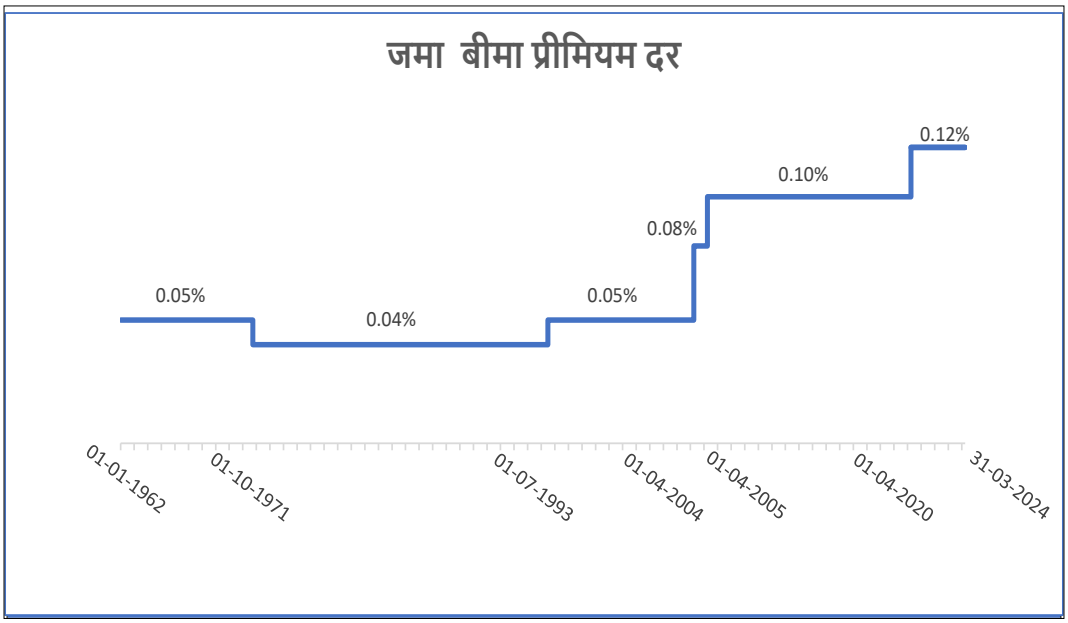

स्रोत: डीआईसीजीसी

1. डीआईसीजीसी का विहंगावलोकन

1. परिचय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के कार्य, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 और *उक्त अधिनियम की धारा 50(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तैयार की गई* निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के प्रावधानों के जरिए शासित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही थी, अत: अप्रैल 2003 में इस योजना का संचालन बंद कर दिया गया और निक्षेप बीमा ही निगम का प्रधान कार्य है।

2. इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार बैंकों में रखी गई जमा राशियों का बीमा करने का विचार सामने आया। इसके बाद वर्ष 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को स्थगित रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में नए सिरे से ध्यान दिया गया। तद्नुसार, निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 दिनांक 1 जनवरी 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा योजना कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की गई। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं, अन्य वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं। निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया। तदनुसार, निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत ''पात्र सहकारी बैंकों'' का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(11ए)(ए) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को प्रदान किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को अब तक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा पारिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं अर्थात निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को डीआईसीजीसी अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद, 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए गारंटीकृत सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया। तदनुसार, ऋण गारंटी योजना को अप्रैल 2003 से बंद कर दिया गया।

3. संस्थागत कवरेज

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक (पीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), और स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

इसके अलावा, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 2(जीजी) के तहत परिभाषित सभी पात्र सहकारी बैंक जमा बीमा योजना के तहत कवर किए गए हैं। इनमें भारत में कार्यरत सभी राज्य, जिला केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों (यूटी) ने डीआईसीजीसी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है। यह संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंक की प्रबंधन समिति को भंग करने का अधिकार देता है और यह अपेक्षा करता है कि सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनर्निर्माण के लिए कोई भी कार्रवाई केवल आरबीआई की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ की जा सकती है। वर्तमान में, सभी सहकारी बैंक इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तीन संघशासित क्षेत्रों अर्थात लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली और लद्दाख में कोई भी बीमाकृत/पंजीकृत सहकारी बैंक नहीं है।

4. बैंकों का पंजीकरण

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

सभी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 13 (ए) के अंतर्गत प्राथमिक क्रेडिट समिति के प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाने के बाद लाइसेंस के लिए किए गए आवेदन से तीन माह के भीतर निगम उसका पंजीकरण करेगा।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करने वाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं अर्थात्, निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का ब्यौरा दिया जाता है।

5. बीमा कवरेज

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता, उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर ''समान क्षमता और समान अधिकार'' में मूलत: ₹1500/- तक सीमित रखी गई थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है (तालिका 1)।

तालिका 1: जमा बीमा कवरेज

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
4 फरवरी 2020	₹5,00,000/-
1 मई 1993	₹1,00,000/-
1 जुलाई 1980	₹30,000/-
1 जनवरी 1976	₹20,000/-
1 अप्रैल 1970	₹10,000/-
1 जनवरी 1968	₹5,000/-
1 जनवरी 1962	₹1,500/-

स्रोत: डीआईसीजीसी

6. सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निगम (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियों; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियों; (iii) अंतर-बैंक जमाराशियों; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों तथा (v) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमा राशियों को छोड़कर सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

7. बीमा प्रीमियम

निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु निगम बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है (तालिका 2)। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन उनकी निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष (छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें।

तालिका 2: बीमा प्रीमियम दरें (₹100 की जमाराशि के प्रतिशत के अनुसार)

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1 अप्रैल 2020	0.12
1 अप्रैल 2005	0.10
1 अप्रैल 2004	0.08
1 जुलाई 1993	0.05
1 अक्तूबर 1971	0.04
1 जनवरी 1962	0.05

स्रोत: डीआईसीजीसी

प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अगस्त 2021 में किए गए डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15 (1) में संशोधन के अनुसार, डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और देश में समग्र बैंकिंग क्षेत्र के हितों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से बीमा प्रीमियम पर प्रति ₹100 की जमा राशि पर 15 पैसे की सीमा बढ़ा सकता है।

8. पंजीकरण रद्द करना

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से बहाल किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- (i) नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; (ii) रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; (iii) स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यत: उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; और इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द हो जाता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

9. बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, निगम के पास किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार, निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

10. दावों का निपटान

किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन आदेश की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी 'समान क्षमता और समान अधिकार में' रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(3) के साथ पठित धारा 16(1)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है तो विलयन योजना के नियमों और शर्तों के अनुरूप निगम जमाकर्ताओं को इस समय तक लागू जमा बीमा योजना तक भुगतान करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में 'समान क्षमता और समान अधिकार' में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(2) और (3)] किया जाता है।

डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा, निगम द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में, प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-

राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तीन महीनों के भीतर निगम को प्रस्तुत की जानी है। (अनुबंध; चार्ट 1)

ऐसे बैंक/बैंकों के संबंध में जिसके/जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि, जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है। [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18(1)]

निगम से अपेक्षित है कि वह डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण/सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) फर्म से करवाता है।

सामान्यत: निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र दावा राशि का भुगतान परिसमाप्त बैंक के परिसमापक/ अंतरिती/बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम पर एजेंसी बैंक में खोले गए खाते में क्रेडिट करता है। तथापि, अनट्रेसेबल जमाकर्ताओं को देय राशि की मंजूरी तब तक नहीं दी जाती जब तक इसके संबंध में परिसमापक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत न किए जाएँ।

इसके अलावा, अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधित धारा 18ए के अनुसार, निगम आरबीआई द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा की सीमा तक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (अनुबंध चार्ट 2)। भुगतान आरबीआई द्वारा एआईडी लागू करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। बीमाकृत बैंक को एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करनी होती है और निगम को 30 दिनों के भीतर दावों की वास्तविकता और प्रामाणिकता का सत्यापन करना होता है और अगले 15 दिनों के भीतर सम्मति प्रस्तुत करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान करना होता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक को समामेलन/ समझौता या व्यवस्था/पुनर्निर्माण की योजना लाना उचित लगता है, तो निगम की देयता अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। एआईडी के अंतर्गत दावों के भुगतान की प्रक्रिया डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली के विनियम 21ए के अनुसार है।

11. निपटाए गए दावों की वसूली

डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि और हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से किए गए व्यय की राशि निकालने के उपरांत डीआईसीजीसी को चुकौती करें। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 21 (3) के अनुसार, डीआईसीजीसी अपने बोर्ड के अनुमोदन से, डीआईसीजीसी के प्रति अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए बीमित बैंक के लिए चुकौती अवधि को स्थगित या बदल सकता है। वर्तमान में एआईडी के तहत बैंक जिन्हें डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के तहत भुगतान किया गया है के लिए अपेक्षित है कि वे 5 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान करें। इसी अधिनियम की धारा 21 (4) के अनुसार, डीआईसीजीसी निपटाए गए दावों के पुनर्भुगतान में देरी के मामले में रेपो दर पर 2 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज वसूल कर सकता है ।

12. निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (i) निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ); (ii) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा (iii) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमश: बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णत: रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के तहत निधियों के बीच अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

निगम प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है जबकि निपटाए गए दावों के पुनर्भुगतान के मामले में प्राप्ति आधार होता है। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। निगम वित्तीय वर्ष 1987-88 से आयकर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 मे यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के रुप में किया जाता है। 1 अक्तूबर 2011 से निगम प्रीमियम आय पर सेवाकर के अधीन है और 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्य पद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के तीन महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भी भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है।

अनुबंध चार्ट 1

क. भारत में सहकारी बैंकों के लिए दावों के निपटान की प्रक्रिया

भारत में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है (चार्ट 1):

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है/लाइसेंस के लिए आवेदन अस्वीकार कर देता है और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस)/सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और डीआईसीजीसी को इसकी सूचना देता है। डीआईसीजीसी भी संबंधित आरसीएस/सीआरसीएस को परिसमापक की शीघ्र नियुक्ति के लिए लिखता है।
2. आरसीएस/सीआरसीएस परिसमाप्त बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा डीआईसीजीसी को सूचित करता है।
3. डीआईसीजीसी बीमाकृत बैंक के रुप में बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और नियुक्ति के 3 महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है।
4. परिसमाप्त बैंक के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के अनुपालन सहित दावा सूची और खाता बहियों का सत्यापन निगम के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा किया जाता है। डीआईसीजीसी दावा सूची और बैंक के रिकॉर्ड की पुस्तकों के ऑन साइट सत्यापन के लिए सीए के लिए एक परिचय सत्र आयोजित करता है।

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

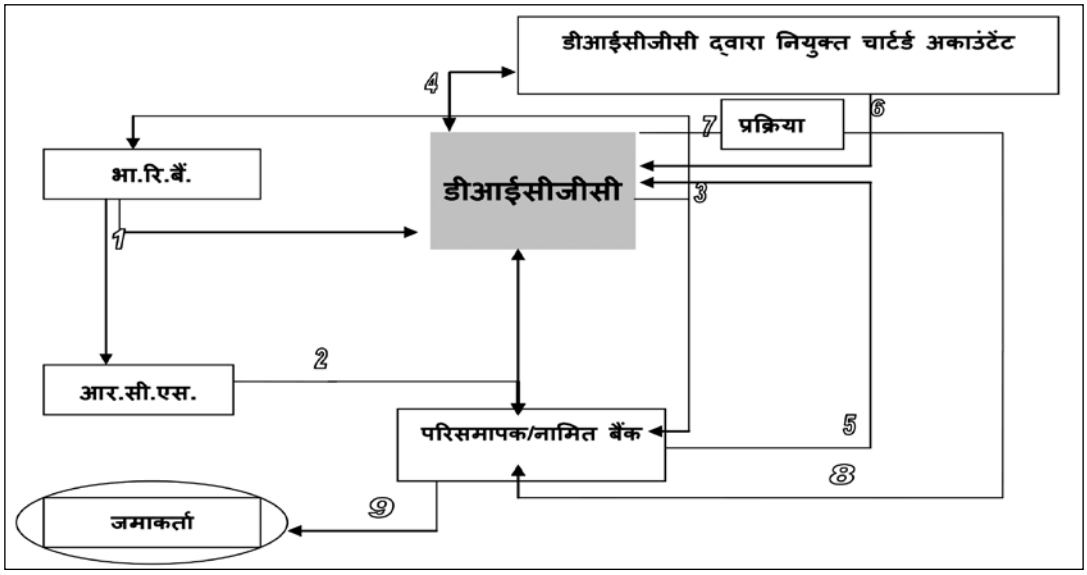

5. परिसमापक दो भागों में दावा सूची तैयार करता है (भाग – क ट्रेस करने योग्य/केवाईसी अनुपालित और भाग-ख अनट्रेसेबल/केवाईसी अनुपालित नहीं) और जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सॉफ्ट फॉर्म में डीआईसीजीसी को सूची प्रस्तुत करता है।
6. सीए को दावा सूची और इसे तैयार करने में प्रासंगिक परिसमाप्त बैंकों के अभिलेखों पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है।
7. मुख्य दावे के भाग क को प्रोसेस किया जाता है और पात्र बीमित जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करने के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है। भाग- ख सूची के संबंध में जब भी जमाकर्ताओं का पता लगाया जाता है/केवाईसी का अनुपालन किया जाता है परिसमापक अनुपूरक दावे के रूप में भुगतान के लिए भाग-ख सूची से दावे प्रस्तुत करते हैं।
8. नामित बैंक से लागू मुख्य दावा निपटान राशि एजेंसी बैंक के साथ रखे गए परिसमापक के खाते के नाम पर जारी की जाती है।
9. नामित बैंक संबंधित परिसमापक द्वारा प्रस्तुत किए गए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खाते के विवरण के आधार पर एनईएफ़टी/डीडी/एनएसीएच के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान जारी करता है।

अनुबंध चार्ट 2

ख. दावा निपटान प्रक्रिया - सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंक

भारत में सर्व समावेशी निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है (चार्ट 2):

1. भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत सर्व समावेशी निदेश (एआईडी) लगाता है और डीआईसीजीसी, जहां बैंक जमा बीमा के लिए पंजीकृत है, को एक पृष्ठांकन के साथ जमा/निकासी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में एआईडी के तहत संबंधित बैंक को सूचित करता है।
2. डीआईसीजीसी, एआईडी के तहत रखे गए संबंधित बैंक को दिशा-निर्देश जारी करता है कि निर्देश लगाए जाने की तारीख को प्रत्येक जमाकर्ता की बकाया जमा राशि (सभी ऋणों/अग्रिमों को सेट ऑफ करने के बाद समान क्षमता और समान अधिकार में) को दर्शाने वाली विस्तृत सूची तैयार करे।

चार्ट 2: दावा निपटान प्रक्रिया – सर्व समावेशी निदेशों के तहत बैंक
(बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत)

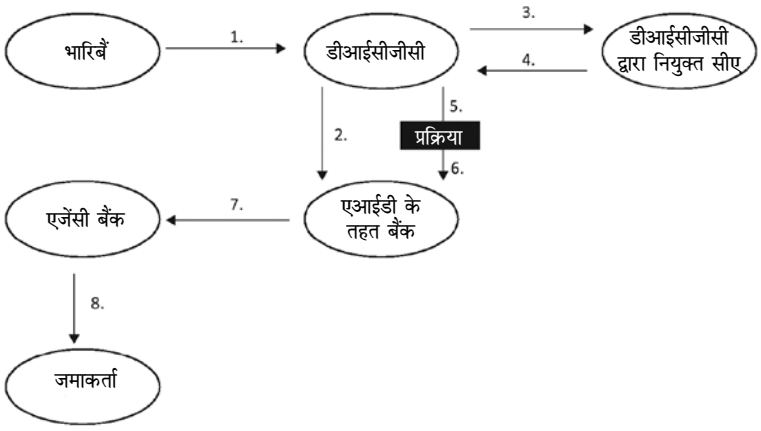

3. डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के अनुसार, एआईडी के तहत रखे गए बैंकों को बैंक पर एआईडी लागू होने के 45 दिनों के भीतर निगम को संपूर्ण जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करनी होती है। सूची में भाग ए सूची शामिल होनी चाहिए अर्थात, जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति फार्म 45वें दिन तक प्राप्त हुए हैं और भाग बी सूची, अर्थात, जमाकर्ताओं की सूची जिनके दावा सम्मति फार्म 45वें दिन तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन जमाकर्ताओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर दावा सम्मति फार्म प्राप्त हो जाते हैं उन्हें 90वें दिन भुगतान के लिए विचार किया जाता है।
4. परिसमाप्त बैंक के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के अनुपालन सहित दावा सूची और खातों की पुस्तकों का सत्यापन निगम के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा किया जाता है। सीए फर्म को डीआईसीजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों और अधिनियम प्रावधानों के अनुसार दावे का ऑन-साइट सत्यापन करना आवश्यक है।
5. सीए दावा सूची और जमा बीमा दावे के निपटान के लिए प्रासंगिक बैंक के ऐसे किसी भी रिकॉर्ड पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं।
6. सीए रिपोर्ट प्राप्त होने पर, डीआईसीजीसी द्वारा दावा संसाधित किया जाता है और अपनी सम्मति व्यक्त करने वाले जमाकर्ताओं को पात्र दावों के भुगतान के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है ।
7. तब डीआईसीजीसी एजेंसी बैंक के माध्यम से दावे के संवितरण के लिए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक खाते का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ एआईडी के तहत बैंक के साथ भुगतान की जाने वाली सूची साझा करता है।
8. एआईडी के तहत बैंक तब विधिवत भरी हुई सूची को डीआईसीजीसी को सूचित करते हुए एजेंसी बैंक से साझा करता है।
9. तब एजेंसी बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली सूची और एआईडी के तहत बैंक द्वारा दिए गए मेंडेट के अनुसार दावों का वितरण किया जाता है।

2. प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण

1. परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में आघात-सह बनी रहेगी तथा 2024 में भी ऐसी ही स्थिति रहने की आशा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2024 के अनुसार, वैश्विक आर्थिक संवृद्धि 2023 में घटकर 3.2 प्रतिशत (2022 में 3.5 प्रतिशत) रह जाएगी। 2024 के लिए वैश्विक संवृद्धि का पूर्वानुमान 3.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया, जबकि 2025 के लिए इसे 10 आधार अंक बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया गया। यह आशा की जा रही है कि 2024 और 2025 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मामूली तेजी की भरपाई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मामूली मंदी से हो जाएगी। हालांकि, दीर्घ भू-राजनीतिक तनाव, उच्च सार्वजनिक ऋण और अवस्फीति में धीमी प्रगति के कारण संवृद्धि के लिए अधोगामी जोखिम उच्च बना हुआ है। आईएमएफ ने वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान लगाया है, जो 2023 में 6.8 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत हो जाएगी, तथा विकसित अर्थव्यवस्थाएं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर जल्दी वापस आ जाएंगी। कोर मुद्रास्फीति में सामान्यत: धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है।

इन चुनौतियों के बावजूद, वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है। आईएमएफ की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल 2024 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर निरंतर अवस्फीति तथा मौद्रिक नीति में ढील की आशाओं के कारण दुनिया भर में वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी आने की संभावना बढ़ती जा रही है और यह कि उच्च ब्याज दरों के कारण वित्तीय प्रणाली में आई दरारें और अधिक नहीं बढ़ी हैं। निकट भविष्य में वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम कम हो गया है। हालाँकि, अंतिम मील में कई प्रमुख जोखिम हैं। अवस्फीति में रुकावट निवेशकों को आश्चर्यचकित कर सकती है जिससे आस्तियों का पुनर्मूल्यन हो सकता है और वित्तीय बाजार में अस्थिरता फिर से बढ़ सकती है।

मार्च 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कुछ बैंक विफलताओं ने मौद्रिक नीति के संचालन के साथ-साथ विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण, समाधान और जमा बीमा के लिए नई चुनौतियां खड़ी की हैं। हालांकि, उथल पुथल को शांत करने और संक्रमण को रोकने के लिए जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) और विनियामकों की त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रियाएं वित्तीय स्थिरता की खोज में समाधान और जमा बीमा के परिदृश्य को पुन:परिभाषित कर रही हैं।

इस पृष्ठभूमि में, जमा बीमा के लिए वैश्विक मानक निर्धारण एजेंसी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीएआई) ने चार प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की पहचान की है, जिनमें जमा बीमा डिजाइन, जमा बीमा और समाधान के बीच संबंध, वित्तीय सुरक्षा-कवच में समन्वय और डिजिटलीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आईएडीआई ने प्रभावी जमा बीमा प्रणाली, 2014 हेतु अपने मूल सिद्धांतों (सीपी) की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समूह (एचएलएसजी) का गठन किया है। इस समूह ने, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय सुरक्षा समन्वय, कवरेज, समाधान और प्रतिपूर्ति सहित चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है।[1]

भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ और आघात-सह बनी हुई है, जो समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर आधारित है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2024 से पता चलता है कि बेहतर तुलन पत्रों के साथ, बैंक और वित्तीय संस्थान निरंतर ऋण विस्तार के माध्यम से आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऋण जोखिम के लिए मैक्रो दबाब परीक्षणों से पता चलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मार्च 2025 में सिस्टम-स्तरीय सीआरएआर के साथ न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम होंगे, जो कि बेसलाइन, मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्यों के तहत क्रमश: 16.1 प्रतिशत, 14.4 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत अनुमानित है।[2]

इस अध्याय का शेष भाग निम्नानुसार तैयार किया गया है। अध्याय का प्रारंभ अगले खंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्रबंधन नीति और कार्यनीति के विस्तृत विवरण से होता है। खंड 3 और 4

[1]22वें आईएडीआई एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एलेजांद्रो लोपेज़ द्वारा मुख्य भाषण - वित्तीय सुरक्षा कवच को मजबूत करना: नवीन वित्तीय संकटों की चुनौतियों का समाधान, 25 अप्रैल, 2024 आईएडीआई | इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉज़िट इंश्योरर्स | मुख्य भाषण से प्राप्त

[2]भारतीय रिज़र्व बैंक, ''वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट'', जून 2024

में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है, अर्थात संचार कार्यनीति और नीति तथा जमा बीमा में डेपटेक/फिनटेक। मार्च 2023 में कुछ क्षेत्रों में बैंक विफलताओं के संदर्भ में ये दोनों विषय काफी महत्व और प्रासंगिकता रखते हैं, जिसने जमा बीमा के संचालन के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी की हैं। जमा बीमा के लिए चुनिंदा उभरते जोखिमों को खंड 5 में प्रस्तुत किया गया है। खंड 6 में आगे की राह बताई गई है।

2. प्रबंधन नीति और कार्यनीति

निगम के प्रबंधन (निदेशक मंडल) ने बैंक जमाकर्ताओं की सुरक्षा तथा इस प्रकार वित्तीय स्थिरता में योगदान देने- जो जमा बीमा के दो प्रमुख सार्वजनिक नीति उद्देश्य हैं- निगम के मिशन और विजन के अनुरूप अपनी नीति और कार्यनीति संबंधी निर्णयों को जारी रखा। वर्ष के दौरान किए गए कुछ नीतिगत उपायों में शामिल हैं (i) जोखिम प्रबंध समिति का गठन करके शासन प्रणाली को मजबूत करना; (ii) अन्य सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों और अन्य जमा बीमाकर्ताओं के साथ सूचना साझा करने के तंत्र को मजबूत करना; (iii) अभिनव उपायों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना; (iv) आंतरिक प्रक्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बेंचमार्क करना; (v) निगम के प्रति सांविधिक बकाया की वसूली का प्रबंधन और (vi) निगम की विभिन्न प्रक्रियाओं के सम्पूर्ण डिजिटल रूपांतरण की दिशा में कदम उठाना।

3. अधिदेश एवं शक्तियां

निगम के पास ''पेबॉक्स प्लस" अधिदेश है।[3] जबकि निगम को बीमाकृत बैंक के समापन (डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 17) के मामले में जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, निगम बीमाकृत बैंक के संबंध में समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना और यदि योजना की मांग की गई हो, के मामले में जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन के साथ निगम के अधिदेश को और मजबूत किया गया है। इस संशोधन, अर्थात धारा 18ए को सम्मिलित करने से बैंकिंग पर्यवेक्षक अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा व्यापारिक प्रतिबंधों (जमा राशि लेने) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने का प्रावधान किया गया।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) के एक सर्वेक्षण[4] में बताया गया है कि पिछले दशक (2014 से 2023) में वैश्विक स्तर पर जमा बीमाकर्ता (डीआई) के अधिदेश (मेंडेट) और समाधान निर्णय लेने का दायरा बढ़ा है। 2023 में, पेबॉक्स प्लस अधिदेश (मेंडेट) वाले डीआई की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 48 प्रतिशत (दस वर्षों में 11 आधार अंकों की वृद्धि) थी, जिसके बाद लॉस मिनिमाइज़र (22 प्रतिशत), पेबॉक्स (17 प्रतिशत) और रिस्क मिनिमाइज़र (13 प्रतिशत) का स्थान था।[5] इसी प्रकार, समाधान निर्णय लेने में डीआई की भूमिका पिछले दशक में लगातार बढ़ती रही। अपनाए गए समाधान उपकरणों के संबंध में, सर्वेक्षण में बताया गया है कि तीन समाधान उपकरण, अर्थात् परचेज़ एंड अज़ेम्पशन्स (83 प्रतिशत अधिकार क्षेत्रों में उपलब्ध), ब्रिज बैंक (76 प्रतिशत) और बेल-इन (50 प्रतिशत), अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा कवच प्रतिभागियों के लिए तेजी से उपलब्ध हो रहे हैं।

शासन प्रणाली

निगम के जोखिम प्रबंधन कार्य को मजबूत बनाने के लिए, निदेशक मंडल ने बाह्य विशेषज्ञों के साथ एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित करने का संकल्प लिया और तदनुसार बोर्ड की एक तदर्थ समिति के रूप में आरएमसी[6] का गठन 21 जून 2023 से किया गया। आरएमसी की अध्यक्षता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के विचारार्थ विषय हैं: (i) प्रमुख जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण ढांचे से संबंधित कार्यनीतियों और नीतियों की बोर्ड को सिफारिश करना; (ii) आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन नीतियों/प्रक्रियाओं और उनकी प्रभावशीलता की निगरानी करना; (iii) संगठनात्मक संरचना, बजट, संसाधनों और आंतरिक जोखिम प्रबंधन कार्य के निष्पादन की समीक्षा करना; (iv) निगम की 'कार्यकारी जोखिम प्रबंधन समिति' पर निगरानी रखना; और (v) कोई अन्य संबंधित मामला, जो बोर्ड द्वारा सौंपा जा सकता है।

अन्य सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों के साथ संबंध

निगम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स

[3]आईएडीआई जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) के मेंडेट को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: (क) पेबॉक्स - ज्यादातर प्रीमियम वसूलने और जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने तक सीमित है (ख) पेबॉक्स प्लस - प्रतिपूर्ति से परे समाधान में अतिरिक्त जिम्मेदारियां, जैसे वित्तपोषण में योगदान, परिचालन, और/या समाधान में निर्णय लेना। (ग) लॉस मिनिमाइज़र – जहां डीआई कम से कम लागत वाली समाधान कार्यनीतियों की एक श्रृंखला से चयन में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। (घ) रिस्क मिनिमाइज़र – जहां डीआई के पास व्यापक जोखिम न्यूनीकरण कार्य होते हैं जिनमें जोखिम आकलन और प्रबंधन, प्रारंभिक हस्तक्षेप और समाधान शक्तियों का एक पूर्ण समूह और कुछ मामलों में विवेकपूर्ण निगरानी संबंधी जिम्मेदारियां शामिल हैं।

[4]आईएडीआई (2024), ''2024 में जमा बीमा – वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे'', अप्रैल 2024।

[5]एशिया और अफ्रीका में पेबॉक्स और पेबॉक्स प्लस मेंडेट प्रचलित थे; यूरोप और अमेरिका में पेबॉक्स प्लस और लॉस मिनिमाइज़र मेंडेट प्रबल थे।

[6]डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 8(3) और डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 9(i) के तहत।

(आईएडीआई) और इसकी विभिन्न समितियों का सदस्य है। जमा बीमा से संबंधित प्रथाओं और तकनीकों पर सूचना और देश के अनुभवों के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फोरम के रूप में 2002 में स्थापित, आईएडीआई ने जमा बीमा प्रणालियों के लिए एक वैश्विक मानक-निर्धारक के रूप में भी भूमिका निभाई है। आईएडीआई दुनिया भर में प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो रही है।

निगम ने आईएडीआई द्वारा आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के माध्यम से अन्य जमा बीमाकर्ताओं और आईएडीआई के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की और साथ ही आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2023, मलेशिया डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (पीआईडीएम) बेंचमार्किंग सर्वेक्षण और 'जन जागरूकता स्तर मापन' और 'सम्यक तत्परता कार्यान्वयन' पर इंडोनेशिया डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सर्वेक्षण सहित विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग लिया।

नव स्थापित इथियोपियन डिपॉज़िट इंश्योरेंस फंड (ईडीआईएफ) के अनुरोध पर, 07-08 नवंबर 2023 के दौरान एक ''अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र विज़िट प्रोग्राम'' आयोजित किया गया। ईडीआईएफ के बोर्ड के अध्यक्ष, जो नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया के वाइस गवर्नर भी हैं, के नेतृत्व में सात वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने निगम की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए निगम का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, सूचना साझाकरण, प्रशिक्षण संबंधी सहायता आदि में सुधार करने के लिए, निगम कुछ जमा बीमाकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी चर्चा कर रहा है।

आईएडीआई मूल सिद्धांत (4) अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताता है कि जमा बीमाकर्ता और अन्य वित्तीय सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों के बीच निरंतर आधार पर गतिविधियों और सूचना साझाकरण के घनिष्ठ समन्वय के लिए एक औपचारिक और व्यापक ढांचा होना चाहिए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक जो बैंकिंग पर्यवेक्षक भी है, के साथ सूचना साझाकरण तंत्र को औपचारिक रूप दिया गया है और तैयार किया गया है। डीआईसीजीसी और आरबीआई के सदस्यों वाली पुनर्गठित समन्वय समिति की पहली बैठक वर्ष के दौरान आयोजित की गई थी। बीमा प्रीमियम संग्रहण, दावा निपटान आदि से संबंधित कुछ परिचालन संबंधी मामलों पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

सदस्यता

भारत में जमा बीमा योजना भारत में संचालित सभी बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लिए अनिवार्य है। वर्ष के दौरान, एक नए विदेशी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया था और 30 सहकारी बैंकों को विपंजीकृत किया गया (जिनमें से 24 पर निगम की देयता थी[7])। मार्च 2024 के अंत तक बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,997 (मार्च 2023 के अंत तक 2,026) थी।

बीमाकृत बैंकों में 140 वाणिज्यिक बैंक और 1,857 सहकारी बैंक शामिल थे। आईएडीआई के नवीनतम जमा बीमा सर्वेक्षण[8] के अनुसार, यह विश्व में जमा बीमा द्वारा कवर किए गए जमा स्वीकार करने वाले संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।

तालिका 1: बीमाकृत बैंकों की संख्या (मार्च के अंत तक)

बैंक समूह	**2023**	**2024**
I. **वाणिज्यिक बैंक** (i to vii)	**139**	**140**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	12	12
ii) निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी)	21	21
iii) विदेशी बैंक (एफबी)	43	44
iv) लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	12	12
v) भुगतान बैंक (पीबी)	6	6
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	43	43
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी)	2	2
II. **सहकारी बैंक** (i to iii)	**1,887**	**1,857**
i) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1,502	1,472
ii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	352	352
iii) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	33	33
कुल (I+II)	**2,026**	**1,997**

स्रोत: डीआईसीजीसी

[7]शेष 6 बैंकों को निगम से कोई भुगतान नहीं मिला क्योंकि उनका अन्य बैंकों के साथ समामेलन कर दिया गया था।
[8]जमा बीमा और वित्तीय सुरक्षा कवच फ्रेमवर्क पर वैश्विक सर्वेक्षण, आईएडीआई, 2022

कवरेज

4 फरवरी 2020 से प्रभावी, वर्तमान बीमा कवरेज सीमा एक बैंक में प्रति जमाकर्ता ₹500,000 (लगभग यूएस $6000) है।

कवरेज अनुपात

इस कवरेज सीमा पर, खातों की संख्या के संदर्भ में कवरेज अनुपात मार्च 2024 के अंत तक 97.8 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत तक 97.9 प्रतिशत) रहा। यह दर्शाता है कि कुल पात्र/निर्धारणीय खातों में से 97.8 प्रतिशत खाते पूर्णत: कवर किए गए। शेष 2.2 प्रतिशत खातों को ₹5,00,000 की कवरेज सीमा तक आंशिक रूप से कवर किया गया। जमाराशियों के मूल्य के संदर्भ में कवरेज अनुपात, जिसे बीमाकृत जमाराशि अनुपात कहा जाता है, मार्च 2024 के अंत तक जमाराशि का 43.1 प्रतिशत (मार्च 2023 के अंत तक 44.4 प्रतिशत) था।

डीआईसीजीसी, कवरेज अनुपात में वैश्विक औसत के बराबर है। वैश्विक स्तर पर, 2023 में बाय-अकाउंट और बाय-डिपॉज़िटर्स आधार पर कवरेज अनुपात 98 प्रतिशत है जिसका तात्पर्य यह है कि केवल बहुत अधिक बैलेंस वाले खाते ही विफलता की स्थिति में संभावित रूप से घाटे में जा सकते हैं। दूसरी ओर, जमा बीमा द्वारा पूर्णत: कवर की गई जमाराशियों के प्रतिशत के संदर्भ में कवरेज अनुपात मामूली रूप से घटकर 47 प्रतिशत रह गया।[9]

बीमाकृत जमा राशियों में हिस्सेदारी

बैंकिंग प्रणाली में कुल बीमाकृत जमाराशियों के बैंक-समूहवार वितरण की जांच से पता चला कि वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है (तालिका 2)। बैंकिंग प्रणाली की कुल बीमाकृत जमाराशियों में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 92.1 प्रतिशत था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान सबसे अधिक था (तालिका 2)।

तालिका 2: सिस्टम-वार बीमाकृत जमाराशियों में हिस्सेदारी (प्रतिशत)

	मार्च के अंत तक	
बैंक समूह	**2023**	**2024**
I. **वाणिज्यिक बैंक** (i to vii)	**91.8**	**92.1**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	60.5	60.0
ii) निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी)	24.6	25.1
iii) विदेशी बैंक (एफबी)	0.6	0.5
iv) लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	0.8	1.0
v) भुगतान बैंक (पीबी)	0.1	0.2
iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	5.2	5.3
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी)	0.01	0.01
II. **सहकारी बैंक** (i to iii)	**8.2**	**7.9**
i) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	4.2	4.0
ii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)	3.3	3.3
iii) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)	0.7	0.7
सभी बैंक (I+II)	**100.0**	**100.0**

स्रोत: जमा बीमा रिटर्न, डीआईसीजीसी

अ-बीमाकृत जमाराशि

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्विटजरलैंड में मार्च 2023 में हुई बैंक विफलताओं ने बैंक रन में अ-बीमाकृत जमाराशियों की भूमिका को सामने ला दिया है (बॉक्स 1)। हालाकि, भारत की बैंकिंग प्रणाली बाकी दुनिया में होने वाली उथल-पुथल से सुरक्षित रही। बीमाकृत जमा अनुपात के बैंकवार वितरण की जांच से पता चला कि भारत में अधिकांश बैंकों का बीमाकृत जमा अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था (चार्ट 1)।

[9]उच्च आय वाले क्षेत्राधिकारों में गिरावट की प्रवृत्ति मजबूत थी, हालांकि इस समूह में सबसे अधिक कवरेज अनुपात (55 प्रतिशत) है, जिसके बाद उच्च मध्यम आय (43 प्रतिशत) और निम्न मध्यम आय वाले क्षेत्राधिकार (30 प्रतिशत) का स्थान आता है। जीडीपी/व्यक्ति की तुलना में कवरेज की वैश्विक माध्यिका पिछले दशक में 6 प्रतिशत बढ़ी है और अब यह जीडीपी/व्यक्ति का 3.3 गुना है। भारत में यह जीडीपी/व्यक्ति का 2.9 गुना है।

चार्ट 1: बीमाकृत/अ-बीमाकृत जमा अनुपात के आधार पर बैंकों का वितरण

पैनल ए

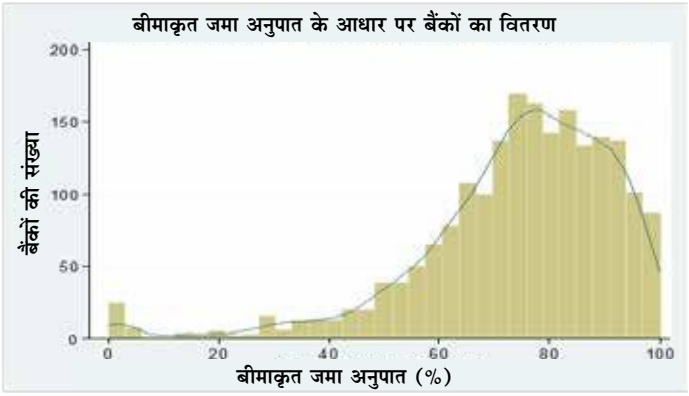

पैनल बी

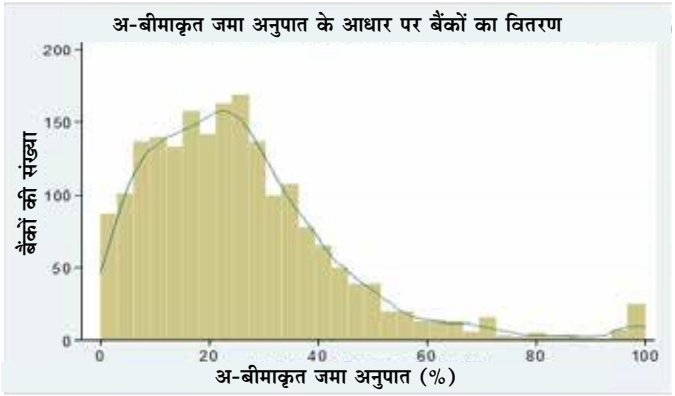

बॉक्स 1: अ-बीमाकृत जमाराशियों का अध्ययन: वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव

संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विटजरलैंड में 2023 में बैंक विफलताओं ने जमा बीमा कवरेज की पर्याप्तता के बारे में चर्चा को बढ़ावा दिया है। उल्लेखनीय रूप से, विफल यूएस-आधारित बैंकों में जमा राशियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अ-बीमाकृत रह गया जो जमाकर्ताओं के एक छोटे समूह तक सीमित था। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन वैली बैंक की 2022 के अंत तक 94 प्रतिशत से अधिक जमा राशि अ-बीमाकृत थी, जो कि फेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की 250,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा से अधिक थी।[10] जैसे-जैसे इन बैंकों की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब होती गई, अ-बीमाकृत जमाकर्ताओं ने बीमाकृत जमाकर्ताओं की तुलना में अपना धन काफी तेजी से निकाल लिया। इस निकासी प्रवृत्ति ने बैंकों की विफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी जमा बीमाकर्ता के सदस्य संस्थान में बीमा रहित जमाराशियों का उच्च स्तर विफलता के जोखिम को बढ़ा सकता है तथा ऐसे परिदृश्यों में प्रणालीगत प्रभाव डाल सकता है।

वैश्विक परिदृश्य

जमा बीमा कवरेज पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) मुख्य सिद्धांत और ''80/20'' नियम

2014 में आईएडीआई द्वारा जारी किए गए मूल सिद्धांतों (सीपी) के सिद्धांत 8 में इस बात पर जोर दिया गया है कि जमा बीमाकर्ताओं को जमा कवरेज के स्तर और दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। इसमें आगे यह सिफारिश की गई है कि जमा बीमा कवरेज सीमित, विश्वसनीय होना चाहिए और इसमें अधिकांश जमाकर्ताओं को कवर किया जाना चाहिए। हालाँकि, जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा बिना बीमा के छोड़ने से बाजार अनुशासन को बढ़ावा मिलता है और यह जमा बीमा प्रणाली के सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप होता है। इससे पहले, मूल सिद्धांतों की भावना को ध्यान में रखते हुए, आईएडीआई ने एक नीति दृष्टिकोण का सुझाव दिया था जिसे ''80/20'' नियम के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत, जमा बीमा प्रणाली का लक्ष्य जमाकर्ताओं की संख्या के 80 प्रतिशत को पूर्णत: कवर करना है, परंतु जमा राशि के मूल्य का केवल 20-30 प्रतिशत ही कवर करना है।[11] इस दृष्टिकोण का उद्देश्य जमाकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की सुरक्षा करते हुए एक संतुलन बनाना है, साथ ही जमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बाजार अनुशासन के अधीन रखना है। हाल के दिनों में दुनिया भर में देखी गई कुछ बैंकिंग विफलताओं ने हालांकि '80/20' नियम के औचित्य की जांच की है और इस बात पर पुनर्विचार करने को प्रेरित किया है कि बीमाकृत/ अ-बीमाकृत जमा राशि का इष्टतम स्तर क्या होना चाहिए। जमा बीमाकर्ताओं के बीच आघात योग्य खातों या वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले लक्षित कवरेज पर भी चर्चा हो रही है।

(जारी..)

[10]आईएडीआई (2023)। ''2023 की बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली: संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे'', दिसंबर 2023
[11]आईएडीआई (2013)। ''प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए उन्नत मार्गदर्शन: जमा बीमा कवरेज'', मार्च 2013

विभिन्न देशों में भिन्नता

बीमाकृत जमा राशि अनुपात विभिन्न देशों में काफी भिन्न है, तुर्की के लिए यह न्यूनतम 21.5 प्रतिशत तथा बेल्जियम के लिए अधिकतम 71.0 प्रतिशत है। (तालिका 3)। जमा बीमा के कवरेज को बढ़ाकर अ-बीमाकृत जमाराशियों के स्तर को कम किया जा सकता है। हालांकि, अ-बीमाकृत जमाराशियों की प्रासंगिकता का आकलन करते समय केवल कवरेज सीमा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। कवरेज तय करते समय जमाराशियों के वितरण को ध्यान में रखा जाता है ताकि अधिकांश जमाकर्ताओं को सुरक्षा मिल सके।

तालिका 3: जमा बीमा निधि (डीआईएफ) और बीमाकृत जमा राशि और निर्धारणीय जमाराशि अनुपात (आईडीआर) के संदर्भ में शीर्ष दस देश

देश	वैश्विक डीआईएफ रैंक	आईडीआर (%)
बेल्जियम	9	71.0
जापान	2	69.1
स्पेन	10	66.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	1	56.6
ब्राज़ील	4	51.7
कोरिया	6	51.7
इंडोनेशिया	5	46.9
भारत	**3**	**46.3**
स्विट्ज़रलैंड	8	37.0
तुर्की	7	21.5

देश	एपीआरसी रैंक	आईडीआर (%)
जापान	1	69.1
कोरिया	4	51.7
चीनी ताइपे	6	47.2
इंडोनेशिया	3	46.9
भारत	**2**	**46.3**
मलेशिया	9	32.1
थाइलैंड	7	28.1
हांग कांग एसएआर	10	20.0
फिलिपिंस	5	18.8
वियतनाम	8	8.9

बीमाकृत जमा राशि अनुपात के आधार पर, भारत विश्व के शीर्ष दस देशों में 8वें स्थान पर और एपीआरसी देशों में 5वें स्थान पर है। जमा राशि बीमा निधि आकार के संदर्भ में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

वैश्विक स्तर पर, जमा बीमाकर्ता कुल पात्र जमा राशियों का लगभग 41 प्रतिशत कवर करते हैं, जिससे 2022 तक 59 प्रतिशत अ-बीमाकृत रह जाएंगे।

देशीय परिदृश्य

चार्ट 2: अ-बीमाकृत जमा राशि अनुपात

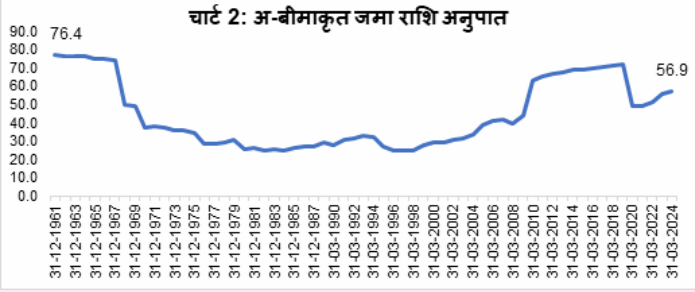

भारतीय संदर्भ में, 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान अ-बीमाकृत जमाराशि और निर्धारणीय जमाराशि अनुपात (यूआईडीआर) 80 प्रतिशत से नीचे बना हुआ है। यह ''80/20'' नियम के अनुरूप है, जो निर्धारित करता है कि बीमाकृत जमा राशि अनुपात (आईडीआर) 20 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए या यूआईडीआर 80 प्रतिशत से कम होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि यूआईडीआर लगभग चार दशकों (1969 से 2009 तक) से 50 प्रतिशत से नीचे रहा है। 31 मार्च 2024 तक यह अनुपात 56.9 प्रतिशत है और वैश्विक औसत के बराबर है।

निर्धारणीय जमाराशि में वृद्धि के साथ, अ-बीमाकृत जमा राशि अनुपात मार्च 2023 के 55.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 56.9 प्रतिशत हो गया।

संदर्भ:

1. आईएडीआई (2023). ''अ-बीमाकृत जमा: समय के साथ प्रासंगिकता और क्रमिक विकास'', जून 2023.
2. आईएडीआई (2023). ''2023 की बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली: संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे'', दिसंबर 2023.
3. आईएडीआई (2013). ''प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए उन्नत मार्गदर्शन: जमा बीमा कवरेज'', मार्च 2013.

निधियों के स्रोत और उपयोग

जमा बीमा योजना को संचालित करने के लिए डीआईसीजीसी द्वारा बनाए रखा गया निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) एक प्रत्याशित निधि है, जिसे मुख्य रूप से बैंकों पर लगाए गए प्रीमियम से वित्त पोषित किया जाता है।

प्रीमियम राजस्व

निगम एक समान दर पर प्रीमियम लगाता है जिसे मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली की स्थिति और डीआई फंड की पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। बैंकों पर लगाए जाने वाले प्रीमियम की वर्तमान दर 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष है। 2023-24 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम ₹23,879 करोड़ था, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 94.4 प्रतिशत और शेष 5.6 प्रतिशत सहकारी बैंकों का था।

ब्याज आय

निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में अपने राजस्व का निवेश करता है। ब्याज आय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से प्राप्त होती है। ब्याज आय 2023-24 के दौरान बढ़कर 13,947 करोड़ रुपये हो गई, जो 2022-23 के दौरान 11,908 करोड़ रुपये थी।

निक्षेप बीमा निधि

डीआईसीजीसी द्वारा अनुरक्षित डीआईएफ प्रत्येक वर्ष अपने अधिशेष के अंतरण के माध्यम से निर्मित एक प्रत्याशित निधि है। अधिशेष का अर्थ है, करों के अतिरिक्त, व्यय (जमाकर्ताओं के दावों और संबंधित खर्चों का भुगतान) की तुलना में राजस्व - बीमित बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से ब्याज आय और असफल बैंकों की संपत्ति से वसूली की अधिकता है। डीआईएफ 31 मार्च, 2024 को ₹1,98,753 करोड़ था। प्रीमियम राजस्व ने 2023-24 के दौरान फंड में कर-पूर्व अभिवृद्धि में 63 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि निवेश से ब्याज आय ने अभिवृद्धि का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा बनाया (चार्ट 3)।

चार्ट-3: निक्षेप बीमा निधि का प्रमुख स्रोत: कर-पूर्व अभिवृद्धि में हिस्सा

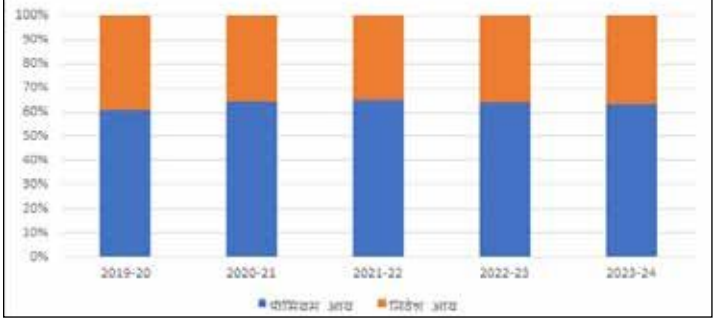

आरक्षित अनुपात

आरक्षित अनुपात - कुल बीमित जमा के लिए डीआईएफ का अनुपात - 31 मार्च, 2024 को 2.11 प्रतिशत (31 मार्च, 2023 को 1.96 प्रतिशत) था। यह अनुपात वैश्विक माध्यिका अनुपात के साथ तुलनीय है।

निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार 31 मार्च, 2024 को ₹2,04,623 करोड़ (31 मार्च, 2023 को ₹1,75,149 करोड़) था, जो वर्ष-दर-वर्ष 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बैकअप फंडिंग

डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार, डीआईसीजीसी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक से ₹5 करोड़ तक की सार्वजनिक बैकअप फंडिंग है।

वैश्विक स्तर पर, 96 प्रतिशत डीआई को सदस्य संस्थानों पर प्रीमियम लगाकर पूर्व-वित्त पोषित किया जाता है। लगभग आधे जमा बीमाकर्ता अतिरिक्त जोखिम उपायों को शामिल करते हुए विभेदक प्रीमियम (2010 में 30 प्रतिशत) लगाते हैं। दुनिया भर में औसत फंड का आकार क्षेत्रीय विविधताओं[12] के साथ कवर की गई जमा का लगभग 2 प्रतिशत रहा है। वैश्विक औसत के रूप में, डीआई के पास ऐसे फंड हैं जो उनके लक्षित फंड स्तरों के 80 प्रतिशत के करीब हैं। लगभग 76 प्रतिशत डीआई सदस्य संस्थानों से बैकअप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, लगभग 75 प्रतिशत डीआई सरकार या केंद्रीय बैंक से सार्वजनिक बैकअप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, 33 प्रतिशत के पास निजी बाजारों (जैसे, उधार के माध्यम से), और 27 प्रतिशत की विकास बैंकों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों

[12]अफ्रीका (10 प्रतिशत से ज्यादा), एशियाई फंड्स (करीब 2.5 प्रतिशत) और यूरोप (0.8 प्रतिशत)। आईएडीआई (2024)

तक पहुंच है।

जन जागरुकता: संचार रणनीति और नीति

निगम जमा बीमा भुगतान से संबंधित जानकारी के वास्तविक समय प्रसार के उद्देश्य से अपने जन जागरूकता अभियानों को लगातार विकसित कर रहा है। वर्ष के दौरान, सभी बीमित बैंकों को 1 सितंबर, 2023 से अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर डीआईसीजीसी वेबसाइट से जुड़े डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रदर्शित करने के लिए सूचित किया गया था । इस पहल का उद्देश्य जमाकर्ताओं को यह पता लगाने में सक्षम बनाना है कि उनकी जमा राशि डीआईसीजीसी द्वारा संरक्षित है या नहीं। 31 मार्च, 2024 तक, 1165 बैंक जिनकी अपनी वेबसाइट है, में से 916 बैंकों ने डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड प्रदर्शित किया है। इसके परिणामस्वरूप डीआईसीजीसी वेब पेज पर नए आगंतुकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जुलाई 2023 में 6,000 से अधिक आगंतुकों की तुलना में मई 2024 में 1,14,762 से अधिक आगंतुक।

व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के उद्देश्य से, निगम अपने जन जागरूकता अभियानों में जमा बीमा और डीआईसीजीसी के बारे में जानकारी शामिल करने के लिए आरबीआई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2024 के लिए आरबीआई की वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका में अब जमा बीमा और डीआईसीजीसी पर एक विशिष्ट अध्याय है।

अपनी संचार कार्यनीति को और अधिक लक्षित करने के लिए, डीआईसीजीसी आरबीआई की सहायता से एआईडी बैंकों की अधिक संकेन्द्रण वाले पांच राज्यों में सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया में है। निगम में जनता के लिए प्रासंगिक सूचना के व्यापक प्रसार और प्रसार के लिए लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स/चैनलों से जुड़कर जनता के साथ अधिक जुड़ाव की परिकल्पना की गई है। जमा बीमा से संबंधित लघु वीडियो क्लिप को डीआईसीजीसी की नई वेबसाइट वर्तमान में जिसका विकास किया जा रहा है) और सोशल मीडिया ऐप पर होस्ट करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

निगम ने जनता से प्राप्त प्रश्नों/शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष (सीआरसी) बनाया। वर्ष के दौरान कुल 1,410 प्रश्नों/शिकायतों पर कार्रवाई की गई। खंड 3 समय के साथ निगम द्वारा अपनाई गई संचार नीति और रणनीतियों की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

दावा भुगतान

बैंक की विफलता की स्थिति में बीमित जमाकर्ताओं को अदायगी एक जमा बीमाकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी है। वर्ष के दौरान, निगम ने परिसमाप्त बैंकों, विलय की गई संस्थाओं के बैंकों और सर्व समावेशी निर्देशों (एआईडी) के तहत रखे गए बीमाकृत जमाकर्ताओं को ₹1,436.92 करोड़ (वित्त वर्ष 2022-23 में ₹751.78 करोड़) की राशि के दावों का निपटान किया। पूरा दावा सहकारी बैंकों से था: 175.71 करोड़[13] रुपये परिसमाप्त और विलय किए गए बैंकों के दावों से संबंधित थे और 1,261.21 करोड़ रुपये एआईडी के तहत लाए गए बैंकों से संबंधित थे।

जहां तक डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत दावों के निपटान का संबंध है, निगम ने परिसमापक से दावे की प्राप्ति की तारीख से मंजूरी के लिए औसतन 14 दिन का समय लिया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक एआईडी के अंतर्गत बैंकों का संबंध है, निगम ने ऐसे बैंकों को एआईडी जारी करने की तारीख से निक्षेप बीमा दावों के निपटान के लिए 90 दिनों की सांविधिक समय-सीमा का पालन किया है। आमतौर पर तेजी से अदायगी में बाधा डालने वाले कारकों में डेटा गुणवत्ता के मुद्दे, बीमित जमाकर्ताओं की पहचान और जमाकर्ताओं के पास वैकल्पिक बैंक खाता न होना शामिल है।

वसूली प्रबंधन

वर्ष के दौरान, निगम को 900.73 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ, जिसमें से 760.83 करोड़ रुपये परिसमाप्त/अंतरिती बैंकों से और 139.90 करोड़ रुपये एआईडी के तहत बैंकों से थे। वर्ष 2023-24 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों से कोई वसूली प्राप्त नहीं हुई।

नागपुर और लखनऊ में परिसमापनाधीन विभिन्न यूसीबी के परिसमापकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ताकि उन्हें उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), महाराष्ट्र, कर्नाटक,

[13]इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ विलय) योजना, 2022 के प्रावधानों के अनुसार पीएमसीबीएल के दावे के संबंध में स्वीकृत 3.29 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों के सहकारी समितियों (आरसीएस) के रजिस्ट्रार और डीआईसीजीसी की एक बैठक डीआईसीजीसी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जैसे परिसमापक की समय पर नियुक्ति, और दावा सूची समय पर प्रस्तुत किए जाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों, अवितरित धनराशि, और डीआईसीजीसी को बकाया राशि के पुनर्भुगतान की चुनौतियां। निगम ने अपनी सांविधिक देयताओं की वसूली के लिए क्षेत्रीय स्तर पर शहरी सहकारी बैंकों संबंधी कार्यबल की उप-समितियों की बैठकों में भाग लिया। इन उपायों के परिणामस्वरूप परिसमाप्त बैंकों से सांविधिक देयताओं की अदायगी में वृद्धि हुई है।

डिजिटलीकरण

निगम ने रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (रेबिट) द्वारा प्रारंभिक अध्ययन के साथ निगम की वेबसाइट के सुधार की दिशा में काम शुरू किया। उसी के आधार पर, रेबिट को डीआईसीजीसी के लिए एक नई वेबसाइट विकसित करने के लिए नियुक्त किया गया है। वेबसाइट के ओवरहाल का उद्देश्य इसे खोज क्षमता, सूचना संरचना, बेहतर यूजर इंटरफेस / अनुभव, सामग्री रणनीति और उपयोगकर्ता जुड़ाव, प्रगतिशील वेब ऐप और इसी तरह के मामले में अधिक ग्राहक के अनुकूल बनाना है। इसके अलावा, पेपरलेस मीटिंग को सक्षम करने के लिए एक बोर्ड मीटिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन बनाया गया है।

3. संचार रणनीति और नीति

जन जागरूकता पर आईएडीआई कोर सिद्धांत

3.1 प्रभावी जमा बीमा प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) कोर सिद्धांत (सीपी) पहली बार 2009 में प्रकाशित किए गए थे और 2014 में संशोधित किए गए थे। इन कोर सिद्धांतों का उद्देश्य क्षेत्राधिकारों को उनकी जमा बीमा प्रणाली स्थापित करने या सुधारने के लिए मार्गदर्शन करना है। कोर सिद्धांत 10 में प्रावधान है कि जमा बीमाकर्ता 'एक व्यापक संचार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में निरंतर आधार पर विभिन्न संचार उपकरणों का उपयोग करके जमा बीमा प्रणाली के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है'।

3.2 जन जागरूकता के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक मानदंड मुख्य सिद्धांतों में निर्धारित किए गए हैं:

(i) बैंक की विफलता की स्थिति में, जमा बीमाकर्ता को प्रेस विज्ञप्ति, प्रिंट विज्ञापन, वेबसाइट और अन्य मीडिया आउटलेट जैसे मीडिया के माध्यम से अधिसूचित करना चाहिए। अधिसूचना में बीमित जमाकर्ताओं द्वारा अपने धन तक पहुंच के संबंध में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

(ii) जन जागरूकता कार्यक्रम या गतिविधियाँ निम्नलिखित के बारे में जानकारी देती हैं: (क) दायरा (यानी, किस प्रकार के वित्तीय साधन और जमाकर्ता जमा बीमा द्वारा कवर किए जाते हैं, और कौन से नहीं); (ख) एक सूची कि कौन से बैंक सदस्य हैं और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है; (ग) जमा बीमा कवरेज स्तर की सीमाएँ; और (घ) अन्य जानकारी, जैसे कि जमा बीमाकर्ता का मेंडेट ।

(iii) जन जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और सार्वजनिक नीति उद्देश्यों और जमा बीमा प्रणाली के मेंडेट के अनुरूप हैं।

(iv) जमा बीमाकर्ता अपने जन जागरूकता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति निर्धारित करता है और जमा बीमा के बारे में जन जागरूकता के लक्ष्य स्तर को बनाने और बनाए रखने के लिए बजट आवंटन करता है।

(v) जमा बीमाकर्ता बैंकों और अन्य सुरक्षा-कवच प्रतिभागियों के साथ मिलकर काम करता है ताकि जमाकर्ताओं को प्रदान की गई जानकारी की स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके और निरंतर आधार पर जागरूकता को अधिकतम किया जा सके। बैंकों को जमा बीमा के बारे में जमा बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप/भाषा में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

(vi) जमा बीमाकर्ता निरंतर आधार पर अपनी जन जागरूकता गतिविधियों की निगरानी करता है और समय-समय पर अपने जन जागरूकता कार्यक्रम या गतिविधियों की प्रभावशीलता का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है।

3.3 जमा बीमा और इसके लाभों और सीमाओं के बारे में लोगों में उच्च स्तर की जागरूकता जमाकर्ताओं के सिस्टम में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जिन उपभोक्ताओं की जमाराशि जमा बीमा

की सीमा से अधिक है, उनके लिए जन जागरूकता गतिविधियाँ उन्हें यह सुनिश्चित करके अपने जोखिम को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं कि उनकी जमाराशि पूरी तरह से बीमाकृत है या अपने वित्तीय संस्थान के स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी करें, जिससे बाजार अनुशासन[14] को बढ़ावा मिले। हाल ही में आईएडीआई द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन ने अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए कि जमा बीमा के बारे में लोगों में जागरूकता जमाकर्ताओं की अपने बैंक से दूर भागने की प्रवृत्ति को 67 प्रतिशत[15] तक कम कर सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ

3.4 आईएडीआई की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लगभग दो-तिहाई जमा बीमाकर्ताओं के पास सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम हैं। हालाँकि, जागरूकता कार्यक्रम का कवरेज प्राथमिकताओं के संदर्भ में भिन्न होता है। कार्यक्रम उद्देश्यों के संदर्भ में भिन्न होते हैं, जिनमें से अधिकांश निरंतर आधार पर जागरूकता को बढ़ावा देने (95 प्रतिशत) पर केंद्रित होते हैं, इसके बाद कॉर्पोरेट छवि/पहचान (80 प्रतिशत), वित्तीय स्थिरता (82 प्रतिशत) को बढ़ावा देना और जमाकर्ताओं को जमा बीमा कवरेज में बदलावों के बारे में अपडेट करना (80 प्रतिशत) होता है। 2023 आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि जमा बीमाकर्ताओं के लिए संचार का पसंदीदा तरीका संबंधित वेबसाइट था, उसके बाद मुद्रित सामग्री और सोशल मीडिया था। उपयोग किए गए अन्य संचार उपकरणों में आउटरीच कार्यक्रम, मीडिया कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, सदस्य संस्थानों के माध्यम से जागरूकता फैलाना और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग शामिल थे।

डीआईसीजीसी की संचार रणनीति

3.5 निगम ने आईएडीआई कोर सिद्धांत 10 के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित संचार नीति तैयार की है। निगम की विविध (भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और आयु) पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संचार रणनीति का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से आरबीआई, डीआईसीजीसी और बाहरी संचार विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का भी गठन किया गया है। इस रणनीति के हिस्से के रूप में, निगम अपनी वेबसाइट और बीमित बैंकों के माध्यम से जनता को जमा बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करता है।

3.6 निगम ने खुद को पब्लिक ऐप (@dicgc) पर पंजीकृत किया है, जो एक हाइपर-लोकल सोशल प्लेटफॉर्म है जो किसी विशेष जिले या यहां तक कि एक वार्ड के लक्षित दर्शकों के साथ विशिष्ट जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। मैसेजिंग ऐप विशेष रूप से एक छोटे बैंक के दावे के भुगतान की जानकारी को प्रसारित करने में उपयोगी रहा है, जिसकी उपस्थिति राज्य के कुछ जिलों में है। दिसंबर 2022 से, निगम जमा बीमा और दावों के भुगतान पर महत्वपूर्ण जानकारी की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में सार्वजनिक जागरूकता संदेश पोस्ट करने के लिए ऐप का उपयोग कर रहा है।

3.7 जमा बीमा पर सूचना के निरंतर और केंद्रित प्रसार के लिए, सभी बीमित बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 1 सितंबर, 2023 से अपने वेब पेज पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूएएआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

3.8 दावा निपटान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण यानी दावे की प्राप्ति और दावे की मंजूरी पर परिसमाप्त बैंकों और एआईडी के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं को मोबाइल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजे जा रहे हैं। इससे दावा निपटान की जानकारी को वास्तविक समय पर साझा करना संभव हो जाता है।

3.9 डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन निगम को बैंकों के परिसमापन के मामले में दावों के निपटान के अलावा जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध के साथ आरबीआई द्वारा एआईडी के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। निगम सुनिश्चित करता है कि प्रासंगिक जानकारी लक्षित दर्शकों तक इस प्रकार से पहुंचाई जाए:

- जैसे ही किसी बैंक को आरबीआई द्वारा जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध के साथ निर्देश दिए जाते हैं, आरबीआई द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में बैंकों/जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 18ए के तहत डीआईसीजीसी भुगतान के बारे में जानकारी शामिल की जाती है।
- परिसमाप्त/एआईडी बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए डीआईसीजीसी वेबसाइट पर होस्ट की गई प्रेस विज्ञप्ति में

[14]जमा बीमा प्रणालियों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता - आईएडीआई मार्गदर्शन पत्र दिनांक 06 मई, 2009

[15]2023 की बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली: संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे - दिसंबर 2023 का आईएडीआई प्रकाशन

दावा भुगतान की तारीख, सम्मति फॉर्म जमा करने का विवरण और परिसमापक के संपर्क विवरण शामिल हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक संदेश सूचना के अलावा, परिसमाप्त बैंकों और आरबीआई के एआईडी के तहत रखे गए बैंकों के लिए दावा भुगतान/प्रासंगिक दावा निपटान दस्तावेजों को जमा करने की विभिन्न समय सीमाएँ सार्वजनिक ऐप पर होस्ट की गई हैं। 8 जुलाई, 2024 तक, ऐप पर 2.26 करोड़ व्यू हैं और यह दावा भुगतान संदेशों के वास्तविक समय संचार में उपयोगी रहा है।

3.10 डीआईसीजीसी अधिनियम (धारा 18 ए) में संशोधन और हाल ही में बैंकिंग संकट जिसने एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा नेट प्रदाता के रूप में जमा बीमाकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला, के मद्देनजर, निगम की संचार रणनीति लक्षित दर्शकों को जमा बीमा और दावों के भुगतान संबंधित रियल टाइम और संकेंद्रित जानकारी देना है। इससे निगम में ग्राहक पूछताछ और कम हो गई है।

3.11 निगम ने देश के कुछ जिलों में कम जमा संग्रहण (खातों की संख्या और जमा राशि दोनों के संदर्भ में) पर भी ध्यान दिया है जो संभवतया जमा बीमा के बारे में कम जागरूकता दर्शाता है। ऐसे मामलों में निगम में पंजीकृत बैंकों में जमाराशियां जमा करने के लाभ के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए लक्षित जमा बीमा संचार का उपयोग कर सकता है/इसमें तेजी लाई जा सकती है। (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2: जमा बीमा पर लक्षित जागरूकता अभियान के लिए नया दृष्टिकोण

जमा बीमा जागरूकता के लिए लक्षित दर्शकों की पहचान करना। जमा बीमा जागरूकता के लिए लक्षित दर्शकों की पहचान करने की चुनौती को निगम द्वारा समझा गया है। खातों की संख्या और जमा राशियों दोनों के संदर्भ में कम जमा संग्रहण वाले क्षेत्र महत्वपूर्ण/युक्तिसंगत जमाराशि संग्रहण वाले क्षेत्रों से भिन्न हैं। स्थानिक जमा संग्रहण का आकलन करने के लिए सांख्यिकीय उपायों को अनुभवजन्य रूप से संकलित किया जाता है, जिसका उद्देश्य अधिक जागरूकता पहलों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है।

जमा सूचकांकों का विकास करना। जमा सूचकांकों का निर्माण सूचकांकों के सिद्धांत का उपयोग करके किया जाता है। सिद्धांत के अनुसार, विभिन्न डेटा श्रृंखला को एक समान पैमाने पर बदला जाता है, आमतौर पर एक चयनित आधार समय पर 100 तक सामान्यीकृत होती है। समय के साथ विभिन्न श्रृंखलाओं में सापेक्ष परिवर्तनों की आसान तुलना इस मानकीकरण द्वारा सक्षम होती है। विभिन्न श्रृंखलाओं की शुरुआत को आमतौर पर आधार समय के रूप में चुना जाता है, जो प्रगति की निगरानी के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

जमा गतिविधि का भौगोलिक विश्लेषण। जिला, राज्य और क्षेत्रीय आधार पर, दो आवश्यक जमा सूचकांक, खातों की संख्या और जमा राशि की गणना की जाती है। इन गणना सूचकांकों के आधार पर खातों और राशियों दोनों में अपर्याप्त वृद्धि वाले विशिष्ट क्षेत्रों को इंगित किया गया है। तदनुसार, जमा बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार रणनीतियों जैसे निगम द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार और समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से अभियान को इन पहचाने गए क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

आगे की राह

3.12 निगम अभिनव उपायों के माध्यम से लक्षित दर्शकों को प्रासंगिक जानकारी का त्वरित प्रसार सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह अविश्वसनीय स्रोतों से जानकारी के प्रसार को भी कम करता है। निगम ने जमा बीमा से संबंधित सूचना के व्यापक कवरेज और प्रसार के लिए प्रमुख सोशल मीडिया चैनलों को ऑनबोर्ड करके जनता के साथ अधिक जुड़ाव की परिकल्पना की है। उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और खोज क्षमता के लिए डीआईसीजीसी वेबसाइट का ओवरहाल किए जाने की योजना है। आगे बढ़ते हुए, चैटबॉट जैसे एआई आधारित इंटरैक्टिव और ज्ञान साझा करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग सूचना के व्यापक प्रसार और जमा बीमा पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सुविधा प्रदान कर सकता है।

4 . जमा बीमा में डेपटेक /फिनटेक

4.1 जमाकर्ता बीमा प्रौद्योगिकी (जिसे डेपटेक के नाम से जाना जाता है) को जमा बीमा परिचालनों में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें बढ़ी हुई रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, दावा भुगतान प्रक्रिया में सुधार और बैंक के विफल होने पर धन तक तेजी से जमाकर्ता पहुंच शामिल है। इस तरह के नवाचार जमा बीमाकर्ताओं के लिए व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने से लेकर जमाकर्ताओं की बेहतर सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता में योगदान

करने के अवसर पैदा करते हैं। इनमें से कुछ संभावित अनुप्रयोग हैं:

डेटा मानकीकरण

4.2 मानकीकृत डेटा सदस्य संस्थानों के डेटा को जमा बीमाकर्ता के सिस्टम के साथ संगत बनाने के लिए लागत और समय को बहुत कम कर सकता है। इससे परिचालन की बेहतर दक्षता के लिए साझा किए गए डेटा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, खातों के स्वामित्व के सत्यापन के समय में कमी आती है जिसके परिणामस्वरूप तेजी से भुगतान होता है, अधिक डेटा साझाकरण और नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय आदि में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त यह उन्नत डेटा रिपोर्टिंग के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है।

डिजिटल भुगतान

4.3 दावों के भुगतान के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग जमाकर्ताओं की गैर-डिजिटल भुगतान विधियों की तुलना में, अधिक तेज़ी से अपने धन तक पहुंच सम्भव बनाता है, त्रुटियों की संभावना को कम करता है और अधिक सुविधा प्रदान करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल)

4.4 एआई/एमएल के पास महत्वपूर्ण डेपटेक एप्लीकेशन हैं जिनमें मौजूदा डेटा के आधार पर जमा बीमा सदस्यों को जोखिम समूहों में क्लस्टर करना, जमा बीमा भुगतान, भविष्य की अत्यावश्यकताओं के लिए पूर्वानुमान लगाना और एआइ ''चैटबॉट्स" का उपयोग करके जमाकर्ताओं के साथ संप्रेषण करना शामिल है।

क्लाउड कम्प्यूटिंग

4.5 जमा बीमाकर्ता समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पोर्टलों का उपयोग कर सकते हैं। यह बैंकों के बारे में विस्तृत (अधिक विभाजित) जानकारी संग्रहीत करने के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि इनका परिसंपत्ति पोर्टफोलियो और जमाकर्ता आधार। यह बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग को भी सक्षम कर सकता है, रियल टाइम जानकारी सुनिश्चित कर सकता है जो पर्यवेक्षण, जमाकर्ता बीमा मूल्य निर्धारण और समाधान में सहायता कर सकता है।

न्यू मीडिया

4.6 जनता के साथ संवाद करने के तरीकों को बेहतर बनाने, विविध दर्शकों तक जल्दी पहुंचने और जन जागरूकता में सुधार करने के लिए, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, स्मार्टफोन एप्लिकेशन और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ऍप्लिकेशनों के माध्यम से, जमा बीमाकर्ताओं के पास नई तकनीक का उपयोग करने और वित्तीय सुरक्षा कवच भागीदार के रूप में अपनी भूमिका बेहतर ढंग से करने का अवसर होता है।[16]

5. जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरते जोखिम- जलवायु परिवर्तन

5.1 आगे बढ़ते हुए, जमा बीमा के कार्य द्वारा फिनटेक से संबंधित बैंक उत्पादों में विकास, सोशल मीडिया में बैंकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल कवरेज, 24*7 बैंकिंग (बैंक निधियों की तेज गतिशीलता), और बैंक पोर्टफोलियो पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम के बीच अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करने की संभावना है।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणालियों के लिए एक व्यापक जोखिम के रूप में उभर रहा है। आईएडीआई के सर्वेक्षणों के अनुसार, 60 प्रतिशत डीआई ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीतियों को औपचारिक रूप दिया है और कुछ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) के सदस्य हैं।

5.2 निगम एक व्यापक ईएसजी नीति तैयार करने में लगा हुआ है जिसमें जलवायु स्थिरता, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड में निवेश, डिफ़ॉल्ट जोखिम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मापने और स्ट्रेस परीक्षण/बीमांकिक विश्लेषण[17] के माध्यम से जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के लिए आकस्मिक योजना शामिल है। जमा बीमाकर्ताओं को ग्रीन डिपॉजिट, जलवायु जोखिम आधारित विभेदक प्रीमियम और जलवायु स्थिरता के लिए प्रत्याशित वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त कवरेज का पता लगाने की आवश्यकता है (बॉक्स 3)। इन नई चुनौतियों के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बैंक पर इसके प्रभाव, बैंक पोर्टफोलियो पर वर्तमान जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम, जलवायु जोखिम मॉडलिंग और डीआई और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा कवच प्रतिभागियों के साथ-साथ अन्य क्षेत्राधिकारों में उन लोगों के बीच प्रभावी समन्वय और सूचना साझा करने पर डेटा उपलब्धता की आवश्यकता होगी।

[16]परिचय संक्षिप्त (भाग II) - जमा बीमाकर्ताओं के लिए अवसर (डेपटेक)। (एन.डी.)। www.iadi.org। 7 जनवरी, 2023 को https://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Fintech प्रतिशत से लिया गया per cent20Fintech per cent20Brief per cent208 per cent20final.pdf

[17]भारत में जमा बीमा के नए आयाम - माइकल देवव्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण - 14 जून, 2024 - रोम, इटली में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (IADI) की 79वीं कार्यकारी समिति की बैठक में।

बॉक्स 3: जलवायु जोखिम और जमा बीमा

जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली के लिए एक जोखिम के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। 2021 में, भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की है।

जलवायु परिवर्तन को वित्तीय जोखिम के स्रोत के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है जो सामान्य रूप से वित्तीय स्थिरता और विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम (जलवायु जोखिम) दो व्यापक तरीकों से प्रकट हो सकते हैं: (i) भौतिक जोखिमों का अर्थ है प्रतिकूल मौसम की घटनाओं और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप सीधे आर्थिक लागत और वित्तीय नुकसान; (ii) संक्रमण जोखिम तब उत्पन्न होते हैं जब अर्थव्यवस्थाएँ कम कार्बन गहनता वाली नीतियों और प्रक्रियाओं की ओर पुन: अभिमुखीकरण करने का प्रयास करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

कुछ जमा बीमाकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट प्रशासन (ईएसजी) सहित सतत विकास के संवर्धन और वृद्धि की दिशा में कुछ पहल की हैं। एक उदाहरण सेंट्रल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (सीडीआईसी), ताइपे का है जिसने 2021 में अपने ईएसजी उद्देश्यों और व्यावसायिक रणनीतियों को तैयार किया, और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सतत विकास में अपने प्रदर्शन का खुलासा किया; ईएसजी से संबंधित मामलों के लिए अपनी नीति बनाने वाली संस्था के रूप में 2021 में एक स्थिरता समिति की स्थापना की; ''जवाबदेह शासन'', ''टिकाऊ पर्यावरण'', ''अनुकूल कार्यस्थल'' और ''वित्तीय समावेशन'' के चार प्रमुख लक्ष्यों को अपनाया; और अपनी पहली 2022 स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की, जो भविष्य में हर साल जारी की जाएगी।

घरेलू पहल

भारत में सरकार और विनियामकों ने जलवायु जोखिम को पहचाना है और नीतिगत पहलों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है या सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए चर्चा पत्र रखे हैं। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई, 2022 का जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर चर्चा पत्र और 28 फरवरी, 2024 का जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम, 2024 पर मसौदा प्रकटीकरण ढांचा, जारी किया था। आरबीआई ने दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क भी जारी किया है। सेबी ने ''सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्टिंग''[18] के अंतर्गत ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) मानदंडों पर मानकीकृत प्रकटीकरण की दिशा में भी पहल की है। स्थायी वित्त पर नियामक परिदृश्य को बदलने से जमा बीमा के कामकाज में जलवायु जोखिमों को शामिल करने का अवसर मिलता है जिसमें कवरेज स्तर, प्रीमियम, निवेश के रास्ते आदि शामिल हैं।

जबकि जमा बीमा पर जलवायु जोखिमों के प्रभाव पर अनुसंधान अपने प्रारंभिक चरण में है, जमा बीमाकर्ताओं के कामकाज पर जलवायु जोखिम से उत्पन्न कुछ पहचाने गए निहितार्थ/चुनौतियां हैं: (क) प्रीमियम और फंडिंग: जलवायु से संबंधित पर्यावरणीय जोखिमों को जमा बीमाकर्ताओं द्वारा उनकी प्रत्याशित वित्त पोषण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल में शामिल किया जा सकता है। बीमित बैंकों के तुलन पत्र पर कार्बन घनत्व (ऋण पुस्तिका के कार्बन पदचिह्न) के आधार पर जलवायु जोखिम आधारित विभेदक प्रीमियम का पता लगाया जा सकता है; (ख) निवेश निधि प्रबंधन: निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निवेश प्रबंधन जलवायु संबंधी जोखिमों पर विचार कर सकता है। उदाहरण के लिए, तरलता और बाजार जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, जरूरत पड़ने पर फंड की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश का पता लगाया जा सकता है; (ग) जलवायु जोखिम बैंक डिफ़ॉल्ट जोखिमों और व्यापक वित्तीय जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं: जलवायु जोखिम, चरम परिदृश्यों में, व्यक्तिगत बैंकों के डिफ़ॉल्ट जोखिमों को प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार जमा बीमाकर्ताओं को संभावित दावा भुगतान या समाधान लागत को भी; (घ) परिचालन क्षमताओं पर प्रभाव: जलवायु संबंधी चरम घटनाएं जमा बीमाकर्ताओं के मूल संचालन को बाधित कर सकती हैं। इसलिए, जमा बीमाकर्ताओं की आकस्मिक योजना को जलवायु जोखिम का उचित ध्यान रखना चाहिए; (ङ) ग्रीन डिपाजिट के लिए उच्च कवरेज स्तर: जमा बीमाकर्ता उच्च कवरेज स्तरों के माध्यम से जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देने की संभावना का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और जमा बीमा निधि पर इसके प्रभाव और अतिरिक्त प्रीमियम की आवश्यकता, यदि कोई हो, का आकलन कर सकते हैं

जलवायु स्थिरता वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ कर सकती है और जमा बीमा मेनडेट, मिशन और विजन के भीतर उपरोक्त विकल्पों का मूल्यांकन कर सकता है और भविष्य के लिए तैयार हो सकता है।

6. आगे की राह

निगम जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में सुधार कर रहा है, जिसमें आकस्मिक योजना और संकट प्रबंधन ढांचे शामिल हैं, जो आईएडीआई के 2020 के मार्गदर्शन पत्र" जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) के जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली" के साथ संरेखण में है। बाहरी विशेषज्ञों के साथ बोर्ड की नवगठित जोखिम समिति के माध्यम से जोखिम शासन को मजबूत करने से जोखिम निगरानी और प्रबंधन में सुधार होगा।

जन जागरूकता अभियानों को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है और अभिनव उपायों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय

[18]सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्टिंग पर दिनांक 10 मई 2021 का सेबी परिपत्र।

संदेश 'पब्लिक ऐप' के अलावा अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया पर जुड़ने से हमें जमाकर्ताओं के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से पहली बार बने युवा जमाकर्ताओं के साथ। खोज क्षमता, सूचना वास्तुकला, बेहतर यूजर इंटरफेस/अनुभव, सामग्री रणनीति और उपयोगकर्ता जुड़ाव, एक प्रगतिशील वेब ऐप और इसी तरह के मामले में इसे और अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए वेबसाइट को ओवरहाल किया जा रहा है।

डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया अनुकूलन, व्यापार विश्लेषण और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बेहतरीन विपणन तकनीकों के साथ सभी कार्यों का डिजिटल परिवर्तन चल रहा है। ऑनलाइन पूछताछ और शिकायत प्रबंधन की सुविधा के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और एआई/एमएल आधारित चैटबॉट के उपयोग के साथ-साथ मैनुअल हस्तक्षेप और विभिन्न मॉड्यूल के निर्बाध एकीकरण के बिना सीधे प्रसंस्करण के माध्यम से योजना में है। एक स्टैंडअलोन सिंगल कस्टमर व्यू एप्लिकेशन रोलआउट की प्रक्रिया में है और यह जमाकर्ताओं को दावा भुगतान के लिए डेटा गुणवत्ता में सुधार करेगा जिससे दावों के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी।

निर्धारणीय जमाराशियों की गणना में डेटा विश्लेषण का उपयोग बीमित बैंकों द्वारा सही प्रीमियम भुगतान और वर्तमान दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। इन-हाउस रिकवरी मैनेजमेंट डैशबोर्ड परिसमाप्त बैंकों (चल और अचल दोनों) की संपत्ति के विवरण की ट्रैकिंग और इन परिसंपत्तियों के निपटान के बाद परिसमाप्त बैंकों से पुनर्भुगतान को सक्षम करेगा। इससे न केवल डीआईसीजीसी को दावा भुगतान/ सांविधिक देयताओं के पुनर्भुगतान में सुधार होगा, बल्कि डीआईसीजीसी को देय राशि का पूरी तरह भुगतान किए जाने के बाद जमा बीमा सीमा (वर्तमान में ₹ 5 लाख) से अधिक जमाराशियों वाले बड़े जमाकर्ताओं को भुगतान करने में भी सुधार होगा।

3. निदेशक मंडल की रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I : परिचालन और कार्य पद्धति

31 मार्च, 2024 तक निगम के साथ पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,997 थी, जिसमें 140 वाणिज्यिक बैंक [12 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 6 भुगतान बैंक (पीबी), 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और 2 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी)] और 1,857 सहकारी बैंक **(परिशिष्ट सारिणी 1)** शामिल थे। पंजीकृत संस्थानों के संदर्भ में सहकारी बैंक प्रमुख बने रहे। वर्ष के दौरान 30 बैंकों का पंजीकरण रद्द किया गया, ये सभी सहकारी बैंक थे। **(परिशिष्ट सारिणी 2)**। वर्ष के दौरान, एक नए बैंक (विदेशी बैंक: नोंगह्युप बैंक) को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया **(परिशिष्ट सारिणी 3)**।

I.1 निक्षेप बीमा योजना

वर्तमान में, जमा बीमा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) और सहकारी बैंकों को कवर करता है।

I.1.1 बीमाकृत जमाराशियाँ

मार्च 2024 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या 283.3 करोड़ थी (अर्थात ₹5 लाख तक जमा शेष राशि वाले खाते) और यह बैंकिंग प्रणाली में खातों की कुल संख्या (289.8 करोड़) का 97.8 प्रतिशत थी **(चार्ट 1)**। ₹94,10,674 करोड़ की बीमित जमा राशि बीमा संरक्षण के अंतर्गत कवर की गई जमा राशियों में से ₹2,18,23,481 करोड़ की निर्धारणीय जमाराशियों का 43.1 प्रतिशत है **(सारिणी 1 और परिशिष्ट सारिणी 4)**। जमा बीमा सुरक्षा के अंतर्गत आने वाली जमाराशियों में भुगतान बैंकों की उच्चतम हिस्सेदारी 99.2 प्रतिशत है इसके बाद आरआरबी 80.3 प्रतिशत, एलएबी 72.4 प्रतिशत, सहकारी बैंक 63.2 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 48.9 प्रतिशत, एसएफबी 41.6 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के बैंक 32.7 प्रतिशत और विदेशी बैंक की हिस्सेदारी 5.0 प्रतिशत है। **(परिशिष्ट सारिणी 5)**।

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ

	विवरण	निम्न तिथियों के अनुसार स्थिति	
		31 मार्च 2023	(अ) 31 मार्च 2024
1	पंजीकृत बैंकों की संख्या	2,026	1,997
2	खातों की कुल सं. (करोड़)	276.3	289.8
3	पूर्णतया संरक्षित खाते (करोड़)^	270.5	283.3
4	कुल खातों की संख्या में पूर्णत: संरक्षित खातों का हिस्सा	97.9	97.8
5	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़)	1,94,58,915	2,18,23,481
6	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़)	86,31,259	94,10,674
7	निर्धारणीय जमाराशियों में बीमित जमाराशियों का हिस्सा	44.4	43.1

^ जमा बीमा द्वारा कवर किए गए खातों को संदर्भित करता है।

अ- अनंतिम

स्रोत: निक्षेप बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

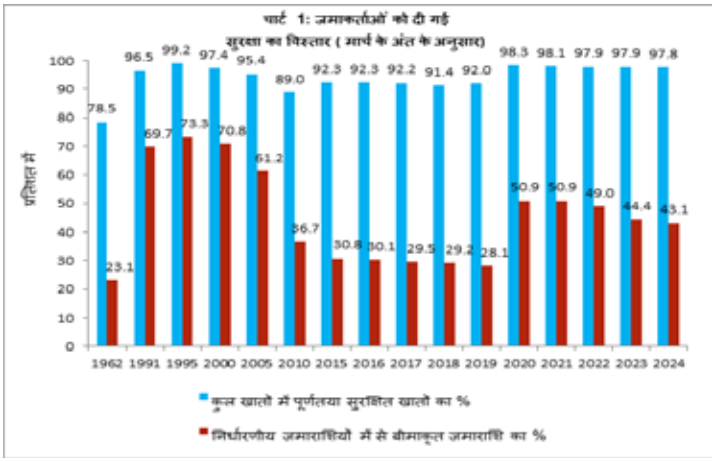

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

I.1.2 जमा बीमा प्रीमियम

2023-24 के दौरान निगम द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम ₹23,879 करोड़ था, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान 94.40 प्रतिशत और शेष 5.60 प्रतिशत का योगदान सहकारी बैंकों का था (सारिणी 2)।

सारिणी 2 : प्राप्त प्रीमियम

(₹करोड़ में)

वर्ष	एलएबी और आरआरबी सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2023-24	22,543	1,336	23,879
2022-23	20,104	1,277	21,381
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517

स्रोत: जमा बीमा (डीआई) रिटर्न, डीआईसीजीसी

I.1.3 चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा **(सारिणी 3)**। 2023-24 के लिए, निगम ने बैंकों से जुर्माने के रूप में ₹0.50 करोड़ की वसूली की है।

सारिणी 3: बैंक दर और दंड स्वरूप ब्याज दर में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

से	तक	बैंक दर %	दंड स्वरूप ब्याज दर %	चूककर्ता बैंकों द्वारा देय ब्याज दर
01.04.2023	31.03.2024	6.75	8.00	14.75

स्रोत: डीआईसीजीसी

I.2 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) बीमित बैंकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों[19] में निवेश पर प्राप्त कूपन आय से बनाया गया है। डीआईएफ को परिसमापकों/प्रशासकों/ अंतरिती बैंकों से की गई वसूली से भी अंतर्वाह प्राप्त होता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन/पुनर्निर्माण/समामेलन आदि के अधीन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च, 2024 तक यह निधि ₹1,98,753 करोड़ थी और आरक्षित अनुपात (आरआर)[20] 2.11 प्रतिशत **(चार्ट 2)** था।

चार्ट 2: मार्च के अंत के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

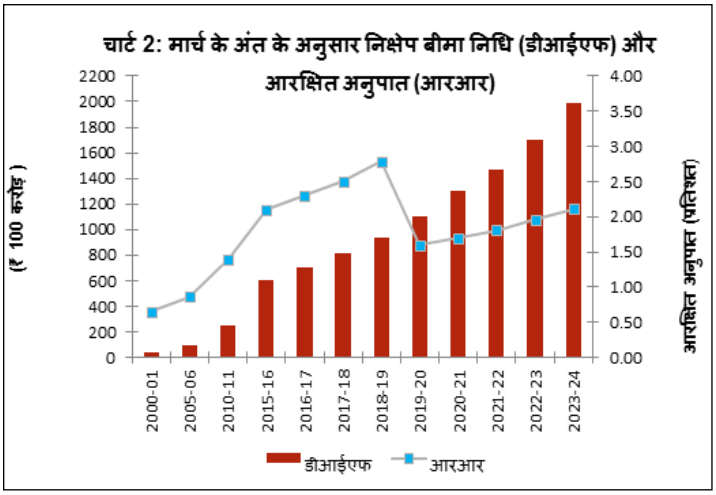

स्रोत: जमा बीमा रिटर्न और डीआईसीजीसी के वार्षिक लेखे

I.3 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

2023-24 के दौरान, निगम ने परिसमाप्त बैंकों, विलय की गई संस्थाओं के बैंकों और एआईडी के तहत रखे गए बीमित जमाकर्ताओं को ₹1,436.92 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया, जिसमें से ₹175.71[21] करोड़ परिसमाप्त और विलय किए गए बैंकों के दावों से संबंधित थे **(परिशिष्ट सारिणी 6 और चार्ट 3)** और ₹1,261.21 करोड़ एआईडी **(परिशिष्ट सारिणी 6 ए और चार्ट 3 ए)** के तहत बैंकों से संबंधित थे । वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा नहीं किया गया।

[19]निगम ने 1 अप्रैल, 2020 से निर्धारणीय जमा राशि पर प्रीमियम दर को 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे प्रति 100 रुपये कर दिया है।

[20]बीमाकृत जमाराशियों और डीआईएफ का अनुपात।

[21]इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 के प्रावधानों के अनुसार निपटाए गए पीएमसीबीएल के दावे के संबंध में स्वीकृत ₹3.29 करोड़ शामिल हैं।

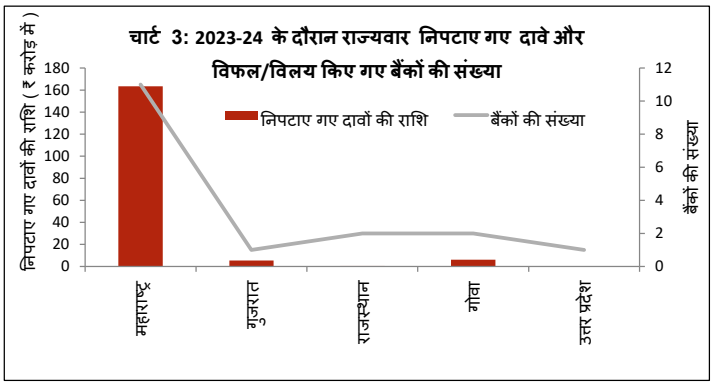

स्रोत: डीआईसीजीसी

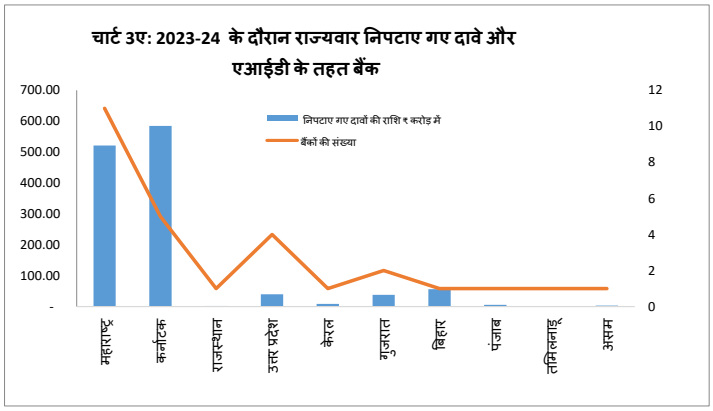

स्रोत: डीआईसीजीसी

निगम के पास ₹20.30 करोड़ का प्रावधान है, जो अप्राप्य जमाकर्ताओं (दावा स्वीकृत लेकिन जमाकर्ता पता लगाने योग्य नहीं) के कारण परिसमापकों द्वारा वापस की गई राशि को दर्शाता है और भविष्य के दावों, यदि कोई हो, के निपटान के लिए अज्ञात जमाकर्ताओं के लिए ₹359.99 करोड़ का प्रावधान है । 2023-24 के दौरान 20 शहरी सहकारी बैंको के लाइसेंस रद्द किए गए। 10 बैंकों के लिए ₹ 69.82 करोड़ की आकस्मिक देयता सृजित की गई। **(परिशिष्ट सारिणी 7 और परिशिष्ट सारिणी 7ए)**।

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत दावों के निपटान के संबंध में, निगम ने परिसमापक से दावे की प्राप्ति की तारीख से मंजूरी के लिए औसतन 14 दिन का समय लिया है। इसके अलावा, एआईडी के तहत बैंकों के संबंध में, निगम ने ऐसे बैंकों को एआईडी जारी करने की तारीख से जमा बीमा दावे के निपटान के लिए 90 दिनों की वैधानिक समयसीमा का पालन किया है।

I.4 निपटाए गए दावे/प्राप्त चुकौतियाँ

जमा बीमा की शुरुआत के बाद से 31 मार्च 2024 तक ₹295.9 करोड़ की संचयी राशि का भुगतान किया गया है जिसमें 27 वाणिज्यिक बैंकों के दावों के लिए ₹10,670.43 करोड़ - जिसमें त्वरित नीति के तहत 11 यूसीबी के लिए ₹128.27 करोड़ का निपटान शामिल है - 374 परिसमाप्त सहकारी बैंकों के दावों के लिए (वर्ष के दौरान निपटाए गए ₹175.71 करोड़ सहित) **(चार्ट 4 - 5ए, परिशिष्ट सारिणी 8 और 8बी)** और एआईडी के तहत रखे गए 57 सहकारी बैंकों के दावों के लिए ₹5,359.27 करोड़ का भुगतान किया गया है **(चार्ट 5ए और परिशिष्ट सारिणी 8ए)**।

बैंकों के परिसमापक/हस्तांतरिती से प्राप्त संचयी पुनर्भुगतान कुल मिलाकर ₹5661.07 करोड़ है। सहकारी बैंकों के मामले में, परिसमापक/हस्तांतरिती बैंकों से संचयी पुनर्भुगतान कुल मिलाकर ₹5,503.53 करोड़ (सहकारी और परिसमाप्त एआईडी बैंक) है, जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹760.83 करोड़ शामिल हैं, जबकि एआईडी बैंकों के मामले में, वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त कुल संचयी पुनर्भुगतान कुल मिलाकर ₹139.90 करोड़ है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निगम को प्राप्त कुल पुनर्भुगतान ₹900.73 करोड़ है **(चार्ट 4)** ।

वाणिज्यिक बैंकों के परिसमापक/हस्तांतरिती से प्राप्त संचयी पुनर्भुगतान कुल मिलाकर ₹157.54 करोड़ है। वर्ष 2023-24 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों से कोई वसूली प्राप्त नहीं हुई।

चार्ट 4: 31 मार्च 2024 तक भुगतान किए गए दावों तथा वसूली की संचयी राशि

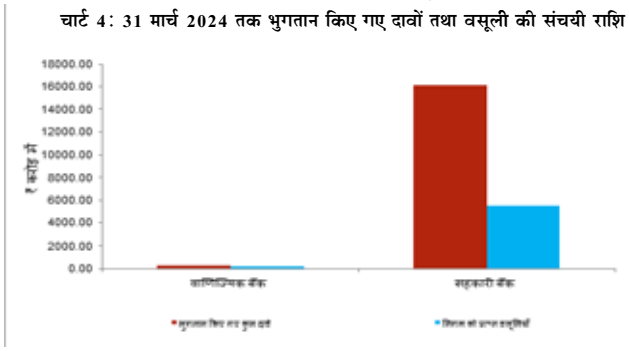

स्रोत: डीआईसीजीसी

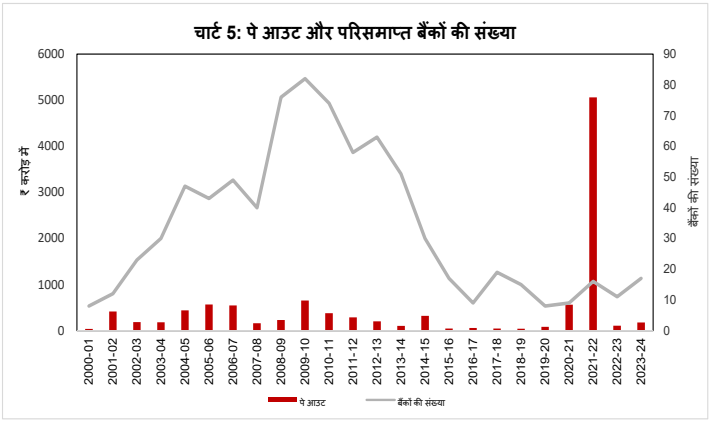

स्रोत: डीआईसीजीसी

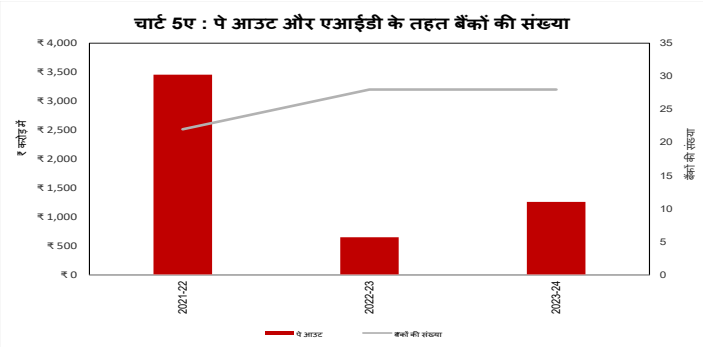

स्रोत: डीआईसीजीसी

I.5 कोर्ट–मामले

31 मार्च, 2024 तक, विभिन्न राज्यों और अन्य में लंबित निगम की जमा बीमा गतिविधि से संबंधित अदालती मामलों की संख्या *31 मार्च*, 2023 को 56 की तुलना में 61 थी। वर्ष के दौरान 4 मामले बंद कर दिए गए, जबकि 9 नए मामले दर्ज किए गए। निगम सभी 9 नए दायर मामलों में पक्षकार या प्रतिवादी है।

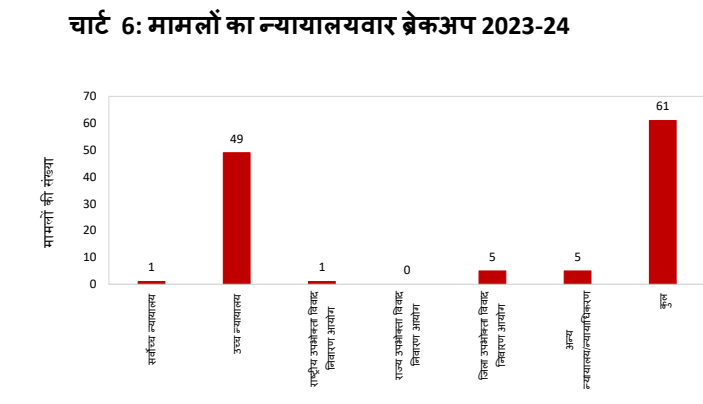

स्रोत: डीआईसीजीसी

I.6 ऋण गारंटी योजनाएं

वर्तमान में निगम द्वारा कोई भी ऋण (क्रेडिट) गारंटी योजना नहीं चलाई जा रही है। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 (एसएलजीएस 1971) के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹2.61 लाख की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान ₹0.2 लाख की वसूली प्राप्त हुई। लघु ऋण गारंटी योजना, 1981 के तहत कुल पुनर्भुगतान पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त ₹शून्य की तुलना में कुल ₹शून्य रहा ।

भाग II : अन्य महत्वपूर्ण पहलें/प्रगति

II.1 डीआईसीजीसी अधिनियम – वित्तीय सुरक्षा कवच

भारत में, सितंबर 2021 में डीआईसीजी अधिनियम में संशोधन ने जमाकर्ताओं को बैंक के परिसमापन से पहले तक समयबद्ध पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाया है। डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के प्रावधानों के अनुसार, जब भी किसी बैंक को एआईडी के तहत रखा जाता है, तो निगम के लिए अपेक्षित है कि बैंक के जमाकर्ताओं के दावों को एआईडी लागू होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर निपटाए। अधिनियम में संशोधन के बाद से, 31 मार्च, 2024 तक, निगम ने 3,76,661 जमाकर्ताओं के लिए ₹5,359.27 करोड़ के दावों का निपटान किया है। ऐसे सभी दावा भुगतानों में, शामिल बैंक एफसी (वित्तीय सहकारी समितियाँ) थे जिनकी अधिकांश शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। इस प्रकार, अपने स्वयं के धन तक समय पर पहुंच और जमाराशियों की सुरक्षा ने बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को मजबूत करने में मदद की है। इस सिद्धांत का एक अच्छा पुष्टिकारक उदाहरण यह हो सकता है कि प्रश्नगत एफसी में जमा राशि तक जमाकर्ताओं की पहुँच रोके जाने के बावजूद समान क्षेत्रों में स्थित समान एफसी का कोई रन-ऑन नहीं देखा गया।

II.2 वसूली प्रबंधन से संबंधित उपाय:

एआईडी के तहत सभी बैंक जिनके लिए धारा 18ए के तहत दावों का निपटारा किया गया है, उन्हें सूचित किया गया है कि 31 दिसंबर, 2022 के बाद शुरू होने वाली पांच समान किश्तों में निगम को चुकौती करें। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में परिसमापन के अधीन विभिन्न यूसीबी के परिसमापकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ताकि उन्हें उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। डीआईसीजीसी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों के सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) का सम्मेलन आयोजित किया गया। डीआईसीजीसी से संबंधित विभिन्न पहलुओं अर्थात - दावा सूची समय पर जमा करने के लिए परिसमापक और सांविधिक लेखा परीक्षकों की समय पर नियुक्ति, अवितरित धनराशि और डीआईसीजीसी को बकाया राशि के पुनर्भुगतान की चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की गई।

II.3 संचार नीति और रणनीति

निगम की संचार नीति आईएडीआई कोर सिद्धांत 10 की सिफारिशों के अनुरूप बोर्ड के अनुमोदन से तैयार की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार जमाकर्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता में योगदान देने के लिए यह आवश्यक है कि जनता को जमा बीमा प्रणाली के लाभों और सीमाओं के बारे में निरंतर जानकारी दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), डीआईसीजीसी और बाहरी संचार विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) बनाई गई है जिसका उद्देश्य निगम के लिए संचार रणनीति को आगे बढ़ाना है।

डीआईसीजीसी वेबसाइट के अलावा, निगम महत्वपूर्ण जानकारी की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में दावों के निपटान के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता संदेश और जानकारी पोस्ट करने के लिए एक स्थानीय मैसेजिंग ऐप का उपयोग कर रहा है। वर्ष के दौरान सभी बीमाकृत बैंकों को 01 सितंबर, 2023 से अपने वेब पेज पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए सूचित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है कि उनकी जमा राशि डीआईसीजीसी द्वारा संरक्षित है या नहीं। परिसमाप्त बैंकों और एआईडी के अंतर्गत बैंक के जमाकर्ताओं को दावा निपटान के प्रत्येक चरण यानी दावे की प्राप्ति और दावे की मंजूरी पर एसएमएस सूचना भेजी जा रही है।

निगम अपने जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से जमा बीमा और डीआईसीजीसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आरबीआई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। निगम का विचार है कि व्यापक कवरेज और जनता तक प्रासंगिक जानकारी के प्रसार के लिए अतिरिक्त सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से जनता के साथ अधिक जुड़ाव किया जाए। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए डीआईसीजीसी वेबसाइट का ओवरहाल करने की योजना है।

II.4 जोखिम प्रबंधन

पोर्टफोलियो आकार और ट्रेजरी संचालन की जटिलता में कई गुना वृद्धि के साथ, निगम के ट्रेजरी संचालन की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था ताकि इसकी उभरती जरूरतों को पूरा करने में इसे और अधिक मजबूत और कुशल बनाया जा सके। समिति ने तरलता और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन, डीलिंग संचालन के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे, एमआईएस आवश्यकताओं और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं सहित पहलुओं पर विचार-विमर्श किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों की जांच की गई है और उनका कार्यान्वयन किया गया है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है।

भाग III: लेखा-विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र, राजस्व खाता और नकदी प्रवाह विवरण और वर्ष के लिए मुख्य परिचालन संबंधी विवरण, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, तीनों निधियों अर्थात निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) लिए तैयार किए गए हैं। अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में निगम के मामलों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई है और यह अलग से संलग्न है ।

III.1 बीमा देयताएं

(क) निगम ने 2023-24 के दौरान ₹1,586.30 करोड़ के दावों को संसाधित किया है। 2023-24 के दौरान बीमा दावों के लिए पिछले वर्ष किए गए ₹751.78 करोड़ के भुगतान की तुलना में ₹1,431.54 करोड़ का भुगतान किया गया इसमें पिछले वर्ष की क्रिस्टलीकृत देयता से भुगतान किया गया ₹28.46 करोड़ शामिल था।

(ख) बीमांकिक द्वारा अनुमानित निगम के जमा बीमा निधि (डीआईएफ) के लिए बीमांकिक देयता वर्ष के अंत में ₹16,887.42 करोड़ (₹12,174.47 करोड़) थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 38.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई दावा देयता नहीं है।

III.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) डीआईएफ में अधिशेष ₹34,278.30 करोड़ (₹33,391.31 करोड़) था, जो साल-दर-साल आधार पर ₹886.99 करोड़ (2.66 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करता है। इसका मुख्य कारण प्रीमियम आय में ₹2,498.01 करोड़ की वृद्धि, निवेश से आय में ₹2,039.28 करोड़ की वृद्धि, भुगतान किए गए दावों की वसूली में ₹17.94 करोड़ रुपये की वृद्धि और निवेश के मूल्य में ₹1,850.46 करोड़

के मूल्यह्रास का प्रतिलेखन है। हालांकि, निवल दावों में ₹856.67 करोड़ की वृद्धि और बीमांकिक देनदारी में ₹4,712.95 करोड़ की वृद्धि से इसकी आंशिक भरपाई हुई है।

(ख) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) में अधिशेष ₹50.47 करोड़ (₹48.02 करोड़) था जिसका श्रेय निवेश से आय में ₹2.48 करोड़ की वृद्धि को दिया गया।

(ग) सामान्य निधि (जीएफ) में अधिशेष ₹11.53 करोड़ (₹179.36 करोड़) था, अधिशेष में कमी का मुख्य कारण पिछले वर्ष की संगत अवधि में ₹164 करोड़ के आयकर रिफंड पर ब्याज था। मुख्य रूप से कर्मचारियों की लागत, किराए, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि, स्थापना, यात्रा और ठहराव भत्ते, लेखा परीक्षक की फीस, कानूनी शुल्क, निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधान, सीसीआईएल लेनदेन शुल्क में वृद्धि और सेवा अनुबंध/रखरखाव के कारण व्यय में ₹8.30 करोड़ की वृद्धि हुई। निवेश से आय ₹4.39 करोड़ बढ़ी।.

III.3 संचित अधिशेष

31 मार्च, 2024 तक डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ में संचित अधिशेष/भंडार (कर के बाद) क्रमश: ₹1,81,866 करोड़ (₹1,57,427 करोड़), ₹650 करोड़ (₹612 करोड़) और ₹728 करोड़ (₹719 करोड़) था।

III.4 निवेश

2023-24 के अंत में तीन फंडों डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के निवेश का बुक (लागत पर) 2023-24 के अंत में क्रमश: ₹2,03,171 करोड़ (₹ 1,73,738), ₹ 678 करोड़ (₹ 637 करोड़) और ₹ 774 करोड़ (₹ 774 करोड़) था। जीएफ़ को छोड़कर अन्य फंडों में वृद्धि दर्ज की गई और इन निधियों में निवेश का बाजार मूल्य ₹2,04,058 करोड़ (डीआईएफ़), ₹692 करोड़ (सीजीएफ) और ₹773 करोड़ (जीएफ) रहा।

III.5 कराधान

III.5.1 आयकर

31 मार्च, 2024 तक डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के संबंध में अग्रिम आयकर (एआईटी) खाते में संचित शेष राशि (बकाया) क्रमश: ₹8,215 करोड़ (₹ 8,853 करोड़), ₹10 करोड़ (₹13 करोड़) और ₹10 करोड़ (₹ 44 करोड़) थी। कराधान के लिए प्रावधान में संचित शेष राशि क्रमश: ₹8,184 करोड़ (₹ 8,404 करोड़), ₹ 13 करोड़ (₹12 करोड़) और ₹3 करोड़ (₹ 45 करोड़) थी।

III.5.2 माल एवं सेवा कर

निगम बैंकों को प्रदान की गई जमा बीमा सेवाओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम ने जीएसटी दायित्व का निर्वहन किया और इसके अनुपालन में वर्ष के दौरान ₹4,306.92 करोड़ का भुगतान किया गया। इसे बीमित बैंकों से एकत्रित किया गया था।

भाग IV : खजाना परिचालन

IV.1 डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम अपनी अधिशेष (सरप्लस) राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार 31 मार्च, 2024 को ₹2,04,623 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2024 को ₹1,75,149 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2023 को ₹1,73,318 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2024 को ₹ 2,05,523 करोड़ था, जो 18.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है और 31 मार्च, 2023 को बुक वैल्यू का 0.99 गुना की तुलना में 1.00 गुना है। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो रिटर्न[22] 2022-23 में 5.49 की तुलना में 9.00 प्रतिशत था क्योंकि वर्ष के दौरान प्रतिफल में वृद्धि से पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ा। वर्ष के दौरान मौजूदा और नए निवेशों का बाजार मूल्य बढ़ा क्योंकि वर्ष के दौरान प्रतिफल में गिरावट आई।

IV.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

[22]कुल भारित रिटर्न की गणना डाइट्ज़ विधि का उपयोग करके की जाती है, अर्थात् टीडब्ल्यूआर = [एमवीई-एमवीबी + आई -सी] / [एमवीबी + (0.X सी)], जहां एमवीई / बी = अंत / शुरुआत में बाजार मूल्य, आई = प्राप्त आय, सी = ताजा प्रवाह / बहिर्वाह का योगदान।

(फिमडा) द्वारा प्रकाशित मॉडल कीमतों पर किया जाता है। निवेश संबंधी लेखा नीति के संदर्भ में निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को मान्यता दी जाती है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है। 31 मार्च, 2024 तक, जीएफ ने शुद्ध मूल्यह्रास दर्ज किया, जबकि डीआईएफ और सीजीएफ ने शुद्ध वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, निगम बाजार जोखिम के खिलाफ एक सहारे के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) रखता है। 31 मार्च, 2024 को आईएफआर 31 मार्च, 2023 के ₹6,966.96 करोड़ की तुलना में ₹8157.08 करोड़ का था जिसकी गणना मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा की गई थी।

IV.3 वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी हुई (31 मार्च, 2024[23] को 10 साल का बेंच मार्क यील्ड 7.00 प्रतिशत था, जो 31 मार्च, 2023 को 7.26 प्रतिशत था)। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिफल में दो तरफा उतार-चढ़ाव देखा गया, क्योंकि आरबीआई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार मौद्रिक नीति घोषणाओं के माध्यम से नीतिगत रेपो दरों के लंबे समय तक ऊंचे रहने की उम्मीदों को बल मिला। वर्ष की शुरुआत में, दोनों केंद्रीय बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में की गई क्रमिक दर वृद्धि को रोक दिया और मुद्रास्फीति को अपने संबंधित लक्ष्य दरों के अनुरूप करने के अपने लक्ष्य का संकेत दिया, जो कि अमेरिका के लिए 2 प्रतिशत और भारत के लिए 4 प्रतिशत था। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल विशेष रूप से अस्थिर थे और वर्ष के दौरान 5 प्रतिशत का निशान पार कर गए, जिससे घरेलू प्रतिफल पर भी दबाव बढ़ गया। वर्ष के दौरान अमेरिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की, जैसा कि कई आवधिक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से मापा गया, जिससे दर में कटौती की बाजार की उम्मीदों को भी स्थगित कर दिया गया। वर्ष के दौरान पश्चिम एशिया में विद्वेष बढ़ने से भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ गया, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आयातित मुद्रास्फीति की चिंता पैदा हो गई। वर्ष के दौरान अपने उभरते बाजार बांड सूचकांकों में भारतीय सरकारी बांडों को शामिल करने के संबंध में जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग की घोषणाओं ने विदेशी निवेशकों की ओर से बाजार की उम्मीदों और भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे प्रतिफल में गिरावट आई। बाजार को उम्मीद है कि नीतिगत दरों में लंबे समय तक ठहराव रहेगा और मुद्रास्फीति को संबंधित केंद्रीय बैंक की लक्षित दरों के करीब लाने के बाद ही दरों में कटौती शुरू होने की उम्मीद है। निगम ने मध्यम अवधि में अपेक्षित नीतिगत दर में कटौती को देखते हुए पोर्टफोलियो अवधि बढ़ाने की मांग की। आने वाले प्रीमियम और कूपन/मूलधन प्रवाह के निवेश मुख्य रूप से 10 और 14 वर्षों के लिए, तरल प्रतिभूतियों में किया गया, जिससे ऑन द रन तरल प्रतिभूतियों की होल्डिंग बनाने में भी मदद मिली। वर्ष के दौरान दावों का भुगतान समय पर नकदी प्रवाह का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया गया। निगम ने नीलामी में भी चुनिंदा रूप से भाग लिया, जबकि टी-बिल सहित नकदी प्रवाह का उपयोग वर्ष के दौरान आयकर और जीएसटी जैसे कर भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया था।

भाग V : संगठनात्मक मामले

V.1 निदेशक मंडल

निगम के कार्यों और कारोबार का सामान्य, अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निदेशक मंडल के पास है, जो निगम द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है। डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यत: प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

V.1.1 निदेशकों का नामांकन/सेवानिवृत्ति

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के तहत नियुक्त निदेशक डॉ. दीपक कुमार, कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति

[23]31 मार्च, 2023 को 7.26% जीएस 2033 10-वर्षीय बेंचमार्क सुरक्षा थी, जिसे बाद में 14 अगस्त, 2023 को 7.18% जीएस 2033 से बदल दिया गया, जो तब से बेंचमार्क सुरक्षा है।

के कारण 30 अप्रैल, 2024 को निगम के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे। श्री आर. लक्ष्मी कांत राव को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के तहत 10 मई, 2024 से से 30 जून 2024 की अवधि के लिए निगम के कार्यपालक निदेशक निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद, श्री अर्नब कुमार चौधरी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के तहत 1 जुलाई, 2024 से निगम के कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

V.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

31 मार्च, 2024 के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति निम्नानुसार है:

1. श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष
2. श्री पंकज शर्मा	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
3. डॉ. दीपक कुमार	निदेशक

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

V.3 आंतरिक नियंत्रण

निगम ने तिमाही समीक्षाओं के माध्यम से अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् डीआईएफ, सीजीएफ और जीएफ के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन निधियों के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसे बीमित बैंकों के दावों का भुगतान करने के लिए परिसमापन लागत, आईटी विक्रेता की प्रोजेक्ट अनुरक्षण लागत, विधिक व्यय, विज्ञापन व्यय और स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान । प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक छमाही के अंत तक की स्थिति के आधार पर बज़ट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय/ प्राप्ति की मध्यकालिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

V.3.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

मेसर्स देवेंद्र कुमार एंड एसोसिएट्स को वर्ष 2023-24 के लिए निगम के समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। मासिक लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखे जाते हैं।

V.3.2 नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा

नियंत्रण और स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) के अंतर्गत एक प्रणाली प्रारंभ की है, जिसमें निगम के अधिकारी छमाही आधार पर ऐसे क्षेत्रों का जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। दिसंबर 2023 को समाप्त छमाही के लिए सीएसएए किया गया है ।

V.3.3 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

डीआईसीजीसी की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा 14 से 22 फरवरी, 2022 तक आयोजित किया गया था। सभी पैरा का अनुपालन किया गया है।

V.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

निगम अपने कर्मचारियों को कौशल उन्नयन की दृष्टि से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में नियुक्त करता है। ये कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत के साथ-साथ विदेशों में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी जमा बीमा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2023-24 के दौरान, 25 अधिकारियों, 11 श्रेणी III और 2 श्रेणी IV कर्मचारियों (ऑनलाइन मोड में 5 अधिकारी और 3 तृतीय श्रेणी कर्मचारी सहित) को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया । इसके अलावा आईएडीआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 15 अधिकारियों को नामित किया गया। (ऑनलाइन मोड में 4 अधिकारियों सहित)।

V.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है। 31 मार्च 2024 को निगम के कुल स्टाफ की संख्या, 31 मार्च 2023 के 67 की तुलना में 68 है। (सारिणी 4)।

सारिणी 4: 31 मार्च 2024 के अनुसार स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

श्रेणी	संख्या	जिसमें		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	41*	8	3	19.51	7.32
श्रेणी III	23	4	2	17.39	8.70
श्रेणी IV	4	0	1	0	25
कुल	**68**	**12**	**6**	**17.65**	**8.82**

अजा -अनसूचित जाति

अजजा - अनुसूचित जनजाति * कार्यपालक निदेशक शामिल नहीं

स्रोत: डीआईसीजीसी

V.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, निगम सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 55 आरटीआई अनुरोध और पाँच अपील प्राप्त हुईं और निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपीलीय प्राधिकरण आदेश जारी किया गया। मुख्य सूचना आयोग की एक अपील की सुनवाई में निगम ने भाग लिया और उसे खारिज कर दिया गया।आरटीआई प्रश्न मुख्य रूप से जमाकर्ताओं की सुरक्षा में आरबीआई और डीआईसीजीसी की भूमिका, दावा निपटान पर जानकारी, जमा बीमा कवर को बढ़ाने के बारे में प्रश्न, असफल बैंकों, एआईडी के तहत बैंकों और वितरित राशि आदि के बारे में जानकारी से संबंधित थे।

V.7 हिंदी का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निगम हिंदी के उपयोग पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। दिन-प्रतिदिन की कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक तिमाही में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। वर्ष 2023-24 में निगम का हिन्दी पत्राचार 98.03 प्रतिशत रहा । निगम हर साल 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन करता है। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 10 अक्तूबर 2023 को किया गया ।

V.8 निगम में शिकायत निवारण कक्ष

निगम ने जनता से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष (सीआरसी) का गठन किया। 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान 52 सीपीग्राम्स शिकायतों सहित कुल 1410 शिकायतों पर ध्यान दिया गया। शिकायतें मुख्य रूप से दावा निपटान, बीमा राशि न मिलने, संबंधित बैंक द्वारा दावा सम्मति फॉर्म को स्वीकार न करने, अधिकतम जमा बीमा कवरेज सीमा से अधिक राशि के लिए अनुरोध आदि से संबंधित थीं। शिकायतों का निपटान परिसमापक/ एआईडी बैंकों के नोडल अधिकारियों, आरबीआई के नियामक और पर्यवेक्षी विभागों के समन्वय से समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शिकायतों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को निपटान के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर कार्यबल (टीएएफसीयूबी) की उप-समिति के साथ भी उठाया जाता है।

V.9 जन जागरूकता

(i) डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान की गई सामग्री के आधार पर, आरबीआई द्वारा प्रकाशित वित्तीय जागरूकता संदेश (एफएएमई) पुस्तिका में जमा बीमा और डीआईसीजीसी पर एक अलग अध्याय शामिल किया गया है।

(ii) तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुरूप, आरबीआई, डीएसआईएम के सहयोग से एआईडी बैंकों की बड़ी संख्या वाले पांच राज्यों में डीआईसीजीसी और इसकी गतिविधियों पर एक जन जागरूकता सर्वेक्षण किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोलियों के आधार पर, मेसर्स सप्तऋषि कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को यह काम सौंपा गया है। एजेंसी से अनुबंध हो चुका है। कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) स्क्रिप्ट की समीक्षा और परिशोधन चल रहा है।

(iii) मुंबई के एक प्रमुख जनसंचार महाविद्यालय जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस (XIC) को जन जागरूकता संदेशों की विषय-वस्तु के विकास के लिए नियुक्त किया गया है। डीआईसीजीसी के विभागों के सहयोग से विकसित स्क्रिप्ट पर आधारित लघु वीडियो क्लिप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iv) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) पर आधारित वीडियो के निर्माण के लिए रेबिट (आरईबीआईटी) के साथ चर्चा शुरू की गई है।

(v) जन जागरूकता से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने के

लिए निगम की वेबसाइट पर एक अलग खंड बनाया गया है। डीआईसीजीसी के पब्लिक ऐप (एक हाइपर लोकल सोशल प्लेटफॉर्म) प्रोफ़ाइल का लिंक वेबसाइट पर दिया गया है ताकि ऐप की दृश्यता और जनता द्वारा उपयोग को बढ़ाया जा सके। परिसमाप्त बैंकों के मुख्य दावा निपटान से संबंधित जानकारी भी पब्लिक ऐप पर होस्ट की जा रही है। बीमाकृत बैंकों के पंजीकरण रद्द करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की शुरुआत की गई है और आठ बैंकों के संबंध में ऐसी पहली प्रेस विज्ञप्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, निगम की वेबसाइट को रेबिट (आरईबीआईटी) के सहयोग से नया रूप दिया जा रहा है। नई वेबसाइट पर मुखपृष्ठ और जानकारी की प्रस्तुति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जमा बीमा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी बीमाकृत बैंकों को सूचित किया गया कि वे 01 सितंबर, 2023 से अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर डीआईसीजीसी वेबसाइट से जुड़े डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रदर्शित करें। 30 मई 2024 की स्थिति के अनुसार 1152 बैंकों की वेबसाइट हैं, 945 बैंकों ने निर्देशों का पालन किया है। शेष गैर-अनुपालक बैंकों में से 83% शहरी सहकारी बैंक हैं, 17% जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं और 1 बैंक राज्य सहकारी बैंक है। आरबीआई/नाबार्ड के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त निर्देश जारी होने के बाद, डीआईसीजीसी वेबसाइट पर नए आगंतुकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, अर्थात जुलाई, 2023 में 9,559 आगंतुकों से अप्रैल 2024 में 1,10,015 आगंतुकों तक पहुंच गई है।

V.10 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

V.10.1 आईएडीआई बैठकें, सर्वे और अन्य मामले

निगम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और इसकी विभिन्न समितियों का सदस्य है। आईएडीआई की स्थापना मार्गदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर जमा बीमा प्रणालियों को बढ़ाने में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी। सदस्य होने के नाते, निगम के अधिकारियों ने आईएडीआई और इसकी विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित 7 व्यक्तिगत और कई अन्य वर्चुअल बैठकों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लिया। इन बैठकों के लिए सामग्री की समीक्षा की गई और टिप्पणियाँ अग्रेषित की गईं। आईएडीआई वार्षिक सर्वेक्षण 2023, पीआईडीएम (मलेशिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) बेंचमार्किंग सर्वे और इंडोनेशिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सर्वेक्षण 'जन जागरूकता स्तर माप' के साथ-साथ 'सम्यक् तत्परता कार्यान्वयन' पर प्रस्तुत किए गए। निगम की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 आईएडीआई के सदस्यों के बीच वितरित की गई और आईएडीआई से संबंधित संपर्क कार्यों में भाग लिया गया।

V.10.2 इथियोपियाई डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड द्वारा दौरा

नव स्थापित इथियोपियाई डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड (ईडीआईएफ़) के अनुरोध पर 07-08 नवंबर, 2023 के दौरान ईडीआईएफ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ईडीआईएफ के बोर्ड के अध्यक्ष जो नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया के उपाध्यक्ष भी हैं, के नेतृत्व में ईडीआईएफ के सात वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने निगम के कामकाज में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इसका दौरा किया।

V.11 लेखापरीक्षक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से मैसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट), को वर्ष 2023-24 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
निगम
मुंबई

18 जून 2024

डॉ. एम डी पात्र
अध्यक्ष

परिशिष्ट सारिणी 1: निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंक - स्थापना के बाद से प्रगति

वर्ष/अवधि	अवधि के प्रारंभ में	अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष/अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			अवधि के अंत में (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2023-24	2,026	1	24	6	30	1,997
2022-23	2,040	0	9	5	14	2,026
2021-22	2,058	3	11	10	21	2,040
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	*2,629
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 से 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 से 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 से 1975	83	544	0	16	16	611
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

*पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया।

परिशिष्ट सारिणी 2-ए: बीमाकृत बैंक - बैंक समूह-वार

वर्ष (मार्च माह की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्यिक बैंक	आरआरबी	एलएबी	सहकारी बैंक	कुल
2023-24	**95**	43	2	1,857	1,997
2022-23	94	43	2	1,887	2,026
2021-22	96	43	2	1,899	2,040
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067

आरआरबी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलएबी: स्थानीय क्षेत्रों के बैंक

परिशिष्ट सारिणी 2-बी: बीमाकृत सहकारी बैंक - राज्यवार (मार्च 2024 के अंत की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	शीर्ष	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	22	46	69
2.	असम	1	0	8	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1
4.	बिहार	1	23	4	28
5.	छत्तीसगढ़	1	6	12	19
6.	गोवा	1	0	4	5
7.	गुजरात	1	18	210	229
8.	हरियाणा	1	19	7	27
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	8
10.	झारखंड	1	1	1	3
11.	कर्नाटक	1	21	251	273
12.	केरल	1	1	58	60
13.	मध्य प्रदेश	1	38	47	86
14.	महाराष्ट्र	1	31	464	496
15.	मणिपुर	1	0	3	4
16.	मेघालय	1	0	3	4
17.	मिजोरम	1	0	1	2
18.	नागालैंड	1	0	0	1
19.	उड़ीसा	1	17	9	27
20.	पंजाब	1	20	4	25
21.	राजस्थान	1	29	34	64
22.	सिक्किम	1	0	1	2
23.	तमिलनाडु	1	24	128	153
24.	तेलंगाना	1	0	49	50
25.	त्रिपुरा	1	0	1	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	50	56	107
27.	उत्तराखंड	1	10	5	16
28.	पश्चिम बंगाल	1	17	42	60
सभी राज्य		**28**	**349**	**1,453**	**1,830**
संघशासित क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
2.	चंडीगढ़	1	0	0	1
3.	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
4.	एनसीटी दिल्ली	1	0	14	15
5.	पुडुचेरी	1	0	1	2
सभी संघशासित क्षेत्र		5	3	19	27
अखिल भारत		**33**	**352**	**1,472**	**1,857**

परिशिष्ट सारिणी 3: वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकृत / विपंजीकृत बैंक

क. पंजीकृत (1)

बैंक प्रकार	राज्य/श्रेणी	क्रम सं.	बैंक का नाम
वाणिज्यिक बैंक (1)	विदेशी बैंक	1	नोंगह्युप बैंक

ख. विपंजीकृत (30)

बैंक प्रकार	राज्य/श्रेणी	क्रम सं.	बैंक का नाम
सहकारी बैंक (30)	गुजरात (3)	1	बोटाद पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		2	सुविकास पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कालूपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक के साथ समामेलित)
		3	श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक
	कर्नाटक (5)	4	महालक्ष्मी सहकारी क्रेडिट बैंक लिमिटेड
		5	श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड
		6	श्री मल्लिकार्जुन पट्टना सहकारी बैंक नियमिता
		7	शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता
		8	हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	केरल (2)	9	अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड
		10	अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
	महाराष्ट्र (12)	11	मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		12	मराठा सहकारी बैंक लि. (कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र के साथ समामेलित)
		13	नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		14	साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड (कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र के साथ समामेलित)
		15	शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
		16	जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
		17	फैज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
		18	नासिक जिल्हा गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड
		19	आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित
		20	अकोला मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र के साथ समामेलित)
		21	हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड
		22	कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	राजस्थान (1)	23	सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	तमिलनाडू (1)	24	मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
	तेलंगाना (2)	25	नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड (राजधानी को-ऑप अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना के साथ समामेलित।)
		26	ट्विन सिटीज को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (क्रांति सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगाना के साथ समामेलित)
	उत्तर प्रदेश (4)	27	शहरी सहकारी बैंक [सीतापुर]
		28	नेशनल शहरी सहकारिता बैंक लिमिटेड [बहराइच]
		29	यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड [नगीना]
		30	लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

परिशिष्ट सारिणी 4: जमाराशि की सुरक्षा की सीमा : स्थापना के बाद से

दिनांक की स्थिति	पूर्णत: संरक्षित खातों की (संख्या करोड़ में)*	खातों की कुल संख्या (करोड़ में)	कुल खातों की तुलना में पूर्णत: संरक्षित खातों का %	बीमित जमाराशियाँ* (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	कुल जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-2024	283.3	289.8	97.8	94,10,674	2,18,23,481	43.1
31-03-2023	270.5	276.3	97.9	86,31,259	1,94,58,915	44.4
30-09-2022	267.5	273.1	97.9	83,89,470	1,81,14,550	46.3
30-09-2021	256.7	262.2	97.9	81,10,431	1,65,49,630	49.0
30-09-2020	247.8	252.6	98.1	76,21,251	1,49,67,770	50.9
30-09-2019	216.1	235.0	92.0	36,96,100	1,34,88,910	27.4
30-09-2018	200.0	217.4	92.0	33,70,000	1,20,05,100	28.1
30-09-2017	177.5	194.1	91.4	32,75,300	1,12,02,000	29.2
30-09-2016	173.7	188.5	92.1	30,50,900	1,03,53,100	29.5
30-09-2015	155.3	168.1	92.3	28,26,400	94,05,300	30.1
30-09-2014	134.5	145.6	92.3	26,06,794	84,75,154	30.8
30-09-2013	126.7	137.0	92.4	23,79,152	76,16,640	31.2
30-09-2012	139.3	148.2	94.0	21,58,365	66,21,060	32.6
30-09-2011	99.6	107.3	92.8	19,04,300	57,67,400	33.0
30-09-2010	97.7	105.2	92.9	17,35,800	49,52,427	35.1
30-09-2009	126.7	142.4	89.0	16,82,397	45,87,967	36.7
30-09-2008	120.4	134.9	89.3	19,08,951	33,98,565	56.2
30-09-2007	96.2	103.9	92.6	18,05,081	29,84,800	60.5
30-09-2006	68.3	71.7	95.3	13,72,597	23,44,351	58.5
30-09-2005	50.6	53.7	94.1	10,52,988	17,90,919	58.8
30-09-2004	62.0	65.0	95.4	9,91,365	16,19,815	61.2
27-06-2003	51.9	54.4	95.4	8,70,940	13,18,268	66.1
28-06-2002	57.8	60.0	96.3	8,28,885	12,13,163	68.3
29-06-2001	46.4	48.2	96.4	6,74,051	9,68,752	69.6
30-06-2000	43.2	44.6	96.9	5,72,434	8,06,260	71.0
25-06-1999	43.0	44.2	97.4	4,98,558	7,04,068	70.8
26-06-1998	45.4	46.4	97.9	4,39,609	6,09,962	72.1
27-06-1997	37.1	41.1	90.4	3,70,531	4,92,280	75.3
28-06-1996	42.7	43.5	98.2	3,37,671	4,50,674	74.9
30-06-1995	48.2	48.7	99.0	2,95,575	3,92,072	75.4
24-06-1994	49.6	49.9	99.2	2,66,747	3,64,058	73.3
25-06-1993	35.0	35.3	99.1	1,68,405	2,49,034	67.6
26-06-1992	34.0	35.4	95.8	1,64,527	2,44,375	67.3
28-06-1991	31.7	32.9	96.4	1,27,925	1,86,307	68.7
29-06-1990	29.8	30.9	96.5	1,09,316	1,56,892	69.7
29-12-1961	0.6	0.7	78.5	392	1,694	23.1

* खातों की संख्या, जनिमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹1,500, 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹5,000, 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹10,000, 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹20,000, 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹ 30,000 , 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 और 4 फरवरी 2020 के बाद से ₹5,00,000 से अधकि नहीं थीं।

टिप्पणी: 2009-10 से प्रदर्शित आँकड़े नए फार्मेट के अनुसार हैं।

2. 4 फरवरी, 2020 से जमा बीमा कवर ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया। चूंकि जमा बीमा रिटर्न डेटा 30 सितंबर, 2019 से संबंधित है, इसमें ₹3,00,000 से ऊपर की विस्तृत जानकारी नहीं थी, इसलिए वर्ष 2019-20 के लिए ₹5 लाख के जमा बीमा कवर के लिए बीमित जमा और पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या क्रमश: ₹68,71,500 करोड़ और 231 करोड़ होने का अनुमान है। परिणामस्वरूप, कुल खातों में पूरी तरह से संरक्षित खातों का अनुपात 92.0 प्रतिशत से बढ़कर 98.3 प्रतिशत हो गया है और कुल जमा में बीमित जमा का अनुपात भी 27.4 प्रतिशत से बदलकर 50.9 प्रतिशत हो गया है।

परिशिष्ट सारिणी 5: बैंक समूह-वार : बीमाकृत जमाराशियाँ

बैंक समूह	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹करोड़ में)	निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 मार्च 2024 के अनुसार (अनंतिम)				
I. **वाणिज्यिक बैंक** (i **से** vii)	**140**	**86,66,217**	**2,06,46,359**	**42.0**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	56,47,647	1,15,49,283	48.9
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	23,63,912	72,35,902	32.7
iii) विदेशी बैंक	44	50,568	10,08,505	5.0
iv) लघु वित्त बैंक	12	89,532	2,15,426	41.6
v) भुगतान बैंक	6	16,794	16,937	99.2
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,96,827	6,19,010	80.3
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	937	1,295	72.4
II. **सहकारी बैंक** (i **से** iii)	**1,857**	**7,44,457**	**11,77,122**	**63.2**
i) शहरी सहकारी बैंक	1,472	3,71,859	5,56,977	66.8
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	62,395	1,46,144	42.7
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	3,10,202	4,74,000	65.4
कुल (I+II)	**1,997**	**94,10,674**	**2,18,23,481**	**43.1**
31 मार्च 2023 के अनुसार				
I. **वाणिज्यिक बैंक** (i **से** vii)	**139**	**79,22,120**	**1,83,48,838**	**43.2**
i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12	52,20,324	1,05,07,639	49.7
ii) निजी क्षेत्र के बैंक	21	21,20,937	62,37,833	34.0
iii) विदेशी बैंक	43	50,037	8,62,909	5.8
iv) लघु वित्त बैंक	12	66,745	1,63,183	40.9
v) भुगतान बैंक	6	12,533	12,694	98.7
vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43	4,50,675	5,63,377	80.0
vii) स्थानीय क्षेत्र के बैंक	2	869	1,204	72.2
II. **सहकारी बैंक** (i **से** iii)	**1,887**	**7,09,139**	**11,10,076**	**63.9**
i) शहरी सहकारी बैंक	1,502	3,62,991	5,34,413	67.9
ii) राज्य सहकारी बैंक	33	64,041	1,46,931	43.6
iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	352	2,82,107	4,28,733	65.8
कुल (I+II)	**2,026**	**86,31,259**	**1,94,58,915**	**44.4**

टिप्पणी: 1) बीमित जमा राशि और निर्धारणीय जमाराशि के अनुपात का मिलान राउंड ऑफ के कारण नहीं हो सकता।

परिशिष्ट सारिणी 6: 2023-24 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे (परिसमाप्त/विलय किए गए बैंक)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	महाराष्ट्र दावे (11)			
1	सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड	मुख्य	20,157	10.36
2	नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	397	1.77
3	मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुख्य	3,120	10.10
4	सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	1,400	6.91
5	शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	44	0.40
6	सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	मुख्य	3,264	14.14
7	करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	631	1.58
8	रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	मुख्य	15,337	96.68
9	पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	467	3.29
10	बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड	मुख्य	1,381	7.71
11	कराड जनता एसबीएल	अनुपूरक	3,791	10.55
	ए. कुल (महाराष्ट्र – दावे)		**49,989**	**163.49**
	गुजरात (1)			
1	गुजरात इंडस्ट्रियल सीबीएल	अनुपूरक		5.42
	बी. कुल (गुजरात दावे)		**-**	**5.42**
	राजस्थान (2)			
1	अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	79	0.07
2	भीलवाड़ा महिला सीबीएल	अनुपूरक	376	0.39
	सी. कुल (राजस्थान दावे)		**455**	**0.46**
	गोवा (2)			
1	मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	423	2.85
2	मापुसा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	अनुपूरक	692	3.24
	डी. कुल (गोवा दावे)		**1,115**	**6.10**
	उत्तर प्रदेश (1)			
1	पीपुल्स सीबीएल	मुख्य	90	0.24
	ई. कुल (उत्तर प्रदेश दावे)		**90**	**0.24**
	कुल (ए+बी+सी+डी)		**51,649**	**175.71**

परिशिष्ट सारिणी 6ए: 2023-24 के दौरान निपटाए गए जमा बीमा दावे
[सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत बैंक]

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावा/ अनुपूरक दावा	जमाकर्ताओं की संख्या	दावा राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	महाराष्ट्र			
1	आदर्श महिला एनएसबीएल	मुख्य	9,177	186.37
2	अजंता यूसीबीएल	मुख्य	8,381	194.55
3	डिफेंस अकाउंट सीबीएल	मुख्य	756	9.85
4	फैज मर्केंटाइल सीबीएल	मुख्य	1,143	7.99
5	जयप्रकाश नारायण एनएसबीएल	अनुपूरक	144	1.69
6	नाशिक जिला गिरना एसबीएल	अनुपूरक	207	0.73
7	पुणे एसबीएल	मुख्य	23	0.40
8	राजापुर एसबीएल	मुख्य	1,037	16.09
9	सांगली एसबीएल	अनुपूरक	2,605	33.11
10	सावंतवाड़ी यूसीबीएल	मुख्य	3,871	24.57
11	शंकरराव मोहिते पाटिल एसबीएल	मुख्य	2,377	46.26
	कुल (महाराष्ट्र - 11 बैंक)		**29,721**	**521.61**
	कर्नाटक			
1	नेशनल सीबीएल	मुख्य	19,067	566.19
2	शिम्शा एसबीएन	मुख्य	2,563	11.85
3	श्री शारदा महिला सीबीएल	अनुपूरक	149	2.10
4	श्री गुरु राघवेंद्र एसबीएल	अनुपूरक	71	2.55
5	हिरियूर यूसीबीएल	मुख्य	379	2.18
	कुल (कर्नाटक – 5 बैंक)		**22,229**	**584.87**
	राजस्थान			
1	सुमेरपुर मर्केंटाइल यूसीबीएल	मुख्य	73	2.14
	कुल (राजस्थान - 1 बैंक)		**73**	**2.14**
	उत्तर प्रदेश			
1	बनारस मर्केंटाइल सीबीएल	मुख्य	538	4.25
2	एचसीबीएल सीबीएल	मुख्य	3,728	21.25
3	नेशनल मर्केंटाइल सीबीएल	मुख्य	82	1.46
4	पूर्वांचल सीबीएल	मुख्य	944	12.63
	कुल (उत्तर प्रदेश - 4 बैंक)		**5,292**	**39.59**
	केरल			
1	थोडुपुझा अर्बन सीबीएल	अनुपूरक	406	8.85
	कुल (केरल - 1 बैंक)		**406**	**8.85**
	गुजरात			
1	कलर मर्चेंट सीबीएल	मुख्य	658	13.94
2	श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल सीबीएल	मुख्य	1,928	24.07
	कुल (गुजरात - 2 बैंक)		**2,586**	**38.01**
	बिहार			
1	वैशाली शहरी विकास सीबीएल	मुख्य	5,319	56.28
	कुल (बिहार - 1 बैंक)		**5,319**	**56.28**
	पंजाब			
1	इंपीरियल यूसीबीएल	मुख्य	330	5.43
	कुल (पंजाब - 1 बैंक)		**330**	**5.43**
	तमिलनाडू			
1	मुसिरी यूसीबीएल	मुख्य	125	1.34
	कुल (तमिलनाडू - 1 बैंक)		**125**	**1.34**
	असम			
1	महाभैरब सीबीएल	मुख्य	436	3.09
	कुल (असम- 1 बैंक)		**436**	**3.09**
	कुल सभी राज्य (28 बैंक)		**66,517**	**1,261.21**

टिप्पणी: निगम को ₹5.39 करोड़ का रिफंड प्राप्त हुआ जो डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18ए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे बैंकों के पंजीकरण रद्द किए जाने के समय यह राशि अवितरित पड़ी थी।

परिशिष्ट सारिणी 7: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	विपंजीकरण की तारीख	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
क	**10 वर्ष और अधिक**		
	-	-	-
	कुल (क)	-	-
ख	**5 वर्ष और अधिक परंतु 10 वर्ष से कम**		
	-	-	-
	कुल (ख)	-	-
ग	**1 वर्ष और अधिक परंतु 5 वर्ष से कम**		
1	24 दिसंबर 2020	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक (यू/एल)*	7.75
2	11 जनवरी 2021	यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यू/एल) बगनान, पबं#	2.23
3	3 फरवरी 2022	इंडिपेंडेंस सीबीएल (यू/एल)	2.70
4	8 जून 2022	मुधोल सीबीएल	5.20
5	18 जून 2022	मिलथ सीबीएल	3.54
6	7 जुलाई 2022	श्री आनंद सीबीएल	5.45
7	18 अगस्त 2022	डेक्कन यूसीबीएल	3.13
8	22 सितंबर 2022	लक्ष्मी सीबीएल	16.69
	कुल (ग)	**(8 बैंक)**	**46.69**
घ	**1 वर्ष से कम**		
1	11 जुलाई 2023	हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड	4.55
2	12 जनवरी 2024	श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल सीबीएल	18.58
	कुल (घ)	**(2 बैंक)**	**23.13**
कुल योग (क+ख+ग+घ)		**(10 बैंक)**	**69.82**

*31 मार्च, 2023 तक परिसमापक की नियुक्ति नहीं की गई। मामला न्यायाधीन है ।

परिसमापक से दावा सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है

परिशिष्ट सारिणी 7ए: आकस्मिक देयता के अंतर्गत किया गया प्रावधान – एआईडी के तहत बैंक (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	बैंक का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	अजंता अर्बन को-ऑप बैंक मर्यादित	178.61
2	नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	112.76
3	सांगली एसबीएल, मुंबई	48.11
4	पूर्वांचल को-ऑप बैंक लिमिटेड	25.15
5	आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित	23.08
6	महाभैरब सीबीएल	18.40
7	श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑप बैंक लिमिटेड	17.74
8	कलर मर्चेंट्स को-ऑप बैंक लिमिटेड	14.95
9	द राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड	9.67
10	शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड	9.08
11	रक्षा लेखा सहकारी बैंक लिमिटेड	6.62
12	सुमेरपुर मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड	6.08
13	साईबाबा जनता एसबीएल	5.56
14	वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक लिमिटेड	4.75
15	जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमतनगर	4.61
16	श्री मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियमिता	4.15
17	नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	4.14
18	एचसीबीएल सहकारी बैंक लिमिटेड	3.96
19	नासिक जिला गिरना एसबीएल	3.74
20	फैज़ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.43
21	बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	3.19
22	सावंतवाड़ी यूसीबीएल	2.98
23	श्री शारदा महिला सीबीएल	2.21
24	द हिरियुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	1.19
25	शिम्शा सहकारा बैंक नियामिथा	1.16
26	मुसिरी अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड	0.35
कुल		**515.66**

परिशिष्ट सारिणी 8: निपटाए गए बीमा दावे तथा प्राप्त चुकौतियाँ - 31 मार्च 2024 तक परिसमापित/समामेलित/पुनर्निर्मित सभी बैंक

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
I	**वाणिज्यिक बैंक**					
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (क)					
	1 बैंक ऑफ चायना, कोलकाता (1963)			925.00	925.00	-
	2 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*			704.06	704.06	-
	3 लेतीं क्रिश्चयन बैंक लि.,एर्णाकुलम (1964)*			208.50	208.50	-
	4 श्री जड़ेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965)*			11.51	11.51	-
	5 बैंक ऑफ बेहार लि., पटना (1970)*			4,631.66	4,631.66	-
	6 नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लि., दिल्ली (1970)*			968.92	968.92	-
	7 बैंक ऑफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन (1986)*			116,278.09	116,278.46	(0.38)
	8 मिराज स्टेट बैंक लि., मिराज (1987)*			14,659.08	14,659.08	-
	9 बैंक ऑफ कराड़ लि.,मुंबई (1992)			370,000.00	370,000.00	-
	कुल 'क'			**5,08,386.80**	**5,08,387.18**	**(0.38)**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ख)					
	10 यूनिटी बैंक लि., चेन्नई (1963)*			253.35	137.79 (115.56)	-
	11 बैंक ऑफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*			27.60	18.07 (9.53)	-
	12 उन्नाव कमर्शियल बैंक लि.,उन्नाव (1964)*			108.08	31.32 (76.76)	-
	13 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*			880.08	441.55 (438.53)	-
	14 सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*			734.28	372.93 (361.35)	-
	15 हबीब बैंक लि.,मुंबई (1966)*			1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	16 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*			99.26	88.12 (11.13)	-
	17 चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*			18.28	14.55 (3.74)	-
	18 लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बैंगलोर (1985)*			334,062.25	91,358.30 (242,703.95)	-
	19 परूर सेंट्रल बैंक लि., नॉर्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*			26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	20 यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता (1990)*			350,150.63	32,631.51	-
					(317,519.12)	
	21 ट्रेडर्स बैंक लि.,दिल्ली (1990)*			30,633.77	27,382.20	-
					(3,251.57)	
	22 पूर्बांचल बैंक लि.,गुवाहाटी (1990)*			72,577.39	14,057.91	-
					(58,519.48)	
	कुल 'ख'			**8,17,291.74**	**1,91,403.91**	-
				(6,25,887.83)		
	iii)**आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (सी)**					
	23 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि.,दिल्ली (1988)*			219,167.10	105,374.96	113,792.14
	24 बैंक ऑफ तंजावुर लि.,तंजावुर, तमिलनाडु (1990)*			107,836.01	103,755.98	4,080.04
	25 बैंक ऑफ तमिलनाड लि., तिरूनेलवेली, तमिलनाडु (1990)*			76,449.75	75,897.32	552.43
	26 सिक्किम बैंक लि., गैंगटोक (2000)*			172,956.25	-	172,956.25
	27 बनारस स्टेट बैंक लि., उत्तर प्रदेश (2002)*			1,056,442.08	590,557.14	465,884.94
	कुल 'ग'			**16,32,851.19**	**8,75,585.40**	**7,57,265.80**
	कुल (क+ख+ग)			**29,58,529.73**	**15,75,376.48**	**7,57,265.42**
				(6,25,887.83)		
II	**कोऑपरेटिव बैंक**					
	i) पूर्ण चुकौती प्राप्त हुई (घ)					
	1 बॉम्बे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1976)			573.33	573.33	-
	2 मालवण कोऑपरेटिव बैंक लि., मालवण (1977)			184.00	184.00	-
	3 बॉम्बे पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1978)			1,072.00	1,072.00	-
	4 रामदुर्ग अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)			218.99	244.99	(26.00)
	5 दाधीच सहकारी बैंक लि.,मुंबई (1984)			1,837.46	1,837.46	-
	6 कुर्डूवाड़ी मर्चेंट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (1986)*			484.89	484.89	-
	7 मेट्रोपॉलीटन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1992)			12,500.00	12,500.00	-
	8 हिंदूपुर कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1996)			121.97	121.97	-
	9 बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली , कर्नाटक (1996)			2,413.42	2,413.43	(0.00)
	10 धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)^			915.79	915.79	-
	11 त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि.,पुणे, महाराष्ट्र (1999)			28,556.47	28,556.47	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	12 इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)			5,068.09	5,068.09	-
	13 माधवपुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2001,2013@)#	3,160	2/5/2013	4,015,185.54	4,015,185.54	-
	14 श्री लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव अर्बन बैंक , (विपंजीकृत), आंध्र प्रदेश (2002)			7,821.24	7,821.24	-
	15 दी वीरावल रत्नाकर कोऑपरेटिव बैंक लि., (विपंजीकृत), गुजरात (2002)			26,553.64	26,553.64	-
	16 निज़ामाबाद कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			11,289.66	11,289.66	-
	17 कुरनूल अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			47,432.57	47,432.57	-
	18 श्री भाग्यलक्ष्मी ऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			34,033.48	34,033.48	-
	19 अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)			33,329.35	33,331.32	(1.97)
	20 थेनी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तमिलनाडु (2003)			33,177.94	33,177.94	-
	21 अहमदाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			37,343.88	37,343.88	-
	22 दी जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,अहमदाबाद, गुजरात (2003)			41,281.62	41,281.62	-
	23 पीथमपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			7,697.97	7,697.97	-
	24 पालना सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)			22,952.19	22,952.19	-
	25 चारोत्तर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)			2,065,143.58	2,065,143.58	-
	26 सोलापुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			30,697.47	30,697.47	-
	27 वसुंधरा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,आंध्र प्रदेश (2005)			629.80	629.80	-
	28 श्री गंगानगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)^			4,787.55	4,787.55	(0.00)
	29 क्लासिक कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			5,725.86	5,725.86	-
	30 मातृ नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			30,892.41	30,901.60	(9.20)
	31 डायमण्ड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)^			606,403.31	606,403.31	-
	32 प्रगति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			130,437.03	130,437.03	-
	33 उजवर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			15,706.37	15,706.37	-
	34 दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)			18,999.84	18,999.84	-
	35 पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			24,741.48	24,741.48	-
	36 महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2006)		20/6/2006	304,703.46	304,703.46	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	37 मदुरई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., तमिलनाडु (2006)^		01/08/2006	257,956.99	257,956.99	-
	38 कावेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ., बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		23/10/2006	4,846.70	4,846.70	-
	39 बड़ोदा मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		06/11/2006	12,825.48	12,825.48	-
	40 धनसुरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		18/12/2006	58,798.44	58,811.81	(13.36)
	41 प्रूडेंशियल कोऑपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2007)		22/01/2007	755,959.06	755,959.06	-
	42 श्रीराम सहकारी बैंक लि. नासिक, महाराष्ट्र (2007)		24/04/2007	323,215.02	323,215.02	-
	43 यशवंत सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2007)		11/05/2007	5,938.96	5,938.96	-
	44 श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)			11,238.00	11,238.00	-
	45 आनंद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	3,793	22/01/2008	184,558.65	184,558.65	-
	46 चेतक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)^	7,240	17/04/2008	7,442.90	7,442.90	-
	47 मराठा कोऑपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	30,483	01/09/2008	185,521.69	185,521.69	-
	48 इचालकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	2,602	27/10/2008	24,167.12	24,167.12	-
	49 जय लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि.,दिल्ली (2008)^	16,467		1,242.00	1,242.00	-
	50 श्री बी.जे. खटल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	11,542	09/03/2009	79,008.26	79,008.26	-
	51 श्री वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक लि.,भावनगर , गुजरात (2009)	13,521	02/07/2009	51,821.99	51,821.99	-
	52 श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)^	1,892	24/09/2009	20,818.79	20,818.79	-
	53 चालिसगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	21,503	03/11/2009	300,915.66	300,915.66	-
	54 दी हलियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,684	10/12/2009	43,375.25	43,375.25	-
	55 फ़ैज़पुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	2,803	17/12/2009	33,463.64	33,463.64	-
	56 प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	11,446	09/04/2010	70,182.85	70,182.85	-
	57 सिटिज़न कोऑपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर , मध्य प्रदेश (2010)	27,123		232,261.93	232,261.93	-
	58 कुपवाड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	12,948	24/11/2010	114,105.43	114,105.43	-
	59 राहूरी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	13,833	09/12/2010	167,648.97	167,648.97	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	60 श्री चामराजा कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	174	14/03/2011	179.27	179.27	-
	61 चोपड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	10,264	10/02/2012	71,269.83	71,269.83	-
	62 श्री बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)^	927	08/06/2012	9,476.72	9,476.72	-
	63 मेमन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)*	85,990		237,520.12	237,520.12	-
	64 भूसावल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	12,203	23/11/2012	101,677.83	101,677.83	-
	65 कृष्णा वेली कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2013)	1,213	04/02/2013	16,993.25	16,993.25	-
	66 अभिनव सहकारी बैंक लि. (2013)	12,452	16/09/2013	25,343.98	25,343.98	-
	67 वीरशैव कोऑपरेटिव बैंक लि. (2014)	40,373		727,615.26	727,615.26	-
	68 श्री सिद्धिविनायक नागरी सहकारी बैंक लि. (2014)	20,401	28/10/2014	157,616.06	157,616.06	-
	69 दी कोंकण प्रांत सहकारी बैंक लि. (2015)&	28,759	12/02/2015	301,759.34	301,759.34	-
	70 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., तेलंगाना (2015)	42,825	25/05/2015	119,188.84	119,188.84	-
	71 म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद (2015)&	29,343	25/05/2015	156,382.66	156,382.66	-
	72 वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक , राजस्थान (2015)	3,191	12/10/2015	41,382.47	41,382.47	-
	73 द मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2014), धुले, महाराष्ट्र (एमएच 121) (2016)	11,822	26/12/2016	55,921.12	55,921.12	-
	74 श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	6,592	08/08/2017	21,888.06	21,888.60	(0.54)
	75 विठ्ठल नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड लातूर, महाराष्ट्र (2017)	10,912	04/09/2017	39,755.90	39,774.48	(18.59)
	76 जामखेड़ मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (2020)	6,119	24/08/2018	52,055.23	52,572.52	(517.29)
	77 मिर्जापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मिर्जापुर (2018)&	15,188	23/05/2018	71,639.96	71,639.96	-
	78 दी अर्बन सीबीएल, भुवनेश्वर, ओडिशा (2018) &	6,446	15/04/2018	151,659.37	151,659.37	-
	कुल 'घ'			**12,917,552.73**	**12,918.139.67**	**(586.95)**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई (ड.)					
	79 घाटकोपर जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई (1977)			276.50	- (276.50)	-
	80 आरे मिल्क कॉलोनी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,मुंबई (1978)			60.31	- (60.31)	-
	81 रत्नागिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी, महाराष्ट्र (1978)*			4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	82 भद्रावती टाउन कोऑपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)			26.10	- (26.10)	-
	83 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, जलगांव, महाराष्ट्र (2000)			5,398.65	1,100.00 (4,298.65)	-
	84 "सोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2000)"			27,494.76	17,600.00 (9,894.76)	
	85 अहिल्यादेवी महिला नागरिक सहकारी, कलमनूरी, महाराष्ट्र (2001)			1,696.09	0.24 (1,695.85)	-
	86 लातूर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)			3,048.95	302.00 (2,746.95)	-
	87 आरमूर कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			708.44	527.64 (180.80)	-
	88 दी नीलगिरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
	89 सेवालाल अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड, मंडरूप, महाराष्ट्र (2008)	678	27/02/2008	666.32	- (666.32)	-
	कुल 'ड.'			**46,133.20**	**21,336.01**	**-**
				(24,797.18)		
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई (च)					
	90 विश्वकर्मा कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*			1,156.70	604.14	552.56
	91 प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*			701.51	412.14	289.37
	92 कलाविहार कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1979)*			1,317.25	335.53	981.72
	93 वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लि., बैंगलोर, कर्नाटक (1982)*			9,130.83	1,294.66	7,836.17
	94 कोल्लूर पार्वती कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर, आंध्र प्रदेश (1985)			1,395.93	707.86	688.08
	95 आदर्श कोऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)			274.30	65.50	208.80
	96 गडग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)			2,285.04	1,341.05	943.99
	97 मनिहाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)			961.85	227.60	734.25

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	98 हिन्द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश (1988)			1,095.23	-	1,095.23
	99 येल्लम्मनचिल्ली कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (1990)			436.10	51.62	384.48
	100 वसावी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुर्ज़ाला, आंध्र प्रदेश (1991)			388.82	48.56	340.26
	101 कुंदरा कोऑपरेटिव बैंक लि., केरला (1991)			1,736.62	963.02	773.59
	102 मनोली श्री पंचलिंगेश्वर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., कर्नाटक (1991)			1,744.13	1,139.44	604.69
	103 सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि.,बड़ोदा, गुजरात (1991)			7,485.62	1,944.01	5,541.60
	104 बेलगाम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*			3,710.54	273.78	3,436.76
	105 भिलोदा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)			1,983.68	103.04	1,880.64
	106 सिटिज़ेनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर, मध्य प्रदेश (1994)			22,020.57	2,227.77	19,792.80
	107 चेतना कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1995)			87,548.52	758.00	86,790.52
	108 पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)			36,545.52	29,279.79	7,265.73
	109 स्वस्तिक जनता कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1998)			22,662.97	7,300.00	15,362.97
	110 कोल्हापूर जिल्हा जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई, महाराष्ट्र (1998)			80,117.45	-	80,117.45
	111 दादर जनता सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)			51,803.37	49,313.08	2,490.29
	112 विंकार सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (1999)			18,067.90	14,148.71	3,919.19
	113 आवामी मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)			46,239.88	5,500.00	40,739.88
	114 रविकिरण अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)			62,293.89	260.58	62,033.31
	115 गुदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)			6,736.99	964.46	5,772.53
	116 अन्नाकपाले कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2000)			2,447.07	137.15	2,309.92
	117 इंदिरा सहकारी बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2000)			157,012.94	59,783.98	97,228.95
	118 नांदगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)			2,242.01	-	2,242.01

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	119 दी सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)			2,017.30	-	2,017.30
	120 नागरिक सहकारी बैंक लि. सागर,मध्य प्रदेश (2001)			7,013.59	1,000.00	6,013.59
	121 इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)			21,862.77	465.72	21,397.05
	122 नागरिक कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर,मध्य प्रदेश (2001)			26,135.83	15,704.50	10,431.33
	123 परिषद कोऑपरेटिव बैंक लि, नई दिल्ली (2001)			3,946.61	3,939.70	6.91
	124 कृषि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (2001)			232,429.22	73,116.30	159,312.92
	125 सहयोग कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			30,168.26	12,765.43	17,402.83
	126 जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि., (विपंजीकृत),मध्य प्रदेश (2002)			19,486.49	15,071.90	4,414.59
	127 श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			140,667.57	62,046.41	78,621.16
	128 मराठा मार्केट पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)			37,959.73	0.01	37,959.73
	129 फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2002)			48,456.66	147.03	48,309.63
	130 भाग्यनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. विपंजीकृत, आंध्र प्रदेश (2002)			9,697.12	9,363.62	333.50
	131 अस्का कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)			7,032.61	3.32	7,029.29
	132 श्री वीरावाल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक (विपंजीकृत), गुजरात (2002)			25,866.18	8,400.00	17,466.18
	133 श्रव्य कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2002)			74,426.82	2,421.29	72,005.53
	134 मजूर सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)			14,779.44	427.30	14,352.14
	135 मीरा भायंदर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)			22,448.41	4.16	22,444.25
	136 श्री लाभ कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2003)			47,507.25	342.72	47,164.53
	137 खेड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			46,368.34	1,028.84	45,339.50
	138 जनता सहकारी बैंक मर्यादित.,देवास,मध्य प्रदेश (2003)			71,741.71	68,141.14	3,600.57
	139 दी मेगासिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			16,197.58	14,678.15	1,519.43
	140 यमुना नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)			30,046.64	3,099.50	26,947.14

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	141 प्रजा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			9,254.48	8,614.31	640.17
	142 चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)#			14,32,344.30	9,53,695.05	4,78,649.26
	143 राजमपेट कोऑपरेटिव टाउन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			16,345.12	7,760.00	8,585.12
	144 आर्यन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			46,781.03	43,649.54	3,131.50
	145 दी फर्स्ट सिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			12,873.23	11,243.66	1,629.57
	146 कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			48,880.14	47.91	48,832.23
	147 दी मंदसौर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि.,मध्य प्रदेश (2003)			141,139.81	140,798.15	341.65
	148 मदर टेरेसा हैदराबाद कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ., आंध्र प्रदेश (2003)			57,245.59	9,702.80	47,542.79
	149 धन कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			23,855.34	-	23,855.34
	150 दी स्टार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			2,626.79	-	2,626.79
	151 मणिकान्त कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2003)			21,677.67	17,300.00	4,377.67
	152 भावनगर वेल्फेयर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			35,508.21	19,126.44	16,381.77
	153 नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)			22,272.99	3,038.47	19,234.52
	154 श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)			42,971.17	40,729.41	2,241.76
	155 संतराम कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)			115,872.42	27,318.21	88,554.21
	156 नायक मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)			25,531.20	-	25,531.20
	157 जनरल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)			715,200.69	490,756.90	224,443.79
	158 वेस्टर्न कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2004)			44,086.21	82.94	44,003.27
	159 प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)			34,192.33	28,048.87	6,143.46
	160 विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.,गुजरात (2004)			3,846,162.46	3,362,919.04	483,243.42
	161 नरसरावपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)			1,794.45	164.60	1,629.85
	162 भंजनगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., उड़ीसा (2004)			9,799.51	-	9,799.51
	163 दी साई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2004)			10,170.18	9,470.18	700.00
	164 दी कल्याण कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			13,509.83	4,423.72	9,086.10

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	165 ट्रिनिटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			19,306.12	6,600.08	12,706.04
	166 गुलबर्ग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)			25,441.21	3,343.11	22,098.10
	167 विजया कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			12,224.74	11,904.01	320.73
	168 श्री सत्यसाई कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			7,387.17	2,007.17	5,380.00
	169 सितारा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)			3,741.01	4.74	3,736.27
	170 महालक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2005)			41,999.65	394.91	41,604.74
	171 माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि.,अकोला, महाराष्ट्र (2005)			13,351.57	4,512.55	8,839.02
	172 पारतुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			15,836.61	519.61	15,317.00
	173 सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक , महाराष्ट्र (2005)			107,561.91	24,465.92	83,095.99
	174 बड़ोदा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			584,048.60	438,291.88	145,756.72
	175 दी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उमरेठ लि., गुजरात (2005)			49,437.88	34,002.75	15,435.13
	176 श्री पाटनी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			86,530.52	84,206.52	2,324.00
	177 साबरमति कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			318,925.24	247,133.24	71,792.00
	178 पेटलाद कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			74,035.72	66,870.29	7,165.43
	179 नाड़ियाद मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			299,340.86	67,849.32	231,491.54
	180 श्री विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			223,150.28	71,681.19	151,469.08
	181 टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			53,755.25	43,070.74	10,684.52
	182 सुनाव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)			17,573.42	729.55	16,843.88
	183 संसकारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश (2005)			3,031.51	0.24	3,031.27
	184 सिटिज़ेन कोऑपरेटिव बैंक लि., दमोह, मध्य प्रदेश (2005)			8,501.09	3.72	8,497.37
	185 बेल्लमपल्लि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2005)			7,503.14	1,022.80	6,480.34
	186 श्री विठ्ठल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			80,214.81	21,649.74	58,565.07
	187 सूर्यपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			579,896.95	55,781.74	524,115.21
	188 श्री सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			10,898.73	190.09	10,708.63

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	188 रघुवंशी कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2005)			120,659.85	103.13	120,556.72
	190 औरंगाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)			29,932.80	14,588.49	15,344.31
	191 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.टिहरी, उत्तरांचल (2005)			16,479.04	3,414.34	13,064.69
	192 श्रीनाथजी कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)			40,828.18	10,038.93	30,789.25
	193 दी सेंचूरी कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		08/05/2006	67,739.63	25,933.48	41,806.15
	194 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि.,रायगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)		15/05/2006	181,637.44	27,645.01	153,992.43
	195 मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		16/05/2006	65,053.51	0.38	65,053.14
	196 नवसारी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		16/05/2006	301,592.15	208,852.62	92,739.53
	197 सेठ भगवानदास बी.श्रोफ बलसार पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., वलसाड, गुजरात (2006)		08/06/2006	266,452.45	181,014.17	85,438.28
	198 मित्र मण्डल सहकारी बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2006)		20/06/2006	145,661.51	138,913.27	6,748.24
	199 छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2006)		21/07/2006	82,529.98	3.29	82,526.70
	200 श्री वीतरग कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		17/08/2006	92,989.37	1,791.86	91,197.50
	201 श्री स्वामीनारायण कोऑपरेटिव बैंक लि., वड़ोदरा , गुजरात (2006)		17/08/2006	434,251.94	347,993.29	86,258.66
	202 जनता कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		17/08/2006	323,292.67	223,629.70	99,662.97
	203 नटपुर कोऑपरेटिव बैंक लि., नाड़ियाद, गुजरात (2006)		17/08/2006	552,716.70	240,866.92	311,849.78
	204 मेट्रो कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)		17/08/2006	120,686.51	6,314.48	114,372.03
	205 दी रॉयल कोऑपरेटिव बैंक लि., सूरत,गुजरात (2006)		31/08/2006	91,577.38	1,216.11	90,361.26
	206 जय हिन्द कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2006)		02/08/2006	118,895.88	108,619.17	10,276.71
	207 कर्नाटक कॉन्ट्रेक्टरस सहकारी बैंक नियमित्त, बैंगलोर, कर्नाटक (2006)		21/09/2006	29,757.64	6,157.56	23,600.09
	208 आनंद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)		11/09/2006	371,586.77	226,086.25	145,500.52
	209 कोटागिर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,तमिलनाडु (2006)		11/09/2006	25,021.00	12,796.46	12,224.54
	210 दी रिलीफ़ मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2006)		16/10/2006	11,614.90	4,767.09	6,847.81

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	211 दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)		26/09/2006	165,896.38	118,683.34	47,213.04
	212 समस्त नगर कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)		27/12/2006	116,051.52	26,444.24	89,607.27
	213 लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)		25/01/2007	6,606.11	1,702.99	4,903.12
	214 नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम,मध्य प्रदेश (2007)		12/02/2007	20,393.50	21.68	20,371.83
	215 सिंध मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		23/04/2007	103,903.73	52,449.78	51,453.95
	216 परभणी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)		27/04/2007	367,807.52	227,393.79	140,413.73
	217 पूर्णा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र (2007)		09/05/2007	47,576.03	17,844.29	29,731.74
	218 दी कनयका परमेश्वरी म्यूच्युली एडेड सीयूबीएल, कुक्कटपल्ली, आंध्र प्रदेश (2007)		21/05/2007	29,749.48	3,086.43	26,663.05
	219 महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोन,मध्य प्रदेश (2007)		25/05/2007	4,305.77	447.10	3,858.67
	220 करमसड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., आनंद, गुजरात (2007)		28/05/2007	124,758.68	118,066.31	6,692.37
	221 भारत मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद , आंध्र प्रदेश (2007)		06/06/2007	31,232.28	4,165.30	27,066.99
	222 लॉर्ड बालाजी कोऑपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)		13/06/2007	27,287.76	579.65	26,708.11
	223 वसुंधरम महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., वारंगल, आंध्र प्रदेश (2007)		23/07/2007	2,304.21	5.61	2,298.60
	224 बेगूसराय अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लि.,बिहार (2007)		24/07/2007	5,937.89	2.88	5,935.01
	225 दतिया नागरिक सहकारी बैंक .,मध्य प्रदेश (2007)		13/08/2007	1,486.00	0.67	1,485.33
	226 आदर्श महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)		23/08/2007	12,974.81	5,746.71	7,228.11
	227 उमरेठ पीपुल्स कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., गुजरात (2007)		04/09/2007	22,078.93	3,562.98	18,515.95
	228 सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., वीसनगर, गुजरात (2007)		11/09/2007	160,286.13	75,518.98	84,767.15
	229 श्री कोऑपरेटिव बैंक लि., इन्दौर,मध्य प्रदेश (2007)		25/09/2007	2,476.52	78.08	2,398.43
	230 ओणेक ओबावा महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)		19/10/2007	54,847.11	4,189.25	50,657.86
	231 दी विकास कोऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)		27/12/2007	10,262.36	7,842.79	2,419.57
	232 राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,600	05/02/2008	68,218.16	28,525.83	39,692.33

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	233 नगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., असम (2008)	12,804	03/04/2008	6,130.96	2.24	6,128.72
	234 सर्वोदय महिला कोऑपरेटिव बैंक लि.,बुरहानपुर, मध्य प्रदेश (2008)	4,117	09/04/2008	8,391.32	1,413.55	6,977.77
	235 बसावाकल्याण पट्टाना सहकारी बैंक लि.,बसागंज, कर्नाटक (2008)	1,787	29/04/2008	2,673.13	182.42	2,490.71
	236 इण्डियन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि., मेरठ,उत्तर प्रदेश (2008)	10,418	09/05/2008	38,553.70	330.02	38,223.67
	237 तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	5,718	29/05/2008	24,522.91	2,559.37	21,963.53
	238 चल्लाकेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	5,718	16/06/2008	32,641.34	355.91	32,285.43
	239 डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	1,865	09/07/2008	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	240 जिला सहकारी बैंक लि., गोण्डा,उत्तर प्रदेश (2008)	67,098	25/08/2008	454,367.84	3,255.92	451,111.91
	241 श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,राधानपुर, गुजरात (2008)	8,841	01/09/2008	47,517.84	15,770.87	31,746.97
	242 परिवर्तन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2008)	11,350	01/09/2008	184,735.21	41,653.68	143,081.53
	243 इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला नागरिक बैंक लि., रायपुर , छत्तीसगढ़ (2008)	20,793	09/09/2008	164,573.59	34,173.51	130,400.08
	244 कित्तूर रानी चेन्नमा महिला पट्टाना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	6,499	10/11/2008	22,849.90	10,946.41	11,903.49
	245 भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	12,779	12/11/2008	99,668.73	67,422.95	32,245.78
	246 रवि कोऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	25,627	04/02/2009	169,225.78	38,581.19	130,644.59
	247 श्री बालासाहेब सतभई मर्चेण्ट्स कोऑपरेटिव बैंक लि., कोपेरगांव, महाराष्ट्र	16,723	22/09/2008	268,254.02	235,071.10	33,182.92
	248 हरूगेरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	5,605	13/01/2009	36,446.49	4,441.56	32,004.93
	249 वरद कोऑपरेटिव बैंक लि., हवेरी ,करजगी, कर्नाटक (2009)	2,613	28/01/2009	25,242.02	12,395.14	12,846.88
	250 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,सिद्धपुर, कर्नाटक (2009)	19,141	24/02/2009	112,933.28	56,563.28	56,370.00
	251 श्री कलमेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., होले - अलूर, कर्नाटक (2009)	3,256	23/03/2009	25,288.48	16,701.67	8,586.81
	252 दी लक्ष्मेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	8,512	23/03/2009	67,660.45	66,092.12	1,568.33
	253 प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., लातूर,महाराष्ट्र (2009)	11,129	23/03/2009	65,792.83	36,584.83	29,208.00
	254 श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगीश्वर महिला कोऑपरेटिव बैंक लि., पुत्तूर, आंध्र प्रदेश	679	25/03/2009	3,625.81	1,401.20	2,224.61

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	255 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (2009)	3,225	31/03/2009	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	256 फिरोज़ाबाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उत्तर प्रदेश (2009)	514	31/03/2009	4,015.07	7.16	4,007.91
	257 सिद्धपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	8,512	27/05/2009	37,184.46	2,612.38	34,572.07
	258 नूतन सहकारी बैंक लि., बड़ोदा, गुजरात (2009)	21,603	08/06/2009	128,916.02	66,576.93	62,339.09
	259 भावनगर मर्कन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	35,466	24/06/2009	374,582.84	321,003.72	53,579.12
	260 संत जनबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गंगाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	16,092	26/06/2009	101,964.31	35,540.70	66,423.61
	261 श्री एस.के.पाटिल कोऑपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	9,658	26/06/2009	133,059.30	6,988.16	126,071.14
	262 ध्यानोपासक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,परभणी, महाराष्ट्र (2009)	4,746	09/07/2009	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	263 अचेलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	4,641	22/07/2009	53,127.98	32,959.23	20,168.75
	264 रोहे अष्टमी सहकारी अर्बन बैंक लि.,रोहे, महाराष्ट्र (2009)	38,913	14/08/2009	370,674.45	73,841.14	296,833.31
	265 साउथ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2009)*	56,817	21/08/2009	359,787.81	82,709.49	277,078.32
	266 अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	26,368	25/08/2009	238,318.86	221,485.48	16,833.38
	267 अजीत कोऑपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	26,286	22/10/2009	292,978.03	142,336.14	150,641.88
	268 हीरेकरूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	16,539	22/10/2009	137,345.44	132,644.11	4,701.33
	269 श्री पी.के.अण्णा पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नांदुरबार , महाराष्ट्र (2009)	67,791	26/10/2009	566,073.61	35,915.99	530,157.62
	270 दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खण्डवा, मध्य प्रदेश (2009)	15,453	12/11/2009	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	271 सुवर्णा नागरिक सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	3,923	24/11/2009	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	272 वसंतदादा शेतकारी सहकारी बैंक लि., सांगली , महाराष्ट्र (2009)	141,317	25/11/2009	1,672,059.89	1,545,360.12	126,699.78
	273 मिराज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	32,764	16/09/2009	420,307.60	399,698.93	20,608.67
	274 डेल्टनगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	23,933	07/01/2010	93,927.24	102.33	93,824.91
	275 इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	14,598	28/01/2010	125,438.26	94,084.87	31,353.39
	276 दी आकोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	18,352	03/02/2010	144,067.26	106,944.96	37,122.30

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	277 गोरेगांव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,मुंबई , महाराष्ट्र (2010)	43,934	19/02/2010	436,184.64	111,422.59	324,762.05
	278 अनुभव कोऑपरेटिव बैंक लि., बसावकल्याण , कर्नाटक (2010)	10,590	24/02/2010	8,748.57	16.32	8,732.25
	279 यशवंत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	9,082	19/03/2010	116,808.19	56,224.93	60,583.27
	280 सुरेन्द्रनगर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	56,769	13/04/2010	487,115.50	281,832.12	205,283.38
	281 बेल्लाट्टी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	56	23/04/2010	58.72	0.74	57.98
	282 श्री परोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	5,289	19/05/2010	51,243.07	15,721.26	35,521.81
	283 साधना कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	3,386	17/06/2010	15,629.02	7,315.61	8,313.41
	284 प्राइमेरी टीचर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	3,710	25/06/2010	64,921.83	7,781.14	57,140.69
	285 श्री कामदार सहकारी बैंक लि.,भावनगर , गुजरात, (2010)	14,263	05/07/2010	54,165.54	163.45	54,002.09
	286 यशवंत सहकारी बैंक लि.,मिराज , महाराष्ट्र , (2010)	21,235	11/05/2007	115,186.90	114,638.37	548.53
	287 अर्बन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि., असम, (2010)	2,400	22/07/2010	4,314.54	10.00	4,304.54
	288 अहमदाबाद पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	36,652	09/08/2010	448,117.96	345,556.71	102,561.25
	289 सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात, (2010)	44,393	13/08/2010	260,370.86	106,147.10	154,223.76
	290 काटकोल कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक , (2010)	39,912	30/08/2010	146,202.60	56,086.60	90,116.00
	291 श्री सिननार व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	35,219	09/09/2010	403,741.10	363,859.76	39,881.34
	292 नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	54,036	15/09/2010	476,606.19	309,031.48	167,574.71
	293 राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	3,424	27/09/2010	25,845.79	20,063.13	5,782.66
	294 बहदारपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	4,866	08/10/2010	49,312.44	34,052.04	15,260.39
	295 श्री संपीज सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक , कर्नाटक , (2010)	3,479	15/10/2010	49,352.46	769.25	48,583.21
	296 विजयानगरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2010)	6,980	22/10/2010	71,482.68	63,259.22	8,223.46
	297 अवध सहकारी बैंक लि., उत्तर प्रदेश, (2010)	5,289	16/11/2010	23,839.86	4,377.14	19,462.72
	298 अन्नासाहेब पाटिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र , (2010)	6,296	22/11/2010	27,996.78	11,425.28	16,571.50

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	299 रायबाग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	4,501	27/12/2010	14,769.68	-	14,769.68
	300 चंपावती अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	14,811	18/02/2011	145,596.66	133,805.66	11,791.00
	301 श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित , महाराष्ट्र , (2011)	9,208	07/03/2011	84,041.98	69,438.22	14,603.76
	302 रजवाड़े मण्डल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	26,422	11/03/2011	133,960.02	122,786.45	11,173.57
	303 अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात,2011	71,262	15/06/2011	591,664.24	304,188.50	287,475.74
	304 केमबे हिन्दू मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	9,336	29/09/2011	86,764.47	9,683.40	77,081.07
	305 रबकावि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	10,462	11/05/2011	67,393.38	45,288.02	22,105.36
	306 श्री मौनेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	1,640	29/07/2011	2,569.75	17.08	2,552.67
	307 श्री चदचन श्री संगमेशवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,कर्नाटक (2011)	6,075	15/07/2011	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	308 दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	54,925	15/12/2011	403,178.78	191,801.02	211,377.76
	309 समता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	33,500	17/06/2011	422,834.49	50,467.79	372,366.70
	310 हीना शाहीन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	9,798	07/10/2011	112,964.84	1,186.06	111,778.78
	311 श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	2,337	19/07/2011	35,973.20	32,567.23	3,405.97
	312 दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	16,324	12/10/2011	199,311.58	53,533.76	145,777.83
	313 विदर्भ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	11,322	23/05/2011	160,023.77	86,071.28	73,952.49
	314 इचालकरंजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	43,822	06/04/2011	557,696.70	447,870.71	109,825.99
	315 सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	2,733	03/11/2011	12,287.99	11,775.25	512.74
	316 आसनसोल पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	1,012	23/08/2011	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	317 श्री ज्योतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	7,596	17/01/2012	22,002.44	3,545.78	18,456.66
	318 रायचूर जिला महिला पाट्टन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	6,058	01/02/2012	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	319 दी सिधपुर नागरी सहकारी बैंक लि., गुजरात (2012)	6,712	27/03/2012	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	320 सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	18,516	08/07/2012	243,635.93	7,140.89	236,495.04
	321 बोरियावी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2012)	5,408	20/07/2012	45,494.11	42,836.70	2,657.41
	322 नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लि., आंध्र प्रदेश (2012)	3,042	13/09/2012	4,317.79	766.79	3,551.00

परिशिष्ट सारिणी 8: *(जारी)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	323 भण्डारी कोऑपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	42,553	26/09/2012	548,927.62	528,927.62	20,000.00
	324 भारत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,महाराष्ट्र (2012)	5,696	26/09/2012	20,904.79	7,614.16	13,290.63
	325 इंदिरा श्रमिक महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	6,958	27/09/2012	32,042.29	24,042.29	8,000.00
	326 श्री भद्रण मर्सेंटाइल बैंक लि.,गुजरात (2012)	6,599	05/10/2012	45,780.63	43,405.89	2,374.74
	327 ढेंकानल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि.,उड़ीसा 2012)	14,925	29/10/2012	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	328 भीमाशंकर नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	3,437	02/11/2012	4,102.06	1,464.14	2,637.92
	329 सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2012)	64,689	23/11/2012	459,890.08	381,890.08	78,000.00
	330 वासो कोऑपरेटिव बैंक लि.,गुजरात (2012)*	34,672		72,219.38	22,903.35	49,316.03
	331 अग्रसेन कोऑपरेटिव बैंक लि. महाराष्ट्र (2013)*	19,631	27/12/2013	52,967.42	7,208.00	45,759.42
	332 स्वामी समर्थ सहकारी बैंक लि. महाराष्ट्र (2014)	11,501	02/01/2014	92,475.42	76,272.06	16,203.36
	333 अर्जुन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. महाराष्ट्र (2014)	3,530		61,654.61	44,719.27	16,935.34
	334 विश्वकर्मा नागरी सहकारी बैंक लि. महाराष्ट्र (2014)	6,134		42,156.92	14,924.01	27,232.91
	335 सिल्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि. असम (2014)	2,707	30/04/2014	6,999.75	-	6,999.75
	336 गुजरात इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लि. गुजरात (2014)	130,638	30/04/2014	2,933,753.34	2,164,924.65	768,828.69
	337 दी श्रीकाकुलम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. आंध्रप्रदेश (2014)	7,078	04/08/2014	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	338 श्री शिवाजी सहकारी बैंक लि.,महाराष्ट्र (2016)	14,190	12/02/2016	77,816.31	38,211.72	39,604.59
	339 बारानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता प. ब. (2016)	19,137	20/05/2016	152,079.54	59,588.31	92,491.23
	340 तांदूर महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेलंगणा एपी (2016)	1,769	15/12/2016	4,308.27	1,581.57	2,726.70
	341 धनश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	3,639	29/05/2017	20,783.40	18,450.09	2,333.31
	342 राजीव गांधी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	4,009	09/08/2017	12,879.52	8,011.11	4,868.41
	343 महात्मा फुले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2017)	7,398	12/12/2017	109,302.97	12,931.83	96,371.14
	344 कसुंदिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (2017)	21,045	03/10/2017	246,373.71	167,801.58	78,572.13
	345 लमका अर्बनको-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मणिपुर (2017)	317	24/10/2017	261.65	0.00	261.65
	346 छतरपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा (2017)	2,025	27/10/2017	10,385.18	8,537.44	1,847.74
	347 गोलाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, असम (2017)	1,075	06/11/2017	4,591.16	877.53	3,713.63
	348 पयोनियर अर्बन सीबीएल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (2019)	28,382	05/03/2019	68,559.47	65,277.18	3,282.29

परिशिष्ट सारिणी 8: *(समाप्त)*

(राशि हजार ₹ में)

क्र.सं	बैंक का नाम	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा निपटान की तारीख	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)
	349 यूनाइटेड कमर्शियल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कानपुर यूपी (2019)	24,684	26/12/2019	247,534.55	166,492.73	81,041.82
	350 मर्केंटाइल यूसीबीएल मेरठ, यूपी (2019)	19,087	16/01/2020	27,434.83	7,956.74	19,478.09
	351 अलवर यूसीबीएल, राजस्थान (2020)	4,556	14/02/2020	108,351.46	31,704.99	76,646.47
	352 महामेधा यूसीबीएल, उत्तर प्रदेश (2020)	33,004	27/03/2020	301,398.79	20,755.49	280,643.29
	353 सी के पी सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2020)	54,463	30/12/2020	3,286,889.67	2,453,632.04	833,257.63
	354 नवोदय यूसीबीएल, नागपुर (2020)	2,918	06/01/2021	190,613.97	10,000.00	180,613.97
	355 श्री साई यूसीबीएल, मुखेड (2020)	449	27/12/2020	9,372.57	1,671.30	7,701.27
	356 भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2020)	13,278	07/07/2020	299,987.52	226,705.52	73,282.00
	357 मापुसा यूसीबीएल, गोवा (2021)	67,676	01/02/2021	2,578,956.24	2,518,295.23	60,661.01
	358 कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2021)	48,868	07/04/2021	3,726,815.72	1,286,867.13	2,439,948.59
	359 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2021)	3,649	30/09/2021	30,061.61	-	30,061.61
	360 शिवाजीराव भोसले एसबीएल, महाराष्ट्र (2021)	61,117	12/10/2021	2,902,721.64	270,801.01	2,631,920.62
	361 करनाला एनएसबीएल, महाराष्ट्र (2022)	39,273	04/02/2022	3,792,871.95	-	3,792,871.95
	362 मडगाम यूसीबीएल, गोवा (2022)	32,644	11/03/2022	1,388,955.55	1,177,431.01	211,524.55
	363 पीएमसी सीबीएल, महाराष्ट्र (2022)*	868,729		38,541,270.75	-	38,541,270.75
	कुल 'च'			**9,24,57,951.75**	**2,88,08,469.20**	**6,36,49,482.55**
	कुल (घ +ड.+च)			**10,54,21,637.67**	**4,17,47,944.89**	**6,36,48,895.60**
					(24,797.18)	
कुल योग (क+ख+ग+घ+ड.+च)				**10,83,80,167.41**	**43,323,321.37**	**64,406,161.02**
					(6,50,685.01)	

* समामेलन और पुनर्गठन की योजना

पुनर्निर्माण की योजना।

@ बैंक के परिसमापन पर निपटाए गए दावे

& तरल निधि समायोजन के तहत निपटाए गए दावे।

^ अन्य क्रियाविधि के तहत निपटाए गए।

टिप्पणी : 1. मूल दावों के निपटान का वर्ष कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती के स्तंभ के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े 31 मार्च 2024 तक बट्टेखाते डाले गई राशि है।

3. प्राप्त चुकौतियों में दावों के अनुमोदन और स्वीकृत करते समय की तरल निधियों के समायोजन की राशि सम्मिलित है।

4. जमाकर्ताओं के दावों की संख्या 2008 से दी गई है

5. जमाकर्ताओं की संख्या की शुद्धता सौवें स्थान तक सुनिश्चित की गई है।

परिशिष्ट सारिणी 8ए: बीमा दावों का निपटारा और प्राप्त चुकौती - सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखे गए बैंक, 31 मार्च 2024 तक

(राशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटाए गए दावे	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मुधोल सीबीएल $	08-04-2019	1,155	23-11-2021	1,66,937.15		1,75,943.33	-9,006.18
2	गढ़ा सीबीएल $	23-02-2021	643	23-11-2021	1,23,488.73		24,732.50	98,756.23
3	मंथा यूसीबीएल $	17-11-2020	28,946	25-11-2021	4,48,883.72	1,00,986.21	6,411.90	5,43,458.03
4	इंडिपेंडेंस सीबीएल $	09-02-2021	269	25-11-2021	23,570.22		-	23,570.22
5	डेक्कन यूसीबीएल $	19-02-2021	1,759	24-11-2021	1,29,816.98		1,29,816.98	-
6	सीकर यूसीबीएल	09-11-2018	1,186	24-11-2021	1,82,361.28		72,944.51	1,09,416.77
7	पीपुल्स सीबीएल $	11-06-2020	872	26-11-2021	71,998.85	2,412.16	2,412.16	71,998.85
8	श्री आनंद सीबीएल $	25-06-2019	10,971	25-11-2021	90,568.55		98,960.52	-8,391.97
9	मराठा एसबीएल &	31-08-2016	8,925	25-11-2021	13,99,208.06		5,60,457.35	8,38,750.71
10	सिटी सीबीएल	17-04-2018	12,563	24-11-2021	23,09,917.07		4,62,000.00	18,47,917.07
11	मिलथ सीबीएल $	08-05-2019	2,460	26-11-2021	1,08,929.25		15,641.58	93,287.67
12	सरजेरोदादा नाइक शिराला एसबीएल $	03-02-2021	10,888	25-11-2021	6,81,071.31	1,03,647.03	3,33,627.54	4,51,090.80
13	पद्मश्री विट्ठलराव विखे पाटिल सीबीएल	19-05-2018	290	25-11-2021	42,799.01		17,119.80	25,679.21
14	कपोल सीबीएल $	30-03-2017	21,573	26-11-2021	23,01,186.44		4,60,316.15	18,40,870.29
15	श्री गुरुराघवेंद्र एसबीएन	10-01-2020	22,319	27-11-2021	71,54,782.07		-	71,54,782.07
16	अदूर सीबीएल	09-11-2018	252	26-11-2021	62,934.00		62,934.00	-
17	सेवा विकास सीबीएल $	12-10-2021	13,344	06-01-2022	15,12,751.64	1,41,405.86	11,41,405.86	5,12,751.64
18	बाबाजी दाते महिला एसबीएल $	08-11-2021	18,595	04-02-2022	29,44,731.02	77,081.67	1,46,381.67	28,75,431.02
19	लक्ष्मी सीबीएल $	12-11-2021	20,565	08-02-2022	19,36,111.38		5,82,601.00	13,53,510.38
20	मलकापुर यूसीबीएल $	24-11-2021	24,397	20-02-2022	49,66,878.97		19,87,867.30	29,79,011.67
21	नगर यूसीबीएल $	06-12-2021	17,269	28-02-2022	29,33,268.59		10,59,695.10	18,73,573.49
22	रूपी सीबीएल $	22-02-2013	64,024	24-02-2022	69,98,052.69	9,66,816.75	51,11,432.22	28,53,437.22
23	द इंडियन मर्केंटाइल यूसीबीएल	28-01-2022	136	26-04-2022	29,049.44		5,817.26	23,232.18
24	द्वारकादास मंत्री एनएसबीएल ^	09-03-2022	2,834	03-06-2022	4,26,037.84		89,848.61	3,36,189.22
25	सुश्रुति सौहार्द एसबीएन, बेंगलुरु $	07-04-2022	1,821	01-07-2022	5,36,773.78		-	5,36,773.78
26	शंकर राव पुजारी नूतन एसबीएल $	13-05-2022	4,121	08-08-2022	4,16,052.71		-	4,16,052.71
27	हरिहरेश्वर एसबीएल $	31-05-2022	4,208	20-08-2022	5,72,373.06		-	5,72,373.06

(राशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटाए गए दावे	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	श्री शारदा महिला सीबीएल $	08-07-2022	679	23-09-2022	1,50,555.47		-	1,50,555.47
29	सांगली एसबीएल	08-07-2022	4,097	26-09-2022	6,17,881.69		1,23,576.34	4,94,305.35
30	श्री मल्लिकार्जुन पट्टना सहकारी बैंक नियामिता $	18-07-2022	510	13-10-2022	53,812.92		-	53,812.92
31	नासिक जिला गिरना एसबीएल $	09-09-2015	1,560	11-10-2022	1,69,977.27		-	1,69,977.27
32	साईंबाबा जनता एसबीएल	22-07-2022	1,019	18-10-2022	1,88,282.97		37,656.59	1,50,626.38
33	दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा	29-07-2022	290	20-10-2022	98,423.21		19,684.64	78,738.57
34	जयप्रकाश नारायण एनएसबीएल, बसमतनगर $	29-07-2022	1,331	20-10-2022	2,38,898.99		47,792.76	1,91,106.23
35	थोडुपुझा अर्बन सीबीएल, केरल	23-08-2022	4,141	18-11-2022	9,39,382.21		1,86,969.54	7,52,412.68
36	सुमेरपुर मर्केंटाइल यूसीबीएल, सुमेरपुर, पाली $	06-12-2022	3,787	03-03-2023	4,64,586.57		-	4,64,586.57
37	आदर्श महिला नगरी एसबीएल $	23-02-2023	9,177	19-05-2023	18,63,712.60		-	18,63,712.60
38	शिमशा सहकर बैंक नियामिता	24-02-2023	2,563	15-05-2023	1,18,489.50		-	1,18,489.50
39	शंकरराव मोहिते पाटिल एसबीएल	24-02-2023	2,377	23-05-2023	4,62,607.54		-	4,62,607.54
40	एचसीबीएल सीबीएल	24-02-2023	3,728	24-05-2023	2,12,473.36		-	2,12,473.36
41	श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल यूसीबीएल $	03-03-2023	1,928	30-05-2023	2,40,723.24		-	2,40,723.24
42	बनारस मर्केंटाइल सीबीएल	03-03-2023	538	30-05-2023	42,464.52		-	42,464.52
43	नेशनल मर्केंटाइल सीबीएल	10-03-2023	82	06-06-2023	14,623.70		-	14,623.70
44	मुसिरी यूसीबीएल $	02-03-2023	125	30-05-2023	13,441.98		-	13,441.98
45	पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड	10-03-2023	23	06-06-2023	3,986.71		-	3,986.71
46	डिफेंस अकांउट्स सीबीएल	10-03-2023	756	08-06-2023	98,504.85		-	98,504.85
47	इम्पीरियल सीबीएल	10-03-2023	330	06-06-2023	54,256.76		-	54,256.76
48	हिरियूर यूसीबीएल $	10-03-2023	379	06-06-2023	21,815.40		-	21,815.40
49	फैज़ मर्केंटाइल सीबीएल $	02-03-2023	1,143	29-05-2023	79,892.73		-	79,892.73
50	राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड	14-06-2023	1,037	07-09-2023	1,60,909.01		-	1,60,909.01
51	सावंतवाड़ी यूसीबीएल	14-06-2023	3,871	07-09-2023	2,45,662.73		-	2,45,662.73

(राशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एआईडी लागू करने की तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	मुख्य दावा स्वीकृति तिथि	निपटाए गए दावे	एआईडी बैंक के परिसमापन के बाद निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 6 + स्तंभ 7 - स्तंभ 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	वैशाली शहरी विकास सीबीएल	14-06-2023	5,319	07-09-2023	5,62,830.50		-	5,62,830.50
53	नैशनल सीबीएल	24-07-2023	19,067	22-10-2023	56,61,887.95		-	56,61,887.95
54	अजंता यूसीबीएम	29-08-2023	8,381	24-11-2023	19,45,452.80		-	19,45,452.80
55	पूर्वांचल सीबीएल	29-08-2023	944	24-11-2023	1,26,338.73		-	1,26,338.73
56	कलर मर्चेंट्स सीबीएल	25-09-2023	658	20-12-2023	1,39,412.89		-	1,39,412.89
57	महाभैरब सीबीएल	12-10-2023	436	09-01-2024	30,863.29		-	30,863.29
कुल			**3,76,661**		**5,35,92,685.90**	**13,92,349.68**	**1,29,64,047.21**	**4,20,20,988.38**

[$] डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 18(ए) के तहत दावों के भुगतान के बाद 2021-22 की चौथी तिमाही से परिसमाप्त बैंक।

[&] बैंक जिनका दूसरे बैंक में विलय हो गया है।

[^] बैंक पर लगाए गए एआईडी हटा दिए गए हैं।

परिशिष्ट सारिणी 8बी: त्वरित निपटान योजना के तहत निपटाए गए बीमा दावे - 31 मार्च 2024 तक

(राशि ₹ हजार में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	स्वीकृति तिथि	जमाकर्ताओं की संख्या	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (स्तंभ 5 - स्तंभ 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अजमेर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजस्थान (2016)	24-10-2016		3,18,602.37	3,18,602.37	0.00
2	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र (2018)	12-12-2018		2,946.90	-	2,946.90
3	श्री छत्रपति यूसीबीएल, महाराष्ट्र (2018)	14-12-2018		27,601.00	-	27,601.00
4	गोकुल यूसीबीएल आंध्र प्रदेश/तेलंगाना (2019)	25-06-2019		13,579.00	-	13,579.00
5	भोपाल नागरिक एसबीएल, एमपी (2019)	25-06-2019		84,394.67	-	84,394.67
6	ब्रह्मावर्त कमर्शियल सीबीएल, यूपी (2021)	05-10-2021	26,425	2,51,000.00	-	2,51,000.00
7	गाजियाबाद यूसीबीएल, यूपी (2021)	01-02-2021		1,16,856.00	-	1,16,856.00
8	हरदोई यूसीबीएल, यूपी (2021)	31-03-2021	11,918	42,022.68	-	42,022.68
9	वसंतदादा एनएसबीएल उस्मानाबाद (2021)	06-05-2021		3,28,300.00	-	3,28,300.00
10	भाग्योदय मित्र यूसीबीएल (2021)	25-08-2021		80,463.93	-	80,463.93
11	डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यूसीबीएल (2021)	16-12-2021		16,885.96	-	16,885.96
कुल				**12,82,652.51**	**3,18,602.37**	**9,64,050.14**

4. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

टेली.: +91-22-2300 2921 / 25 / 4004 5528
फैक्स: +91-22-2300 2925
ईमेल: jainchowdhary@gmail.com
वेब: www.jainchowdhary.com

मैसर्स जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेट्स
104, मॉडल रेज़ीडेन्सी,
बी. जे. मार्ग, जैकॉब सर्कल,
महालक्ष्मी, मुंबई 400 011.

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मण्डल

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम** (''**निगम**'') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 को निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के तुलन पत्र तथा निगम की उक्त तीनों निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना शामिल है।

हमारी राय में और हमें उपलब्ध अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 (''अधिनियम'') द्वारा यथासंशोधित द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2024 के अनुसार निगम की तीनों निधियों के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके अधिशेष और उनके नकदी प्रवाह के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

2. अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व भाग में उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम निगम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. मामले का प्रभाव:

हम आपका ध्यान निगम के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 1(बी) की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें एआईडी के तहत बैंकों के लिए 515.66 करोड़ रुपये के दावे आकस्मिक देयता के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए हैं। ये उन जमाकर्ताओं को देय दावे हैं जो अप्राप्य या अज्ञात हैं। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 20 के साथ पठित धारा 18ए (1) के अनुसार, निगम के बही खातों में ऐसे दावों के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है। डीआईसीजीसी के अधिकारियों ने सूचित किया है कि ऐसा प्रावधान करने से पहले लेखा नीतियों में बदलाव के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी से कई अनुमोदन लेना आवश्यक है। निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि ऊपर उल्लिखित दावों के संबंध में प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाएगा।

4. वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व निगम के निदेशक मण्डल का होता है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं होती है और हम किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारियों को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह देखना है कि अन्य जानकारियाँ वास्तव में वित्तीय विवरणों के या लेखा परीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के अनुरूप हैं या नहीं या वे वास्तव में गलत बयानी प्रतीत होती हैं।

यदि, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अन्य जानकारी वास्तविक रूप से गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

5. प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणों के नियमन हेतु प्रभारियों के दायित्व

निगम का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम में उल्लिखित जानकारी के लिए उत्तरदायी है जोकि भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सत्य और न्यायसंगत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इन जिम्मेदारियों में, निगम की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उसका कार्यान्वयन करना; उचित एवं न्याय संगत निर्णय लेना और अनुमान लगाना; धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश होने वाली गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जोकि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं, उनकी संरचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करना, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा भी लागू हो, प्रकटीकरण करना और लेखांकन के लिए तब तक कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करना है जब तक कि या तो प्रबंधन निगम के परिसमापन करने का या उसका परिचालन रोकने का निश्चय न कर ले या फिर इसके अलावा उसके पास यह करने के अतिरिक्त और कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देखरेख निदेशक मण्डल का दायित्व है।

6. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण वास्तविक रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं, फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद गलत बयानी का हमेशा पता लगा ले। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और यह तब वास्तविक मानी जाती है यदि, इनसे एकल रूप से या सकल रूप से, वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त:

- हम वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, हम उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना और उनको निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक गलत बयानी के पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या निरूपण, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकते हैं।
- जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की संरचना के लिए हम लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।

- हम उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निगम द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- निगम द्वारा लेखांकन के लिए कार्यशील संस्था आधार के प्रयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ऐसी वास्तविक अनिश्चितता है जो निगम की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संशय उत्पन्न करती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यह कि हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां निगम को कार्यशील संस्था बने रहने से रोक सकती हैं।
- हम वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का और यह कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि प्रस्तुति निष्पक्ष हो, इसका मूल्यांकन करते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम, अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध व्यापकता और समयावधि के बारे में और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सूचना देते हैं।

नियमन के प्रभारियों को हम यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य ऐसे मामलों, जो हमारी स्वतन्त्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के बारे में बताने के लिए, प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

7. हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) मांगी गयी सारी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं।

(ख) हमारे विचार से हमारे द्वारा की गई निगम की लेखा बहियों की जांच से यह प्रकट होता है कि निगम द्वारा लेखा बहियाँ विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित तीनों निधियों के तुलन पत्र, राजस्व लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का, जहां कहीं भी लागू हो, अनुपालन करता है।

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआर नं.: 113267W

सिद्धार्थ जैन

सिद्धार्थ जैन
भागीदार
एम. नं. 104709
यूडीआईएन : 24104709BKEOJP9981

JAIN CHOUDHARY & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS MUMBAI FR No. 113267W

स्थान: मुंबई
दिनांक: 14 जून 2024

5. तुलन-पत्र और लेखे

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, 1961 के अधीन स्थापित) - (विनियम 18 - फॉर्म 'क')
31 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

पिछला वर्ष		देयताएं	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
12,17,447.00	0.00	**1.निधि : (वर्ष के अंत में शेष)**	**16,88,742.00**	0.00
		2. राजस्व खाते के अनुसार अधिशेष:		
1,32,86,843.14	57,602.72	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,57,42,723.02	61,195.92
24,55,879.88	3,593.20	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित	24,43,833.08	3,773.38
1,57,42,723.02	**61,195.92**	वर्ष के अंत में शेष	**1,81,86,556.10**	**64,969.30**
		3. (क) निवेश रिज़र्व		
0.00	0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,85,046.39	0.00
1,85,046.39	0.00	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित	(1,85,046.39)	0.00
1,85,046.39	**0.00**	वर्ष के अंत में शेष	**0.00**	**0.00**
		(ख) निवेश उच्चावचन रिज़र्व		
6,46,145.40	3,462.16	वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,89,204.41	3,462.16
43,059.01	0.00	राजस्व खाते से अंतरित	1,19,011.03	0.00
6,89,204.41	**3,462.16**	वर्ष के अंत में शेष	**8,08,215.44**	**3,462.16**
18,084.91	**0.00**	**4.सूचित और स्वीकृत परंतु अदा न किए गए दावे**	**35,999.35**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5.सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 26)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**7. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**8. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)**	**0.00**	**0.00**
4,469.55	**0.00**	**9. दावा न की गई बीमित जमाराशियां**	**2,089.32**	**0.00**
0.00	**0.00**	**10. विपंजीकृत बैंकों (जिन बैंकों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है) से संबंधित बीमित जमाराशियां**	**0.00**	**0.00**
		11. अन्य देयताएं		
131.57	0.00	(i) फुटकर लेनदार	106.58	0.00
8,40,392.50	1,208.49	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	8,18,438.91	1,273.86
1,08,221.75	0.00	(iii) देय रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	17,299.31	0.00
99.17	0.00	(iv) बैंकों को वापसी योग्य राशि	99.17	0.00
4.82	0.00	(v) भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	0.34	0.00
0.00	0.00	(vi) जीएफ से देय/प्राप्ति योग्य अंतर-निधि	0.00	0.00
9,48,849.81	**1,208.49**		**8,35,944.31**	**1,273.86**
1,88,05,825.09	**65,866.57**	**कुल**	**2,15,57,546.52**	**69,705.32**

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
जून 14, 2024
UDIN: 24104709BKEOJP6981

डॉ. एम डी पात्र
अध्यक्ष

आर लक्ष्मी कांत राव
कार्यपालक निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस सतीश कुमार
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, 1961 के अधीन स्थापित) - (विनियम 18 - फॉर्म 'क')
31 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

पिछला वर्ष		आस्तियां	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
1,656.51	**15.84**	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**	**17,350.14**	**16.38**
0.00	**0.00**	**2. मार्गस्थ नकदी**	**0.00**	**0.00**
		3.केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	0.00	ट्रेज़री बिल	0.00	0.00
1,73,73,783.55	63,713.32	दिनांकित प्रतिभूतियां	2,03,17,148.53	67,789.49
1,73,73,783.55	**63,713.32**		**2,03,17,148.53**	**67,789.49**
1,70,12,053.89	62,613.56	*अंकित मूल्य*	1,99,35,522.24	66,720.22
1,71,88,737.16	64,918.81	*बाज़ार मूल्य*	2,04,05,767.03	69,222.14
3,09,569.55	**910.40**	**4.निवेश पर उपचित ब्याज**	**3,47,915.97**	**949.32**
0.00	**0.00**	**5. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि के लिए अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25 ए)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि के लिए अग्रिम (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)**	**0.00**	**0.00**
		7.अन्य आस्तियां		
0.00	0.00	(I) फुटकर देनदार	0.00	0.00
8,85,342.54	1,227.01	(ii) अग्रिम आयकर	8,21,529.47	950.13
1,08,242.83	0.00	(iii) रिवर्स रेपो आस्तियां/प्राप्य रिवर्स रेपो ब्याज	17,313.05	0.00
1,08,221.75	0.00	(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां	17,299.31	0.00
167.60	0.00	(v) प्राप्य सेवा कर/सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीसटी	149.29	0.00
18,840.76	0.00	(vi) चुकाया गया विवादित सेवा कर (विरोध के अधीन)	18,840.76	0.00
11,20,815.48	**1,227.01**		**8,75,131.88**	**950.13**
1,88,05,825.09	**65,866.57**	**कुल**	**2,15,57,546.52**	**69,705.32**

पंकज शर्मा
पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
शाजी के.वी.
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फॉर्म 'ख')
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

पिछला वर्ष		व्यय	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
		1. दावे:		
71,251.43	0.00	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त	1,40,308.22	0.00
1,692.97	0.00	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गए	20,760.04	0.00
		(ग) सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं		
		वर्ष के अंत में		
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	(घ) विपंजीकृत बैंकों के संबंध में बीमित जमाराशियां	0.00	0.00
0.00	0.00	वर्ष के अंत में	0.00	0.00
0.00	0.00	घटाएं: पिछले वर्ष के अंत में	0.00	0.00
18.44	0.00	(ङ) घटाएं पता न लगाए जाने योग्य जमाकर्ताओं के संबंध में प्रावधान का प्रतिलेखन	(2,438.52)	0.00
72,962.84	**0.00**	**निवल दावे**	**1,58,629.74**	**0.00**
1,85,046.39	**0.00**	**2. निवेश रिज़र्व में क्रेडिट किए गए निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**3. भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 26)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**4. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 25ए)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5. निक्षेप बीमा निधि/ऋण गारंटी निधि से अग्रिम पर ब्याज (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 27)**	**0.00**	**0.00**
12,17,447.00	**0.00**	**6.अवधि के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)**	**16,88,742.00**	**0.00**
33,39,131.04	**4,801.69**	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**	**34,27,829.71**	**5,047.24**
48,14,587.27	**4,801.69**	**कुल**	**52,75,201.45**	**5,047.24**
		कराधान के लिए प्रावधान		
8,40,392.50	1,208.49	चालू वर्ष	8,18,438.91	1,273.86
(200.35)	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	46,546.69	0.00
0.00	0.00	आस्थगित कर	0.00	0.00
43,059.01	**0.00**	**निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)**	**1,19,011.03**	**0.00**
24,55,879.88	**3,593.20**	**तुलन पत्र में ले जाया गया शेष।**	**24,43,833.08**	**3,773.38**
33,39,131.04	**4,801.69**		**34,27,829.71**	**5,047.24**

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
जून 14, 2024
UDIN: 24104709BKEOJP6981

डॉ. एम डी पात्र
अध्यक्ष

आर लक्ष्मी कांत राव
कार्यपालक निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस सतीश कुमार
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फॉर्म 'ख')
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

पिछला वर्ष		आय	चालू वर्ष	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
13,97,403.00	**0.00**	**1.वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	**12,17,447.00**	**0.00**
21,38,112.99	**0.00**	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	**23,87,914.26**	**0.00**
88,278.97	**2.61**	**3.भुगतान निपटान किए गए निक्षेप बीमा दावों / भुगतान किए गए गारंटी दावों के संबंध में वसूली द्वारा**	**90,073.20**	**0.20**
		4.निवेशों से आय द्वारा		
11,79,615.50	4,799.08	(क)निवेशों पर ब्याज	13,74,629.86	5,080.88
1,467.72	0.00	(ख) प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	8,329.53	(33.84)
9,709.09	0.00	(ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता द्वारा	11,761.21	0.00
11,90,792.31	**4,799.08**		**13,94,720.60**	**5,047.04**
		5. अन्य आय		
0.00	0.00	(क) प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के प्रावधान द्वारा	1,85,046.39	0.00
48,14,587.27	**4,801.69**	**कुल**	**52,75,201.45**	**5,047.24**
33,39,131.04	**4,801.69**	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**	34,27,829.71	5,047.24
33,39,131.04	**4,801.69**		**34,27,829.71**	**5,047.24**

पंकज शर्मा
पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
शाजी के.वी.
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(विनियम 18 - फॉर्म 'क')

31 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष	देयताएं	चालू वर्ष
राशि		राशि
5,000.00	**1.पूंजी: डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायोगी)**	**5,000.00**
	2.रिज़र्व	
	क) सामान्य रिज़र्व	
58,514.84	वर्ष के प्रारंभ में शेष	71,936.79
13,421.95	जोड़ें: राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष/(घाटा)	861.98
71,936.79		**72,798.77**
	ख) निवेश रिज़र्व	
0.00	वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.00
0.00	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रदान की गई राशि	39.19
0.00		**39.19**
	(ग) निवेश उच्चावचन रिज़र्व	
4,030.06	वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,030.06
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00
4,030.06		**4,030.06**
	3. चालू देयताएं और प्रावधान	
318.04	बकाया व्यय	577.43
23.00	फुटकर लेनदार	0.66
4,516.94	आयकर के लिए प्रावधान	325.12
0.00	आस्थगित कर	3.76
1.28	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी	0.03
4,859.26		**907.00**
85,826.11	**कुल**	**82,775.02**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
जून 14, 2024
UDIN: 24104709BKEO5P9981

डॉ. एम डी पात्र
अध्यक्ष

आर लक्ष्मी कांत राव
कार्यपालक निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस सतीश कुमार
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(विनियम 18 - फॉर्म 'क')

31 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष राशि	आस्तियां	चालू वर्ष राशि
	1. नकद	
0.00	(i) हाथ में	0.00
72.63	(ii) **भारतीय रिज़र्व बैंक के पास**	14.84
72.63		**14.84**
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	
0.00	ट्रेजरी बिल	0.00
61,051.28	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	59,207.59
16,361.70	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य ₹18,900)	18,179.04
77,412.98		**77,386.63**
78,490.44	*अंकित मूल्य*	*78,435.14*
78,102.26	*बाजार मूल्य*	*77,347.43*
1,960.38	**3.निवेशों पर उपचित ब्याज**	**1,967.71**
	4. अन्य आस्तियां	
10.40	आईएएसएस परियोजना पूंजीकृत	13.34
51.22	फर्नीचर, फिक्सचर और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	44.83
0.00	लेखन सामग्री का स्टॉक	0.00
5.37	स्टाफ अग्रिम	6.36
1,825.00	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा	2,025.00
4,430.45	अग्रिम आयकर / टीडीएस	1,020.40
57.23	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी	257.99
0.45	फुटकर देनदार	0.00
0.00	परियोजना लागत	37.92
6,380.12		**3,405.84**
85,826.11	**कुल**	**82,775.02**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(फॉर्म 'ख')

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष राशि	व्यय	चालू वर्ष राशि
1,690.07	**स्टाफ को भुगतान / प्रतिपूर्ति की लागत**	**2,166.60**
0.00	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**	**0.00**
5.06	**निदेशकों/समिति के सदस्यों का यात्रा और अन्य व्यय**	**0.84**
331.99	**किराया, कर, बीमा, बिजली की व्यवस्था आदि**	**358.05**
560.30	**स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते**	**667.30**
25.27	**मुद्रण, लेखन सामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री**	**27.80**
92.89	**डाक, तार और टेलीफोन**	**104.60**
94.19	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**	**107.66**
63.06	**विधि प्रभार**	**85.51**
15.67	**विज्ञापन**	**20.91**
0.00	**निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**	**39.19**
	विविध व्यय	
25.02	व्यावसायिक प्रभार	26.33
364.76	सेवा संविदा / अनुरक्षण	495.11
6.08	पुस्तकें, समाचार पत्र, आवधिक पत्रिकाएँ	10.00
4.81	पुस्तक अनुदान	4.91
12.39	कार्यालय परिसंपत्ति-जड़ वस्तु की मरम्मत	10.26
96.82	लेनदेन प्रभार-सीसीआईएल	111.29
102.49	अन्य	75.56
612.37		**733.46**
18.44	मूल्यह्रास	**37.09**
9.63	आईएएसएस पर मूल्यह्रास	**16.07**
17,936.11	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया**	**1,152.97**
21,455.05	**कुल**	**5,518.05**
	आय की तुलना से अधिक व्यय को नीचे लाया गया	
	आयकर के लिए प्रावधान	
4,514.16	चालू वर्ष	287.23
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)	0.00
0.00	आस्थगित कर	3.76
0.00	**निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर)**	**0.00**
13,421.95	**सामान्य रिज़र्व खाता**	**861.98**
17,936.11	**कुल**	**1,152.97**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

* महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

डॉ. एम डी पात्र
अध्यक्ष

आर लक्ष्मी कांत राव
कार्यपालक निदेशक

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन. 113267डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
जून 14, 2024
UDIN: 24104709BKEOJP6981

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस सतीश कुमार
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(फॉर्म 'ख')

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता

II. सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष राशि	आय	चालू वर्ष राशि
	निवेशों से आय	
5,045.02	**(क) निवेशों पर ब्याज**	**5,490.74**
10.20	(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (हानि)	3.58
5,055.22		**5,494.32**
0.00	**निक्षेप बीमा निधि / ऋण गारंटी निधि को अग्रिम राशि पर ब्याज**	**0.00**
0.00	**प्रतिलेखित निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के प्रावधान द्वारा**	**0.00**
	विविध प्राप्तियाँ	
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	0.00
(0.15)	जड़ वस्तु की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	0.60
16,399.98	आयकर धनवापसी पर ब्याज	0.00
0.00	अन्य विविध प्राप्तियाँ	23.13
16,399.83		**23.73**
21,455.05	**कुल**	**5,518.05**
17,936.11	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय को नीचे लाया गया**	**1,152.97**
17,936.11	**कुल**	**1,152.97**

इस तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

* महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

31-03-2023 को समाप्त अवधि		विवरण		31-03-2024 को समाप्त अवधि	
राशि	राशि			राशि	राशि
डीआईईएफ	सीजीएफ			डीआईएफ	सीजीएफ
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
33,39,131.04	**4,801.69**	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	**34,27,829.71**	**5,047.24**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान करने के लिए समायोजन :			
(11,89,324.58)	(4,799.08)	निवेशों पर ब्याज		(13,86,391.07)	(5,080.88)
(1,467.72)	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन से लाभ/ (हानि)		(8,329.53)	33.84
0.00	0.00	निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		0.00	0.00
1,85,046.39	0.00	निवेश रिज़र्व में अंतरण		(1,85,046.39)	0.00
0.00	0.00	प्राप्त धनवापसी पर ब्याज		0.00	0.00
0.00	0.00	कर		0.00	0.00
(1,79,956.00)	0.00	निधि शेष में प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		4,71,295.00	0.00
(11,85,701.91)	**(4,799.08)**		**(ख)**	**(11,08,471.99)**	**(5,047.04)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियां :			
		<u>कमी/(वृद्धि)</u>			
(7,03,017.48)	(270.67)	अग्रिम आयकर/टीडीएस में वृद्धि		(8,23,126.11)	(931.62)
3134.57	0.00	फुटकर देनदार		0.00	0.00
166.23	0.00	प्राप्य सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी		18.31	0.00
(1,78,368.60)	0.00	अन्य आस्तियां		1,81,852.21	0.00
0.00	0.00	विवादित सेवा कर/भुगतान किया गया ब्याज खाता		0.00	0.00
(8,78,085.28)	**(270.67)**		**(ग)**	**(6,41,255.59)**	**(931.62)**
		देयताएं:			
		<u>(कमी)/वृद्धि</u>			
(2,233.94)	0.00	सूचित परंतु भुगतान न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं		17,914.43	0.00
16.94	0.00	दावा न की गई जमाराशियां		(2380.23)	0.00
(421.31)	0.00	फुटकर लेनदार		(24.98)	0.00
0.00	0.00	फुटकर जमा खाता		0.00	0.00
(36.81)	0.00	सेवाकर देय खाता		0.00	0.00
89,023.49	0.00	रिवर्स रेपो खाते के तहत वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ		(90922.44)	0.00
0.00	0.00	भुगतान योग्य स्वच्छ भारत		0.00	0.00
4.81	0.00	भुगतान योग्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		(4.48)	0.00
86,353.18	**0.00**		**(घ)**	**(75,417.70)**	**0.00**
13,61,697.03	**(268.06)**	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह: (क+ख+ग+घ)**	**(ए)**	**16,02,684.43**	**(931.42)**
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
11,37,541.28	4,731.12	प्राप्त निवेश पर ब्याज		13,48,044.65	5,041.97
1,467.72	0.00	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		8,329.53	(33.84)
0.00	0.00	सामान्य निधि में अंतरित		0.00	0.00
		<u>कमी/(वृद्धि)</u>			
(24,99,057.63)	(4,860.94)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(29,43,364.98)	(4,076.17)
(13,60,048.63)	**(129.82)**	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(बी)**	**(15,86,990.80)**	**931.96**
0.00	**0.00**	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(सी)**	**0.00**	**0.00**
1648.40	**(397.88)**	**नकदी में निवल वृद्धि/कमी**	**(ए+बी+सी)**	**15,693.63**	**0.54**
8.11	**413.72**	**अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष**		**1,656.51**	**15.84**
1656.51	**15.84**	**वर्ष के अंत में नकदी शेष**		**17,350.14**	**16.38**

कृते जैन चौधरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण सं. एफआरएन 113287डब्ल्यू

सीए सिद्धार्थ जैन
प्रबंधन भागीदार (एम सं. 104709)
मुंबई
जून 14, 2024
UDIN: 24104709BKEOJP9981

डी. एम डी पात्र
अध्यक्ष

आर लक्ष्मी कांत राव
कार्यपालक निदेशक

अनूप कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

एस सतीश कुमार
महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
II. सामान्य निधि
31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष 31 मार्च 2023	विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि
राशि			राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
17,936.11	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	**1,152.97**
	परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान करने के लिए समायोजन :		
18.44	मूल्यह्रास		37.09
9.63	आईएएसएस पर मूल्यह्रास		16.07
(5,045.02)	निवेशों पर ब्याज		(5,490.74)
(10.20)	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		(3.58)
0.00	निवेश रिज़र्व में अंतरण		39.19
0.00	अधिक प्रावधान प्रतिलेखित		0.00
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
0.15	जड़ वस्तु की बिक्री से लाभ/(हानि)		(0.60)
0.00	अन्य -विविध प्राप्तियाँ		23.13
0.00	आयकर		0.00
(5,027.00)		**(ख)**	**(5,379.44)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियां:		
	कमी (वृद्धि)		
0.00	लेखन सामग्री /अधिकारी लाउंज कूपन का स्टॉक		0.00
165.93	प्राप्य सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी		(200.76)
(5.11)	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय/भत्ते हेतु अग्रिम		(0.99)
(4,706.34)	अग्रिम आयकर		(1,104.11)
3,210.00	सीसीआईएल के पास सीमांत जमा		(200.00)
0.00	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		0.00
(0.45)	फुटकर देनदार		0.45
12.78	परियोजना लागत		(40.86)
(1,323.19)		**(ग)**	**(1,546.27)**
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
0.00	भारतीय रिज़र्व बैंक में		0.00
0.00	बकाया कर्मचारी लागत		0.00
116.96	बकाया व्यय		259.39
1.55	फुटकर लेनदार		(22.34)
(6.47)	अन्य जमा/टीडीएस		35.11
(0.06)	भुगतान योग्य सीजीएसटी और एसजीएसटी		(1.25)
111.98		**(घ)**	**270.91**
11,697.90	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ए)**	**(5,501.83)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
4,198.05	निवेशों से प्राप्त ब्याज		5,483.42
10.20	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ/(हानि)		3.58
0.00	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		0.00
0.00	डीआईएफ से प्राप्त निधि		0.00
0.00	अन्य		(23.13)
	कमी (वृद्धि)		
(48.28)	अचल आस्तियाँ		(46.18)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश :		
0.00	ट्रेज़री बिल		0.00
(44,613.61)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		1,843.69
28,808.64	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(1817.34)
(11,645.00)	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(बी)**	**5,444.04**
0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(सी)**	**0.00**
52.90	**नकदी में निवल वृद्धि**	**(ए+बी+सी)**	**(57.79)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद शेष		
0.00	हाथ में		0.00
19.73	भारिबैं के पास		72.63
72.63	**वर्ष के अंत में नकद शेष**		**14.84**

नोट: निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

पंकज शर्मा
निदेशक

शाजी के.वी.
निदेशक

5.5 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार:

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग की गई लेखांकन नीतियाँ, सभी महत्वपूर्ण पक्षों की दृष्टि से, भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखाकंन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) और देश में सामान्यत: प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं। जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए निगम में उपचय आधारित लेखांकन पद्धति और पारंपरिक ऐतिहासिक लागत का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है, जो आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय की रिपोर्ट की गई राशि को और उस तारीख के वित्तीय विवरणों के, विशेष रूप से निक्षेप बीमा के तहत दावों से संबंधित, आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन मानता है कि यह अनुमान तर्कसंगत और यथोचित है। यद्यपि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व का निर्धारण:

जब तक अन्यथा रूप से न कहा जाए, आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(i) प्रीमियम:

(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 19 के अनुसार निक्षेप बीमा प्रीमियम लिया जाता है।

(ख) यदि किसी बीमाकृत बैंक से लगातार दो प्रीमियम भुगतान में चूक होती है तो आय संकलन की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त रसीदों के आधार पर प्रीमियम आय की गणना की जाती है। ऐसे बीमाकृत बैंकों के जमा न किए गए प्रीमियम आय, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ग) प्रीमियम भुगतान में देरी के लिए दण्डात्मक ब्याज की गणना वास्तविक रसीदों के आधार पर की जाती है।

(ii) निक्षेप बीमा दावे

(क) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ख) बीमाकृत जमा की सीमा तक आकस्मिक देयता (उल्टे होने के कारण) बीमाकृत बैंक के रुप में विपंजीकरण पर तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश/निषेध के तहत रखे गए बीमाकृत बैंकों के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा।

(ग) परिसमाप्त बैंकों के संबंध में, जहां निगम डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अनुसार दावे के निपटान के लिए उत्तरदायी है, ऊपर निर्दिष्ट पैरा (ख) में बनाई गई आकस्मिक देयता को रिवर्स कर दिया जाता है और मुख्य दावों के रूप में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जमा देयता के अनुसार क्रिस्टलीकृत देयता के प्रावधान को निगम के बही खातों में लिया जाता है और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अनुसार, निगम द्वारा वास्तविक दावे का सम्पूर्ण निपटान होने तक अथवा परिसमापन प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, यह प्रावधान रखा जाता है।

(घ) इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत दावा निपटान के लिए ऊपर उल्लिखित लेखांकन नीति समान है। बैंक द्वारा प्रस्तुत इच्छुक जमाकर्ताओं की पहली सूची के अनुसार देयता का प्रावधान तब तक रखा जाएगा जब तक कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के संदर्भ में निगम द्वारा वास्तविक दावे का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता है अथवा निर्देश / विलय / समामेलन के अंत तक, जो भी पहले हो।

(ङ) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अनुसार, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता या परिसमापन के 10 वर्ष पूरे होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अलग से प्रावधान किया जाता है। 6 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न निगम के निदेशक मंडल की 248वीं बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार, 10 वर्ष से पहले परिसमाप्त बैंकों के जमाकर्ताओं के संबंध में अज्ञात (खाता संख्या - 1070200) और अनुपलब्ध (खाता

संख्या – 1060100) खाताशीर्षों के तहत प्रावधान को रिवर्स किया गया है और बाद में (यदि दावे प्राप्त हों) राईट बैक की गई राशि के लिए निगरानी और भुगतान करने हेतु एक अलग आकस्मिक देयता खाते में रखा गया है। यह अभ्यास 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परिसमाप्त बैंकों के लिए प्रतिवर्ष किया जाना है।

(iii) चुकौतियाँ

निपटाए गए अथवा अदा किए गए निक्षेप बीमा दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए की गई वसूली को परिसमापक द्वारा इसकी पुष्टि करने संबंधी सूचना वाले वर्ष में ही हिसाब में लिया जाता है।

इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों से संबंधित वसूली को वसूली / समायोजन के समय ही हिसाब में लिया जाता है। डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 18ए के तहत भुगतान किए गए दावों के संबंध में पुनर्भुगतान की प्राप्ति बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बीमाकृत बैंकों की क्षमता पर विचार करते हुए तय की गई समय सीमा पर निर्भर करेगी और इसे स्थगित किया जा सकता है। (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (3) के अनुसार)। पुनर्भुगतान में निर्धारित **समयावधि** से अधिक देरी के मामले में, **निगम को चुकाई जाने वाली राशि के लिए प्रति वर्ष** रेपो दर से अधिकतम दो प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज निगम द्वारा लिया जाएगा (डीआईसीजीसी संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 21 (4) के अनुसार)।

(iv) निवेश संबंधी ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

(v) निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ / हानि को लेन-देन के निपटान की तारीख को ही हिसाब में लिया जाता है।

4. निवेश:

i) सभी निवेश चालू निवेश हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, इनमें से जो कम हो, पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिमडा) द्वारा निर्धारित दरों को बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है। ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वाहक लागत के आधार पर किया जाता है।

ii) श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यवृद्धि (ऐप्रीसिएशन), यदि कोई हो तो, उसे नजरंदाज कर दिया जाता है।

iii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, बल्कि ऐसे प्रावधान को लेखा विवरण के निर्धारित फॉर्मेट के अनुरूप निवेश आरक्षित खाते (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

iv) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) रखा जाता है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाता है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय के विनियोग के रूप में निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आइएफआर) में जमा किया जाता है।

v) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण, अंतरण की तारीख के अनुसार बही मूल्य पर किया जाता है।

vi) रेपो और रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार के साथ संपार्श्विक उधार / उधार संचालन के रूप में माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। इसके साथ ही, लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय, जैसा भी मामला हो, में हिसाब में लाया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ:

(i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम कर के दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य तथा अपने भावी प्रयोग के लिए आस्ति को अपनी कार्यकारी स्थिति में लाने के लिए कोई भी लागत शामिल है।

(ii) (क) कंप्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयर (₹ 1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति पर उपलब्ध किया गया है।

आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
कंप्यूटर,माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 %
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 %

स्रोत: डीआईसीजीसी

(ख) 180 दिनों तक की अवधि के दौरान किए गए परिवर्धनों पर मूल्यह्रास संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध है अन्यथा छमाही के लिए है। वर्ष के दौरान बेची गयी / निपटायी गयी आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं है।

(iii) ₹ 1 लाख से कम लागत वाली अचल आस्तियाँ (लैपटॉप, आदि जैसी आसानी से पोर्टेबल इलैक्ट्रॉनिक आस्तियों, जिनकी लागत ₹10,000 से अधिक है, को छोड़कर) अधिग्रहण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

6. पट्टे:

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को उपचय आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / लागत:

कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, क्षतिपूरित अनुपस्थिति, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है।

8. आय पर कराधान:

चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय में शामिल हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली संभावित राशि पर चालू कर का आकलन किया जाता है। समय के अंतराल की दूरदर्शिता पर विचार के अधीन, कर-योग्य आय में तथा एक ही समयावधि में शुरू लेखा आय/ व्यय जो एक या एक से अधिक आगामी वर्षों में पलटने मे सक्षम है, के बीच अंतर होने के आधार पर आस्थगित कर को माना जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आगे बढ़ाए गए मूल्य हेतु आस्थगित करों की समीक्षा की जाती है।

9. आस्तियों की दुर्बलता:

जब भी किसी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि किसी आस्ति से वसूल की जाने वाली राशि इसकी रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) से कम है तो दुर्बलता के प्रयोजन से अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति की रख रखाव राशि (कैरीइंग एमाउंट) की वसूली नहीं हो सकती है। आस्ति की रखाव राशि की उसके अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य से तुलना करके रखी हुई और प्रयोगरत आस्तियों की मूल्य वसूली संबंधी योग्यता की माप की जाती है। यदि ऐसी आस्तियाँ दुर्बल होती हैं तो इस दुर्बलता का अनुमान यह माप कर लगाया जाता है कि आस्ति की रखाव राशि आस्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य की तुलना में कितनी अधिक है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

(i) लेखा मानक 29, प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुरूप, पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व प्रकट होने पर ही निगम प्रावधान की व्यवस्था करता है। यह संभव है कि ऐसे दायित्वों के निपटान करने और इनसे संबंधित राशि के विश्वस्त अनुमान की गणना करते समय आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित हो।

(ii) प्रावधान उनके वर्तमान मूल्यानुसार नहीं निकाले जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर तय किए जाते हैं।

(iii) प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त होना वास्तविक रूप से सुनिश्चित होने पर ही निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के संबंध में प्रत्याशित प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान का अनुमान किया जाता है।

(iv) आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है।

(v) आकस्मिक देयता संभावित देयता है जो भविष्य की अनिश्चित घटना के परिणाम के आधार पर उत्पन्न हो सकती है। यदि आकस्मिकता संभव है और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है तो आकस्मिक देयता को लेखा अभिलेख में रिकॉर्ड किया जाता है।

5.6 खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया :

क. सेवा कर:

स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ:

I. **01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 तक (₹5,367.42 करोड़) :**

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की

गतिविधियों को 'सामान्य बीमा व्यवसाय' की श्रेणी में रखते हुए सेवा कर विभाग ने 01 अक्टूबर 2006 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए दिनांक 10 जनवरी 2013 के आदेश के अनुसार ₹5,367.42 करोड़ (उक्त राशि पर ब्याज और दंड सहित) के सेवा कर की मांग की है। निगम ने 8 अप्रैल 2013 को सीईएसटीएटी में आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। सीईएसटीएटी ने 11 मार्च 2015 के आदेश में 20 सितंबर 2011 से पहले की अवधि के लिए ₹5,367.42 करोड़ की संपूर्ण मांग को रद्द करके निगम को राहत प्रदान की है । तथापि सीईएसटीएटी ने यह भी माना कि निगम की गतिविधि ''सामान्य बीमा व्यवसाय'' की श्रेणी में आती है और निगम सेवाकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के 5,367.42 करोड़ रुपये की पूरी मांग को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। निगम ने 20 जुलाई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया है और मामले की सुनवाई अभी बाकी है। निगम ने 09 सितंबर 2015 को माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष ''सामान्य बीमा व्यवसाय'' के तहत आने वाली गतिविधि के वर्गीकरण की पुष्टि के खिलाफ एक अपील भी दायर की है ।

इस बीच, सेवा कर विभाग ने 01 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2011 की अवधि के लिए धारा 78 के बजाय धारा 76 के तहत ₹283 करोड़ की राशि का अर्थदण्ड लगाए जाने के लिए सीईएसटीएटी से संपर्क किया, जिसे 27 अप्रैल 2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि 11 मार्च 2015 के आदेश द्वारा योग्यता के आधार पर निगम के पक्ष में निर्णय लिया गया है। [धारा 76 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहता है; धारा 78 के तहत अर्थदण्ड का प्रावधान वहाँ किया जाता है जहां सेवा कर नहीं लगाया गया है या फिर जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर की गई गलत बयानी, दमन या मिलीभगत के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।] सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2016 के सिविल अपील संख्या 3340-3342 के साथ चिह्नित किया है।

II. **01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 (₹118.64 करोड़ और विलंब हेतु ब्याज ₹56.87 करोड़)**:

कंप्यूटर आधारित लेखापरीक्षा कार्यक्रम (सीएएपी लेखापरीक्षा) के आधार पर 26 जून 2014 के पत्र के माध्यम से 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिए सेवा कर विभाग ने निगम द्वारा प्राप्त प्रीमियम को 'सेवा कर रहित' मानते हुए 'अतिरिक्त सेवा कर देयता' के रूप में निगम से ₹118.64 करोड़ की मांग की है। निगम ने उक्त अवधि में प्राप्त प्रीमियम को 'सेवा कर सहित' माना है। निगम ने 'आपत्ति के अधीन' 8 जनवरी 2015 को ₹88.44 करोड़ तथा 30 जून 2015 को ₹30.2 करोड़ (कुल ₹118.64 करोड़) का भुगतान किया है। निगम ने 'आपत्ति के अधीन' ब्याज के रूप में ₹39.46 करोड़ (सेवा कर अधिकारियों ने ब्याज की गणना के लिए निगम द्वारा निर्धारित क्रमश: 06 जून और 06 दिसंबर की तुलना में भुगतान के लिए नियत तिथि 31 मार्च और 06 अक्टूबर मानी थी) का भुगतान भी किया।

आयुक्त (अपील) ने 11 जनवरी 2016 के आदेश में यह बताया है कि निगम को प्राप्त प्रीमियम को सेवा कर सहित माना जाना विधिक प्रावधान के अनुसार है। हालांकि, आयुक्त ने कराधान नियम 2011 के बिन्दु के अंतर्गत भुगतान की नियत तारीख से जुड़े मामले पर ध्यान नहीं दिया है। निगम ने तदनुसार सीईएसटीएटी के समक्ष 18 अप्रैल 2016 को आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। विभाग ने भी आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

विभाग ने ₹17.40 करोड़ (डीआईसीजीसी द्वारा किए गए ₹39.6 करोड़ के भुगतान को छोड़कर) के ब्याज के भुगतान के लिए मई 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयुक्त ने 16 अगस्त 2018 के आदेश द्वारा उठाई गई मांग की पुष्टि की थी। निगम ने 26 नवंबर 2018 को सीईएसटीएटी, मुंबई के समक्ष एक अपील दायर की। डीआईसीजीसी ने दिनांक 1 जून 2018 के पत्र के माध्यम से ₹158 करोड़ के रिफंड के लिए एक आवेदन दायर किया क्योंकि भुगतान विरोध के तहत किया गया था। सहायक आयुक्त ने 20 मई 2020 के आदेश के तहत रिफंड के अनुरोध को खारिज कर दिया। निगम ने आदेश के विरुद्ध 20 अक्टूबर 2020 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। इसके बाद, 06 जनवरी 2021 को ₹158 करोड़ के रिफंड के संबंध में एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई थी। नतीजतन, निगम को 18 मार्च 2021 का एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें आयुक्त (अपील) ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और निगम के पक्ष में ₹158 करोड़ की वापसी से संबंधित मुद्दे का फैसला किया।

चूंकि निर्णय निगम के पक्ष में था, इसलिए निगम ने 02 जून 2021 के पत्र के माध्यम से रिफंड के लिए सेवा कर विभाग से संपर्क किया। हालांकि, सेवा कर विभाग ने सीईएसटीएटी में फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इस संबंध में एक प्रति 17 अगस्त 2021 को निगम को प्राप्त हुई। सीईएसटीएटी ने दिनांक 14 जुलाई 2023 के आदेश के माध्यम से डीआईसीजीसी के पक्ष में निर्णय दिया। निगम को अप्रैल 2024 में ₹158 करोड़ का रिफंड मिला है।

ख. दावे:

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता किससे संबंधित है	लेखा कोड	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
क) पंजीकरण रद्द किए गए बैंक	1080002	6,981.69*	41,858.21
ख) अप्राप्य जमाकर्ता	1080006	17,377.69	14,940.37
ग) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	9,156.51	8,764.66
घ) एआईडी के अधीन बैंक	1080003	51,566.35	50,721.81

*बोटाड पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए तैयार किए गए सीएल (₹ 13.20 करोड़) पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसे गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसके लिए डीआईसीजीसी देयता लागू नहीं की गई है।

स्रोत: डीआईसीजीसी

(₹ लाख में)

किसके संबंध में प्रावधानों का रिवर्सल	लेखा कोड	2023-24 के दौरान	2022-23 के दौरान
क) अप्राप्य जमाकर्ता	1080006	2,438.52	-
ख) अज्ञात जमाकर्ता	1080005	391.84	-

स्रोत: डीआईसीजीसी

2. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 का संशोधन:

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन के विषय में 01 सितंबर 2021 से अधिनियम में एक नई धारा 18ए जोड़ी गई है, जिसमें डीआईसीजीसी ऐसे बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिनके संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के किसी भी प्रावधान के तहत कोई निषेध या आदेश या योजना बनाई गई है और इस तरह के निर्देश, निषेध, आदेश या योजना में ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि तक पहुंचने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। तदनुसार, डीआईसीजीसी ने वर्ष के दौरान 28 बैंकों के संबंध में ₹1,26,121.23 लाख (2022-23 के दौरान 28 बैंकों के संबंध में ₹64,991.90 लाख) का भुगतान किया है ।

3. निवेश उच्चावचन रिज़र्व:

निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर) बाजार जोखिम से बचाव के लिए अनुरक्षित किया जाता है। लेखांकन नीति के अनुसार बाजार जोखिम से अधिक रखे गए आईएफआर को बरकरार रखा जाता है और आगे ले जाया जाता है। 31 मार्च 2024 को ₹8,15,707.66 लाख आईएफआर अनुरक्षित रखा गया था (31 मार्च 2023 को यह ₹6,96,696.63 लाख था)।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अंतर्दिवसीय चलनिधि व्यवस्था:

तीनों निधियों से संबंधित निवेशों में शामिल ₹2500 करोड़ के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को प्रदान की गई अंतर्दिवसीय चलनिधि (आईडीएल) सुविधा हेतु चिन्हित किया गया है।

5. रिपो लेन-देन (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार)

अंकित मूल्य के अनुसार (₹ लाख में)

प्रकटीकरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार
I.रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II. रिवर्स रिपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
सरकारी प्रतिभूतियाँ	5,462.00	13,72,846.00	1,83,701.91	17,133.00
निगमित ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत: डीआईसीजीसी

6. आयकर:

निगम वित्त वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की धारा 115बीएए में दिए गए 22% की दर से आयकर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग जारी रखेगा।

कर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं।

चालू कर:

चालू कर, आयकर अधिनियम, 1961 और आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई अवधि के लिए कर योग्य आय (कर हानि) के संबंध में भुगतान के लिए निर्धारित आयकर की राशि (वसूली योग्य) है।

आस्थगित कर:

वर्ष के लिए बहीखाते और कर लाभों के बीच समय अंतराल के लिए आस्थगित कर का हिसाब उन कर दरों और कानूनों का प्रयोग करके लगाया जाता है, जिन्हें तुलन पत्र की तारीख के अनुसार मूलभूत रूप से अधिनियमित किया गया है। समय अंतराल से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों की इस सीमा तक पहचान की जाती है कि भविष्य में इनके वसूल होने की उचित निश्चितता हो। आस्थगित कर आस्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है और इसे वह राशि दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है, जिसका वसूल होना उचित/वस्तुत: निश्चित हो।

प्रावधान:

करों के लिए	चालू कर -₹8,20,000 लाख
प्रावधान -	आस्थिगत कर -₹ 3.76 लाख

समय अंतराल से उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ में)

आस्थगित कर आस्ति/देयता	**मार्च 2024 तक**
आस्थगित कर आस्ति	
निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	9,86,246
आस्थगित कर देयता	
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	(13,62,161)
शुद्ध आस्थगित कर आस्ति/ (देयता)	(3,75,916)

स्रोत: डीआईसीजीसी

7. बीमांकिक मूल्यांकन:

31 मार्च 2024 तक बीमांकिक मूल्यांकन की गणना के लिए जोखिम डिफ़ॉल्ट संभाव्यता और हानि अनुपात दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था।

8. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण:

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

डॉ. दीपक कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अप्रैल 2024 तक निगम के मामलों का प्रभार संभाला। उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक से वेतन और अनुलाभ प्राप्त किए हैं। श्री आर. लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 मई 2024 से 30 जून 2024 तक निगम के मामलों का प्रभार संभाला। आज की तारीख में, श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक निगम के मामलों का प्रभार संभाल रहे हैं।

9. चालू पूंजीगत कार्य:

निक्षेप बीमा की बढ़ती आवश्यकताओं और उभरते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, डीआईसीजीसी के लिए एक नए एप्लीकेशन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें अत्याधुनिक कार्यक्षमताएं हों, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ स्वयं को संरेखित करने के लिए निगम के विज़न को पूरा किया जा सके। यह एप्लिकेशन, विभाग के नियमित परिचालन संबंधी प्रबंधन के अलावा, कठिन कार्यों के लिए स्वचालन और डेटा विश्लेषण क्षमताओं के आधार पर व्यापक अंतदृष्टि प्रदान करेगा। यह प्रौद्योगिक छलांग हमारी प्रक्रियाओं को काफी हद तक सुव्यवस्थित करेगी, और परिचालन की क्षमता में सुधार करेगी।

सॉफ्टवेयर डेवलप्मेंट के लिए रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹6.5 करोड़ आंकी गई है, और 31 मार्च 2024 तक होने वाले व्यय ₹31.1 लाख (जीएसटी को छोड़कर) हैं। यह डेवलप्मेंट संभवत: 2025-26 में पूरा हो जाएगा।

10. पट्टे:

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए जाने वाले पट्टा किराए को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

11. खण्ड वार रिपोर्ट:

वर्तमान में निगम बैंको को उनकी श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रमुख रूप से उन्हें एक समान दर पर निक्षेप बीमा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार, प्रबंधन की राय में, व्यवसाय अथवा भौगोलिक रूप से कोई भिन्न-भिन्न रिपोर्ट योग्य खण्ड नहीं है।

12. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए, पिछले वर्ष के आँकड़ों में, आवश्यकतानुसार सुधार /उनका पुनर्वर्गीकरण / उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

62nd Annual Report of the Board of Directors

Balance Sheet and Accounts for the year ended March 31, 2024

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

Mission

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors

Vision

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders

CONTENTS

Particulars	Page No.
Letter of Transmittal to the Reserve Bank of India	i
Letter of Transmittal to the Government of India	ii
Board of Directors	iii
Organisation Structure	iv
Contact information of the Corporation	v
Principal Officers of the Corporation	vi
Abbreviations	vii-viii
2023-24 At a Glance	ix
Highlights	x-xiv
1. AN OVERVIEW OF DICGC	1-6
Introduction	1
History	1
Institutional Coverage	1
Registration of Banks	2
Insurance Coverage	2
Types of Deposits Covered	2
Insurance Premium	2
Cancellation of Registration	3
Supervision and Inspection of Insured Banks	3
Settlement of Claims	3
Recovery of Settled Claims	4
Funds, Accounts and Taxation	4
Annex Chart 1	5
Annex Chart 2	6
2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	**7-20**
Introduction	7
Management Policy and Strategy	8
Communication Strategy and Policy	15

CONTENTS

DepTech/Fintech in Deposit Insurance 18

Emerging Risks for Deposit Insurers- Climate Change 19

Way Forward 20

3. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 21-30

Part I: Operations and Working 21

Deposit Insurance Scheme 21

Deposit Insurance Fund 22

Settlement of Deposit Insurance Claims 22

Claims Settled / Repayments Received 23

Court Cases 24

Credit Guarantee Schemes 24

Part II: Other Important Initiatives/Developments 24

DICGC Act – Financial Safety Net 24

Measures Related to Recovery Management 24

Communication Policy and Strategy 25

Risk Management 25

Part III: Statement of Accounts 25

Insurance Liabilities 25

Revenue during the Year 25

Accumulated Surplus 26

Investments 26

Taxation 26

Part IV: Treasury Operation 26

Part V: Organisational Matters 27

Board of Directors 27

Nomination / Retirement of Directors 27

Audit Committee of the Board 28

Internal Controls 28

Training and Skill Development 28

CONTENTS

Staff Strength 28

The Right to Information Act, 2005 28

Use of Hindi..... 29

Complaints Redressal Cell in the Corporation 29

Public Awareness..... 29

International Relations 30

Auditors..... 30

APPENDIX TABLES..... 31-60

1 Banks under the Deposit Insurance - Progress Since Inception..... 31

2A Insured Banks – Bank Group-wise 32

2B Insured Co-operative Banks - State-wise 32

3 Banks Registered / De-Registered during 2023-24 33

4 Deposit Protection Coverage: Since Inception 34

5 Bank Group-wise Insured Deposits 35

6 Deposit Insurance Claims Settled during 2023-24..... 36
(Liquidated/Merged Banks)

6A Deposit Insurance Claims Settled during 2023-24 37
(Banks under All Inclusive Directions)

7 Provision held under Contingent Liability..... 38

7A Provision held under Contingent Liability - Banks under AID 38

8 Insurance Claims Settled and Repayment Received - 39
All Banks Liquidated / Amalgamated / Reconstructed up to
March 31, 2024

8A Insurance Claims Settled and Repayment Received - 57
Banks Placed under All-inclusive Directions (AID) up to March 31, 2024

8B Insurance Claims Settled under Expeditious Settlement Scheme - 60
Up to March 31, 2024

4. AUDITORS' REPORT..... 61-63

5. BALANCE SHEET AND ACCOUNTS..... 64-79

CONTENTS

BOXES	Page No.
Box 1: Navigating Uninsured Deposits: Impact on Financial Stability	11
Box 2: New Approach to Targeted Awareness Campaign on Deposit Insurance	17
Box 3: Climate Risk and Deposit Insurance	19

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

CO.DICG.SECD.No.S681/01.01.016/2024-25 June 27, 2024

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Central Office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2024

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2024 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2024.

2. Documents mentioned at (i) and (ii) have been furnished to the Government of India as required under Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

3. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(N. Arun Vishnu Kumar)
Director

Encl: As above

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Since 1961 भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

CO.DICG.SECD.No.S679/01.01.016/2024-25 June 20, 2024

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2024

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2024 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2024.

Three extra copies thereof are also sent herewith.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (*i.e.,* Balance-sheets, Accounts and Report on the Working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz*., the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act *ibid.* The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you in due course.

Yours faithfully,

(N. Arun Vishnu Kumar)
Director

Encl: As above

BOARD OF DIRECTORS*

CHAIRMAN	
Dr. M. D. Patra **Deputy Governor** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from March 31, 2020)
DIRECTORS	
Dr. Deepak Kumar **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from January 4, 2022 to April 30, 2024)
Shri R. Lakshmi Kanth Rao **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from May 10, 2024 to June 30, 2024)
Shri Arnab Kumar Chowdhury **Executive Director** **Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from July 1, 2024)
Shri Pankaj Sharma **Joint Secretary** **Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from April 1, 2022)
Shri Shaji K. V. **Chairman** **National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from February 15, 2023)
Dr. Tarun Agarwal	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from July 10, 2024)
Prof. Partha Ray **Director** **National Institute of Bank Management**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from July 10, 2024)

* As on July 10, 2024

ORGANISATION STRUCTURE

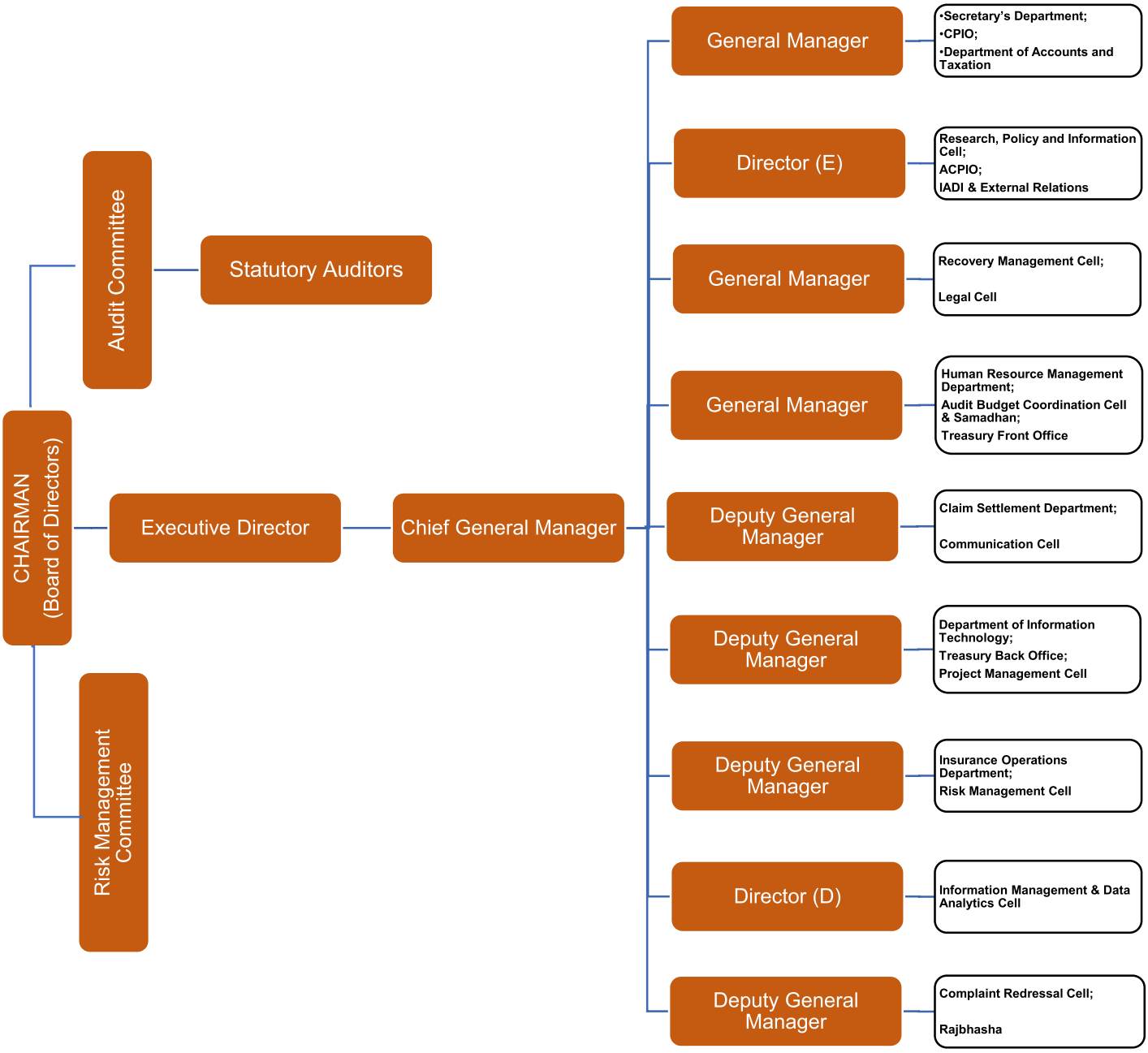

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION*

Telephone Numbers

022-2302 8237	Insurance Operations Department
022-2302 8233	Claim Settlement Department
022-2306 8223	Recovery Management Cell
022-2301 1991	Secretary's Department & RTI Cell

HEAD OFFICE **Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation**

Reserve Bank of India Building, 2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai – 400 008, INDIA

Chief General Manager	anupkumar@rbi.org.in	022-2302 8220
General Manager	sathishkumar@rbi.org.in	022-2302 8226
Director	arunvishnukumar@rbi.org.in	022-2301 9792
General Manager	rkrajkumar@rbi.org.in	022-2302 8209
General Manager	mysorte@rbi.org.in	022-2302 8201
Deputy General Manager	pawanjeetkaur@rbi.org.in	022-2302 8206
Deputy General Manager	sangita@rbi.org.in	022-2302 8205
Deputy General Manager	sunurajan@rbi.org.in	022-2302 8508
Director (D)	msadki@rbi.org.in	022-2302 8224
Deputy General Manager	sroychowdhury@rbi.org.in	022-2302 8219

Email: dicgc@rbi.org.in
Website: www.dicgc.org.in

* As on July 10, 2024

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION*

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri Arnab Kumar Chowdhury

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri Anup Kumar

SECRETARY & CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Shri S. Sathish Kumar, General Manager

GENERAL MANAGERS, DEPUTY GENERAL MANAGERS & DIRECTORS

Shri N. Arun Vishnu Kumar (Director 'E')

Shri Raj Kumar (GM)

Shri Mangesh Y. Sorte (GM)

Smt Pawanjeet Kaur Rishi (DGM)

Smt Sangita E. (DGM)

Shri Sunu Rajan (DGM)

Shri Madhusudan S. Adki (Director 'D')

Shri Subhasis Roychowdhury (DGM)

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

AUDITORS

M/s Jain Chowdhary & Co.

Chartered Accountants

104, Model Residency

B. J. Marg, Jacob Circle, Mahalaxmi

Mumbai 400 011, India

* As on July 10, 2024

ABBREVIATIONS

AEs	:	Advanced Economies
AFS	:	Available for Sale
AID	:	All Inclusive Directions
ALM	:	Asset Liability Management
APRC	:	Asia Pacific Regional Committee
AS	:	Accounting Standards
BCBS	:	Basel Committee on Banking Supervision
CA	:	Chartered Accountant
CAAP	:	Computer Aided Audit Programme
CASBI	:	CCIL All-India Sovereign Bond Index
CCIL	:	Clearing Corporation of India Limited
CESTAT	:	Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CGS	:	Credit Guarantee Scheme
CIC	:	Chief Information Commission
CISO	:	Chief Information Security Officer
CPs	:	Core Principles
CRCS	:	Central Registrar of Co-operative Societies
CSAA	:	Control Self-Assessment Audit
DI	:	Deposit Insurance
DIA	:	Deposit Insurance Agency
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	:	Deposit Insurance Fund
DIS	:	Deposit Insurance System
DR	:	Disaster Recovery
EAD	:	Exposure at Default
EC	:	Essential Criteria
ED	:	Executive Director
EKP	:	Enterprise Knowledge Portal
EMEs	:	Emerging Market Economies
ERM	:	Enterprise-wide Risk Management
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association
FRN	:	Firm Registration Number
FY	:	Financial Year
GAAP	:	Generally Accepted Accounting Principles
GDP	:	Gross Domestic Product
GF	:	General Fund
GNPA	:	Gross Non-Performing Assets
GoI	:	Government of India
GS/G-Secs	:	Government Securities
GST	:	Goods and Services Tax
HY	:	Half Year
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
ICAI	:	Institute of Chartered Accountants of India
IDL	:	Intra-Day Liquidity

ABBREVIATIONS

IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IFRS	:	International Financial Reporting Standards
IMF	:	International Monetary Fund
IRA	:	Investment Reserve Account
IT	:	Information Technology
KYC	:	Know Your Customer
LABs	:	Local Area Banks
LAR	:	Liquidity Adequacy Ratio
LCR	:	Liquidity Coverage Ratio
LGD	:	Loss Given Default
MIS	:	Management Information System
MPC	:	Monetary Policy Committee
MTM	:	Mark to Market
MVB	:	Market Value at Beginning
MVE	:	Market Value at End
NABARD	:	National Bank for Agriculture and Rural Development
NACH	:	National Automated Clearing House
NDS-OM	:	Negotiated Dealing System - Order Matching System
NNPA	:	Net Non-Performing Assets
NSO	:	National Statistical Office
OECD	:	Organization for Economic Co-operation and Development
OTC	:	Over the Counter
PBs	:	Payment Banks
PD	:	Probability of Default
PMCBL	:	Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited
QCCP	:	Qualified Central Counter-Party
QR	:	Quick Response
RBI	:	Reserve Bank of India
RBIA	:	Risk Based Internal Audit
RCS	:	Registrar of Co-operative Societies
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RTI	:	Right to Information
SC	:	Scheduled Caste
SFBs	:	Small Finance Banks
SLGS	:	Small Loan Guarantee Scheme
SOP	:	Standard Operating Procedure
ST	:	Scheduled Tribe
TAFCUB	:	Task Force on Co-operative Urban Banks
TMO	:	Treasury Middle Office
TWR	:	Total Weighted Return
UDIN	:	Unique Document Identification Number
USA/US	:	United States of America
UTs	:	Union Territories
VaR	:	Value at Risk

2023-24 AT A GLANCE

62 Years of securing public confidence in the banking system through deposit insurance

1,997 Registered Insured Banks (end-March 2024)

₹ 1,98,753 Crore Deposit Insurance Fund (end-March 2024)

2.11% Reserve Ratio (end-March 2024)

97.8% Fully protected deposit accounts (end-March 2024)

43.1% Protected deposit amounts (end-March 2024)

₹ 23,879 Crore Premium collected

₹ 1,432 Crore Claims settled in 2023-24
(For liquidated banks as well as banks under AID)

₹ 5,359 Crore Interim payments made to 3,76,661 depositors of banks under All Inclusive Directions till date

₹ 901 Crore Recoveries from settled claims

HIGHLIGHTS - I: DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(Amount in ₹ Crore)

At year-end	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	(P) 2023-24
1 CAPITAL*	50	50	50	50	50
2 DEPOSIT INSURANCE					
(i) Deposit Insurance Fund	1,10,384	1,29,904	1,46,842	1,69,602	1,98,753
	(17.74)	(17.68)	(13.04)	(15.50)	(17.19)
(ii) Insured Banks (Nos. in actual)	2,067	2,058	2,040	2,026	1,997
(iii) Assessable Deposits	1,34,88,910	1,49,67,770	1,65,49,630	1,94,58,915	2,18,23,481
	(12.36)	(10.96)	(10.57)	(17.6)	(12.15)
(iv) Insured Deposits@	#36,96,100 (9.68)	76,21,251 (10.91)	81,10,431 (6.42)	86,31,259 (6.42)	94,10,674 (9.03)
(v) Total number of Insured Accounts (in crore)	235.00	252.63	262.19	276.3	289.8
	(8.10)	(7.50)	(3.78)	(5.38)	(4.87)
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in crore)	#216.10 (8.05)	247.80 (7.27)	256.67 (3.58)	270.5 (5.38)	283.3 (4.74)
(vii) Claims paid since inception^	5,199	5,763	14,278	15,031	16,326

P – Provisional.

* Under General Fund of the Corporation.

@ Deposit insurance cover increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh with effect from February 4, 2020.

For the year 2019-20, Insured deposits and number of fully protected accounts estimated as ₹68,71,500 crore and 231 crore, respectively, for deposit insurance cover of ₹5 lakh.

^ Claims of the banks placed under “All Inclusive Directions” by the Reserve Bank also include claims of the liquidated banks from 2021-22 onwards.

Note:

1) Data in parentheses are year-on-year percentage growth rates.

2) Data on the items from 2 (iii) to 2 (vi) for the financial years from 2019-20 to 2021-22 are as on September 30 (previous half-year), however, the same for the financial years 2022-23 and 2023-24 are as on March 31.

Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - II: DEPOSIT INSURANCE

(Amount in ₹ Crore)

PARTICULARS	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	(P) 2023-24
REVENUE STATEMENT					
Premium Income	13,234	17,517	19,491	21,381	23,879
	(9.89)	(32.36)	(11.27)	(9.70)	(11.68)
Investment Income	8,532	9,650	10,496	11,908	13,947
	(17.76)	(13.10)	(8.77)	(13.45)	(17.12)
Net Claims	54	993	8,121	730	1,586
Revenue Surplus Before Tax	15,486	26,555	20,566	33,391	34,278
Revenue Surplus After Tax	10,302	19,332	15,239	24,559	24,438
BALANCE SHEET					
Fund Balance (Actuarial)	12,087	12,275	13,974	12,174	16,887
Fund Surplus	98,297	1,17,629	1,32,868	1,57,427	1,81,866
Outstanding Liability for Claims	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
PERFORMANCE METRICS					
1A. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement for liquidated banks@	11	7	3	-	14
1B. No. of days between receipt of a claim and claim settlement for AID banks			45	45	45
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@	508	500	184	-	466
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.29	0.20	0.14	0.16	0.18
(of which: Employee cost as percentage of total premium income)	0.10	0.10	0.06	0.08	0.09

@ Settlement of claims by the Corporation is contingent upon receipt of the depositor list from the liquidator (appointed by the respective state Registrar of Cooperative Societies). The Corporation has settled the claims within 14 days (average) post receipt of the depositor list from the liquidators.

DICGC has not settled main claim for banks under liquidation during 2022-23. However, with respect to banks under All-Inclusive Directions (AID), the department has adhered to the statutory timeline between the date on which DICGC becomes liable to pay and the date of actual payment, *i.e.*, not exceeding 90 days.

Note: Data in parentheses are year-on-year percentage growth rates.

Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

HIGHLIGHTS – III

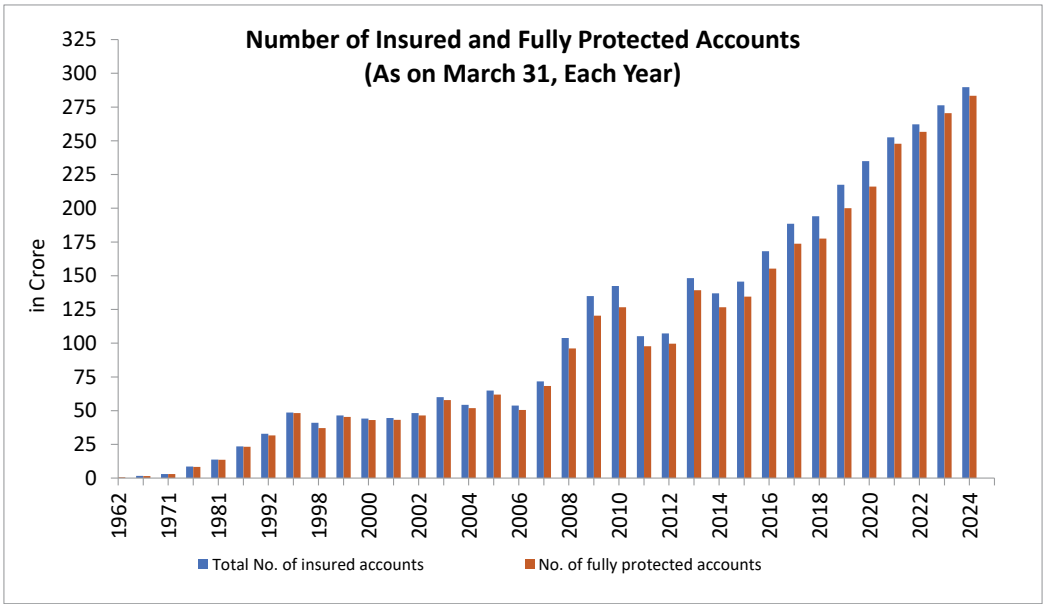

Note: Data for 2010-11 are as per new reporting format.

Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

HIGHLIGHTS – IV

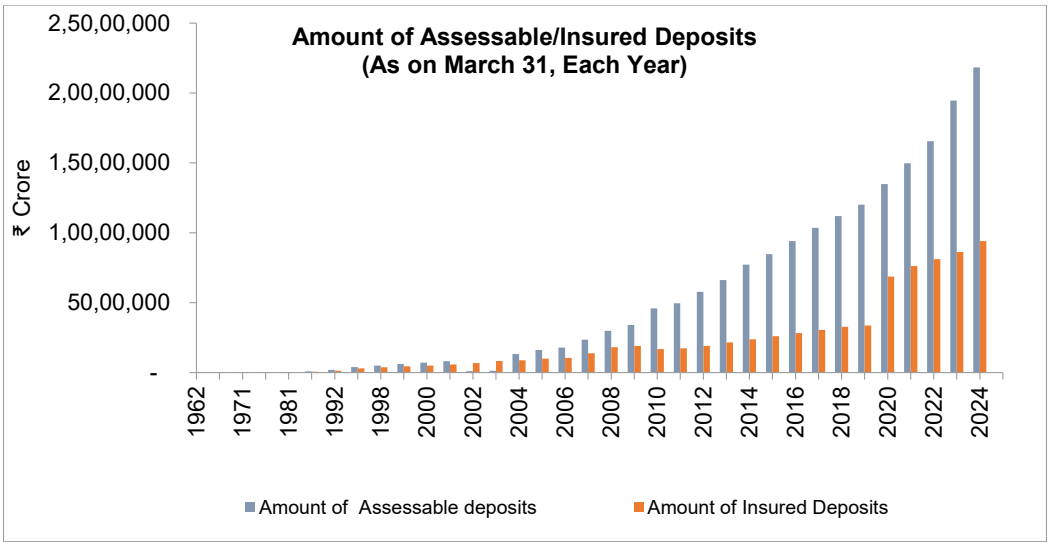

Note: Data since 2009-10 are as per new reporting format.

Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

HIGHLIGHTS – V

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSIT OF INSURED BANKS (MARCH 31, 2024)

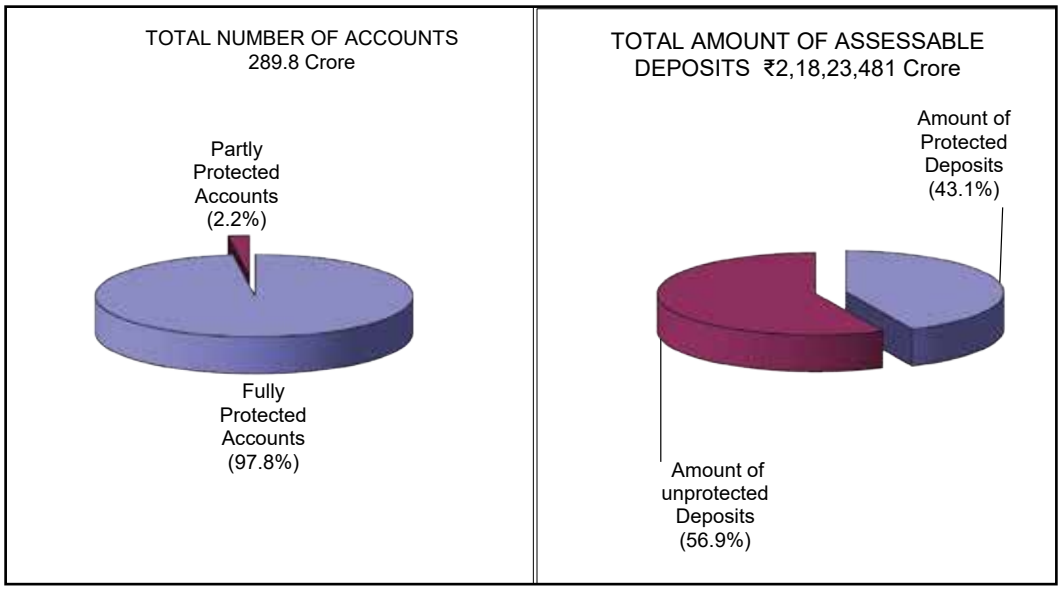

Note:

1. Data as per new reporting format.
2. Figures relate to ₹ 5 lakh deposit insurance cover at ₹ 94,10,674 Crore

Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

HIGHLIGHTS – VI

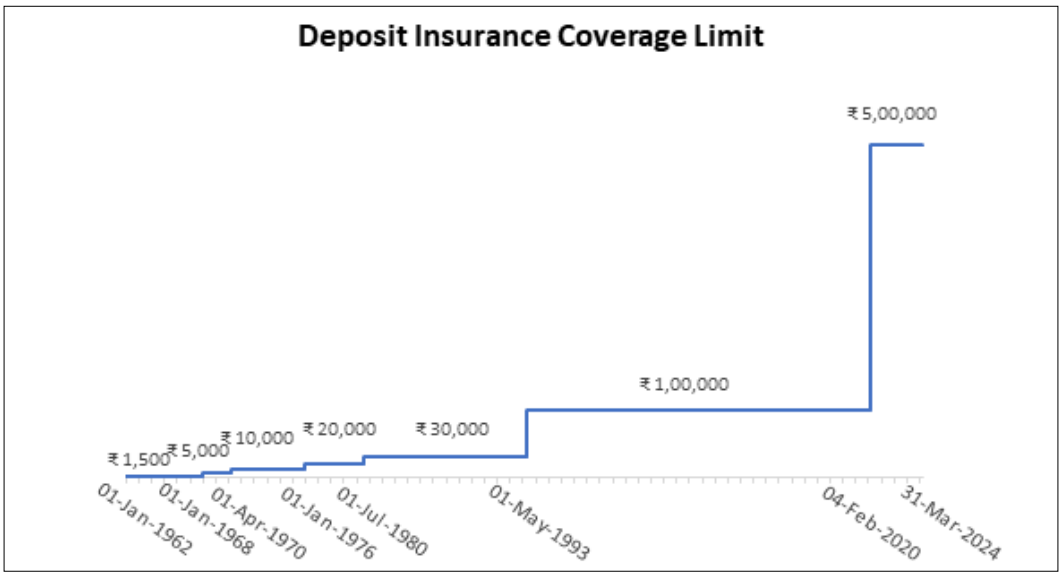

Source: DICGC

HIGHLIGHTS – VII

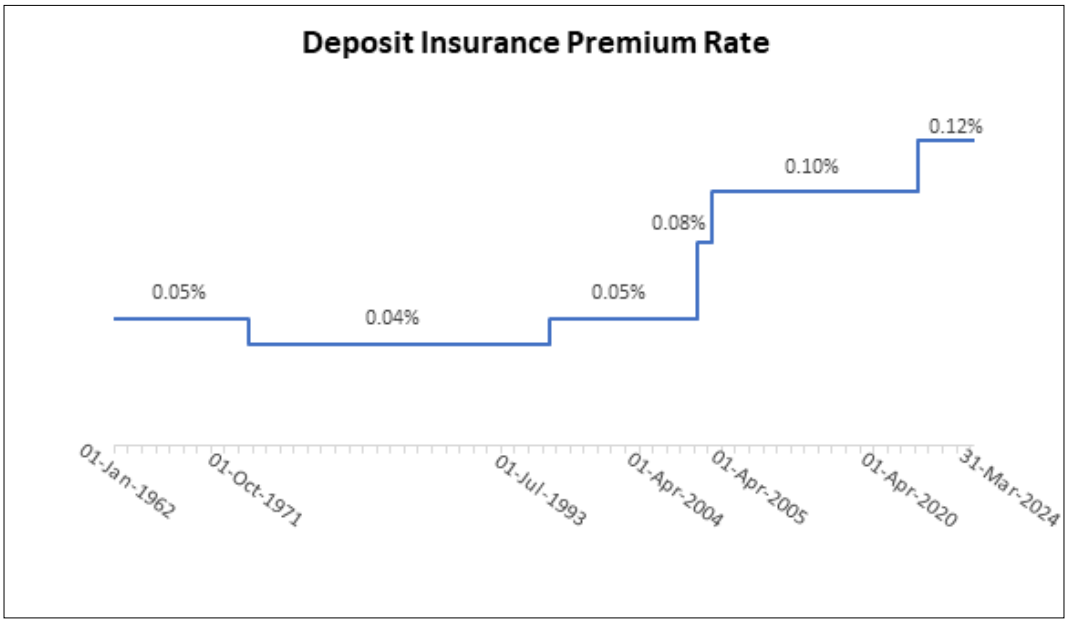

Source: DICGC

1. AN OVERVIEW OF DICGC

1. Introduction

The functions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) are governed by the provisions of the DICGC Act, 1961 and the DICGC General Regulations, 1961 *framed by the Reserve Bank of India (RBI) in exercise of the powers conferred by Section 50(3) of the said Act*. As no credit institution was participating in any of the credit guarantee scheme administered by the Corporation, the scheme was discontinued in April 2003 and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

2. History

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949 but was held in abeyance till RBI set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Renewed attention to the issue of deposit insurance was given by RBI and the Government of India after the failure of the Palai Central Bank Ltd. and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. Accordingly, the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India. With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was further extended to co-operative banks. Accordingly, the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" as insured banks under the provisions of Section 13A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with RBI, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, under Section 17(11A) (a) of RBI Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organization to guarantee the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank had promoted a public limited company on January 14, 1971, named as the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the CGCI aimed to encourage the commercial banks to cater to the credit needs of the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by RBI.

With a view to integrate the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organizations, *viz*., the Deposit Insurance Corporation (DIC) and the CGCI, were merged and the DICGC came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was amended and renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guaranteed support to credit granted to small scale industries, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances. Accordingly, the credit guarantee scheme was discontinued with effect from April 2003.

3. Institutional Coverage

All commercial banks, including the branches of foreign banks in India, Small Finance Banks (SFBs), Payment Banks (PBs), Regional Rural Banks (RRBs), and Local Area Banks (LABs) are covered under the Deposit Insurance Scheme.

Furthermore, all eligible co-operative banks as defined under Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under the Deposit Insurance Scheme. These include all State, District Central and Primary Co-operative Banks functioning in India. The States/Union Territories (UTs) have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act. This amendment empowers RBI to supersede the committee of management of a co-operative bank and

requires that any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank may be made only with the previous sanction in writing of RBI. At present, all co-operative banks are covered under the Scheme. The three UTs, namely, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli, and Ladakh do not have any insured/registered co-operative banks.

4. Registration of Banks

In terms of Section 11 of the DICGC Act all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by RBI under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. In terms of Section 11A of DICGC Act, all RRBs are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment.

All co-operative banks are required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by RBI. In terms of section 13A of the DICGC Act, the Corporation shall register a primary credit society on conversion into a primary co-operative bank within three months of its having made an application for a licence.

A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered if it has been informed by RBI that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz.*, the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, and the returns to be furnished to the Corporation.

5. Insurance Coverage

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held in "the same capacity and in the same right" at all the branches of a bank taken together. However, the Act empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time (Table 1).

Table 1: Deposit Insurance Coverage

Effective from	Insurance Cover (up to)
February 4, 2020	₹5,00,000/-
May 1, 1993	₹1,00,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1968	₹5,000/-
January 1, 1962	₹1,500/-

Source: DICGC

6. Types of Deposit Covered

The Corporation insures all the bank deposits except (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central/State Governments; (iii) inter-bank deposits; (iv) deposits received outside India, and (v) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of RBI.

7. Insurance Premium

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system (Table 2). The premia to be paid by the insured banks are computed based on their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the start of each financial half year, based on their deposits at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors.

Table 2: Insurance Premium Rates (As per cent of deposit of ₹100)

Date from	Premium (in ₹)
April 1, 2020	0.12
April 1, 2005	0.10
April 1, 2004	0.08
July 1, 1993	0.05
October 1, 1971	0.04
January 1, 1962	0.05

Source: DICGC

For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment. As per the amendment to Section 15 (1) of the DICGC Act made in August 2021, the DICGC may raise the limit of 15 paise per ₹100 of deposits on insurance premium with the prior approval of RBI, considering its financial position and the interests of the banking sector in the country as a whole.

8. Cancellation of Registration

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration, if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled under any of the following circumstances: (i) if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; (ii) its licence is cancelled, or a licence is refused to it by RBI; (iii) it is wound up either voluntarily or compulsorily or it ceases to be a banking company or a co-operative bank as per Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; and it has transferred all its deposit liabilities to any other institution or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

9. Supervision and Inspection of Insured Banks

In terms of Section 35 of the DICGC Act, the Corporation shall have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. Further, in terms of Section 36 of the Act ibid, on the Corporation's request, RBI is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

10. Settlement of Claims

In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held at all the branches of that bank put together 'in the same capacity and in the same right', as on the date of cancellation of registration (*i.e.*, the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his/her dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, the Corporation pays to the depositors up to the deposit insurance limit in force at that time in consonance with the terms and conditions of the merger scheme. In such cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the 'same capacity and in the same right' at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any, [Section 16(2) and (3) of the DICGC Act].

Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Annex; Chart 1).

In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, etc., sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted

by the Chief Executive Officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation / reconstruction, etc. comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants (CAs) which conducts on-site verification.

The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount by crediting the account opened with the Agency Bank, in the name of the Liquidator of the liquidated bank/Chief Executive Officer of the transferee/ insured bank for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are not sanctioned till such time as the Liquidator/ Chief Executive Officer is able to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

Further, as per Section 18A of the amendment to the DICGC Act made in August 2021, the Corporation is liable to make payment to depositors up to the deposit insurance limit, of the banks placed under All Inclusive Direction (AID) by RBI (Annex Chart 2). The payment is to be completed within 90 days from the date of imposition of AID by RBI. The insured bank has to submit the depositor list within 45 days of imposition of AID, and the Corporation has to get genuineness and authenticity of the claims verified within 30 days and pay the depositors who have submitted willingness within the next 15 days. In case RBI finds it expedient to bring a scheme of amalgamation/ compromise or arrangement/reconstruction, the liability of the Corporation will get extended by a further period of 90 days. The procedure for claims payment under AID are as per Regulation 21A of the DICGC General Regulations.

11. Recovery of Settled Claims

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, is required to repay to the Corporation the amount disbursed by the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred. As per Section 21 (3) of the DICGC Act, the DICGC, with the approval of its Board, may defer or vary the repayment period for the insured bank to discharge its liability to the DICGC. Presently, banks under AID to whom pay-out has been made under Section 18A of the DICGC Act are required to repay in 5 yearly instalments. Under Section 21 (4) of the Act ibid, DICGC may charge a penal interest of 2 per cent over the repo rate in case of delay in repayment of settled claims.

12. Funds, Accounts and Taxation

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz.*, (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees, respectively, and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹50 crore which is entirely subscribed to by RBI. The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter- Fund transfer among funds is permissible under the Act.

The Corporation follows accrual system of accounting while it is on receipt basis in the case of repayment of settled claims. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the prior approval of RBI. The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed for Income Tax as a ‘company’ as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation is subject to service tax on premium income from October 1, 2011 and is liable to Goods and Services Tax with effect from July 1, 2017.

The audited accounts together with Auditor’s report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to RBI within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament.

Annex Chart 1

A. Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

The detailed process for settling claims for depositors of co-operative banks in India is outlined below (Chart 1):

1. The Reserve Bank cancels the licence/rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Societies (RCS)/Central Registrar of Co-operative Societies (CRCS) with endorsement to the DICGC. DICGC also writes to the concerned RCS/CRCS for early appointment of liquidator.
2. RCS/CRCS appoints a liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines to the liquidator for submission of claims within 3 months of assuming charge.
4. The verification of claim list, including compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank is conducted by the chartered accountant (CA) firms empanelled with the Corporation. The DICGC conducts a familiarisation session for CAs for onsite verification of claim list and books of records of the bank.

Chart 1: Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

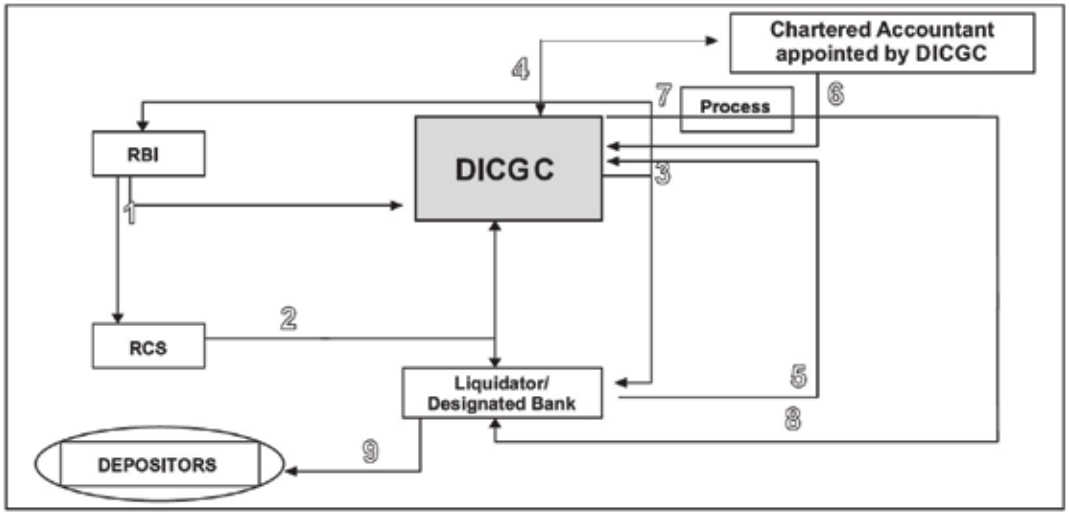

5. The liquidator prepares claim list in two parts (Part-A for traceable/KYC compliant and Part-B for untraceable/ KYC non-compliant) and submits the list to the DICGC in softcopy form for payment to the depositors.
6. CAs are required to furnish their observations and findings on the claim list and records of the liquidated bank incidental to the preparation of the claim list.
7. The Part-A of main claim is processed, and a to-be paid list is arrived for payment of claims to eligible insured depositors. As regards Part-B list, as and when depositors are traced/KYC is complied with, the liquidators submit the claims from Part-B list for payment as supplementary claim.
8. The main claim settlement amount as applicable is released to the designated bank account in the name of the liquidator concerned, maintained with agency bank.
9. The designated bank releases the payment to the depositors through National Electronic Funds Transfer/ Demand Draft/NACH, based on alternate bank account details of depositors as furnished by the liquidator concerned.

Annex Chart 2

B. Claim Settlement Process - Banks under All Inclusive Directions

The detailed process for settling claims of depositors from banks placed under All Inclusive Directions in India is outlined below (Chart 2):

1. The Reserve Bank imposes All Inclusive Directions (AID) under Section 35A of Banking Regulation Act, 1949 and advises bank placed under AID of the restrictions imposed on deposit/withdrawals with an endorsement to the DICGC, where the bank is registered for deposit insurance.
2. DICGC issues guidelines to the concerned bank placed under AID for preparation of comprehensive depositor list with the outstanding deposits of each depositor (in same capacity and in same right after setting off all loans/advances) as on the date on which the direction was imposed.

Chart 2: Claim Settlement Process - Banks under All Inclusive Directions (Under provisions of Banking Regulation Act, 1949)

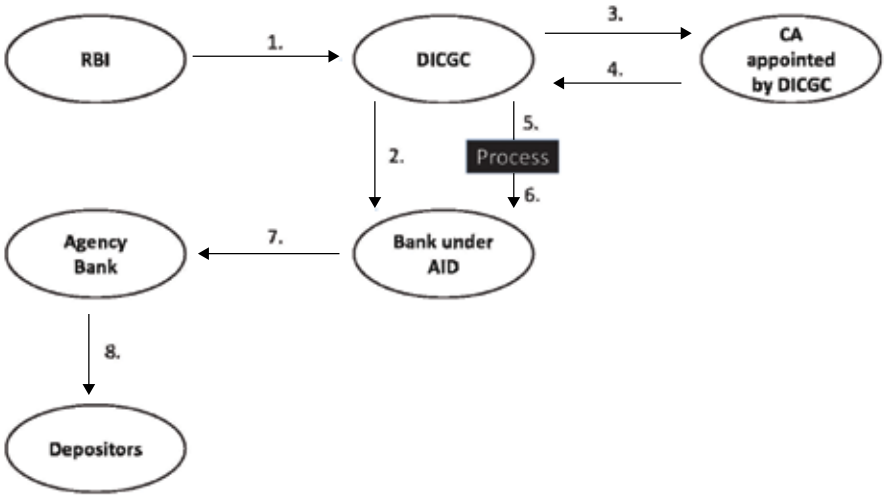

3. In terms of Section 18A of the DICGC Act, banks placed under AID are required to furnish to the Corporation, entire depositor list within 45 days of imposition of AID on the bank. The list should include Part A list *i.e.,* the list of depositors whose claim willingness forms have been received till the 45th day and Part B list, *i.e.*, the list of depositors whose claim willingness forms have not been received by the 45th day. The depositors for which willingness forms have been received within stipulated period are considered for payment on 90th day.
4. The verification of claim list, including compliance with Know Your Customer (KYC) and books of accounts of the liquidated bank is conducted by the chartered accountant (CA) firms empanelled with the Corporation. The CA firm is required to do on-site verification of claim as per the Guidelines issued by the DICGC and Act provisions.
5. The CAs furnish their observations and findings on the claim list and any such record of the bank incidental to settlement of deposit insurance claim.
6. On receipt of CA report, the claim is processed by the DICGC and a to-be-paid list is arrived at for payment of eligible claims to depositors who have expressed their willingness.
7. The DICGC then shares the to-be-paid list with the bank under AID with an advice to furnish details of alternate account of depositors for disbursement of claim through an Agency Bank.
8. The bank placed under AID then shares the duly filled-in list to the Agency Bank under advice to the DICGC.
9. The claims are then disbursed by the Agency Bank to the depositors as per the to-be-paid list and mandate furnished by the bank under AID.

2. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Introduction

Global Economy

The global economy remained resilient in 2023 and is expected to do so in 2024. Global economic growth, according to the International Monetary Fund's (IMF) World Economic Outlook, April 2024, declined in 2023 to 3.2 per cent (3.5 per cent in 2022). The forecast for global growth for 2024 was maintained at 3.2 per cent while for 2025 it was raised by 10 basis points to 3.3 per cent. It is expected that a slight acceleration for advanced economies in 2024 and 2025 would be offset by a modest slowdown in emerging market and developing economies. The downside risks to growth, however, remain high on account of protracted geopolitical tensions, high public debt, and the slow progress in disinflation. The IMF forecasts global inflation to decline steadily, from 6.8 percent in 2023 to 5.9 percent in 2024 and 4.5 percent in 2025, with advanced economies returning to their inflation targets sooner than emerging market and developing economies. Core inflation is generally projected to decline more gradually.

Despite these challenges, the global financial system has remained stable. According to the IMF's Global Financial Stability Report, April 2024, financial conditions worldwide have eased on the expectations of continued global disinflation and easing of monetary policy. The Report adds that the global economy appears increasingly likely to achieve a soft landing, and that cracks in the financial system exposed by high interest rates have not ruptured further. Near-term global financial stability risks have receded. However, there are several salient risks along the last mile. Stalling disinflation could surprise investors, leading to a repricing of assets and a resurgence of financial market volatility.

A few bank failures in United States and Europe in March 2023 posed new challenges for the conduct of monetary policy as well as for prudential regulation, supervision, resolution, and deposit insurance. However, the swift and decisive responses of deposit insurers (DIs) and regulators to quell the turbulence and contain contagion are redefining the landscape for resolution and deposit insurance in the pursuit of financial stability.

Against this backdrop, the International Association of Deposit Insurers (IADI), a global standard setting agency for deposit insurance, has identified four key issues and challenges including deposit insurance design, the relationship between deposit insurance and resolution, coordination in the financial safety-net and digitalisation. Furthermore, IADI has constituted a High-Level Steering Group (HLSG) to review its Core Principles (CPs) for Effective Deposit Insurance Systems, 2014. The Group has, inter alia, identified four priority areas including financial safety net co-ordination, coverage, resolution, and reimbursement.[1]

The Indian economy and its financial system remain robust and resilient, anchored by macroeconomic and financial stability. The Financial Stability Report, June 2024 indicates that with improved balance sheets, banks and financial institutions are supporting economic activity through sustained credit expansion. Macro stress tests for credit risk reveal that SCBs would be able to comply with minimum capital requirements, with the system-level CRAR in March 2025 projected at 16.1 per cent, 14.4 per cent and 13.0 per cent, respectively, under baseline, medium and severe stress scenarios.[2]

[1]Keynote speech by Alejandro López at the 22nd IADI Asia-Pacific Regional Committee International Conference - Strengthening the financial safety net: addressing the challenges of novel financial crises, April 25, 2024 accessed from IADI | International Association of Deposit Insurers | Keynote speech.

[2]Reserve Bank of India, "Financial Stability Report", June 2024.

The remainder of this Chapter is structured as follows. The Chapter begins with a detailed description of Management's policy and strategy during the financial year 2023-24 (April-March) in the next Section. Sections 3 and 4 discuss two important topics, *viz.*, Communication Strategy and Policy and DepTech/ Fintech in Deposit Insurance. These two topics assume considerable importance and topicality in the context of the bank failures in some jurisdictions in March 2023 that have posed new challenges for the conduct of deposit insurance. Select emerging risks to deposit insurance are presented in Section 5. Section 6 gives the way forward.

2. Management Policy and Strategy

The Management of the Corporation (Board of Directors) continued with its policy and strategy decisions aligned with the Corporation's mission and vision of protecting bank depositors and thereby contributing to financial stability – the two principal public policy objectives of deposit insurance. Some of the policy measures undertaken during the year include (i) strengthening governance by constituting of a Risk Management Committee; (ii) strengthening information sharing mechanism with other safety- net participants and other deposit insurers; (iii) enhancing Public Awareness via innovative measures; (iv) benchmarking internal processes to international best practices; (v) recovery management of statutory dues to the Corporation and (vi) initiating measures towards total digital transformation of various processes of the Corporation.

Mandate and Powers

The Corporation has a "paybox plus" mandate.[3] While the Corporation was authorised to reimburse depositors in case of winding up of an insured bank (Section 17 of DICGC Act, 1961), the Corporation was liable to pay depositors in case of scheme of compromise or arrangement or of reconstruction or amalgamation in respect of an insured bank was sanctioned and if the Scheme so demanded. The Corporation's mandate has been further strengthened in August 2021 with amendments to DICGC Act, 1961. This amendment, *viz.*, insertion of Section 18A, provided for pay-out within stipulated timeline to depositors of banks placed under business restrictions (deposit taking) by the banking supervisor, *i.e.*, the Reserve Bank of India (RBI).

A survey by the International Association of Deposits Insurers (IADI)[4] reported that globally the mandate and resolution decision making of Deposit Insurers (DIs) have expanded in the past decade (2014 to 2023). In 2023, the share of DIs with paybox plus mandate was the maximum at 48 per cent (a rise of 11 basis points in ten years) followed by loss minimiser (22 per cent), paybox (17 per cent) and risk minimiser (13 per cent)[5]. Similarly, the role of DIs in resolution decision making continued to expand in the past decade. As regards the resolution tools adopted, the survey reports that three resolution tools, namely, purchase and assumption (available in 83 per cent of jurisdictions), bridge bank (76 per cent) and bail-in (50 per cent), are increasingly available to the safety net participants in the jurisdiction.

Governance

To strengthen risk management function of the Corporation, the Board of Directors resolved to constitute a Risk Management Committee (RMC) with outside experts and accordingly RMC as an ad-hoc committee of the Board[6] was constituted with effect from June 21, 2023. The RMC is chaired by the Director appointed by the Government of India under section 6(1)(c) of DICGC Act, 1961.

The terms of reference of the Committee are: (i) to recommend to the Board strategies and policies related to internal control framework for mitigation of key risks; (ii) to monitor contingency planning and crisis management policies/procedures and their effectiveness; (iii) to review the organizational structure, budget, resources and performance of internal risk management function; (iv) to have oversight over 'Executive Risk Management Committee' of the Corporation; and (v) any other related matter that may be assigned by the Board.

[3]IADI broadly classifies the mandate of deposit insurers (DI) into four categories: (a) Paybox - Mostly limited to premium levying and reimbursing depositors (b) Paybox plus - Additional responsibilities in resolution beyond reimbursement such as contributing to financing, operationalising, and/or decision-making in resolution. (c) Loss minimiser - DIs actively engage in a selection from a range of least-cost resolution strategies. (d) Risk minimiser - DIs have comprehensive risk minimisation functions that include risk assessment and management, a full suite of early intervention and resolution powers, and in some cases prudential oversight responsibilities.

[4]IADI (2024), "Deposit Insurance in 2024 – Global Trend and Key Issues", April 2024.

[5]Paybox and paybox plus mandates were prevalent in Asia and Africa; paybox plus and loss minimiser mandates were dominant in Europe and Americas.

[6]Under Section 8(3) of the DICGC Act, 1961 and Regulation 9(i) of DICGC General Regulations, 1961

Relationships with other safety-net participants

The Corporation is a member of the International Association of Deposit Insurers (IADI) and its various committees. Established in 2002 as an international forum for the cross-fertilisation of information and country experiences on practices and techniques relating to deposit insurance, IADI has also taken on the role as a global standard-setter for deposit insurance systems. The IADI is contributing significantly to building effective deposit insurance systems across the world, thereby strengthening public confidence in the banking system and ensuring financial stability.

The Corporation actively engaged with other deposit insurers and IADI through meetings/conferences/ workshops organised by the IADI as well as participated in various surveys including IADI Annual Survey 2023, Malaysia Deposit Insurance Corporation (PIDM) Benchmarking Survey and Indonesia Deposit Insurance Corporation Survey on 'Public Awareness Level Measurement' as and 'Due Diligence Implementation'.

On the request of the newly established Ethiopian Deposit Insurance Fund (EDIF), an "International Exposure Visit Programme" was organised during November 07-08, 2023. A delegation of seven senior officials, led by the Chairman of the Board of EDIF, who is also the Vice Governor of National Bank of Ethiopia, visited the Corporation to gain insights into its working. Further, to improve information sharing, training related assistance, etc., the Corporation is also in discussion with some deposit insurers for entering into memorandum of understanding.

IADI Core Principle (4) provides inter alia that there should be a formal and comprehensive framework in place for the close coordination of activities and information sharing, on an ongoing basis, between the deposit insurer and other financial safety-net participants. Accordingly, information sharing mechanism with RBI which is also the banking supervisor has been formalised and structured. The 1st meeting of the reconstituted Co-ordination Committee, comprising of members from DICGC and RBI, was held during the year. Certain operational matters related to insurance premium collection, claim settlement, etc. were discussed. It has been decided that the Committee shall meet at least twice a year.

Membership

The deposit insurance scheme in India is mandatory for all banks operating in India (including foreign banks). During the year, one new foreign bank was registered as an insured bank and 30 co-operative banks were deregistered (of which, 24 attracted the Corporation's liability[7]). The number of insured banks as at end-March 2024 was 1,997 (2,026 as at end-March 2023).

The insured banks comprised 140 commercial banks and 1,857 co-operative banks. According to the IADI's latest deposit insurance survey[8], this is the largest number of deposit-taking institutions covered by deposit insurance in the world, second only to the US.

Table 1: Number of Insured Banks (as at end-March)

Bank Groups	2023	2024
I. Commercial Banks (i to vii)	**139**	**140**
i) Public Sector Banks (PSBs)	12	12
ii) Private Sector Banks (PVBs)	21	21
iii) Foreign Banks (FBs)	43	44
iv) Small Finance Banks (SFBs)	12	12
v) Payment Banks (PBs)	6	6
vi) Regional Rural Banks (RRBs)	43	43
vii) Local Area Banks (LABs)	2	2
II. Co-operative Banks (i to iii)	**1,887**	**1,857**
i) Urban Co-operative Banks (UCBs)	1,502	1,472
ii) District Central Co-operative Banks (DCCBs)	352	352
iii) State Co-operative Banks (StCBs)	33	33
Total (I+II)	**2,026**	**1,997**

Source: DICGC

[7]The remaining 6 banks did not attract pay-out from the Corporation as they were amalgamated with other banks.

[8]Global Survey on Deposit Insurance and Financial Safety Net Frameworks, IADI, 2022.

Coverage

The current insurance coverage limit, effective from February 4, 2020, is ₹500,000 (approx. US $ 6000) per depositor in a bank.

Coverage Ratio

At this coverage limit, the coverage ratio in terms of number of accounts stood at 97.8 per cent as at end-March 2024 (97.9 per cent as at end-March 2023). This indicates that 97.8 per cent of the total number of eligible/assessable accounts were fully covered. The remaining 2.2 per cent of the accounts were partially covered up to the coverage limit of ₹5,00,000. The coverage ratio in terms of value of deposits, termed as insured deposit ratio, was 43.1 per cent of deposit as at end-March 2024 (44.4 per cent as at end-March 2023).

DICGC is at par with the global averages in the coverage ratios. Globally, coverage ratios on a by-account and by-depositor basis are at 98 per cent in 2023 implying that it is only accounts with very high balances that are potentially exposed to incurring losses in the event of a failure. On the other hand, coverage ratio in terms of the percentage of deposits that is fully covered by deposit insurance declined marginally to 47 per cent.[9]

Share in insured deposits

An examination of the bank-group wise distribution of total insured deposits in the banking system showed commercial banks having the highest share (Table 2). Commercial banks accounted for 92.1 per cent of the total insured deposits of the banking system, led by public sector banks (Table 2).

Table 2: Share in System wide Insured Deposits (per cent)

	As at end-March	
Bank Groups	**2023**	**2024**
I. Commercial Banks (i to vii)	**91.8**	**92.1**
i) Public Sector Banks (PSBs)	60.5	60.0
ii) Private Sector Banks (PVBs)	24.6	25.1
iii) Foreign Banks (FBs)	0.6	0.5
iv) Small Finance Banks (SFBs)	0.8	1.0
v) Payment Banks (PBs)	0.1	0.2
vi) Regional Rural Banks (RRBs)	5.2	5.3
vii) Local Area Banks (LABs)	0.01	0.01
II. Co-operative Banks (i to iii)	**8.2**	**7.9**
i) Urban Co-operative Banks (UCBs)	4.2	4.0
ii) District Central Co-operative Banks (DCCBs)	3.3	3.3
iii) State Co-operative Banks (StCBs)	0.7	0.7
All Banks (I+II)	**100.0**	**100.0**

Source: Deposit insurance return, DICGC

Uninsured Deposit

The March 2023 bank failures in the United States, United Kingdom and Switzerland have brought to fore the role played by uninsured deposits in bank runs (Box 1). The banking system in India, however, remained ring-fenced from the turbulence in the rest of the world. An examination of the bank wise distribution of the insured deposit ratio showed that a large majority of banks in India had an insured deposit ratio greater than 50 per cent (Chart 1).

[9]The declining trend was strong in high-income jurisdictions, though this group maintains the one with the highest coverage ratios (55 per cent) followed by upper middle-income (43 per cent) and lower middle-income jurisdictions (30 per cent). Global median of coverage in comparison to GDP/capita has increased by 6 per cent in the past decade and is now 3.3 times GDP/Capita. In India, it is 2.9 times GDP/Capita.

Chart 1: Distribution of Banks based on Insured / Un-Insured Deposits Ratio

Panel a

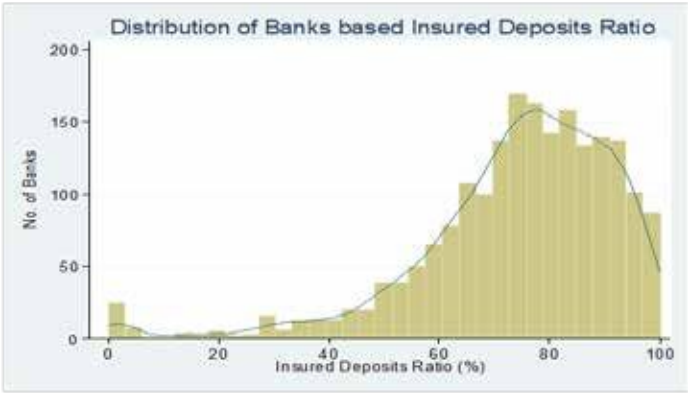

Panel b

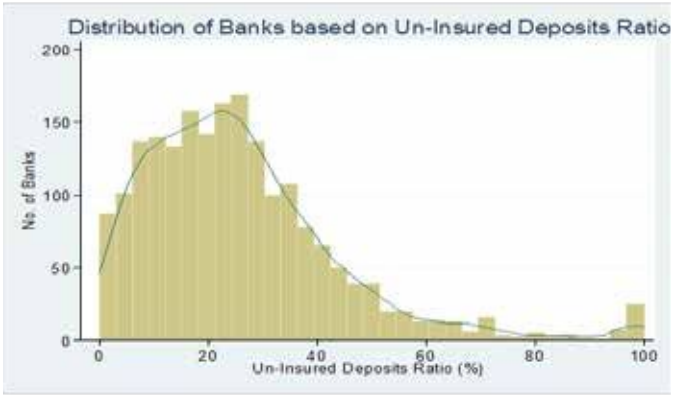

Box 1: Navigating Uninsured Deposits: Impact on Financial Stability

The 2023 bank failures in the United States and Switzerland have sparked discussions about the adequacy of deposit insurance coverage. Notably, in failed US-based banks, a significant proportion of deposits remained uninsured, with concentration among a small group of depositors. For instance, Silicon Valley Bank had over 94 per cent of its deposits uninsured by the end of 2022, exceeding the Federal Deposit Insurance Corporation's limit of USD 250,000[10]. As these banks' financials rapidly deteriorated, uninsured depositors withdrew their funds at an unprecedented pace, far outpacing insured depositors. This withdrawal trend significantly contributed to the banks' failure. High levels of uninsured deposits within a member institution of a deposit insurer can elevate the risk of failure and have systemic implications in such scenarios.

Global Scenario

International Association of Deposit Insurers (IADI) Core Principles on Deposit Insurance

Coverage and the "80/20" Rule

Principle 8 of the Core Principles (CPs) issued by IADI in 2014 emphasizes that deposit insurers should clearly define the level and scope of deposit coverage. It further recommends that deposit insurance coverage should be limited, credible, and cover majority of depositors. However, leaving a significant amount of deposits uninsured encourages market discipline and aligns with the deposit insurance system's public policy objectives. Previously, keeping with the spirit of the core principles, IADI had suggested for a policy approach known as the "80/20" rule. Under this principle, deposit insurance systems aim to fully cover 80 per cent of the number of depositors but only 20-30 per cent of the value of deposits[11]. This approach aims to strike a balance by safeguarding a wide range of depositors while still subjecting a significant portion of deposits to market discipline. Few banking failures witnessed in recent past, across the globe has however tested the rationale of the '80/20' rule and has led to rethink of what should be the optimal level of insured/uninsured deposit level. There is also discussion among deposit insurers on targeted coverage to vulnerable accounts or that impact real economy.

(Contd.)

[10]IADI (2023). "The 2023 banking turmoil and deposit insurance systems: Potential implications and emerging policy issues", December 2023.

[11]IADI (2013). "Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance Coverage", March 2013.

Variability Across Countries

Insured deposit ratio varied significantly from country to country with minimum at 21.5 per cent for Turkey and maximum at 71.0 per cent for Belgium (Table 3). The level of uninsured deposits can be reduced by increasing the coverage of deposit insurance. However, relying solely on coverage limit is not sufficient when assessing the relevance of uninsured deposits. The distribution of deposits is kept in mind while fixing the coverage so that large majority of depositors are protected.

Table 3: Top ten countries in terms of Deposit Insurance Fund (DIF) and Insured Deposit to Assessable Deposit Ratio (IDR)

Country	Global DIF Rank	IDR (%)
Belgium	9	71.0
Japan	2	69.1
Spain	10	66.0
United States	1	56.6
Brazil	4	51.7
Korea	6	51.7
Indonesia	5	46.9
India	**3**	**46.3**
Switzerland	8	37.0
Turkey	7	21.5

Country	APRC Rank	IDR (%)
Japan	1	69.1
Korea	4	51.7
Chinese Taipei	6	47.2
Indonesia	3	46.9
India	**2**	**46.3**
Malaysia	9	32.1
Thailand	7	28.1
Hong Kong SAR	10	20.0
Philippines	5	18.8
Vietnam	8	8.9

Based on insured deposits ratio, India stood at 8th position among the top ten countries in the world and 5th position in the APRC countries. In terms of deposit insurance fund size, India ranks 3rd in the world after United States and Japan.

Globally, deposit insurers cover approximately 41 per cent of total eligible deposits, leaving 59 per cent uninsured as of 2022.

Domestic Scenario

Chart 2: Un-Insured Deposits Ratio

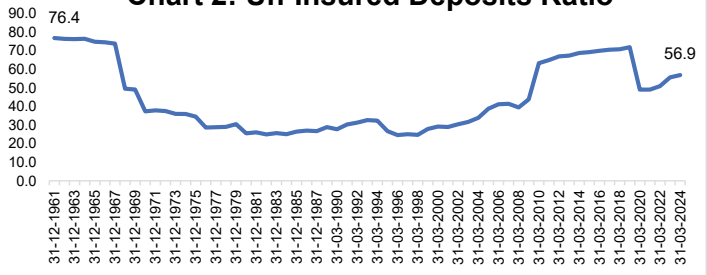

In the Indian context, the Uninsured Deposits to Assessable Deposits Ratio (UIDR) has remained below 80 per cent during throughout the period up to March 31, 2024. This aligns with the “80/20” rule, which stipulates that the Insured Deposits Ratio (IDR) should be above 20 per cent or the UIDR should be below 80 per cent. Notably, the UIDR has remained below 50 per cent for almost four decades (from 1969 to 2009). As of March 31, 2024, the ratio stands at 56.9 per cent and is comparable to global median.

The uninsured deposit ratio increased to 56.9 per cent in March 2024 from 55.6 per cent in March 2023 with growth noticed in assessable deposits.

References:

1. IADI (2023). “Uninsured Deposits: Relevance and Evolutions Over Time”, June 2023.
2. IADI (2023). “The 2023 banking turmoil and deposit insurance systems: Potential implications and emerging policy issues”, December 2023.
3. IADI (2013). “Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance Coverage”, March 2013.

Sources and uses of funds

The Deposit Insurance Fund (DIF) maintained by DICGC to administer the deposit insurance scheme is an *ex-ante* fund which is primarily funded by the premium levied on banks.

Premium Revenue

The Corporation levies a flat rate premium which has been revised from time to time keeping in view inflation, health of the banking system and adequacy of the DI Fund. The extant rate of premium levied on banks is 0.12 per cent per annum. The total premium received by the Corporation during 2023-24 was ₹23,879 crore, with commercial banks contributing 94.4 per cent and co-operative banks accounting for the remaining 5.6 per cent.

Interest Income

The Corporation invests its revenues in Government of India securities (G-Secs) as per Section 25 of the DICGC Act, 1961. Interest income is received from the investments in G-Secs. The interest income rose to ₹13,947 crore during 2023-24 from ₹11,908 crore during 2022-23.

Deposit Insurance Fund

The DIF being maintained by DICGC is an *ex-ante* fund built-up through transfer of its surplus each year. The surplus refers to excess of revenue — premium received from insured banks, interest income from investments and recovery out of assets of failed banks — over expenditure (payment of claims of depositors and related expenses), net of taxes. The DIF stood at ₹1,98,753 crore as on March 31, 2024. While premium revenue contributed to 63 per cent of pre-tax accretion to the fund during 2023-24, interest income from investment formed nearly 37 per cent of the accretion (Chart 3).

Chart 3: Major Sources of Desposit Insurance Fund: Share in pre-tax accretion

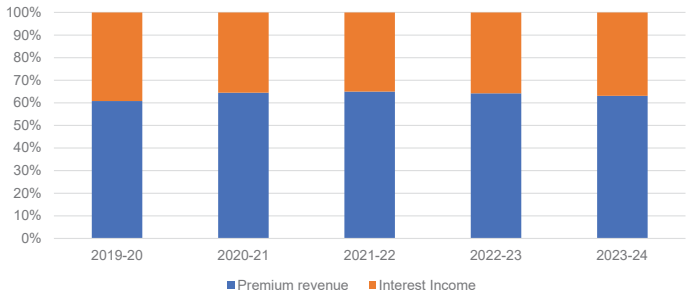

Reserve Ratio

The reserve ratio — the ratio of DIF to total insured deposits — was 2.11 per cent as on March 31, 2024 (1.96 per cent on March 31, 2023). This ratio is comparable with the global median ratio.

The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹2,04,623 crore as on March 31, 2024 (₹1,75,149 crore as on March 31, 2023), showing a year-on-year growth 16.8 per cent.

Backup Funding

DICGC has, as per the DICGC Act, public backup funding of up to ₹5 crore from the Reserve Bank of India.

Globally, 96 per cent of DIs are funded *ex-ante* by levying premiums on member institutions. Nearly, half of deposit insurers levy differential premiums (30 per cent in 2010) incorporating additional risk measures. The median fund size around the globe has remained around 2 per cent of the covered deposit with regional variations.[12] As a global median, DIs hold funds that are close to 80 per cent of their target fund levels. Nearly 76 per cent of the DIs can obtain backup funding from the member institutions, around 75 per cent of the DIs have access to public backup funding from either the Government or Central Bank, 33 per cent have access to private markets (e.g., through borrowing), and 27 per cent to development banks or international organisations.

[12]Africa (more than 10 per cent), Asian funds (around 2.5 per cent) and Europe (0.8 per cent). IADI (2024)

Public Awareness: Communication Strategy and Policy

The Corporation is constantly evolving its public awareness campaigns aimed towards real time dissemination of deposit insurance pay-out related information. During the year, all insured banks were advised to display the DICGC Logo and QR code linked with DICGC website, on their website and internet banking portal, with effect from September 1, 2023. The initiative aims to enable depositors to ascertain whether their deposits are protected by DICGC. As on March 31, 2024, of the 1165 banks having their own website, 916 banks have displayed the DICGC Logo and QR code. This has resulted in steady increase in the number of new visitors to DICGC web page, from more than 6,000 visitors in July 2023 to more than 1,14,762 visitors in May 2024.

With the objective of reaching out to a wider audience, the Corporation is actively engaged with RBI for incorporation of information about deposit insurance and DICGC in its public awareness campaigns. RBI's Financial Awareness Messages (FAME) booklet for February 2024 has now a specific chapter on deposit insurance and DICGC.

To further target its communication strategy, DICGC is in the process of conducting a survey in five states having larger concentration of AID banks with the support of RBI. The Corporation envisages greater engagement with the public by onboarding popular social media Apps/channels for wider coverage and dissemination of relevant information to the public. Deposit insurance related short video clips is being finalised to be hosted on DICGC's revamped website (which is currently under development) and social media Apps.

The Corporation created a Complaints Redressal Cell (CRC) for prompt redressal of query/complaints received from the members of public. A total number of 1,410 query/complaints were attended to during the year. Section 3 presents a comprehensive review of the communication policy and strategies adopted by the Corporation over time.

Reimbursement

Reimbursement of insured depositors in the event of a bank failure is the core responsibility of a deposit insurer. During the year, the Corporation settled claims amounting to ₹1,436.92 crore (₹751.78 crore in 2022-23) to insured depositors of liquidated banks, merged entities banks and those placed under All Inclusive Directions (AID). The entire claim was from co-operative banks: ₹175.71 crore[13] pertained to claims of liquidated and merged banks and ₹1,261.21 crore pertaining to banks brought under AID.

As regards settlement of claims under section 16 of the DICGC Act, 1961, the Corporation has taken an average of 14 days for sanction from the date of receipt of the claim from the liquidator. Further, as regards the banks under AID, the Corporation has adhered to the statutory timeline of 90 days for settlement of deposit insurance claim from the date of issue of AID to such banks. Factors that usually impede fast reimbursement include data quality issues, identification of insured depositors and depositors lacking an alternative bank account.

Recovery Management

During the year, the Corporation received repayments of ₹900.73 crore, of which ₹760.83 crore was from liquidated/transferee banks and ₹139.90 crore from banks under AID. There was no recovery received from Commercial banks during the year 2023-24.

Workshops for liquidators of various UCBs under liquidation in Nagpur, and Lucknow have been conducted in order to sensitize them of their roles and responsibilities. A meeting of Central Registrar of Co-operative Societies (CRCS), Registrars of Co-operative Societies (RCS) of states of Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and DICGC

[13]This includes ₹3.29 crore sanctioned in respect of the claim of PMCBL settled as per the provisions of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022.

was held for a comprehensive discussion on various aspects related to DICGC *viz.* timely appointment of liquidator, and Statutory Auditors for timely submission of claim list, undisbursed funds, and challenges to repayment of outstanding amount to DICGC. The Corporation participated in sub-committees' meetings of Task Force on Urban Co-operative Banks at regional level for recovery of the Corporation's statutory dues. These measures have yielded results in increase in repayment of statutory dues from liquidated banks.

Digitalisation

The Corporation initiated work towards revamping of the Corporation's website with a preliminary study by Reserve Bank Information Technology (ReBIT). Based on the same, ReBIT has been engaged for developing a new website for DICGC. The aim of overhaul of the website is to make it more customer-friendly in terms of search capability, information architecture, improved user interface/experience, content strategy and user engagement, progressive Web App and the like. Further, a Board meeting management solution Application has been created to enable paperless meeting.

3. Communication Strategy and Policy

IADI Core Principle on Public Awareness

3.1 The International Association of Deposit Insurers (IADI) Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (CPs) were first published in 2009 and revised in 2014. These Core Principles are intended to guide jurisdictions to establish or improve their deposit insurance systems. Core Principle 10 provides that the deposit insurer is 'responsible for promoting public awareness of the deposit insurance system, using a variety of communication tools on an ongoing basis as part of a comprehensive communication programme'.

3.2 The following essential criteria regarding public awareness are laid down in the core principles:

(i) In the event of a bank failure, the deposit insurer must notify through media such as press releases, print advertising, websites and other media outlets. The notification should provide detailed procedure to be followed by the insured depositors regarding access to their funds and clearly stating the required documents to be submitted to obtain their deposits as per the extant guidelines.

(ii) The public awareness programme or activities convey information about the following: (a) the scope (*i.e.*, which types of financial instruments and depositors are covered by deposit insurance, and which are not); (b) a list of which banks are members and how they can be identified; (c) deposit insurance coverage level limits; and (d) other information, such as the mandate of the deposit insurer.

(iii) The objectives of the public awareness programme are clearly defined and consistent with the public policy objectives and mandate of the deposit insurance system.

(iv) The deposit insurer sets a long-term strategy to meet its public awareness objectives and makes budget allocations to build and maintain a target level of public awareness about deposit insurance.

(v) The deposit insurer works closely with banks and other safety-net participants to ensure the consistency and accuracy of the information provided to depositors and to maximise awareness on an ongoing basis. Banks are required to provide information about deposit insurance in a format/language prescribed by the deposit insurer.

(vi) The deposit insurer monitors, on an ongoing basis, its public awareness activities and arranges, on a periodic basis, independent

evaluations of the effectiveness of its public awareness programme or activities.

3.3 A high level of public awareness about deposit insurance and its benefits and limitations is crucial to promote confidence of depositors in the system. For consumers whose deposits exceed the limits of deposit insurance, public awareness activities can encourage them to mitigate their exposure by ensuring that their deposits are fully insured or to closely monitor the health of their financial institution, thereby promoting market discipline.[14] A recent IADI sponsored study offered empirical evidence that public awareness of deposit insurance can decrease the propensity of depositors to run on their bank by 67 per cent.[15]

International Practices

3.4 A recent IADI report states that at present about two-third of deposit insurers globally have a public awareness programme in place. The coverage of awareness programme, however, varies in terms of priorities. Programmes vary in terms of objectives with most of them focused on promoting awareness on an ongoing basis (95 per cent) followed by promoting corporate image/identity (80 per cent), financial stability (82 per cent), and updating depositors about changes to deposit insurance coverage (80 per cent). The 2023 IADI Annual Survey finds that the preferred mode of communication for deposit insurers was respective website followed by printed material and social media. Other communication tools employed included outreach programmes, media events, exhibitions, routing awareness through member institutions and collaboration with educational institutions.

Communication Strategy of DICGC

3.5 The Corporation has framed a Board approved Communication Policy in line with the IADI Core Principle 10. A Technical Advisory Committee (TAC) has also been constituted with members from RBI, DICGC and external communication specialists with the objective of guiding the communication strategy for the Corporation keeping in view the diverse (geographical, economic, social and age) background. As part of this strategy, the Corporation disseminates information about the deposit insurance scheme to the public on its website and through insured banks.

3.6 The Corporation registered itself on the Public App (@dicgc), a hyper-local social platform which facilitates sharing of specific information with targeted audience of a particular district or even a ward. The messaging app has been particularly useful in relaying information on claim pay-out of a small bank that has presence in few districts of a State. Since December 2022, the Corporation has been using the App to post public awareness messages in regional languages, Hindi and English to ensure last mile reach of important information on deposit insurance and claims pay out.

3.7 For continuous and focused dissemination of information on deposit insurance, all insured banks have been advised to display the DICGC logo and QR Code prominently on their web page, with effect from September 1, 2023.

3.8 Electronic messages *via* mobile are being sent to depositors of liquidated banks and banks under AID at each stage of claim settlement process *i.e.*, on receipt of claim and on sanction of claim. This enables real time sharing of information of claim settlement.

3.9 The Amendment to the DICGC Act enables the Corporation to also make payment to depositors of banks under AID by RBI with restrictions on withdrawal of deposits apart from settlement of claims in case of liquidation of banks. The Corporation ensures relevant information is percolated to the target audience as follows:

- As soon as a bank is placed under directions by RBI, with restrictions on withdrawal

[14]Public Awareness of Deposit Insurance Systems- IADI guidance Paper dated May 6, 2009

[15]The 2023 banking turmoil and deposit insurance systems: Potential implications and emerging policy issues- IADI publication dated December 2023

of deposits, the press release by RBI incorporates information regarding DICGC pay-out under section 18A of DICGC Act (amended) to create awareness among the banks/public.

- Press release hosted on DICGC website for depositors of liquidated / AID banks carries details of claim pay out date, willingness form submission details, and contact details of the liquidator.
- In addition to electronic messages intimation, various deadlines of claim payment/ submission of relevant claim settlement documents for both liquidated banks and those placed under AID of RBI are hosted on the public App. As on July 8, 2024, there are 2.26 crore views on the App and has been useful in real time communication of claim payment messages.

3.10 In the wake of the amendment in the DICGC Act (Section 18A) and the recent banking crises which highlighted the role of Deposit insurers as an important financial safety net provider, the communication strategy of the Corporation has been to provide real time and focussed dissemination of information to the targeted audience on deposit insurance and claims pay out related information. This has further reduced customer enquiry at the Corporation.

3.11 The Corporation has also looked into low deposit mobilisation (both in terms of number of accounts and deposit amounts) in certain districts of the country that may reflect low awareness about deposit insurance. In such cases targeted deposit insurance communication may be used/intensified in creating awareness among the public of the benefit of placing deposits with banks registered with the Corporation. (Box 2).

Box 2: New Approach to Targeted Awareness Campaign on Deposit Insurance

Identifying the Target Audience for Deposit Insurance Awareness. The challenge of identifying the target audience for deposit insurance awareness has been recognised by the Corporation. The areas with low deposit mobilisation, both in terms of number of accounts and deposit amounts, are distinguished from those with significant/reasonable deposit mobilisation. Statistical measures to assess spatial deposit mobilisation are compiled empirically, intending to identify regions in need of enhanced awareness initiatives.

Developing Deposit Indices. The deposit indices are constructed using the theory of indices. According to the theory, various data series are transformed to a uniform scale, typically normalized to 100, at a selected base time. The easy comparison of relative changes across different series over time is enabled by this standardisation. The beginning of the different series is usually chosen as the base time, serving as a reference point to monitor progress.

Geographical Analysis of Deposit Activity. On a district, state, and regional basis, two essential deposit indices, number of accounts and deposit amounts are calculated. Specific areas with inadequate growth in both accounts and amounts based on these calculated indices are pinpointed. Accordingly, the communication strategies, such as seminars in schools and colleges and campaigns via newspapers and TV channels, can be directed towards these identified regions by the Corporation to raise deposit insurance awareness.

Way forward

3.12 The Corporation is constantly striving to ensure quick dissemination of relevant information to the targeted audience via innovative measures. This also mitigate spread of information from unreliable sources. The Corporation envisages greater engagement with the public by onboarding major social media channels for wider coverage and dissemination of deposit insurance related information. Overhaul of the DICGC website is on the cards for enhanced user experience and search capability. Going forward, the use of AI based interactive and knowledge sharing platforms such as chatbots could facilitate wider dissemination

of information and frequently asked questions on deposit insurance.

4. DepTech/Fintech in Deposit Insurance

4.1 Depositor Insurance Technology (known as DepTech) is defined as the adoption of new technologies to improve deposit insurance operations. This includes enhanced reporting procedures, improvements to the reimbursement process, and faster depositor access to funds when a bank fails. Such innovations create opportunities for deposit insurers ranging from enhancing business efficiencies to better protecting depositors and contributing to financial stability. Some of these potential applications are:

Data Standardization

4.2 Standardized data could greatly reduce the cost and time to convert member institutions' data to make it compatible with a deposit insurer's systems. This increases quality of data shared for better efficiency of operations, reduces time of verification of ownership of accounts resulting in faster pay-outs, aids greater data sharing and coordination among regulatory agencies, etc. It can further facilitate the use of Application Programming Interfaces (APIs) for enhanced data reporting.

Digital Payments

4.3 Using digital payments for claims pay-out allows depositors to access their funds much more quickly than non-digital pay out methods, reduces chances of errors and offers more convenience.

Artificial Intelligence/ Machine Learning (AI/ML)

4.4 AI/ML has important DepTech applications including clustering deposit insurance members into risk groups based on existing data, deposit insurance pay-outs, forecasting for future exigencies, and communicating with depositors using AI "chatbots".

Cloud Computing

4.5 Deposit Insurers can use cloud computing portals to speed up the resolution process. This can be done through storing granular information about the banks, such as its asset portfolio and depositor base. It can also enable better financial reporting, ensuring real-time information which can assist in supervision, depositor insurance pricing and resolution.

New Media

4.6 To improve ways to communicate with the public, reach out to diverse audiences quickly, and to improve public awareness, a variety of tools can be used including social media, podcasts, smartphone applications, and interactive platforms. Through such applications, deposit insurers have the opportunity to harness new technology and perform their roles better as a financial safety net participant.[16]

5. Emerging Risks for Deposit Insurers- Climate Change.

5.1 Going forward, the deposit insurance function is likely to confront more complex challenges amidst development in Fintech related bank products, adverse coverage on health of banks in social media, 24*7 banking (faster mobility of bank funds), and Climate change related risk on bank portfolio. Climate change is emerging as an overarching risk to the global economy and financial systems. According to the IADI's surveys, 60 per cent of DIs have formalised Environmental, Social, and Governance (ESG) policies and some are members of the Network for Greening the Financial System (NGFS).

5.2 The Corporation is engaged in framing a comprehensive ESG policy incorporating elements of climate sustainability, investment in sovereign green bonds, measuring the impact of climate change on default risk and

[16]Introduction Brief (Part II) - Opportunities for Deposit Insurers (DepTech). (n.d.). www.iadi.org. Retrieved January 7, 2023, from https://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Fintech per cent20Briefs/IADI per cent20Fintech per cent20Brief per cent208 per cent20final.pdf

contingency planning for climate related extreme events *via* stress test/actuarial analysis.[17] Deposit Insurers need to explore appropriate coverage for green deposits, climate risk based differential premiums and ex ante funding needs for climate sustainability (Box 3). These new challenges will require data availability on the impact of climate change on real economy and its impact on bank, current climate change related risk on bank portfolio, modelling the climate risk and effective coordination and information sharing between DIs and other national safety net participants as well as with those in other jurisdictions.

Box 3: Climate Risk and Deposit Insurance

Climate change is emerging as a risk to the global economy and to the banking system in particular. The year 2023 was the hottest year on record. In 2021, India has announced target to achieve net zero carbon emission by 2070.

Climate change is increasingly being recognized as a source of financial risk that could pose challenges to financial stability in general and the banking system stability in particular. Climate-related financial risk (climate risk) for financial sector can manifest in two broad ways: (i) Physical risks mean economic costs and financial losses directly resulting from adverse weather events and long-term climate change; (b) Transition risks arise as economies try to reorient towards a low-carbon intensity policies and processes.

International Experience

Some deposit insurers have taken some initiatives towards promotion and enhancement of sustainable development, including environmental protection, social responsibility and corporate governance (ESG). One example is that of Central Deposit Insurance Corporation (CDIC), Taipei which framed its ESG objectives and business strategies in 2021, and disclosed its performance in sustainable development in its Annual Report; Established a Sustainability Committee in 2021 as its policy making body for ESG related matters; Adopted the four major goals of “accountable governance”, “sustainable environment”, “friendly workplace”, and “financial inclusion”; and published its first 2022 Sustainability Report, which will be issued every year in the future.

Domestic Initiatives

Government and Regulators in India have recognised climate risk and have responded with policy initiatives or placed discussion papers for public comments. Department of Economic Affairs, Government of India, has issued Framework for Sovereign Green Bonds. Reserve Bank had issued Discussion Paper on Climate Risk and Sustainable Finance dated July 27, 2022 and Draft Disclosure framework on Climate-related Financial Risks, 2024, dated February 28, 2024. RBI has also issued Framework for acceptance of Green Deposits dates April 11, 2023. SEBI has also taken initiative towards standardised disclosures on ESG (Environmental, Social, Governance) parameters under “Business Responsibility and Sustainability Reporting by listed entities”.[18] Changing regulatory landscape on sustainable finance provides opportunity to incorporate climate risks in the functioning of deposit insurance including coverage levels, premiums, investment avenues, etc.

While research on the impact of climate risks on deposit insurance is in its early stages, some identified implications/challenges posed by climate risk on the functioning of deposit insurers are: (a) ***Premium and funding***: Climate-related environmental risks could be incorporated into the models used by the deposit insurers to assess their ex-ante funding needs. Climate risk based differential premiums may be explored based on carbon density (loan book’s carbon footprint) on the balance sheet of insured banks; (b) ***Investment fund management***:

(Contd.)

[17]New Vistas in Deposit Insurance in India - Keynote Address delivered by Michael Debabrata Patra, Deputy Governor, Reserve Bank of India - June 14, 2024 - at the 79th Executive Committee Meeting of the International Association of Deposit Insurers (IADI) at Rome, Italy.

[18]SEBI circular dated May 10, 2021 on “Business Responsibility and Sustainability Reporting by listed entities”

Investment management of deposit insurance fund (DIF) may consider climate-related risks. For example, investment in Sovereign Green Bonds may be explored, while keeping in mind liquidity and markets risks, to ensure prompt availability of fund, when needed; (c) ***Climate risks may impact bank default risks and broader financial risk***: Climate risks may, in extreme scenarios, impact individual banks' default risks and thus potential claim pay-outs or resolution costs to Deposit Insurers; (d) ***Impact on operational capacities***: Climate related extreme events may disrupt core operations of deposit insurers. Therefore, contingency planning of deposit insurers should take appropriate account of climate risk; (e) **Higher Coverage Levels for Green Deposits**: Deposit insurers may also evaluate possibility of promoting climate sustainability through higher coverage levels and assess its impact on deposit insurance fund and need for additional premium, if any.

Climate sustainability may reinforce financial stability and Deposit Insurance may evaluate above options within the mandate, mission and vision and be future ready.

6. Way Forward

The Corporation is revamping risk management and internal control systems, including contingency planning and crisis management frameworks, in alignment with the IADI's 2020 Guidance Paper on "Risk Management and Internal Control System of Deposit Insurers (DIs)". Strengthening of Risk Governance *via* newly constituted Risk Committee of the Board with outside experts shall improve risk oversight and management.

Public awareness campaigns are being redesigned and stepped up *via* innovative measures. Onboarding on other popular social media in addition to local messaging 'Public App' will help us connect better with depositors especially first-time younger depositors. The website itself is being overhauled to make it more customer-friendly in terms of search capability, information architecture, improved user interface/ experience, content strategy and user engagement, a progressive Web App and the like.

Digital transformation of all operations is underway with a focus on data management, process optimisation, business analytics and cyber security with best-in-class market technologies. Straight through processing without manual intervention and seamless integration of various modules are on the anvil alongside use of application programming interfaces (APIs) and AI/ML based Chatbot to facilitate online enquiry and complaint management. A standalone single customer view application is in the process of rollout and will improve data quality for claim payment to depositors thereby reducing time lags in settlement of claims.

Use of data analytics in computation of assessable deposits will ensure correct premium payment by insured banks and compliance to extant guidelines. An in-house recovery management dashboard shall enable tracking of asset details of liquidated banks (both movable and immovable) and re-payments from liquidated banks after disposal of these assets. This shall not only improve repayment of claim pay-outs /statutory dues to DICGC but also payments to large depositors having deposits in excess of deposit insurance limit (₹ 5 lacs presently) after dues are fully paid to the former.

3. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Submitted in terms of section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

The number of insured banks registered with the Corporation stood at 1,997 as on March 31, 2024 comprising 140 commercial banks [including 12 small finance banks (SFBs), 6 payment banks (PBs), 43 regional rural banks (RRBs) and 2 local area banks (LABs)] and 1,857 co-operative banks (***Appendix Table 1***). Co-operative banks remained predominant in terms of registered institutions. 30 banks were deregistered during the year, all of which were co-operative banks. (***Appendix Table 2***). During the year, one new bank (Foreign Bank: Nonghyup Bank) was registered as an insured bank (***Appendix Table 3***).

I.1 DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, deposit insurance covers all commercial banks (including PBs, SFBs, RRBs and LABs) and co-operative banks in all States and Union Territories (UTs) of the country.

I.1.1 INSURED DEPOSITS

The number of fully protected accounts were 283.3 crore (*i.e.*, accounts with deposit balance up to ₹5 lakh) at end-March 2024 and they constituted 97.8 per cent of the total number of accounts (289.8 crore) in the banking system (**Chart 1**). The amount of insured deposits at ₹94,10,674 crore constituted 43.1 per cent of assessable deposits of ₹2,18,23,481 crore (**Table 1 and Appendix Table 4**) of the deposits covered under insurance protection. Payments bank account for the highest share at 99.2 percent followed by RRBs at 80.3 per cent, LABs at 72.4 per cent, co-operative banks at 63.2 per cent, public sector banks at 48.9 percent, SFBs at 41.6 percent, private sector banks at 32.7 per cent and foreign banks at 5.0 per cent. **(*Appendix Table* 5)**.

Table 1: Insured Deposits

Particulars		As at the end of	
		March 31, 2023	(P) March 31, 2024
1	Number of Registered Banks	2,026	1,997
2	Total No. of Accounts (crore)	276.3	289.8
3	Fully Protected Accounts (crore)^	270.5	283.3
4	Share of Fully protected accounts to Total no. of accounts	97.9	97.8
5	Assessable Deposits (₹ crore)	1,94,58,915	2,18,23,481
6	Insured Deposits (₹ crore)	86,31,259	94,10,674
7	Share of Insured Deposits to Assessable Deposits	44.4	43.1

^ Refers to accounts covered by deposit insurance

P - Provisional

Source: Deposit insurance return, DICGC.

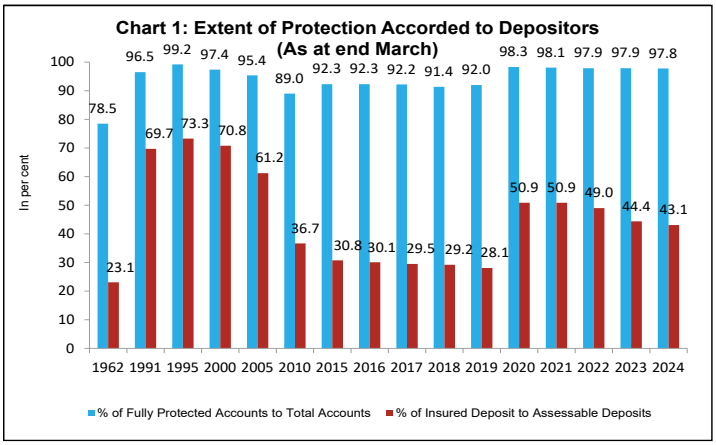

Source: Deposit insurance (DI) return, DICGC

I.1.2 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

The total premium received by the Corporation during 2023-24 stood at ₹23,879 crore, with commercial banks contributing 94.40 per cent and co-operative banks accounting for the remaining 5.60 per cent **(Table 2).**

Table 2: Premium Received

(₹ crore)

Year	Commercial Banks including RRBs & LABs	Co-operative Banks	Total
2023-24	22,543	1,336	23,879
2022-23	20,104	1,277	21,381
2021-22	18,248	1,243	19,491
2020-21	16,341	1,176	17,517

Source: Deposit insurance return, DICGC

I.1.3 INTEREST RATE PAYABLE BY DEFAULTING BANKS

In terms of Section 15(3) of the DICGC Act, 1961, any insured bank defaulting on payment of any amount of premium is liable to pay to the Corporation interest for the period of such default at a rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed (**Table 3**). During 2023-24, the Corporation recovered ₹0.50 crore as penalty from banks.

Table 3: Movement in the Bank Rate and Penal Rate of Interest

(per cent)

From	To	Bank Rate (%)	Penal Interest Rate (%)	Interest Rate payable by Defaulting Banks %
01-04-2023	31-03-2024	6.75	8.00	14.75

SOURCE: DICGC

1.2 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is built out of the premium paid by insured banks and the coupon income received on investments in Central Government securities[19]. The DIF also gets inflows out of recoveries made from liquidators / administrators / transferee banks. The Fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation. The Fund stood at ₹1,98,753 crore as on March 31, 2024 yielding a Reserve Ratio (RR)[20] of 2.11 per cent (***Chart 2***).

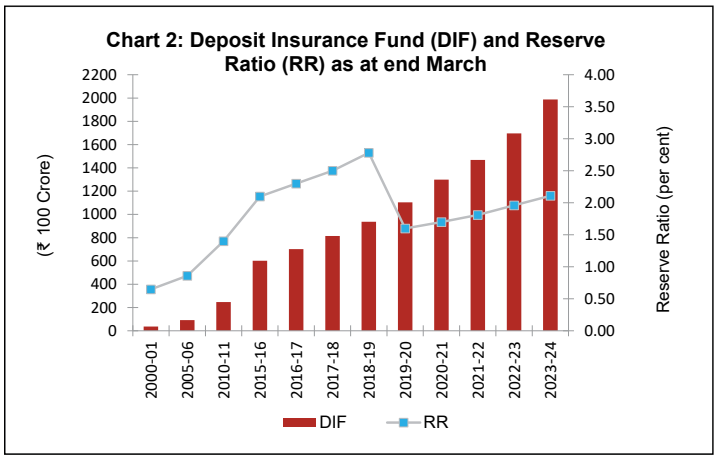

Source: Deposit insurance return and Annual accounts of DICGC

I.3 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During 2023-24, the Corporation settled claims amounting to ₹1,436.92 crore to insured depositors of liquidated banks, merged entities banks and those placed under AID out of which ₹175.71 crore[21] pertained to claims of liquidated and merged banks **(Appendix Table 6 and Chart 3)** and ₹1,261.21 crore pertaining to banks under AID **(Appendix Table 6A and Chart 3A)**. There were no claims from commercial banks.

[19]The Corporation increased the premium rate to 12 paise per ₹100 of assessable deposits with effect from April 1, 2020 from the earlier rate of 10 paise.

[20]Ratio of deposit insurance fund to insured deposits

[21]This includes ₹3.29 crore sanctioned in respect of the claim of PMCBL settled as per the provisions of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022.

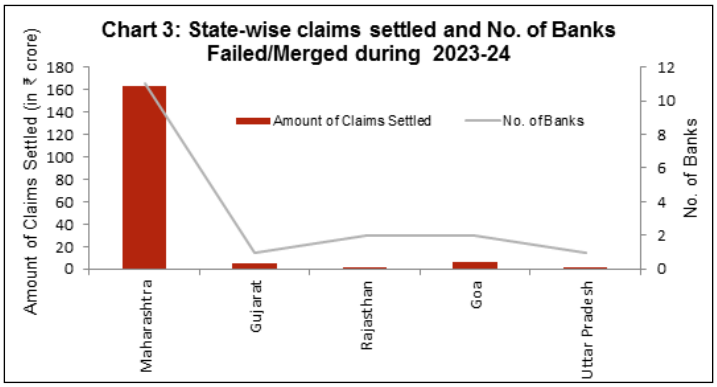

Source: DICGC

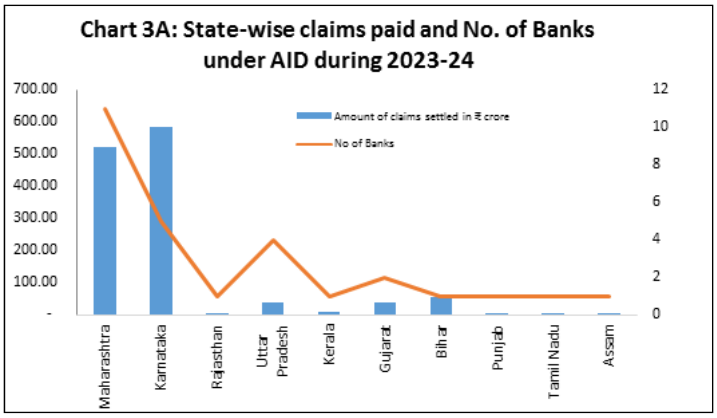

Source: DICGC

The Corporation holds a provision of ₹20.30 crore, reflecting the amount refunded by liquidators on account of untraceable depositors (claims sanctioned but depositors not traceable) and a provision of ₹359.99 crore towards unidentifiable depositors for servicing future claims, if any. The licenses of 20 UCBs were cancelled during 2023-24. Contingent liability amounting to ₹69.82 crore has been booked for 10 banks. **(Appendix Table 7 and Appendix Table 7A).**

As regards settlement of claims under section 16 of the DICGC Act, 1961, the Corporation has taken an average of 14 days for sanction from the date of receipt of the claim from the liquidator. Further, as regards the banks under AID, the Corporation has adhered to the statutory timeline of 90 days for settlement of deposit insurance claim from the date of issue of AID to such banks.

I.4 CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED

Since the inception of deposit insurance, a cumulative amount of ₹295.9 crore has been paid up to March 31, 2024 towards claims of 27 commercial banks, ₹10,670.43 crore – including ₹128.27 crore settled for 11 UCBs under expeditious policy – towards claims of 374 liquidated co-operative banks (including ₹175.71 crore settled during the year) ***(Chart 4 – 5A, Appendix Table 8 and 8B)*** and ₹ 5,359.27 crore towards claims of 57 co-operative banks placed under AID (***Chart 5A and Appendix Table 8A).***

Cumulative repayments received from the liquidators/transferee of banks aggregated to ₹5,661.07 crore. In the case of co-operative banks, cumulative repayments from the liquidators/ transferee banks aggregated to ₹5,503.53 crore (Co-op. & liquidated AID banks) inclusive of ₹760.83 crore received during the year 2023-24, whereas in case of AID Banks, total cumulative repayments received during the year 2023-24 aggregated to ₹139.90 crore. Thus, total repayments received by the Corporation during 2023-24 amounts to ₹900.73 crore (Chart 4).

Cumulative repayments received from the liquidators/ transferee of commercial banks aggregated to ₹157.54 crore. No recovery was received from commercial banks during the year 2023-24.

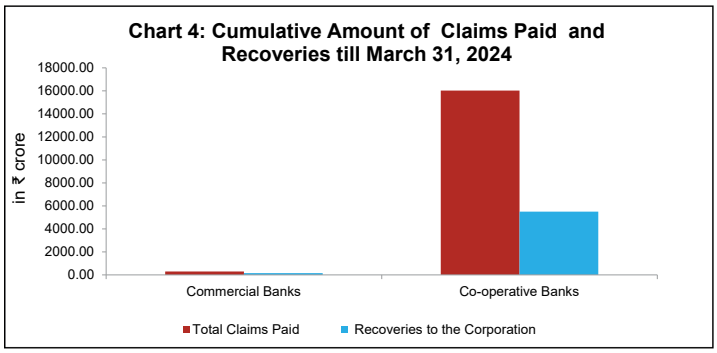

Source: DICGC

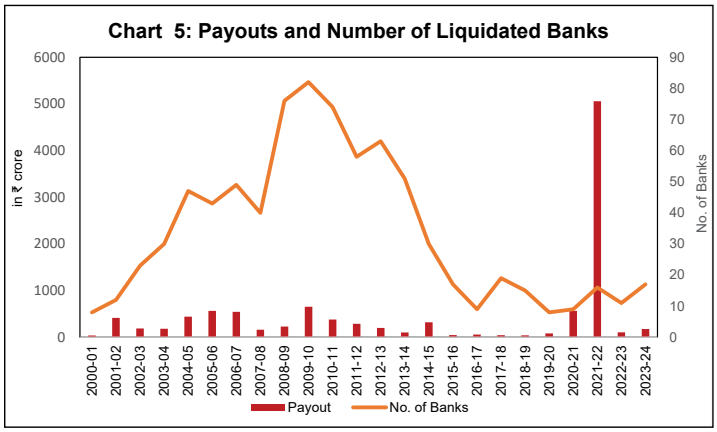

Source: DICGC

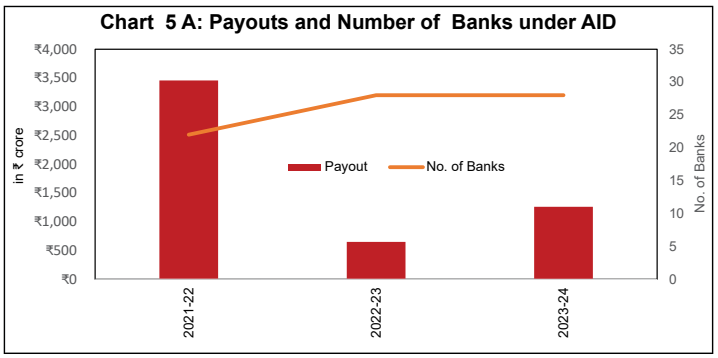

Source: DICGC

I.5 COURT CASES

As on March 31, 2024, the number of Court Cases relating to deposit insurance activity of the Corporation pending in various Courts and other stood at 61 as compared to 56 as on March 31, 2023 (Chart 6). During the year, 4 cases were closed, while 9 new cases were filed. The Corporation is a Respondent/opposite party/ defendant in all the 9 newly filed cases.

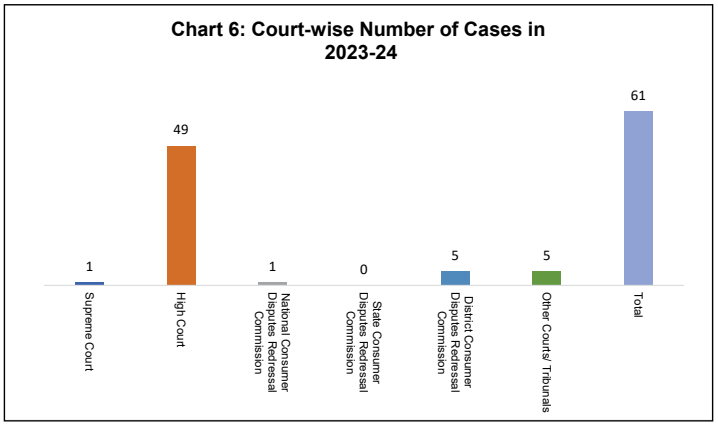

Source: DICGC

I.6 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

At present, there is no credit guarantee scheme administered by the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid. By virtue of the Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (SLGS 1971) during 2023-24 aggregated to ₹0.2 lakhs as against ₹2.61 lakhs received during the previous year. The repayments under the Small Loans Guarantee Scheme, 1981 aggregated to ₹NIL as against ₹NIL received during the previous year.

PART II: OTHER IMPORTANT INITIATIVES/ DEVELOPMENTS

II.1 DICGC ACT – FINANCIAL SAFETY NET

In India, the amendment to the DICGC Act in September 2021 has enabled depositors to have time bound access to their funds before a bank is taken into liquidation. In terms of provisions of Section 18A of the DICGC Act, as and when a bank is placed under AID, the Corporation is required to settle the deposit insurance claims of the depositors of the bank within a period not exceeding 90 days from the date of imposition of AID on the bank. Since amendment to the Act, till March 31, 2024, the Corporation has settled the claims of 3,76,661 depositors for an amount of ₹5,359.27 crore. In all such reimbursements, the banks involved were FC (Financial Co-operatives) having majority of branches in rural areas. Thus, timely access to own funds and protection of deposits has helped reinforce trust in the banking sector. A good corroborative example of the theory could be that no run-on similar FC located in same areas was observed despite the deposits in FCs under question being inaccessible to depositors.

II.2 Measures related to Recovery Management

All banks under AID for which claims have been settled under Section 18A have been advised to make repayment to the Corporation in five equal instalments beginning from December 31, 2022. Workshops for liquidators of the various UCBs under liquidation in states of Maharashtra and Uttar Pradesh have been conducted in order to sensitize them of their roles and responsibilities. A conference of Central Registrars of Co-operative Societies (CRCS) and Registrars of Co-operative Societies (RCS) of states of Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Gujarat, and Andhra Pradesh with DICGC was held on November 24, 2023. In the conference, various issues related to DICGC, *viz*., timely appointment of liquidators and statutory auditors for timely submission of claim list, undisbursed funds and challenges to repayment of outstanding amount to DICGC were deliberated upon.

II.3 COMMUNICATION POLICY AND STRATEGY

The Communication Policy of the Corporation has been framed with the approval of the Board in line with the recommendations of IADI Core Principle 10. This principle states that, *in order to protect depositors and contribute to financial stability, it is essential that the public be informed on an ongoing basis about the benefits and limitations of the deposit insurance system*. A Technical Advisory Committee (TAC) with members from the Reserve bank of India (RBI), DICGC and external communication specialists has been constituted with the objective of taking forward the communication strategy for the Corporation.

Apart from the DICGC website, the Corporation has been using a local messaging app to post public awareness messages and information regarding settlement of claims in regional languages, Hindi and English to ensure last mile reach of important information. All the insured banks were advised to display the DICGC logo and QR Code prominently on their web page, with effect from September 1, 2023. The initiative aims to enable depositors to ascertain whether their deposits are protected by DICGC. SMS intimation is being sent to depositors of liquidated banks and banks under AID at each stage of claim settlement *i.e.*, on receipt of claim and on sanction of claim.

The Corporation is actively engaged with RBI for raising awareness about deposits insurance and DICGC through its public awareness campaigns. The Corporation envisages greater engagement with the public through additional social media channels for wider coverage and dissemination of relevant information to the public. Overhaul of the DICGC website is on the cards for enhanced user experience.

II.4 RISK MANAGEMENT

With the multi-fold increase in the portfolio size and complexity of treasury operations, a Risk Management Committee was constituted to undertake a comprehensive review of the Corporation's treasury operations to make it more robust and efficient in meeting its emerging needs. The Committee deliberated on aspects including management of liquidity and interest rate risks, physical infrastructure for dealing operations, MIS requirements, and risk management practices and submitted a report. The Committee recommendations have been examined and taken up for implementation and the status of implementation of the same is monitored on an ongoing basis.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS

The financial statements of the Corporation, comprising its balance sheet, revenue account, cash flow statement, and main operations for the year ended March 31, 2024 have been prepared in accordance with the Section 28 of the DICGC Act for each of the three funds *viz*., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The affairs of the Corporation in terms of the Section 29 of the Act have been audited by the Statutory Auditors and are appended separately.

III.1 INSURANCE LIABILITIES

(a) The Corporation processed claims amounting to ₹1,586.30 crore during 2023-24. An amount of ₹1,431.54 crore was paid towards insurance claims during 2023-24 as compared to ₹751.78 crore in the previous year. Of this amount, ₹28.46 crore were paid during 2023-24 from the liability crystalized in the previous year.

(b) The actuarial liability for the Deposit Insurance Fund (DIF) of the Corporation as estimated by the actuary stood at ₹16,887.42 crore (₹12,174.47 crore) at the end of the year registering an increase of 38.71 per cent over the corresponding period of the previous year.

(c) There is no claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund (CGF).

III.2 REVENUE DURING THE YEAR

(a) The surplus in the DIF was ₹34,278.30 crore (₹33,391.31 crore), registering an increase of ₹886.99 crore (2.66 per cent) on a year-on-year basis, primarily on account of increase in premium income by ₹2,498.01 crore, increase in income from investment by ₹2,039.28 crore, increase in recoveries of claims paid by ₹17.94 crore and write back of depreciation in value of investments

by ₹1,850.46 crore. However, it was partially offset by increase in Net Claims by ₹856.67 crore and increase in actuarial liability by ₹4,712.95 crore.

(b) The surplus in the CGF was ₹50.47 crore (₹48.02 crore), attributed to increase in income from investments by ₹2.48 crore.

(c) The surplus in the General Fund (GF) stood at ₹11.53 crore (₹179.36 crore), the decrease in surplus is mainly on account of interest on the income tax refund of ₹164 crore in CPPY. There was an increase in expenditure by ₹8.30 crore primarily due to increase in staff cost, rents, taxes, insurance, lightings etc., establishment, travelling and halting allowances, auditor's fees, legal charges, provision for depreciation on investment, CCIL transaction charges and service contract/ maintenance. Income from investment increased by ₹4.39 crore.

III.3 ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2024 the accumulated surpluses/ reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹1,81,866 crore (₹1,57,427 crore), ₹650 crore (₹612 crore) and ₹728 crore (₹719 crore) respectively.

III.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three funds, *viz.*, DIF, CGF and GF, stood at ₹2,03,171 crore (₹1,73,738 crore), ₹678 crore (₹637 crore) and ₹774 crore (₹774 crore) respectively, at the end of 2023-24. Except General Fund (GF) the other two funds recorded appreciation and the market value of investments in all the three funds stood at ₹2,04,058 crore (DIF), ₹692 crore (CGF) and ₹773 crore (GF).

III.5 TAXATION

III.5.1 INCOME TAX

As on March 31, 2024, the accumulated balance (outstanding) in the Advance Income Tax (AIT) account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹8,215 crore (₹8,853 crore), ₹10 crore (₹13 crore) and ₹10 crore (₹44 crore) respectively. The accumulated balance in provision for taxation stood at ₹8,184 crore (₹8,404 crore), ₹13 crore (₹12 crore) and ₹3 crore (₹45 crore) respectively.

III.5.2 GOODS AND SERVICE TAX

The Corporation is liable to pay GST for the deposit insurance services rendered to the banks. It has discharged the GST liability in compliance thereof to the order of ₹4,306.92 crore during the year. The same was collected from insured banks.

PART IV: TREASURY OPERATION

IV.1 In terms of section 25 of the DICGC Act, 1961 the Corporation invests its surplus in Central Government securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹2,04,623 crore as on March 31, 2024 as compared with ₹1,75,149 crore as on March 31, 2023 representing an increase of 16.83 per cent over the previous year. The market value of the portfolio stood at ₹2,05,523 crore as on March 31, 2024 as compared with ₹1,73,318 crore as on March 31, 2023, registering an increase of 18.58 per cent and 1.00 times of book value *vis-à-vis* 0.99 times as on March 31, 2023. The portfolio return[22] during the year was 9.00 per cent as compared with 5.49 per cent in 2022-23, as the portfolio gained from softening in yields during the year. The market value of existing and fresh investments during the year appreciated as yields declined during the year.

IV.2 Central Government securities are valued at model prices published by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). In terms of the accounting policy on investments, net depreciation, if any, is recognised while net appreciation, if any, is ignored. As on

[22]Total weighted return is calculated using the Dietz Method, *viz*. TWR = [MVE-MVB +I –C] / [MVB + (0.5 X C)], where MVE/B = Market value at End/Beginning, I = Income received, C = Contribution of fresh inflows/outflows.

March 31, 2024, General Fund recorded net depreciation while Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund recorded net appreciation. Further, the Corporation maintains an Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2024, IFR of ₹8157.08 crore calculated by the Standardised Duration method was maintained *vis-à-vis* ₹6,966.96 crore as on March 31, 2023.

IV.3 Yields on securities softened during the year (yield on 10-year benchmark security was 7.26 per cent as on March 31, 2023 *vis-à-vis* 7.00 per cent as on March 31, 2024[23]). Yields saw two-way movements during 2023-24 with increased volatility as expectations of policy repo rates remaining higher than longer were reinforced through successive monetary policy announcements by central banks including RBI and the US Federal Reserve. At the beginning of the year, both the central banks paused the successive rate hikes undertaken in the previous fiscal and indicated their goals of aligning inflation to their respective target rates, being 2 per cent for the US and 4 per cent for India. US treasury yields were especially volatile and crossed the 5 per cent mark during the year exerting upward pressure on domestic yields as well. The US and Indian economy exhibited strong growth during the year as measured through several periodic economic indicators which also postponed market expectations of rate cuts. Geopolitical tensions also increased during the year with escalation of hostilities in West Asia leading to higher crude oil prices causing concerns of imported inflation for Indian economy. Announcements by JP Morgan and Bloomberg regarding inclusion of Indian government bonds in their emerging market bond indices during the year boosted sentiments and market expectations of inflows from foreign investors leading to a decline in yields. Market expected a prolonged pause in policy rates with rate cuts expected to commence only after inflation has been sustainably brought closer to the target rates of the respective central bank. The Corporation sought to increase portfolio duration in view of the expected policy rate cuts due in the medium term. The deployment of premium receipts and coupon/principal inflows was undertaken in liquid securities, primarily 10 and 14 years, which helped in building the holdings of on the run liquid securities as well. Claims payments during the year were discharged successfully using the cash inflows in timely manner. The Corporation also participated in auctions selectively while cash inflows including T-bills were utilized to meet tax payment obligations like Income Tax and GST during the year.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

V.1 BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and actions as may be exercised by the Corporation. In terms of Regulation 6 of the DICGC's General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. Four meetings of the Board were held during the year ended March 31, 2024.

V.1.1 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

Dr. Deepak Kumar, Executive Director appointed under section 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 ceased to be a Director on the Board of the Corporation on April 30, 2024 on account of retirement. Shri R. Lakshmi Kanth Rao was nominated by the Reserve Bank of India under 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 as the Executive Director of the Corporation for the period from May 10, 2024 to June 30, 2024. Subsequently, Shri Arnab Kumar Chowdhury has been nominated by the Reserve Bank of India under 6 (1) (b) of the DICGC Act, 1961 as the Executive Director of the Corporation

[23]7.26% GS 2033 was the 10-year benchmark security as on March 31, 2023 which was later replaced by 7.18% GS 2033 on Aug 14, 2023 which has since been the benchmark security

with effect from July 1, 2024.

V.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

As on March 31, 2024, the Audit Committee of Board was as under:

1.	Shri Shaji K.V.	Chairperson
2.	Shri Pankaj Sharma	GoI Nominee Director
3.	Dr. Deepak Kumar	Director

Four meetings of the Audit Committee of the Board were held during the year ended March 31, 2024.

V.3 INTERNAL CONTROLS

The Corporation has devised a system of control over revenue and expenditure under the three funds *viz.*, DIF, CGF and GF, through quarterly reviews. The annual budget for expenditure under these funds is prepared on various parameters, *viz.*, liquidation cost on claims to be paid of insured banks; project maintenance cost of IT vendor; legal expenses; advertisement cost and staff and establishment related payments. It is approved by the Board before the commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, *viz.*, premium receipts, recoveries and investment income, are also included in the budget. A mid-term review of budgeted expenditure and receipts vis-a-vis actual expenditure, based on the position as at the end of each half year, is placed before the Board.

V.3.1 Concurrent Audit

M/s Devendra Kumar & Associates were re-appointed as Concurrent Auditors of the Corporation for the year 2023-24. The major findings of monthly audit are placed before the Audit Committee of the Board.

V.3.2 Control & Self-Assessment Audit

Under Control and Self-Assessment Audit (CSAA), a system has been put in place whereby officers of the Corporation conduct audits of work areas with which they are not functionally associated on a half-yearly basis. Reports for corrective actions, if any, are submitted by them. The CSAA for HY ended December 2023 has been conducted.

V.3.3 Risk Based Internal Audit

Risk Based Internal Audit (RBIA) of the DICGC was conducted by the Inspection Department of RBI from February 14 to 22, 2022. All the paras have been complied with.

V.4 TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT

The Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops with a view to upgrade skills. These programmes are conducted by various training establishments of RBI, reputed training institutions in India as well as abroad, the International Association of Deposit Insurers (IADI) and other foreign deposit insurance institutions. During 2023-24, 25 officers, 11 class III and 2 class IV employees were nominated to participate in RBI training establishments and external training institutes (including 5 officers and 3 class III employees in online mode). Besides 15 officers were nominated for participating in the various programmes conducted by IADI (including 4 officers in online mode).

V.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from RBI. The staff strength of the Corporation as on March 31, 2024 stood at 68 as against 67 as on March 31, 2023 (Table 4).

Table 4: Category wise Staff Strength as on March 31, 2024

Category	Number	Of which		Per cent	
		SC	ST	SC	ST
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Class I	41*	8	3	19.51	7.32
Class III	23	4	2	17.39	8.70
Class IV	4	0	1	0	25
Total	**68**	**12**	**6**	**17.65**	**8.82**

SC: Scheduled Castes

ST: Scheduled Tribes. *Excluding ED

Source: DICGC

V.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

As a public authority, the Corporation is obliged to provide information to the public under the Right

to Information Act (RTI). During 2023-24, a total of 55 RTI requests and five appeals were received and the Appellate Authority Order was issued by the Corporation within the prescribed timeframe. One Chief Information Commission appeal hearing was attended by the Corporation and same was dismissed. The RTI queries primarily pertained to role of RBI and DICGC in protecting depositors, information on claim settlement, queries on enhancement of deposit insurance cover, information on failed banks and banks under AID, and amount disbursed.

V.7 USE OF HINDI

In compliance with the provisions of Official Languages Implementation Act, the Corporation prepared quarterly progress reports on use of Hindi. The Official Languages Implementation Committee met on a quarterly basis to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation. Hindi correspondence stood at 98.03 per cent of the total in 2023-24. The Corporation also organizes 'Hindi Fortnight' every year. Hindi Day celebration was held on October 10, 2023.

V.8 COMPLAINTS CELL IN THE CORPORATION

The Corporation formed a Complaints Redressal Cell (CRC) for prompt redressal of complaints received from the members of public. A total number of 1410 complaints including 52 CPGRAMS complaints were attended during the period from April 1, 2023 to March 31, 2024. The complaints were primarily related to claim settlement, non-receipt of insurance amount, non-acceptance of willingness form by the concerned bank, request for amount exceeding the maximum deposit insurance coverage limit, etc. The disposal of complaints is being made in a timebound manner in co-ordination with the liquidators/nodal officers of the AID banks, regulatory and supervisory departments of RBI. Specific issues relating to complaints are also taken up with the Sub-Committee of Task Force on Urban Co-operative Banks (TAFCUB) for disposal.

V.9 PUBLIC AWARENESS

(i) Based on the content provided by DICGC, a separate chapter on deposit insurance and DICGC has been incorporated in the Financial Awareness Messages (FAME) booklet published by RBI.

(ii) In line with the recommendation of the Technical Advisory Committee, a public awareness survey on DICGC and its activities will be undertaken in five states having larger concentration of AID banks with the support of Department of Statistics and Information Management (DSIM), RBI. Based on financial bids submitted by the vendors empanelled with the Reserve Bank of India, M/s Saptrishi Consultancy Services Ltd., has been awarded the work. Contract has been executed with the agency. Review and refinement of the Computer Assisted Personal Interview (CAPI) script is underway.

(iii) Xavier Institute of Communications (XIC), a leading mass communication college in Mumbai has been engaged for content development of public awareness messages. Short video clips based on scripts developed in collaboration with departments of DICGC are being finalised.

(iv) Discussion has been initiated with ReBIT for creation of FAQ based videos.

(v) A separate section has been created on the website of the Corporation to display information related to public awareness. Link to the DICGC's Public App (a hyper local social platform) profile has been placed on the website to enhance visibility and usage of the app by public. Information related to main claim settlement of liquidated banks is also being hosted on Public App. Press Release has been introduced in respect of cancellation of registration of insured banks and the first such press release regarding eight banks has been placed on the website. Further, the website of the Corporation is being revamped in collaboration with ReBIT. The homepage and presentation of information on the new website is under finalisation.

(vi) To enhance awareness on Deposit Insurance, all insured banks were advised to display the DICGC Logo and QR code linked with DICGC website, on their website and internet banking portal, with effect from September 1, 2023. As on May 30, 2024, out of 1152 banks having website, 945 banks have complied with the instructions. Of the remaining non-compliant banks, 83 per cent are

Urban Co-operative Banks, 17 per cent are District Central Co-operative Banks and 1 bank is a State Co-operative Bank. Follow up is being undertaken with RBI / NABARD. There has been a steady increase in number of new visitors to the DICGC website *i.e.*, from 9,559 visitors in July 2023 to 1,10,015 visitors in April 2024, after issue of the above instructions.

V.10 INTERNATIONAL RELATIONS

V.10.1 IADI Meetings, Survey and other matters

The Corporation is a member of the International Association of Deposit Insurers (IADI) and its various committees. IADI was setup with a view to contribute to the enhancement of deposit insurance systems by promoting guidance and international cooperation. Being a member, the Officers of the Corporation attended 7 in-person and several other virtual meetings/conferences/workshops organised by the IADI and its various committees. Material for these meetings were reviewed and comments were forwarded. IADI Annual Survey 2023, PIDM (Malaysia Deposit Insurance Corporation) Benchmarking Survey and Indonesia Deposit Insurance Corporation Survey on 'Public Awareness Level Measurement' as well as 'Due Diligence Implementation' were submitted. Annual Report 2022-23 of the Corporation was circulated among the members of the IADI and Liaison work related to IADI was attended to.

V.10.2. Visit by Ethiopian Deposit Insurance Fund

On the request of the newly established Ethiopian Deposit Insurance Fund (EDIF) an "International Exposure Visit Programme" for the senior officials of EDIF was organised during November 07-08, 2023. A delegation of seven senior officials from EDIF, led by the Chairman of the Board of EDIF, who is also the Vice Governor of National Bank of Ethiopia, visited the Corporation to gain insights into its working.

V.11 AUDITORS

In terms of Section 29 (1) of the DICGC Act, 1961, M/s JAIN CHOWDHARY & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the year 2023-24 with the approval of RBI.

For and on behalf of Board of Directors

Deposit Insurance and Credit
Guarantee
Corporation, Mumbai
June 18, 2024

Dr. M D Patra
Chairman

APPENDIX TABLE 1: BANKS UNDER THE DEPOSIT INSURANCE - PROGRESS SINCE INCEPTION

Year	At the beginning of the period	Registered during the period	De-registered during the year / period where the Corporation's liability			At the end of the period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2023-24	2,026	1	24	6	30	1,997
2022-23	2,040	0	9	5	14	2,026
2021-22	2,058	3	11	10	21	2,040
2020-21	2,067	2	6	5	11	2,058
2019-20	2,098	6	0	37	37	2,067
2018-19	2,109	8	4	15	19	2,098
2017-18	2,125	8	7	17	24	2,109
2016-17	2,127	13	5	10	15	2,125
2015-16	2,129	6	3	5	8	2,127
2014-15	2,145	5	14	7	21	2,129
2013-14	2,167	7	16	13	29	2,145
2012-13	2,199	12	12	32	44	2,167
2011-12	2,217	7	11	14	25	2,199
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2002-03	2,715	10	29	7	36	*2,629
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1962	287	0	2	9	11	276

***** Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

APPENDIX TABLE 2-A: INSURED BANKS – BANK GROUP-WISE

Year (as at end March)	No. of Insured Banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2023-24	95	43	2	1,857	1,997
2022-23	94	43	2	1,887	2,026
2021-22	96	43	2	1,899	2,040
2020-21	94	43	2	1,919	2,058
2019-20	96	45	3	1,923	2,067

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

APPENDIX TABLE 2-B: INSURED CO-OPERATIVE BANKS – STATE - WISE (as at end March 2024)

Sr. No.	State	Apex	Central	Primary	Total
1.	Andhra Pradesh	1	22	46	69
2.	Assam	1	0	8	9
3.	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4.	Bihar	1	23	4	28
5.	Chhattisgarh	1	6	12	19
6.	Goa	1	0	4	5
7.	Gujarat	1	18	210	229
8.	Haryana	1	19	7	27
9.	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10.	Jharkhand	1	1	1	3
11.	Karnataka	1	21	251	273
12.	Kerala	1	1	58	60
13.	Madhya Pradesh	1	38	47	86
14.	Maharashtra	1	31	464	496
15.	Manipur	1	0	3	4
16.	Meghalaya	1	0	3	4
17.	Mizoram	1	0	1	2
18.	Nagaland	1	0	0	1
19.	Orissa	1	17	9	27
20.	Punjab	1	20	4	25
21.	Rajasthan	1	29	34	64
22.	Sikkim	1	0	1	2
23.	Tamil Nadu	1	24	128	153
24.	Telangana	1	0	49	50
25.	Tripura	1	0	1	2
26.	Uttar Pradesh	1	50	56	107
27.	Uttarakhand	1	10	5	16
28.	West Bengal	1	17	42	60
All States		**28**	**349**	**1,453**	**1,830**
Union Territories					
1.	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
2.	Chandigarh	1	0	0	1
3.	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
4.	NCT Delhi	1	0	14	15
5.	Puducherry	1	0	1	2
All Union Territories		**5**	**3**	**19**	**27**
All India		**33**	**352**	**1,472**	**1,857**

APPENDIX TABLE 3: BANKS REGISTERED / DE-REGISTERED DURING 2023-24

A. REGISTERED (1)

Bank Type	Category / State	Sr. No.	Name of the Bank
Commercial Bank (1)	Foreign Bank (1)	1	NongHyup Bank

B. DE-REGISTERED (30)

Bank Type	Category / State	Sr. No.	Name of the Bank
Co-operative Banks (30)	Gujarat (3)	1	The Botad People's Co-operative Bank Ltd.
		2	The Suvikas People's Co-operative Bank Ltd (Amalgamated with Kalupur Commercial Co-operative Bank)
		3	Shree Mahalakshmi Mercantile Co-operative Bank
	Karnataka (5)	4	Mahalaxmi Co-operative Credit Bank Ltd.
		5	Sri Sharda Mahila Co-operative Bank Ltd.
		6	Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamitha
		7	Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamitha
		8	Hiriyur Urban Co-operative Bank Ltd
	Kerala (2)	9	Ananthasayanam Co-operative Bank Ltd.
		10	Adoor Co-operative Urban Bank Ltd
	Maharashtra (12)	11	Malkapur Urban Co-operative Bank Ltd.
		12	Maratha Sahakari Bank Ltd. Mumbai. (Amalgamated with The Cosmos Co-operative Bank Ltd, Maharashtra)
		13	Nagar Urban Co-operative Bank Ltd.
		14	The Sahebrao Deshmukh Co-operative Bank Ltd. (Amalgamated with The Cosmos Co-operative Bank Ltd, Maharashtra)
		15	Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Ltd.
		16	Jayaprakash Narayan Nagari Sahakari Bank Ltd.
		17	Faiz Mercantile Co-operative Bank Ltd.
		18	Nashik Jilha Girna Sahakari Bank Ltd.
		19	Adarsh Mahila Nagari Sahkari Bank Maryadit
		20	Akola Merchant Co-operative Bank Ltd. (Amalgamated with The Jalgaon People's Co-operative Bank Ltd, Maharashtra)
		21	Harihareshwar Sahakari Bank Ltd.
		22	Kapol Co-operative Bank Ltd.
	Rajasthan (1)	23	Sumerpur Mercantile Urban Co-operative Bank Ltd.
	Tamil Nadu (1)	24	Musiri Urban Co-operative Bank Ltd.
	Telangana (2)	25	Navanirman Co-operative Urban Bank Ltd. (Amalgamated with the Rajadhani Co-op. Urban Bank Ltd., Telangana)
		26	Twin Cities Co-operative Urban Bank Ltd. (Amalgamated with the Kranti Co-operative Urban Bank Ltd., Telangana)
	Uttar Pradesh (4)	27	Urban Co-operative Bank [Sitapur]
		28	National Urban Co-op. Bank Ltd. [Bahraich]
		29	United India Co-operative Bank Ltd. [Nagina]
		30	Lucknow Urban Co-operative Bank Ltd.

APPENDIX TABLE 4: DEPOSIT PROTECTION COVERAGE: SINCE INCEPTION

As on	Fully Protected Accounts (number in crore)*	Total Accounts (number in crore)	% of Fully Protected Accounts to Total Accounts	Insured Deposits* (in ₹ crore)	Assessable Deposits (in ₹ crore)	% of Insured Deposits to Total Deposits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31-03-2024	283.3	289.8	97.8	94,10,674	2,18,23,481	43.1
31-03-2023	270.5	276.3	97.9	86,31,259	1,94,58,915	44.4
30-09-2022	267.5	273.1	97.9	83,89,470	1,81,14,550	46.3
30-09-2021	256.7	262.2	97.9	81,10,431	1,65,49,630	49.0
30-09-2020	247.8	252.6	98.1	76,21,251	1,49,67,770	50.9
30-09-2019	216.1	235.0	92.0	36,96,100	1,34,88,910	27.4
30-09-2018	200.0	217.4	92.0	33,70,000	1,20,05,100	28.1
30-09-2017	177.5	194.1	91.4	32,75,300	1,12,02,000	29.2
30-09-2016	173.7	188.5	92.1	30,50,900	1,03,53,100	29.5
30-09-2015	155.3	168.1	92.3	28,26,400	94,05,300	30.1
30-09-2014	134.5	145.6	92.3	26,06,794	84,75,154	30.8
30-09-2013	126.7	137.0	92.4	23,79,152	76,16,640	31.2
30-09-2012	139.3	148.2	94.0	21,58,365	66,21,060	32.6
30-09-2011	99.6	107.3	92.8	19,04,300	57,67,400	33.0
30-09-2010	97.7	105.2	92.9	17,35,800	49,52,427	35.1
30-09-2009	126.7	142.4	89.0	16,82,397	45,87,967	36.7
30-09-2008	120.4	134.9	89.3	19,08,951	33,98,565	56.2
30-09-2007	96.2	103.9	92.6	18,05,081	29,84,800	60.5
30-09-2006	68.3	71.7	95.3	13,72,597	23,44,351	58.5
30-09-2005	50.6	53.7	94.1	10,52,988	17,90,919	58.8
30-09-2004	62.0	65.0	95.4	9,91,365	16,19,815	61.2
27-06-2003	51.9	54.4	95.4	8,70,940	13,18,268	66.1
28-06-2002	57.8	60.0	96.3	8,28,885	12,13,163	68.3
29-06-2001	46.4	48.2	96.4	6,74,051	9,68,752	69.6
30-06-2000	43.2	44.6	96.9	5,72,434	8,06,260	71.0
25-06-1999	43.0	44.2	97.4	4,98,558	7,04,068	70.8
26-06-1998	45.4	46.4	97.9	4,39,609	6,09,962	72.1
27-06-1997	37.1	41.1	90.4	3,70,531	4,92,280	75.3
28-06-1996	42.7	43.5	98.2	3,37,671	4,50,674	74.9
30-06-1995	48.2	48.7	99.0	2,95,575	3,92,072	75.4
24-06-1994	49.6	49.9	99.2	2,66,747	3,64,058	73.3
25-06-1993	35.0	35.3	99.1	1,68,405	2,49,034	67.6
26-06-1992	34.0	35.4	95.8	1,64,527	2,44,375	67.3
28-06-1991	31.7	32.9	96.4	1,27,925	1,86,307	68.7
29-06-1990	29.8	30.9	96.5	1,09,316	1,56,892	69.7
29-12-1961	0.6	0.7	78.5	392	1,694	23.1

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards, ₹1,00,000 from May 1, 1993 onwards and ₹5,00,000 from February 4, 2020 onwards.

Note: 1. Data from 2009-10 as per new reporting format.

2. Deposit insurance cover increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh with effect from February 4, 2020. As the deposit insurance returns data pertain to September 30, 2019 did not have granular information above ₹3,00,000, insured deposits and number of fully protected accounts estimated as ₹68,71,500 crore and 231 crore, respectively, for deposit insurance cover of ₹5 lakh for the year 2019-20. As a result, fully protected accounts to total accounts ratio is increased from 92.0 per cent to 98.3 per cent and Insured deposits to total deposits ratio also changed from 27.4 per cent to 50.9 per cent.

APPENDIX TABLE 5: BANK GROUP-WISE INSURED DEPOSITS

Bank Groups	No. of Insured Banks	Insured Deposits (₹ Crore)	Assessable Deposits (₹ Crore)	% of Insured Deposits to Assessable Deposits
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
As on March 31, 2024 (Provisional)				
I. Commercial Banks (i to vii)	**140**	**86,66,217**	**2,06,46,359**	**42.0**
i) Public Sector Banks	12	56,47,647	1,15,49,283	48.9
ii) Private Sector Banks	21	23,63,912	72,35,902	32.7
iii) Foreign Banks	44	50,568	10,08,505	5.0
iv) Small Finance Banks	12	89,532	2,15,426	41.6
v) Payment Banks	6	16,794	16,937	99.2
vi) Regional Rural Banks	43	4,96,827	6,19,010	80.3
vii) Local Area Banks	2	937	1,295	72.4
II. Co-operative Banks (i to iii)	**1,857**	**7,44,457**	**11,77,122**	**63.2**
i) Urban Co-operative Banks	1,472	3,71,859	5,56,977	66.8
ii) State Co-operative Banks	33	62,395	1,46,144	42.7
iii) District Central Co-operative Banks	352	3,10,202	4,74,000	65.4
Total (I+II)	**1,997**	**94,10,674**	**2,18,23,481**	**43.1**
As on March 31, 2023				
I. Commercial Banks (i to vii)	**139**	**79,22,120**	**1,83,48,838**	**43.2**
i) Public Sector Banks	12	52,20,324	1,05,07,639	49.7
ii) Private Sector Banks	21	21,20,937	62,37,833	34.0
iii) Foreign Banks	43	50,037	8,62,909	5.8
iv) Small Finance Banks	12	66,745	1,63,183	40.9
v) Payment Banks	6	12,533	12,694	98.7
vi) Regional Rural Banks	43	4,50,675	5,63,377	80.0
vii) Local Area Banks	2	869	1,204	72.2
II. Co-operative Banks (i to iii)	**1,887**	**7,09,139**	**11,10,076**	**63.9**
i) Urban Co-operative Banks	1,502	3,62,991	5,34,413	67.9
ii) State Co-operative Banks	33	64,041	1,46,931	43.6
iii) District Central Co-operative Banks	352	2,82,107	4,28,733	65.8
Total (I+II)	**2,026**	**86,31,259**	**1,94,58,915**	**44.4**

Note: The insured deposits to assessable deposits ratio may not tally due to rounding off.

APPENDIX TABLE 6: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2023-24 (LIQUIDATED/MERGED BANKS)

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of depositors	Claim amount (₹ crore)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Maharashtra Claims (11)			
1	Sarjeraodada Naik Shirala Sahakari Bank Ltd	Main	20,157	10.36
2	Navodaya Urban Co-operative Bank Ltd	Supplementary	397	1.77
3	Mantha Urban Co-operative Bank Ltd	Main	3,120	10.10
4	CKP Co-operative Bank Ltd	Supplementary	1,400	6.91
5	Shivajirao Bhosale Sahakari Bank Ltd	Supplementary	44	0.40
6	Seva Vikas Co-operative Bank Ltd	Main	3,264	14.14
7	Karnala Nagari Sahakari Bank Ltd	Supplementary	631	1.58
8	Rupee Co-operative Bank Ltd	Main	15,337	96.68
9	Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Ltd	Supplementary	467	3.29
10	Babaji Date Mahila Sahakari Bank Ltd	Main	1,381	7.71
11	Karad Janta SBL	Supplementary	3,791	10.55
A. Total (Maharashtra - claims)			**49,989**	**163.49**
	Gujarat (1)			
1	Gujarat Industrial CBL	Supplementary		5.42
B. Total (Gujarat claims)			**-**	**5.42**
	Rajasthan (2)			
1	Alwar Urban Co-operative Bank Ltd	Supplementary	79	0.07
2	Bhilwara Mahila CBL	Supplementary	376	0.39
C. Total (Rajasthan claims)			**455**	**0.46**
	Goa(2)			
1	Madgaum Urban Co-operative Bank Ltd	Supplementary	423	2.85
2	Mapusa Urban Co-operative Bank Ltd	Supplementary	692	3.24
D. Total (Goa claims)			**1,115**	**6.10**
	Uttar Pradesh (1)			
1	People's CBL	Main	90	0.24
E. Total (Uttar Pradesh claims)			**90**	**0.24**
Total (A+B+C+D)			**51,649**	**175.71**

APPENDIX TABLE 6A: DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2023-24
[Banks under All Inclusive Direction (AID)]

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim / Supplementary Claim	No. of depositors	Amount of Claims (₹ crore)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Maharashtra			
1	Adarsh Mahila NSBL	Main	9,177	186.37
2	Ajantha UCBL	Main	8,381	194.55
3	Defence Accounts CBL	Main	756	9.85
4	Faiz Mercantile CBL	Main	1,143	7.99
5	Jaiprakash Narayan NSBL	Supplementary	144	1.69
6	Nashik Zilla Girna SBL	Supplementary	207	0.73
7	Pune SBL	Main	23	0.40
8	Rajapur SBL	Main	1,037	16.09
9	Sangali SBL	Supplementary	2,605	33.11
10	Sawantwadi UCBL	Main	3,871	24.57
11	Shankarrao Mohite Patil SBL	Main	2,377	46.26
Total (Maharashtra - 11 banks)			**29,721**	**521.61**
	Karnataka			
1	National CBL	Main	19,067	566.19
2	Shimsha SBN	Main	2,563	11.85
3	Shri Sharada Mahila CBL	Supplementary	149	2.10
4	Sri Guru Raghavendra SBL	Supplementary	71	2.55
5	The Hiriyur UCBL	Main	379	2.18
Total (Karnataka - 5 banks)			**22,229**	**584.87**
	Rajasthan			
1	Sumerpur Mercantile UCBL	Main	73	2.14
Total (Rajasthan - 1 banks)			**73**	**2.14**
	Uttar Pradesh			
1	Banaras Mercantile CBL	Main	538	4.25
2	HCBL CBL	Main	3,728	21.25
3	National Mercantile CBL	Main	82	1.46
4	Purvanchal CBL	Main	944	12.63
Total (Uttar Pradesh - 4 bank)			**5,292**	**39.59**
	Kerala			
1	Thodupuzha Urban CBL	Supplementary	406	8.85
Total (Kerala - 1 bank)			**406**	**8.85**
	Gujarat			
1	Colour Merchants CBL	Main	658	13.94
2	Shree Mahalaxmi Mercantile CBL	Main	1,928	24.07
Total (Gujarat - 2 banks)			**2,586**	**38.01**
	Bihar			
1	Vaishali Shahari Vikas CBL	Main	5,319	56.28
Total (Bihar - 1 bank)			**5,319**	**56.28**
	Punjab			
1	Imperial UCBL	Main	330	5.43
Total (Punjab - 1 bank)			**330**	**5.43**
	Tamil Nadu			
1	Musiri UCBL	Main	125	1.34
Total (Tamil Nadu - 1 bank)			**125**	**1.34**
	Assam			
1	Mahabhairab CBL	Main	436	3.09
Total (Assam - 1 bank)			**436**	**3.09**
Total all states (28 banks)			**66,517**	**1,261.21**

Note: The Corporation has received a refund of ₹5.39 crore which was sanctioned in terms of provisions of section 18A of the DICGC Act and was lying undisbursed at the time of deregistration of such banks consequent to cancellation of the license by RBI.

APPENDIX TABLE 7: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY (As on March 31, 2024)

Sr. No.	Date of de-registration	Name of the Bank	Amount (₹ crore)
A	**10 years and above**		
	-	-	-
	Total (A)	-	-
B	**5 years and less than 10 years**		
	-	-	-
	Total (B)	-	-
C	**1 year and less than 5 years**		
1	December 24, 2020	Subhadra Local Area Bank (U/L)*	7.75
2	January 11, 2021	United Co-Operative Bank ltd.(U/L) Bagnan , WB#	2.23
3	February 3, 2022	Independence CBL (U/L)	2.70
4	June 8, 2022	Mudhol CBL	5.20
5	June 18, 2022	Millath CBL	3.54
6	July 7, 2022	Shri Anand CBL	5.45
7	August 18, 2022	Deccan UCBL	3.13
8	September 22, 2022	Laxmi CBL	16.69
	Total (C)	**(8 Banks)**	**46.69**
D	**Less than 1 year**		
1	July 11, 2023	Harihareshwar Sahakari Bank Ltd.	4.55
2	January 12, 2024	Shree Mahalaxmi Mercantile CBL	18.58
	Total (D)	**(2 Banks)**	**23.13**
Grand Total (A+B+C+D)		**(10 Banks)**	**69.82**

*Liquidator not appointed as on March 31, 2023. Matter sub judice.

#Claim list is yet to be received from the liquidator

APPENDIX TABLE 7A: PROVISION HELD UNDER CONTINGENT LIABILITY - BANKS UNDER AID (As on March 31, 2024)

Sr. No.	Name of the Bank	Amount (in ₹ crore)
1	Ajantha Urban Co-op Bank Maryadit	178.61
2	National Cooperative Bank Ltd.	112.76
3	Sangli SBL, Mumbai	48.11
4	Purvanchal Co-op Bank Ltd.	25.15
5	Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank Maryadit	23.08
6	Mahabhairab CBL	18.40
7	Shree Mahalaxmi Mercantile Co-op Bank Ltd	17.74
8	Colour Merchants Co-op Bank Ltd.	14.95
9	The Rajapur Sahakari Bank Ltd.	9.67
10	Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank Ltd.	9.08
11	Defence Accounts Co-op Bank Ltd	6.62
12	Sumerpur Mercantile Co-operative Bank Ltd	6.08
13	Saibaba Janta SBL	5.56
14	Vaishali Shahari Vikas Cooperative Bank Ltd.	4.75
15	Jaiprakash Narayan Nagari Sahakari Bank Ltd., Basmatnagar	4.61
16	Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita	4.15
17	National Mercantile Co-operative Bank Ltd	4.14
18	HCBL Co-operative bank Ltd	3.96
19	Nashik Zilla Girna SBL	3.74
20	Faiz Mercantile Co-operative Bank Ltd	3.43
21	Banaras Mercantile Co-op Bank Ltd	3.19
22	The Sawantwadi UCBL	2.98
23	Sri Sharada Mahila CBL	2.21
24	The Hiriyur Urban Co-operative Bank Ltd	1.19
25	Shimsha Sahakara Bank Niyamitha	1.16
26	Musiri Urban Co-op Bank Ltd	0.35
Total		**515.66**

APPENDIX TABLE 8: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED/AMALGMATED/RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2024

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I	**COMMERCIAL BANKS**					
	i) Full repayment received (A)					
	1 Bank of China, Kolkata (1963)			925.00	925.00	-
	2 Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*			704.06	704.06	-
	3 Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*			208.50	208.50	-
	4 Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*			11.51	11.51	-
	5 Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*			4,631.66	4,631.66	-
	6 National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*			968.92	968.92	-
	7 Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*			1,16,278.09	1,16,278.46	(0.38)
	8 Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*			14,659.08	14,659.08	-
	9 Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)			3,70,000.00	3,70,000.00	-
	TOTAL 'A'			**5,08,386.80**	**5,08,387.18**	**(0.38)**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (B)					
	10 Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*			253.35	137.79 (115.56)	-
	11 Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*			27.60	18.07 (9.53)	-
	12 Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*			108.08	31.32 (76.76)	-
	13 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Kolkata (1964)*			880.08	441.55 (438.53)	-
	14 Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*			734.28	372.93 (361.35)	-
	15 Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*			1,725.41	1,678.00 (47.40)	-
	16 National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*			99.26	88.12 (11.13)	-
	17 Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*			18.28	14.55 (3.74)	-
	18 Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore (1985)*			3,34,062.25	91,358.30 (2,42,703.95)	-
	19 Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*			26,021.36	23,191.65 (2,829.71)	-

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	20 United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*			3,50,150.63	32,631.51 (3,17,519.12)	-
	21 Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*			30,633.77	27,382.20 (3,251.57)	-
	22 Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*			72,577.39	14,057.91 (58,519.48)	-
	TOTAL 'B'			**8,17,291.74** **(6,25,887.83)**	**1,91,403.91**	-
	iii) Part repayment received (C)					
	23 Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*			2,19,167.10	1,05,374.96	1,13,792.14
	24 Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N. (1990)*			1,07,836.01	1,03,755.98	4,080.04
	25 Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N. (1990)*			76,449.75	75,897.32	552.43
	26 Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*			1,72,956.25	-	1,72,956.25
	27 Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*			10,56,442.08	5,90,557.14	4,65,884.94
	TOTAL 'C'			**16,32,851.19**	**8,75,585.40**	**7,57,265.80**
	TOTAL (A+B+C)			**29,58,529.73** **(6,25,887.83)**	**15,75,376.48**	**7,57,265.42**
II	**CO-OPERATIVE BANKS**					
	i) Full repayment received (D)					
	1 Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)			573.33	573.33	-
	2 Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)			184.00	184.00	-
	3 Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)			1,072.00	1,072.00	-
	4 Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)			218.99	244.99	(26.00)
	5 Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)			1,837.46	1,837.46	-
	6 Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*			484.89	484.89	-
	7 Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)			12,500.00	12,500.00	-
	8 Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (1996)			121.97	121.97	-
	9 Bijapur Dist. Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)			2,413.42	2,413.43	(0.00)
	10 Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)^			915.79	915.79	-

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	11 Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)			28,556.47	28,556.47	-
	12 Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)			5,068.09	5,068.09	-
	13 Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001,2013@)#)	3,160	02-05-2013	40,15,185.54	40,15,185.54	-
	14 Sri. Lakshmi Mahila Co-op. Urban Bank, (Dergd), A.P. (2002)			7,821.24	7,821.24	-
	15 The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)			26,553.64	26,553.64	-
	16 Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)			11,289.66	11,289.66	-
	17 Kurnool Urban Co-operative Credit Bank Ltd., A.P. (2003)			47,432.57	47,432.57	-
	18 Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)			34,033.48	34,033.48	-
	19 Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)			33,329.35	33,331.32	(1.97)
	20 Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)			33,177.94	33,177.94	-
	21 Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)			37,343.88	37,343.88	-
	22 The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd.,Ahmedabad, Gujarat (2003)			41,281.62	41,281.62	-
	23 Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			7,697.97	7,697.97	-
	24 Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)			22,952.19	22,952.19	-
	25 Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)			20,65,143.58	20,65,143.58	-
	26 Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)			30,697.47	30,697.47	-
	27 Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P. (2005)			629.80	629.80	-
	28 Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)^			4,787.55	4,787.55	(0.00)
	29 Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			5,725.86	5,725.86	-
	30 Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)			30,892.41	30,901.60	(9.20)
	31 Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)^			6,06,403.31	6,06,403.31	-
	32 Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			1,30,437.03	1,30,437.03	-

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	33 Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)			15,706.37	15,706.37	-
	34 Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)			18,999.84	18,999.84	-
	35 Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)			24,741.48	24,741.48	-
	36 Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P. (2006)		20-06-2006	3,04,703.46	3,04,703.46	-
	37 Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)^		01-08-2006	2,57,956.99	2,57,956.99	-
	38 Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)		23-10-2006	4,846.70	4,846.70	-
	39 Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		06-11-2006	12,825.48	12,825.48	-
	40 Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		18-12-2006	58,798.44	58,811.81	(13.36)
	41 Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2007)		22-01-2007	7,55,959.06	7,55,959.06	-
	42 Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)		24-04-2007	3,23,215.02	3,23,215.02	-
	43 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)		11-05-2007	5,938.96	5,938.96	-
	44 Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)			11,238.00	11,238.00	-
	45 Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	3,793	22-01-2008	1,84,558.65	1,84,558.65	-
	46 Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)^	7,240	17-04-2008	7,442.90	7,442.90	-
	47 Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	30,483	01-09-2008	1,85,521.69	1,85,521.69	-
	48 Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	2,602	27-10-2008	24,167.12	24,167.12	-
	49 Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)^	16,467		1,242.00	1,242.00	-
	50 Shri B. J. Khatal Janata Shahakari Bank ltd., Maharashtra (2009)	11,542	09-03-2009	79,008.26	79,008.26	-
	51 Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	13,521	02-07-2009	51,821.99	51,821.99	-
	52 Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)^	1,892	24-09-2009	20,818.79	20,818.79	-
	53 Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	21,503	03-11-2009	3,00,915.66	3,00,915.66	-
	54 The Haliyal Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,684	10-12-2009	43,375.25	43,375.25	-
	55 Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	2,803	17-12-2009	33,463.64	33,463.64	-

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	56 Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	11,446	09-04-2010	70,182.85	70,182.85	-
	57 Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	27,123		2,32,261.93	2,32,261.93	-
	58 Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	12,948	24-11-2010	1,14,105.43	1,14,105.43	-
	59 Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	13,833	09-12-2010	1,67,648.97	1,67,648.97	-
	60 Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	174	14-03-2011	179.27	179.27	-
	61 Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	10,264	10-02-2012	71,269.83	71,269.83	-
	62 Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)^	927	08-06-2012	9,476.72	9,476.72	-
	63 Memon Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)*	85,990		2,37,520.12	2,37,520.12	-
	64 Bhusawal Peoples Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	12,203	23-11-2012	1,01,677.83	1,01,677.83	-
	65 Krishna Valley Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)	1,213	04-02-2013	16,993.25	16,993.25	-
	66 Abhinav Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2013)	12,452	16-09-2013	25,343.98	25,343.98	-
	67 Veershaiva Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2014)	40,373		7,27,615.26	7,27,615.26	-
	68 Shree Siddivinayak Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	20,401	28-10-2014	1,57,616.06	1,57,616.06	-
	69 The Konkan Prant Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2015)&	28,759	12-02-2015	3,01,759.34	3,01,759.34	-
	70 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Telengana (2015)	42,825	25-05-2015	1,19,188.84	1,19,188.84	-
	71 Municipal Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2015)&	29,343	25-05-2015	1,56,382.66	1,56,382.66	-
	72 Vaishali Urban Co-operative Bank , Rajasthan (2015)	3,191	12-10-2015	41,382.47	41,382.47	-
	73 The Merchants Co-op Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (MH121) (2016)	11,822	26-12-2016	55,921.12	55,921.12	-
	74 Shri Swami Samarth Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2017)	6,592	08-08-2017	21,888.06	21,888.60	(0.54)
	75 Vitthal Nagari Sahakari Bank Ltd. Latur, Maharshtra (2017)	10,912	04-09-2017	39,755.90	39,774.48	(18.59)
	76 Jamkhed Merchants CBL, Maharshtra (2020)	6,119	24-08-2018	52,055.23	52,572.52	(517.29)
	77 Mirzapur UCBL. Mirzapur, Uttar Pradesh (2018)&	15,188	23-05-2018	71,639.96	71,639.96	-

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	**(2)**	**(3)**		**(4)**	**(5)**	**(6)**
	78 The Urban CBL, Bhubaneshwar, Odisha (2018) &	6,446	15-04-2018	1,51,659.37	1,51,659.37	-
	TOTAL 'D'			**1,29,17,552.73**	**1,29,18,139.67**	**(586.95)**
	ii) Repayment received in part and balance due written off (E)					
	79 Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)			276.50	- (276.50)	-
	80 Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)			60.31	- (60.31)	-
	81 Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*			4,642.36	1,256.95 (3,385.41)	-
	82 Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)			26.10	- (26.10)	-
	83 Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)			5,398.65	1,100.00 (4,298.65)	-
	84 Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)			27,494.76	17,600.00 (9,894.76)	
	85 Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari, Kalamnuri, Maharashtra (2001)			1,696.09	0.24 (1,695.85)	-
	86 Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)			3,048.95	302.00 (2,746.95)	-
	87 Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P. (2003)			708.44	527.64 (180.80)	-
	88 The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			2,114.71	549.18 (1,565.53)	-
	89 Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd., Mandrup, Maharashtra (2008)	678	27-02-2008	666.32	- (666.32)	-
	TOTAL 'E'			**46,133.20** **(24,797.18)**	**21,336.01**	**-**
	iii) Part repayment received (F)					
	90 Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*			1,156.70	604.14	552.56
	91 Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*			701.51	412.14	289.37
	92 Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*			1,317.25	335.53	981.72
	93 Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*			9,130.83	1,294.66	7,836.17
	94 Kollur Parvati Co-op. Bank Ltd., Kollur, A.P. (1985)			1,395.93	707.86	688.08

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	95 Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)			274.30	65.50	208.80
	96 Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)			2,285.04	1,341.05	943.99
	97 Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)			961.85	227.60	734.25
	98 Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P. (1988)			1,095.23	-	1,095.23
	99 Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (1990)			436.10	51.62	384.48
	100 Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P. (1991)			388.82	48.56	340.26
	101 Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)			1,736.62	963.02	773.59
	102 Manoli Shri Panchligeshwar Co-operative Urban Bank Ltd., Karnataka (1991)			1,744.13	1,139.44	604.69
	103 Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)			7,485.62	1,944.01	5,541.60
	104 Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*			3,710.54	273.78	3,436.76
	105 Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)			1,983.68	103.04	1,880.64
	106 Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)			22,020.57	2,227.77	19,792.80
	107 Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1995)			87,548.52	758.00	86,790.52
	108 Peoples Co-operative Bank Ltd., Ichalkaranji, Maharashtra (1996)			36,545.52	29,279.79	7,265.73
	109 Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)			22,662.97	7,300.00	15,362.97
	110 Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)			80,117.45	-	80,117.45
	111 Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)			51,803.37	49,313.08	2,490.29
	112 Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)			18,067.90	14,148.71	3,919.19
	113 Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)			46,239.88	5,500.00	40,739.88
	114 Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)			62,293.89	260.58	62,033.31
	115 Gudur Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2000)			6,736.99	964.46	5,772.53
	116 Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P. (2000)			2,447.07	137.15	2,309.92

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	117 Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)			1,57,012.94	59,783.98	97,228.95
	118 Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)			2,242.01	-	2,242.01
	119 The Sami Taluka Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2000)			2,017.30	-	2,017.30
	120 Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P. (2001)			7,013.59	1,000.00	6,013.59
	121 Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)			21,862.77	465.72	21,397.05
	122 Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P. (2001)			26,135.83	15,704.50	10,431.33
	123 Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)			3,946.61	3,939.70	6.91
	124 Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P. (2001)			2,32,429.22	73,116.30	1,59,312.92
	125 Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)			30,168.26	12,765.43	17,402.83
	126 Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P. (2002)			19,486.49	15,071.90	4,414.59
	127 Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)			1,40,667.57	62,046.41	78,621.16
	128 Maratha Market Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)			37,959.73	0.01	37,959.73
	129 Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)			48,456.66	147.03	48,309.63
	130 Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P. (2002)			9,697.12	9,363.62	333.50
	131 Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)			7,032.61	3.32	7,029.29
	132 Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah. Bank(Dergd), Gujarat (2002)			25,866.18	8,400.00	17,466.18
	133 Sravya Co op. Bank Ltd., A.P. (2002)			74,426.82	2,421.29	72,005.53
	134 Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)			14,779.44	427.30	14,352.14
	135 Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)			22,448.41	4.16	22,444.25
	136 Shree Labh Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)			47,507.25	342.72	47,164.53
	137 Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)			46,368.34	1,028.84	45,339.50
	138 Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P. (2003)			71,741.71	68,141.14	3,600.57
	139 The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			16,197.58	14,678.15	1,519.43

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	140 Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)			30,046.64	3,099.50	26,947.14
	141 Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			9,254.48	8,614.31	640.17
	142 Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)#			14,32,344.30	9,53,695.05	4,78,649.26
	143 Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P. (2003)			16,345.12	7,760.00	8,585.12
	144 Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			46,781.03	43,649.54	3,131.50
	145 The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			12,873.23	11,243.66	1,629.57
	146 Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)			48,880.14	47.91	48,832.23
	147 The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P. (2003)			1,41,139.81	1,40,798.15	341.65
	148 Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P. (2003)			57,245.59	9,702.80	47,542.79
	149 Dhana Co op Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			23,855.34	-	23,855.34
	150 The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			2,626.79	-	2,626.79
	151 Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2003)			21,677.67	17,300.00	4,377.67
	152 Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)			35,508.21	19,126.44	16,381.77
	153 Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)			22,272.99	3,038.47	19,234.52
	154 Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)			42,971.17	40,729.41	2,241.76
	155 Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)			1,15,872.42	27,318.21	88,554.21
	156 Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)			25,531.20	-	25,531.20
	157 General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)			7,15,200.69	4,90,756.90	2,24,443.79
	158 Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)			44,086.21	82.94	44,003.27
	159 Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)			34,192.33	28,048.87	6,143.46
	160 Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)			38,46,162.46	33,62,919.04	4,83,243.42
	161 Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)			1,794.45	164.60	1,629.85
	162 Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)			9,799.51	-	9,799.51

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	163 The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2004)			10,170.18	9,470.18	700.00
	164 The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P. (2005)			13,509.83	4,423.72	9,086.10
	165 Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			19,306.12	6,600.08	12,706.04
	166 Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)			25,441.21	3,343.11	22,098.10
	167 Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			12,224.74	11,904.01	320.73
	168 Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P. (2005)			7,387.17	2,007.17	5,380.00
	169 Sitara Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)			3,741.01	4.74	3,736.27
	170 Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2005)			41,999.65	394.91	41,604.74
	171 Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)			13,351.57	4,512.55	8,839.02
	172 Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)			15,836.61	519.61	15,317.00
	173 Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)			1,07,561.91	24,465.92	83,095.99
	174 Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			5,84,048.60	4,38,291.88	1,45,756.72
	175 The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)			49,437.88	34,002.75	15,435.13
	176 Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			86,530.52	84,206.52	2,324.00
	177 Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			3,18,925.24	2,47,133.24	71,792.00
	178 Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)			74,035.72	66,870.29	7,165.43
	179 Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			2,99,340.86	67,849.32	2,31,491.54
	180 Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			2,23,150.28	71,681.19	1,51,469.08
	181 Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)			53,755.25	43,070.74	10,684.52
	182 Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)			17,573.42	729.55	16,843.88
	183 Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P. (2005)			3,031.51	0.24	3,031.27
	184 Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P. (2005)			8,501.09	3.72	8,497.37
	185 Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P. (2005)			7,503.14	1,022.80	6,480.34

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	186 Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			80,214.81	21,649.74	58,565.07
	187 Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)			5,79,896.95	55,781.74	5,24,115.21
	188 Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			10,898.73	190.09	10,708.63
	188 Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)			1,20,659.85	103.13	1,20,556.72
	190 Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)			29,932.80	14,588.49	15,344.31
	191 Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)			16,479.04	3,414.34	13,064.69
	192 Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)			40,828.18	10,038.93	30,789.25
	193 The Century Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		08-05-2006	67,739.63	25,933.48	41,806.15
	194 Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)		15-05-2006	1,81,637.44	27,645.01	1,53,992.43
	195 Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		16-05-2006	65,053.51	0.38	65,053.14
	196 Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)		16-05-2006	3,01,592.15	2,08,852.62	92,739.53
	197 Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)		08-06-2006	2,66,452.45	1,81,014.17	85,438.28
	198 Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P. (2006)		20-06-2006	1,45,661.51	1,38,913.27	6,748.24
	199 Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)		21-07-2006	82,529.98	3.29	82,526.70
	200 Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)		17-08-2006	92,989.37	1,791.86	91,197.50
	201 Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)		17-08-2006	4,34,251.94	3,47,993.29	86,258.66
	202 Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		17-08-2006	3,23,292.67	2,23,629.70	99,662.97
	203 Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)		17-08-2006	5,52,716.70	2,40,866.92	3,11,849.78
	204 Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)		17-08-2006	1,20,686.51	6,314.48	1,14,372.03
	205 The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)		31-08-2006	91,577.38	1,216.11	90,361.26
	206 Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)		02-08-2006	1,18,895.88	1,08,619.17	10,276.71
	207 Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)		21-09-2006	29,757.64	6,157.56	23,600.09

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	208 Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)		11-09-2006	3,71,586.77	2,26,086.25	1,45,500.52
	209 Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)		11-09-2006	25,021.00	12,796.46	12,224.54
	210 The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)		16-10-2006	11,614.90	4,767.09	6,847.81
	211 Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)		26-09-2006	1,65,896.38	1,18,683.34	47,213.04
	212 Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)		27-12-2006	1,16,051.52	26,444.24	89,607.27
	213 Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)		25-01-2007	6,606.11	1,702.99	4,903.12
	214 Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam, M.P. (2007)		12-02-2007	20,393.50	21.68	20,371.83
	215 Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		23-04-2007	1,03,903.73	52,449.78	51,453.95
	216 Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)		27-04-2007	3,67,807.52	2,27,393.79	1,40,413.73
	217 Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit, Maharashtra (2007)		09-05-2007	47,576.03	17,844.29	29,731.74
	218 The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)		21-05-2007	29,749.48	3,086.43	26,663.05
	219 Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)		25-05-2007	4,305.77	447.10	3,858.67
	220 Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)		28-05-2007	1,24,758.68	1,18,066.31	6,692.37
	221 Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)		06-06-2007	31,232.28	4,165.30	27,066.99
	222 Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)		13-06-2007	27,287.76	579.65	26,708.11
	223 Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P. (2007)		23-07-2007	2,304.21	5.61	2,298.60
	224 Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)		24-07-2007	5,937.89	2.88	5,935.01
	225 Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P. (2007)		13-08-2007	1,486.00	0.67	1,485.33
	226 Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)		23-08-2007	12,974.81	5,746.71	7,228.11
	227 Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)		04-09-2007	22,078.93	3,562.98	18,515.95
	228 Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)		11-09-2007	1,60,286.13	75,518.98	84,767.15
	229 Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P. (2007)		25-09-2007	2,476.52	78.08	2,398.43
	230 Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)		19-10-2007	54,847.11	4,189.25	50,657.86

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	231 The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)		27-12-2007	10,262.36	7,842.79	2,419.57
	232 Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,600	05-02-2008	68,218.16	28,525.83	39,692.33
	233 Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	12,804	03-04-2008	6,130.96	2.24	6,128.72
	234 Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P. (2008)	4,117	09-04-2008	8,391.32	1,413.55	6,977.77
	235 Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	1,787	29-04-2008	2,673.13	182.42	2,490.71
	236 Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P. (2008)	10,418	09-05-2008	38,553.70	330.02	38,223.67
	237 Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	5,718	29-05-2008	24,522.91	2,559.37	21,963.53
	238 Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	5,718	16-06-2008	32,641.34	355.91	32,285.43
	239 Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	1,865	09-07-2008	6,375.13	3,672.75	2,702.38
	240 Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P. (2008)	67,098	25-08-2008	4,54,367.84	3,255.92	4,51,111.91
	241 Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	8,841	01-09-2008	47,517.84	15,770.87	31,746.97
	242 Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	11,350	01-09-2008	1,84,735.21	41,653.68	1,43,081.53
	243 Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd., Raipur, Chhattisgarh (2008)	20,793	09-09-2008	1,64,573.59	34,173.51	1,30,400.08
	244 Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	6,499	10-11-2008	22,849.90	10,946.41	11,903.49
	245 Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	12,779	12-11-2008	99,668.73	67,422.95	32,245.78
	246 Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	25,627	04-02-2009	1,69,225.78	38,581.19	1,30,644.59
	247 Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op. Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	16,723	22-09-2008	2,68,254.02	2,35,071.10	33,182.92
	248 Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	5,605	13-01-2009	36,446.49	4,441.56	32,004.93
	249 Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	2,613	28-01-2009	25,242.02	12,395.14	12,846.88
	250 Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	19,141	24-02-2009	1,12,933.28	56,563.28	56,370.00
	251 Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	3,256	23-03-2009	25,288.48	16,701.67	8,586.81
	252 The Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	8,512	23-03-2009	67,660.45	66,092.12	1,568.33

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	253 Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur,Maharashtra (2009)	11,129	23-03-2009	65,792.83	36,584.83	29,208.00
	254 Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P. (2009)	679	25-03-2009	3,625.81	1,401.20	2,224.61
	255 Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P. (2009)	3,225	31-03-2009	10,030.16	2,717.31	7,312.85
	256 Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P. (2009)	514	31-03-2009	4,015.07	7.16	4,007.91
	257 Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	8,512	27-05-2009	37,184.46	2,612.38	34,572.07
	258 Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	21,603	08-06-2009	1,28,916.02	66,576.93	62,339.09
	259 Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	35,466	24-06-2009	3,74,582.84	3,21,003.72	53,579.12
	260 Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	16,092	26-06-2009	1,01,964.31	35,540.70	66,423.61
	261 Shri S. K. Patil Co-op. Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	9,658	26-06-2009	1,33,059.30	6,988.16	1,26,071.14
	262 Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	4,746	09-07-2009	16,670.80	8,701.16	7,969.64
	263 Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	4,641	22-07-2009	53,127.98	32,959.23	20,168.75
	264 Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	38,913	14-08-2009	3,70,674.45	73,841.14	2,96,833.31
	265 South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	56,817	21-08-2009	3,59,787.81	82,709.49	2,77,078.32
	266 Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	26,368	25-08-2009	2,38,318.86	2,21,485.48	16,833.38
	267 Ajit Sahakari Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	26,286	22-10-2009	2,92,978.03	1,42,336.14	1,50,641.88
	268 Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	16,539	22-10-2009	1,37,345.44	1,32,644.11	4,701.33
	269 Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	67,791	26-10-2009	5,66,073.61	35,915.99	5,30,157.62
	270 Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	15,453	12-11-2009	97,541.55	37,096.16	60,445.39
	271 Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	3,923	24-11-2009	19,584.61	14,598.15	4,986.46
	272 Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	1,41,317	25-11-2009	16,72,059.89	15,45,360.12	1,26,699.78
	273 Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	32,764	16-09-2009	4,20,307.60	3,99,698.93	20,608.67
	274 Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	23,933	07-01-2010	93,927.24	102.33	93,824.91

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	275 Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	14,598	28-01-2010	1,25,438.26	94,084.87	31,353.39
	276 The Akot Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	18,352	03-02-2010	1,44,067.26	1,06,944.96	37,122.30
	277 Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	43,934	19-02-2010	4,36,184.64	1,11,422.59	3,24,762.05
	278 Anubhav Co-op. Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	10,590	24-02-2010	8,748.57	16.32	8,732.25
	279 Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	9,082	19-03-2010	1,16,808.19	56,224.93	60,583.27
	280 Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	56,769	13-04-2010	4,87,115.50	2,81,832.12	2,05,283.38
	281 Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	56	23-04-2010	58.72	0.74	57.98
	282 Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	5,289	19-05-2010	51,243.07	15,721.26	35,521.81
	283 Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,386	17-06-2010	15,629.02	7,315.61	8,313.41
	284 Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	3,710	25-06-2010	64,921.83	7,781.14	57,140.69
	285 Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	14,263	05-07-2010	54,165.54	163.45	54,002.09
	286 Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	21,235	11-05-2007	1,15,186.90	1,14,638.37	548.53
	287 Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	2,400	22-07-2010	4,314.54	10.00	4,304.54
	288 Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	36,652	09-08-2010	4,48,117.96	3,45,556.71	1,02,561.25
	289 Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	44,393	13-08-2010	2,60,370.86	1,06,147.10	1,54,223.76
	290 Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	39,912	30-08-2010	1,46,202.60	56,086.60	90,116.00
	291 Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	35,219	09-09-2010	4,03,741.10	3,63,859.76	39,881.34
	292 Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	54,036	15-09-2010	4,76,606.19	3,09,031.48	1,67,574.71
	293 Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	3,424	27-09-2010	25,845.79	20,063.13	5,782.66
	294 Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	4,866	08-10-2010	49,312.44	34,052.04	15,260.39
	295 Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	3,479	15-10-2010	49,352.46	769.25	48,583.21
	296 Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P. (2010)	6,980	22-10-2010	71,482.68	63,259.22	8,223.46
	297 Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	5,289	16-11-2010	23,839.86	4,377.14	19,462.72

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	298 Annasaheb Patil Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	6,296	22-11-2010	27,996.78	11,425.28	16,571.50
	299 Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	4,501	27-12-2010	14,769.68	-	14,769.68
	300 Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	14,811	18-02-2011	1,45,596.66	1,33,805.66	11,791.00
	301 Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	9,208	07-03-2011	84,041.98	69,438.22	14,603.76
	302 Rajwade Mandal People's Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	26,422	11-03-2011	1,33,960.02	1,22,786.45	11,173.57
	303 Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	71,262	15-06-2011	5,91,664.24	3,04,188.50	2,87,475.74
	304 Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	9,336	29-09-2011	86,764.47	9,683.40	77,081.07
	305 Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	10,462	11-05-2011	67,393.38	45,288.02	22,105.36
	306 Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	1,640	29-07-2011	2,569.75	17.08	2,552.67
	307 The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	6,075	15-07-2011	38,149.77	30,149.77	8,000.00
	308 The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	54,925	15-12-2011	4,03,178.78	1,91,801.02	2,11,377.76
	309 Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	33,500	17-06-2011	4,22,834.49	50,467.79	3,72,366.70
	310 Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	9,798	07-10-2011	1,12,964.84	1,186.06	1,11,778.78
	311 Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	2,337	19-07-2011	35,973.20	32,567.23	3,405.97
	312 Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	16,324	12-10-2011	1,99,311.58	53,533.76	1,45,777.83
	313 Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	11,322	23-05-2011	1,60,023.77	86,071.28	73,952.49
	314 Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	43,822	06-04-2011	5,57,696.70	4,47,870.71	1,09,825.99
	315 Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	2,733	03-11-2011	12,287.99	11,775.25	512.74
	316 Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	1,012	23-08-2011	4,158.75	1,155.29	3,003.46
	317 Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	7,596	17-01-2012	22,002.44	3,545.78	18,456.66
	318 Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	6,058	01-02-2012	11,488.33	6,947.39	4,540.94
	319 The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	6,712	27-03-2012	33,560.01	5,440.55	28,119.46
	320 Siddhartha Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (2012)	18,516	08-07-2012	2,43,635.93	7,140.89	2,36,495.04

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	321 Boriavi Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2012)	5,408	20-07-2012	45,494.11	42,836.70	2,657.41
	322 National Co-op. Bank Ltd., Andhra Pradesh (2012)	3,042	13-09-2012	4,317.79	766.79	3,551.00
	323 Bhandari Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	42,553	26-09-2012	5,48,927.62	5,28,927.62	20,000.00
	324 Bharat Urban Co-op. Bank Ltd.,Maharashtra (2012)	5,696	26-09-2012	20,904.79	7,614.16	13,290.63
	325 Indira Shramik Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	6,958	27-09-2012	32,042.29	24,042.29	8,000.00
	326 Shree Bhadran Mercantile Bank Ltd.,Gujarat (2012)	6,599	05-10-2012	45,780.63	43,405.89	2,374.74
	327 Dhenkanal Urban Co-op. Bank Ltd.,Odisha (2012)	14,925	29-10-2012	77,806.72	23,359.16	54,447.56
	328 Bhimashankar Nagari sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	3,437	02-11-2012	4,102.06	1,464.14	2,637.92
	329 Sholapur Nagarik Audyogik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	64,689	23-11-2012	4,59,890.08	3,81,890.08	78,000.00
	330 Vaso Co-op. Bank Ltd.,Gujarat (2012)*	34,672		72,219.38	22,903.35	49,316.03
	331 Agrasen Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2013)*	19,631	27-12-2013	52,967.42	7,208.00	45,759.42
	332 Swami Samarth Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2014)	11,501	02-01-2014	92,475.42	76,272.06	16,203.36
	333 Arjun Urban Co-op.Bank Ltd., Maharashtra (2014)	3,530		61,654.61	44,719.27	16,935.34
	334 Vishwakarma Nagari Sahakari Bank Mydt., Maharashtra (2014)	6,134		42,156.92	14,924.01	27,232.91
	335 Silchar Urban Co-operative Bank Ltd., Assam (2014)	2,707	30-04-2014	6,999.75	-	6,999.75
	336 Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2014)	1,30,638	30-04-2014	29,33,753.34	21,64,924.65	7,68,828.69
	337 The Srikakulam Cooperative Urban Bank Ltd., Andhra Pradesh (2014)	7,078	04-08-2014	10,495.79	7,935.53	2,560.26
	338 Shri Shivaji Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2016)	14,190	12-02-2016	77,816.31	38,211.72	39,604.59
	339 Baranagar Co-op Bank Ltd., Kolkata,W.B. (2016)	19,137	20-05-2016	1,52,079.54	59,588.31	92,491.23
	340 Tandur Mahila Co-op Urban Bank Ltd., Telangana A.P (2016)	1,769	15-12-2016	4,308.27	1,581.57	2,726.70
	341 Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	3,639	29-05-2017	20,783.40	18,450.09	2,333.31
	342 Rajiv Gandhi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2017)	4,009	09-08-2017	12,879.52	8,011.11	4,868.41
	343 Mahatma Phule Urban Co-op Bank Ltd., Maharshtra (2017)	7,398	12-12-2017	1,09,302.97	12,931.83	96,371.14

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	No. of Depositors	Main Claim Settled Date	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 4 - Col 5)
(1)	**(2)**	**(3)**		**(4)**	**(5)**	**(6)**
	344 Kasundia Co-op Bank Ltd., West Bengal (2017)	21,045	03-10-2017	2,46,373.71	1,67,801.58	78,572.13
	345 Lamka Urban Co-op Bank Ltd., Manipur (2017)	317	24-10-2017	261.65	0.00	261.65
	346 Chatrapur Co-op Urban Bank Ltd., Odisha (2017)	2,025	27-10-2017	10,385.18	8,537.44	1,847.74
	347 Golaghat Urban Co-op Urban Bank Ltd., Assam (2017)	1,075	06-11-2017	4,591.16	877.53	3,713.63
	348 Pioneer Urban CBL, Lucknow, Uttar Pradesh (2019)	28,382	05-03-2019	68,559.47	65,277.18	3,282.29
	349 United Commercial Co-op Bank Ltd, Kanpur, UP (2019)	24,684	26-12-2019	2,47,534.55	1,66,492.73	81,041.82
	350 Mercantile UCBL Meerut, UP (2019)	19,087	16-01-2020	27,434.83	7,956.74	19,478.09
	351 Alwar UCBL, Rajasthan (2020)	4,556	14-02-2020	1,08,351.46	31,704.99	76,646.47
	352 Mahamedha UCBL, Uttar Pradesh (2020)	33,004	27-03-2020	3,01,398.79	20,755.49	2,80,643.29
	353 C K P Cooperative Bank Ltd, Maharashtra (2020)	54,463	30-12-2020	32,86,889.67	24,53,632.04	8,33,257.63
	354 Navodaya UCBL, Nagpur (2020)	2,918	06-01-2021	1,90,613.97	10,000.00	1,80,613.97
	355 Shree Sai UCBL, Mukhed (2020)	449	27-12-2020	9,372.57	1,671.30	7,701.27
	356 Bhilwara Mahila Urban Co-operative Bank Ltd, Rajasthan (2020)	13,278	07-07-2020	2,99,987.52	2,26,705.52	73,282.00
	357 Mapusa UCBL, Goa (2021)	67,676	01-02-2021	25,78,956.24	25,18,295.23	60,661.01
	358 Karad Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2021)	48,868	07-04-2021	37,26,815.72	12,86,867.13	24,39,948.59
	359 Shivam Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2021)	3,649	30-09-2021	30,061.61	-	30,061.61
	360 Shivajirao Bhosale SBL, Maharashtra (2021)	61,117	12-10-2021	29,02,721.64	2,70,801.01	26,31,920.62
	361 Karnala NSBL, Maharashtra (2022)	39,273	04-02-2022	37,92,871.95	-	37,92,871.95
	362 Madgaum UCBL, Goa (2022)	32,644	11-03-2022	13,88,955.55	11,77,431.01	2,11,524.55
	363 PMC CBL, Maharashtra (2022) *	8,68,729		3,85,41,270.75	-	3,85,41,270.75
	TOTAL 'F'			**9,24,57,951.75**	**2,88,08,469.20**	**6,36,49,482.55**
	TOTAL (D+E+F)			**10,54,21,637.67**	**4,17,47,944.89 (24,797.18)**	**6,36,48,895.60**
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)				**10,83,80,167.41**	**4,33,23,321.37 (6,50,685.01)**	**6,44,06,161.02**

* Scheme of Amalgmation/Merger

Scheme of Reconstruction.

@ Claim settled on liquidation of the bank.

& Claims settled under Liquid fund adjustment.

^ Claims Settled under other mechanisms.

Note: 1. The year in which original claims were settled are given in brackets.

2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2024.

3. Repayments received are inclusive of Liquid Fund Adjusted at the time of sanction and approval of claims

4. Number of depositors is given for claims settled from 2008 onwards.

5. Accuracy of number of depositors ensured up to hundredth place.

APPENDIX TABLE 8A: INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - BANKS PLACED UNDER ALL-INCLUSIVE DIRCTIONS (AID) UPTO MARCH 31, 2024

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	AID Imposition Date	No. of Depositors	Main Claim Sanction Date	Claims Settled	Claims Settled after liquidation of AID Bank	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 6 + Col. 7 - Col. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mudhol CBL $	08-04-2019	1,155	23-11-2021	1,66,937.15		1,75,943.33	-9,006.18
2	Garha CBL $	23-02-2021	643	23-11-2021	1,23,488.73		24,732.50	98,756.23
3	Mantha UCBL $	17-11-2020	28,946	25-11-2021	4,48,883.72	1,00,986.21	6,411.90	5,43,458.03
4	Independence CBL $	09-02-2021	269	25-11-2021	23,570.22		-	23,570.22
5	Deccan UCBL $	19-02-2021	1,759	24-11-2021	1,29,816.98		1,29,816.98	-
6	Sikar UCBL	09-11-2018	1,186	24-11-2021	1,82,361.28		72,944.51	1,09,416.77
7	Peoples CBL $	11-06-2020	872	26-11-2021	71,998.85	2,412.16	2,412.16	71,998.85
8	Shri Anand CBL $	25-06-2019	10,971	25-11-2021	90,568.55		98,960.52	-8,391.97
9	Maratha SBL &	31-08-2016	8,925	25-11-2021	13,99,208.06		5,60,457.35	8,38,750.71
10	City CBL	17-04-2018	12,563	24-11-2021	23,09,917.07		4,62,000.00	18,47,917.07
11	Millath CBL $	08-05-2019	2,460	26-11-2021	1,08,929.25		15,641.58	93,287.67
12	Sarjeraodada Naik Shirala SBL $	03-02-2021	10,888	25-11-2021	6,81,071.31	1,03,647.03	3,33,627.54	4,51,090.80
13	Padmashri Vitthalrao Vikhe Patil CBL	19-05-2018	290	25-11-2021	42,799.01		17,119.80	25,679.21
14	Kapol CBL $	30-03-2017	21,573	26-11-2021	23,01,186.44		4,60,316.15	18,40,870.29
15	Shri Gururaghavendra SBN	10-01-2020	22,319	27-11-2021	71,54,782.07		-	71,54,782.07
16	Adoor CBL	09-11-2018	252	26-11-2021	62,934.00		62,934.00	-
17	Seva Vikas CBL $	12-10-2021	13,344	06-01-2022	15,12,751.64	1,41,405.86	11,41,405.86	5,12,751.64
18	Babaji Date Mahila SBL $	08-11-2021	18,595	04-02-2022	29,44,731.02	77,081.67	1,46,381.67	28,75,431.02
19	Laxmi CBL $	12-11-2021	20,565	08-02-2022	19,36,111.38		5,82,601.00	13,53,510.38
20	Malkapur UCBL $	24-11-2021	24,397	20-02-2022	49,66,878.97		19,87,867.30	29,79,011.67
21	Nagar UCBL $	06-12-2021	17,269	28-02-2022	29,33,268.59		10,59,695.10	18,73,573.49
22	Rupee CBL $	22-02-2013	64,024	24-02-2022	69,98,052.69	9,66,816.75	51,11,432.22	28,53,437.22
23	The Indian Mercantile UCBL	28-01-2022	136	26-04-2022	29,049.44		5,817.26	23,232.18
24	Dwarkadas Mantri NSBL ^	09-03-2022	2,834	03-06-2022	4,26,037.84		89,848.61	3,36,189.22
25	Shushruti Souharda SBN, Bengaluru $	07-04-2022	1,821	01-07-2022	5,36,773.78		-	5,36,773.78
26	Shankar Rao Pujari Nutan SBL $	13-05-2022	4,121	08-08-2022	4,16,052.71		-	4,16,052.71
27	Harihareshwar SBL $	31-05-2022	4,208	20-08-2022	5,72,373.06		-	5,72,373.06

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	AID Imposition Date	No. of Depositors	Main Claim Sanction Date	Claims Settled	Claims Settled after liquidation of AID Bank	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 6 + Col. 7 - Col. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	Shri Sharada Mahila CBL $	08-07-2022	679	23-09-2022	1,50,555.47		-	1,50,555.47
29	Sangli SBL	08-07-2022	4,097	26-09-2022	6,17,881.69		1,23,576.34	4,94,305.35
30	Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita $	18-07-2022	510	13-10-2022	53,812.92		-	53,812.92
31	Nashik Zilla Girna SBL $	09-09-2015	1,560	11-10-2022	1,69,977.27		-	1,69,977.27
32	Saibaba Janta SBL	22-07-2022	1,019	18-10-2022	1,88,282.97		37,656.59	1,50,626.38
33	Durga Co-operative Urban Bank Ltd., Vijayawada	29-07-2022	290	20-10-2022	98,423.21		19,684.64	78,738.57
34	Jaiprakash Narayan NSBL, Basmatnagar $	29-07-2022	1,331	20-10-2022	2,38,898.99		47,792.76	1,91,106.23
35	Thodupuzha Urban CBL, Kerala	23-08-2022	4,141	18-11-2022	9,39,382.21		1,86,969.54	7,52,412.68
36	Sumerpur Mercantile UCBL, Sumerpur, Pali $	06-12-2022	3,787	03-03-2023	4,64,586.57		-	4,64,586.57
37	Adarsh Mahila Nagari SBL $	23-02-2023	9,177	19-05-2023	18,63,712.60		-	18,63,712.60
38	Shimsha Sahakara Bank Niyamitha	24-02-2023	2,563	15-05-2023	1,18,489.50		-	1,18,489.50
39	Shankerrao Mohite Patil SBL	24-02-2023	2,377	23-05-2023	4,62,607.54		-	4,62,607.54
40	HCBL CBL	24-02-2023	3,728	24-05-2023	2,12,473.36		-	2,12,473.36
41	Shree Mahalaxmi Mercantile UCBL $	03-03-2023	1,928	30-05-2023	2,40,723.24		-	2,40,723.24
42	Banaras Mercantile CBL	03-03-2023	538	30-05-2023	42,464.52		-	42,464.52
43	National Mercantile CBL	10-03-2023	82	06-06-2023	14,623.70		-	14,623.70
44	Musiri UCBL $	02-03-2023	125	30-05-2023	13,441.98		-	13,441.98
45	Pune Sahakari Bank Ltd.	10-03-2023	23	06-06-2023	3,986.71		-	3,986.71
46	Defence Accounts CBL	10-03-2023	756	08-06-2023	98,504.85		-	98,504.85
47	Imperial CBL	10-03-2023	330	06-06-2023	54,256.76		-	54,256.76
48	Hiriyur UCBL $	10-03-2023	379	06-06-2023	21,815.40		-	21,815.40
49	Faiz Mercantile CBL $	02-03-2023	1,143	29-05-2023	79,892.73		-	79,892.73
50	Rajapur Sahakari Bank Ltd.	14-06-2023	1,037	07-09-2023	1,60,909.01		-	1,60,909.01
51	Sawantwadi UCBL	14-06-2023	3,871	07-09-2023	2,45,662.73		-	2,45,662.73

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	AID Imposition Date	No. of Depositors	Main Claim Sanction Date	Claims Settled	Claims Settled after liquidation of AID Bank	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 6 + Col. 7 - Col. 8)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
52	Vaishali Shehari Vikas CBL	14-06-2023	5,319	07-09-2023	5,62,830.50		-	5,62,830.50
53	National CBL	24-07-2023	19,067	22-10-2023	56,61,887.95		-	56,61,887.95
54	Ajantha UCBM	29-08-2023	8,381	24-11-2023	19,45,452.80		-	19,45,452.80
55	Purvanchal CBL	29-08-2023	944	24-11-2023	1,26,338.73		-	1,26,338.73
56	Colour Merchants CBL	25-09-2023	658	20-12-2023	1,39,412.89		-	1,39,412.89
57	Mahabhairab CBL	12-10-2023	436	09-01-2024	30,863.29		-	30,863.29
Total			**3,76,661**		**5,35,92,685.90**	**13,92,349.68**	**1,29,64,047.21**	**4,20,20,988.38**

$ The banks have since been liquidated in 2021-22: Q4 after payment of claims under section 18(A) of DICGC (Amendment) Act, 2021.

& The bank has amalgamated into another bank.

^ AID imposed on the bank has been lifted.

APPENDIX TABLE 8B: INSURANCE CLAIMS SETTLED UNDER EXPEDITIOUS SETTLEMENT SCHEME - UPTO MARCH 31, 2024

(Amount in ₹ thousand)

Sr. No.	Name of the Bank	Sanction Date	No. of Depositors	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col 5 - Col 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ajmer Urban Co-op Bank Ltd., Rajashtan (2016)	24-10-2016		3,18,602.37	3,18,602.37	0.00
2	Rajeshwar Yuvak Vikas Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2018)	12-12-2018		2,946.90	-	2,946.90
3	Shri Chhatrapati UCBL, Maharshtra (2018)	14-12-2018		27,601.00	-	27,601.00
4	Gokul UCBL Andra Pradesh/ Telangana (2019)	25-06-2019		13,579.00	-	13,579.00
5	Bhopal Nagarik SBL, MP(2019)	25-06-2019		84,394.67	-	84,394.67
6	Brahmawart Commercial CBL, UP (2021)	05-10-2021	26,425	2,51,000.00	-	2,51,000.00
7	Ghaziabad UCBL, UP (2021)	01-02-2021		1,16,856.00	-	1,16,856.00
8	Hardoi UCBL, UP (2021)	31-03-2021	11,918	42,022.68	-	42,022.68
9	Vasantdada NSBL Osmanabad (2021)	06-05-2021		3,28,300.00	-	3,28,300.00
10	Bhagyodaya Friends UCBL (2021)	25-08-2021		80,463.93	-	80,463.93
11	Dr. Shivajirao Patil Nilangekar UCBL (2021)	16-12-2021		16,885.96	-	16,885.96
Total				**12,82,652.51**	**3,18,602.37**	**9,64,050.14**

4. AUDITOR'S REPORT

Tel.: +91-22-2300 2921 / 25 / 4004 5528
Fax: +91-22-2300 2925
Email: jainchowdhary@gmail.com
Web.: www.jainchowdhary.com

M/s Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
104, Model Residency,
B. J. Marg, Jacob Circle,
Mahalaxmi, Mumbai 400 011.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The Board of Directors of
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Report on the Audit of the Financial Statements

1. Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ("the Corporation")**, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2024 of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and the General Fund, the Revenue accounts and cash flow statement for the year ended of the said three funds, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, as amended by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Act, 2021 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the three funds of the Corporation as at 31st March, 2024, and its surplus and its cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

3. Emphasis of Matter

We draw your attention to Note No.1(B) of the financial statements of the Corporation wherein Claims for the Banks under AID of Rs. 515.66 Crores are reported under Contingent liability. These are claims payable to depositors who are untraceable or unidentifiable. As per Section 18A (1) read with Section 20 of DICGC Act, 1961, provision for such claims is required to be made in the books of accounts of the Corporation. It was informed

by the officials of DICGC that change in its accounting policies along with multiple approvals from competent authority is required before making such a provision. The Corporation has initiated the process and assured that the provision in respect of such claims as mentioned above will be made in financial year 2024-25.

4. Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Corporation's Board of Directors are responsible for the preparation of the other information. The other information comprises report of the Board of Directors on the working of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation included in the annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report. we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

5. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors are responsible for the matters stated in the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

6. Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud

JAIN CHOWDHARY & CO. MUMBAI FRN 113267W CHARTERED ACCOUNTANTS

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Corporation.
- Conclude on the appropriateness of the Corporation's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

7. We Report that:

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.

c. The Balance Sheet, the Revenue Account and the Cash Flow Statement of the three funds dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained for the purpose of the financial statements.

d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 wherever applicable.

For Jain Chowdhary & Co.
Chartered Accountants
FR No. 113267W

Siddharth Jain
Partner
M.No.104709
UDIN: 24104709BKEOJP9981
Place: Mumbai
Date: 14th June, 2024

5. BALANCE SHEET AND ACCOUNTS

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961) - (Regulation 18 - Form 'A')

Balance Sheet as at the close of business on March 31, 2024

I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

Previous Year		LIABILITIES	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
12,17,447.00	0.00	**1.Fund : (Balance at the end of the year)**	**16,88,742.00**	0.00
		2. Surplus as per Revenue Account:		
1,32,86,843.14	57,602.72	Balance at the begining of the year	1,57,42,723.02	61,195.92
24,55,879.88	3,593.20	Add: Transferred from Revenue Account	24,43,833.08	3,773.38
1,57,42,723.02	**61,195.92**	Balance at the end of the year	**1,81,86,556.10**	**64,969.30**
		3. (a) Investment Reserve		
0.00	0.00	Balance at the beginning of the year	1,85,046.39	0.00
1,85,046.39	0.00	Add: Transferred from Revenue Account	(1,85,046.39)	0.00
1,85,046.39	**0.00**	Balance at the end of the year	**0.00**	**0.00**
		(b) Investment Fluctuation Reserve		
6,46,145.40	3,462.16	Balance at the beginning of the year	6,89,204.41	3,462.16
43,059.01	0.00	Transferred from Revenue Account	1,19,011.03	0.00
6,89,204.41	**3,462.16**	Balance at the end of the year	**8,08,215.44**	**3,462.16**
18,084.91	**0.00**	**4.Claims Intimated and Admitted But Not paid**	**35,999.35**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5.Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. Advance from Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**7. Advance from the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 25A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**8. Advance from the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
4,469.55	**0.00**	**9. Insured Deposits remaining unclaimed**	**2,089.32**	**0.00**
0.00	**0.00**	**10. Insured Deposits in respect of Banks De-registered (banks whose registration has been cancelled)**	**0.00**	**0.00**
		11. Other Liabilities		
131.57	0.00	(i) Sundry Creditors	106.58	0.00
8,40,392.50	1,208.49	(ii) Provision for Income Tax	8,18,438.91	1,273.86
1,08,221.75	0.00	(iii)Securities deliverable under Reverse Repo A/c Payable	17,299.31	0.00
99.17	0.00	(iv) Amount refundable to Banks	99.17	0.00
4.82	0.00	(v) CGST,SGST & IGST Payable	0.34	0.00
0.00	0.00	(vi) Interfund payable/receivable from GF	0.00	0.00
9,48,849.81	**1,208.49**		**8,35,944.31**	**1,273.86**
1,88,05,825.09	**65,866.57**	**Total**	**2,15,57,546.52**	**69,705.32**

For Jain Chowdhary& Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner (M No. 104709)
Mumbai
June 14, 2024
UDIN : 24104709BKEOJP9981

Dr. M D Patra
Chairman

R Lakshmi Kanth Rao
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

S Sathish Kumar
General Manager

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961) - (Regulation 18 - Form 'A')

Balance Sheet as at the close of business on March 31, 2024

I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

Previous Year		ASSETS	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
1,656.51	**15.84**	**1. Balance with the Reserve Bank of India**	**17,350.14**	**16.38**
0.00	**0.00**	**2. Cash in Transit**	**0.00**	**0.00**
		3.Investments in Central Government Securities (at cost)		
0.00	0.00	Treasury Bills	0.00	0.00
1,73,73,783.55	63,713.32	Dated Securities	2,03,17,148.53	67,789.49
1,73,73,783.55	**63,713.32**		**2,03,17,148.53**	**67,789.49**
1,70,12,053.89	*62,613.56*	*Face Value*	*1,99,35,522.24*	*66,720.22*
1,71,88,737.16	*64,918.81*	*Market Value*	*2,04,05,767.03*	*69,222.14*
3,09,569.55	**910.40**	**4.Interest accrued on investments**	**3,47,915.97**	**949.32**
0.00	**0.00**	**5. Advance to the Deposit Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 25 A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**6. Advance to the Deposite Insurance Fund/Credit Guarantee Fund (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
		7.Other Assets		
0.00	0.00	(I) Sundry Debtors	0.00	0.00
8,85,342.54	1,227.01	(ii) Advance Income Tax	8,21,529.47	950.13
1,08,242.83	0.00	(iii) Reverse Repo Asset/Reverse Repo interest receivable	17,313.05	0.00
1,08,221.75	0.00	(iv) Securities purchased under Reverse Repo	17,299.31	0.00
167.60	0.00	(v) Service Tax/CGST/SGST/IGST receivable	149.29	0.00
18,840.76	0.00	(vi) Disputed Service Tax paid (under protest)	18,840.76	0.00
11,20,815.48	**1,227.01**		**8,75,131.88**	**950.13**
1,88,05,825.09	**65,866.57**	**Total**	**2,15,57,546.52**	**69,705.32**

Pankaj Sharma
Director

Shaji K.V.
Director

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31, 2024

I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

Previous Year		EXPENDITURE	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
		1. To Claims:		
71,251.43	0.00	(a) Paid during the year	1,40,308.22	0.00
1,692.97	0.00	(b) Admitted but not paid	20,760.04	0.00
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		
0.00	0.00	At the end of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
0.00	0.00	(d) Insured Deposits in respect of banks de-registered	0.00	0.00
0.00	0.00	At the end of the year	0.00	0.00
0.00	0.00	Less: at the end of the previous year	0.00	0.00
18.44	0.00	(e) Less provision in r/o untracebale depositers written back	(2,438.52)	0.00
72,962.84	**0.00**	**Net Claims**	**1,58,629.74**	**0.00**
1,85,046.39	**0.00**	**2.To Provision for depreciation in the value of investments credited to Investment Reserve**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**3. To Interest on advance from Reserve Bank of India (Section 26 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**4. To Interest on advance from the Deposit Insurance Fund/ Credit Guarantee Fund (Section 25A of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**5. To Interest on advance from the Deposit Insurance Fund/ Credit Guarantee Fund (Section 27 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**	**0.00**	**0.00**
12,17,447.00	**0.00**	**6.To Balance of Fund at the end of the Period (as per Actuarial Valuation)**	**16,88,742.00**	**0.00**
33,39,131.04	**4,801.69**	**To Net Surplus Carried Down**	**34,27,829.71**	**5,047.24**
48,14,587.27	**4,801.69**	**TOTAL**	**52,75,201.45**	**5,047.24**
		To Provision for Taxation		
8,40,392.50	1,208.49	Current Year	8,18,438.91	1,273.86
(200.35)	0.00	Earlier Years - Short (Excess)	46,546.69	0.00
0.00	0.00	Deferred Tax	0.00	0.00
43,059.01	**0.00**	**To Investment Fluctuation Reserve (IFR)**	**1,19,011.03**	**0.00**
24,55,879.88	**3,593.20**	**To Balance Carried to Balance Sheet**	**24,43,833.08**	**3,773.38**
33,39,131.04	**4,801.69**		**34,27,829.71**	**5,047.24**

Dr. M D Patra
Chairman

R Lakshmi Kanth Rao
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

S Sathish Kumar
General Manager

For Jain Chowdhary& Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner (M No. 104709)
Mumbai
June 14, 2024
UDIN : 24104709BKEOJP9981

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31, 2024

I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF) AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

Previous Year		INCOME	Current Year	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
13,97,403.00	**0.00**	**1.By Balance of Fund at the beginning of the year**	**12,17,447.00**	**0.00**
21,38,112.99	**0.00**	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	**23,87,914.26**	**0.00**
88,278.97	**2.61**	**3.By recoveries in respect of Deposit Insurance Claims paid settled / Guarantee Claims paid**	**90,073.20**	**0.20**
		4.By income from Investments		
11,79,615.50	4,799.08	(a) Interest on Investments	13,74,629.86	5,080.88
1,467.72	0.00	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	8,329.53	(33.84)
9,709.09	0.00	c) By Reverse Repo interest income A/c	11,761.21	0.00
11,90,792.31	**4,799.08**		**13,94,720.60**	**5,047.04**
		5. Other Incomes		
0.00	0.00	(a) By Provision for depreciation in value of Investments written back	1,85,046.39	0.00
48,14,587.27	**4,801.69**	**TOTAL**	**52,75,201.45**	**5,047.24**
33,39,131.04	**4,801.69**	**By Net Surplus Brought Down**	34,27,829.71	5,047.24
33,39,131.04	**4,801.69**		**34,27,829.71**	**5,047.24**

Pankaj Sharma
Director

Shaji K.V.
Director

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Regulation 18 - Form 'A')

Balance Sheet as at the close of business on March 31, 2024

II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year Amount	LIABILITIES	Current Year Amount
5,000.00	**1.Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**	**5,000.00**
	2.Reserves	
	A) General Reserve	
58,514.84	Balance at the beginning of the year	71,936.79
13,421.95	Add: Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	861.98
71,936.79		**72,798.77**
	B) Investment Reserve	
0.00	Balance at the beginning of the year	0.00
0.00	Add: Amount provided for during the year	39.19
0.00		**39.19**
	(C) Investment Fluctuation Reserve	
4,030.06	Balance at the beginning of the year	4,030.06
0.00	Transferred from Revenue Surplus	0.00
4,030.06		**4,030.06**
	3. Current Liabilities and Provisions	
318.04	Outstanding Expenses	577.43
23.00	Sundry Creditors	0.66
4,516.94	Provision for Income Tax	325.12
0.00	Deferred Tax	3.76
1.28	CGST & SGST Payable	0.03
4,859.26		**907.00**
85,826.11	**Total**	**82,775.02**

As per our report of even date

For Jain Chowdhary& Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner (M No. 104709)
Mumbai
June 14, 2024
UDIN : 24104709BKEOJP9981

Dr. M D Patra
Chairman

R Lakshmi Kanth Rao
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

S Sathish Kumar
General Manager

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Regulation 18 - Form 'A')

Balance Sheet as at the close of business on March 31, 2024

II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year Amount	ASSETS	Current Year Amount
	1. CASH	
0.00	(i) In hand	0.00
72.63	**(ii) With Reserve Bank of India**	14.84
72.63		**14.84**
	2. Investments in Central Government Securities (At Cost)	
0.00	Treasury Bills	0.00
61,051.28	Dated Securities	59,207.59
16,361.70	Dated Securities deposited with CCIL(Face Value ₹18,900)	18,179.04
77,412.98		**77,386.63**
78,490.44	*Face Value*	*78,435.14*
78,102.26	*Market Value*	*77,347.43*
1,960.38	**3. Interest accrued on Investments**	**1,967.71**
	4. Other Assets	
10.40	Project IASS Capitalised	13.34
51.22	Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	44.83
0.00	Stock of Stationery	0.00
5.37	Staff Advances	6.36
1,825.00	Margin Deposit with CCIL	2,025.00
4,430.45	Advance Income Tax / TDS	1,020.40
57.23	CGST, SGST & IGST receivable	257.99
0.45	Sundry Debtors	0.00
0.00	Project Cost	37.92
6,380.12		**3,405.84**
85,826.11	**Total**	**82,775.02**

As per our report of even date

Pankaj Sharma
Director

Shaji K.V.
Director

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31, 2024

II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year Amount	EXPENDITURE	Current Year Amount
1,690.07	**To Payment / Reimbursement of staff cost**	**2,166.60**
0.00	**To Directors' and Committee Memebrs' Fees**	**0.00**
5.06	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other expenses**	**0.84**
331.99	**To Rents,Taxes, Insurance , Lightings etc.**	**358.05**
560.30	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**	**667.30**
25.27	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**	**27.80**
92.89	**To Postage, telegrams and Telephones**	**104.60**
94.19	**To Auditors' Fees**	**107.66**
63.06	**To Legal Charges**	**85.51**
15.67	**To Advertisements**	**20.91**
0.00	**To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve**	**39.19**
	To Miscellaneous Expenses	
25.02	Professional Charges	26.33
364.76	Service Contract / Maintenance	495.11
6.08	Books, News Papers, Periodicals	10.00
4.81	Book Grants	4.91
12.39	Repair of Office Property-Dead Stock	10.26
96.82	Transaction Charges-CCIL	111.29
102.49	Others	75.56
612.37		**733.46**
18.44	Depreciation	**37.09**
9.63	Depreciation on IASS	**16.07**
17,936.11	**To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down**	**1,152.97**
21,455.05	**Total**	**5,518.05**
	To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down	
	To Provision for Income Tax	
4,514.16	Current Year	287.23
0.00	Earlier Years - Short (Excess)	0.00
0.00	Deferred Tax	3.76
0.00	**To Investment Fluctuation Reserve (IFR)**	**0.00**
13,421.95	**To General Reserve Account**	**861.98**
17,936.11	**Total**	**1,152.97**

As per our report of even date

* The Significant Accounting Policies and Notes on Accounts are an integral part of the Financial Statements

For Jain Chowdhary& Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner (M No. 104709)
Mumbai
June 14, 2024
UDIN : 24104709BKEOJP9981

Dr. M D Patra
Chairman

R Lakshmi Kanth Rao
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

S Sathish Kumar
General Manager

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(Form 'B')

Revenue Account for the year ended March 31, 2024

II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakhs)

Previous Year Amount	INCOME	Current Year Amount
	By Income from Investments	
5,045.02	**(a) Interest on Investments**	**5,490.74**
10.20	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments	3.58
5,055.22		**5,494.32**
0.00	**By Interest on Advances to Deposit Insurance Fund / Credit Guarantee Fund**	**0.00**
0.00	**By Provision for depreciation in value of Investments written back**	**0.00**
	By Miscellaneous Receipt	
0.00	Interest on advances to staff	0.00
(0.15)	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	0.60
16,399.98	Interest on refund of income tax	0.00
0.00	Other misc receipts	23.13
16,399.83		**23.73**
21,455.05	**Total**	**5,518.05**
17,936.11	**By balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down**	**1,152.97**
17,936.11	**Total**	**1,152.97**

As per our report of even date

* The Significant Accounting Policies and Notes on Accounts are an integral part of the Financial Statements

Pankaj Sharma
Director

Shaji K.V.
Director

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
Deposit Insurance Fund & Credit Guarantee Fund
Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2024

(₹ in lakhs)

Period ended 31-03-2023		Particulars		Period ended 31-03-2024	
Amount	Amount			Amount	Amount
DIF	CGF			DIF	CGF
		Cash Flow from Operating Activities			
33,39,131.04	**4,801.69**	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	**34,27,829.71**	**5,047.24**
		Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :			
(11,89,324.58)	(4,799.08)	Interest on Investments		(13,86,391.07)	(5,080.88)
(1,467.72)	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(8,329.53)	33.84
0.00	0.00	Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		0.00	0.00
1,85,046.39	0.00	Transfer to Investment Reserve		(1,85,046.39)	0.00
0.00	0.00	Interest on Refund received		0.00	0.00
0.00	0.00	Taxes		0.00	0.00
(1,79,956.00)	0.00	Provision in fund balance (as per Actuarial valuation)		4,71,295.00	0.00
(11,85,701.91)	**(4,799.08)**		**(b)**	**(11,08,471.99)**	**(5,047.04)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease/(Increase) in			
(7,03,017.48)	(270.67)	Increase in Advance Income Tax /TDS		(8,23,126.11)	(931.62)
3,134.57	0.00	Sundry Debtors		0.00	0.00
166.23	0.00	CGST, IGST & SGST receivable		18.31	0.00
(1,78,368.60)	0.00	Other Assets		1,81,852.21	0.00
0.00	0.00	Disputed Service Tax/Interest paid account		0.00	0.00
(8,78,085.28)	**(270.67)**		**(c)**	**(6,41,255.59)**	**(931.62)**
		LIABILITIES :			
		(Decrease)/Increase in			
(2,233.94)	0.00	Estimated Liability in respect of claims intimated but not paid		17,914.43	0.00
16.94	0.00	Unclaimed Deposits		(2,380.23)	0.00
(421.31)	0.00	Sundry Creditors		(24.98)	0.00
0.00	0.00	Sundry Deposit Accounts		0.00	0.00
(36.81)	0.00	Service Tax Payable A/C		0.00	0.00
89,023.49	0.00	Securities deliverable under Reverse Repo A/C		(90,922.44)	0.00
0.00	0.00	Swachh Bharat Payable		0.00	0.00
4.81	0.00	CGST, SGST & IGST Payable		(4.48)	0.00
86,353.18	**0.00**		**(d)**	**(75,417.70)**	**0.00**
13,61,697.03	**(268.06)**	**Net Cash Flow from Operating Activites: (a+b+c+d)**	**(A)**	**16,02,684.43**	**(931.42)**
		Cash Flow from Investing Activities			
11,37,541.28	4,731.12	Interest on Investments Received		13,48,044.65	5,041.97
1,467.72	0.00	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		8,329.53	(33.84)
0.00	0.00	Transferred to GF		0.00	0.00
		Decrease/(Increase) in			
(24,99,057.63)	(4,860.94)	Increase in Investments in Central Government Securities		(29,43,364.98)	(4,076.17)
(13,60,048.63)	**(129.82)**	**Net Cash Flow from Investing Activites**	**(B)**	**(15,86,990.80)**	**931.96**
0.00	**0.00**	**Cash Flow from Financing Activites**	**(C)**	**0.00**	**0.00**
1648.40	**(397.88)**	**Net Increase/decrease in Cash**	**(A+B+C)**	**15,693.63**	**0.54**
8.11	**413.72**	**Cash Balance at beginning of period**		**1,656.51**	**15.84**
1656.51	**15.84**	**Cash Balance at the end of year**		17,350.14	16.38

For Jain Chowdhary& Co.
Chartered Accountants
Regn. No. FRN. 113267W

CA Siddharth Jain
Managing Partner (M No. 104709)
Mumbai
June 14, 2024
UDIN : 24104709BKEOJP9981

Dr. M D Patra
Chairman

R Lakshmi Kanth Rao
Executive Director

Anup Kumar
Chief General Manager

S Sathish Kumar
General Manager

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corportaion

II. General Fund

Cash Flow Statement for the Period ended March 31, 2024

(In Lakhs)

Previous Year 31st March 2023	Particulars		Period ended 31st March 2024
Amount			Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
17,936.11	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	**1,152.97**
	Adjustments to reconcile excess of Income over expenditure to net cash from operations :		
18.44	Depreciation		37.09
9.63	Depreciation on IASS		16.07
(5,045.02)	Interest on Investments		(5,490.74)
(10.20)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(3.58)
0.00	Transfer to Investment Reserve		39.19
0.00	Excess Provision written back		0.00
0.00	Interest on Advances to Staff		0.00
0.15	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		(0.60)
0.00	Others -Misc Receipts		23.13
0.00	Income Tax		0.00
(5,027.00)		**(b)**	**(5,379.44)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
0.00	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		0.00
165.93	CGST, SGST & IGST receivable		(200.76)
(5.11)	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		(0.99)
(4,706.34)	Advance Income Tax		(1,104.11)
3,210.00	Margin Deposit with CCIL		(200.00)
0.00	Interest accured on Staff Advances		0.00
(0.45)	Sundry Debtors		0.45
12.78	Project Cost		(40.86)
(1,323.19)		**(c)**	**(1,546.27)**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
0.00	With Reserve Bank of India		0.00
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
116.96	Outstanding Expenses		259.39
1.55	Sundry Creditors		(22.34)
(6.47)	Other Deposits/ TDS		35.11
(0.06)	CGST & SGST Payable		(1.25)
111.98		**(d)**	**270.91**
11,697.90	**Net Cash Flow from Operating Activities**	**(A)**	**(5,501.83)**
	Cash Flow from Investing Activities		
4,198.05	Interest on Investments Received		5,483.42
10.20	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		3.58
0.00	Interest on Advances to Staff		0.00
0.00	Funds received from DIF		0.00
0.00	Others		(23.13)
	Decrease(Increase) in		
(48.28)	Fixed assets		(46.18)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
(44,613.61)	Dated Securities		1,843.69
28,808.64	Dated Securities deposited with CCIL		(1,817.34)
(11,645.00)	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**5,444.04**
0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**
52.90	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**(57.79)**
	Cash Balance at Beginning of Year		
0.00	In Hand		0.00
19.73	With RBI		72.63
72.63	**Cash Balance at the end of year**		**14.84**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

Pankaj Sharma
Director

Shaji K.V.
Director

5.5 Significant Accounting Policies

1. Basis of Accounting:

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the country. The Corporation follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. Revenue Recognition:

Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

(i) Premium:

(a) Deposit insurance premium is recognised as per Regulation 19 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

(b) In case premium payment by an insured bank is in default for two consecutive periods, in view of uncertainty of collection of income, premium income are recognised on receipt basis. Provision is made for uncollected premium income, if any, already recognised for such insured banks.

(c) Penal interest for delay in payment of premium is recognised only on actual receipt.

(ii) Deposit Insurance Claims

(a) Provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(b) Contingent liability (being contra) to the extent of insured deposits is made on de-registration of bank. Further, as per DICGC Amendment Act, 2021, the same will also be made for insured banks placed under direction /prohibition by the competent authority.

(c) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the contingent liability as created at para (b) specified above, is reversed and provision of the crystallised liability as per deposit liability submitted by the liquidator in the form of Main Claims is taken into the books of account of the Corporation and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process whichever is earlier.

(d) Further, for the claim settlement under section 18A of DICGC Amendment Act, 2021 the accounting policy indicated above stands same. The provision of liability as per the First List of willing depositors submitted by the bank will be held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 18A of the DICGC Act, 2021 or at the end of direction/merger/amalgamation, whichever is earlier.

(e) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process or till completion of 10 years of liquidation, whichever is earlier. As per the approval granted in the 248th meeting of the Board of Directors of the Corporation held on April 6, 2018 the provisions held under the account heads namely unidentifiable (account number - 1070200) and untraceable (account number - 1060100) depositors for banks liquidated for more than 10 years are reversed and parked in a separate contingent liability account for monitoring and making payment subsequently (if claims received) for the amount written back. This exercise is to be done annually for banks liquidated for more than 10 years period.

(iii) Repayments

The recovery by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled & paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators.

Recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted. The receipts of repayment in respect of the claims paid under section 18A of DICGC Amendment Act, 2021 will depend upon the time frame decided by the Board considering the capacity of the insured banks while taking into account prudential norms and can be deferred (as per Section 21 (3) of DICGC Amendment Act, 2021). In case of delay in repayment beyond the **time period** prescribed, penal interest at a maximum rate of two percent above the repo rate **per annum for the amount to be repaid to the Corporation** will be charged by the Corporation (as per Section 21 (4) of DICGC Amendment Act, 2021).

(iv) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(v) Profit / Loss on sale of investment is accounted on settlement date of transaction.

4. Investments:

i) All investments are current investments. Government Securities are valued at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates. Treasury bills are valued at carrying cost.

ii) Net Depreciation, if any, within category is recognised in the Profit & Loss Account. Net Appreciation, if any, under the category is ignored.

iii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

iv) Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

v) Inter fund transfer of securities is made at book value as on the date of the transfer.

vi) Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collaterised Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

5. Fixed Assets:

(i) Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost comprises the purchase price and any attributable cost for bringing the asset to its working condition for its intended use.

(ii) a) Depreciation on computers, microprocessors, software (costing ₹ 1 Lakh and above), motor vehicles, furniture, etc. is provided on straight line basis at the following rates.

Asset Category	**Rate of depreciation**
Computers, microprocessors, software, etc.	33.33%
Motor vehicles, furniture, etc.	20%

Source: DICGC

(b) Deprecation on additions during the period up to 180 days is provided for full year, otherwise, to be provided for half year. No depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

(iii) Fixed Assets, costing less than ₹1 Lakh, (except easily portable electronic assets such as laptops, etc., costing more than ₹10,000) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition.

6. Leases:

Assets acquired under leases where the significant

portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

7. Employees' Benefits / Cost:

Employees' costs such as salaries, allowances, compensated absences, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with the Reserve Bank of India, as the employees of the Corporation are on deputation from the Reserve Bank of India.

8. Taxation on Income:

The expenditure comprises of current Tax and Deferred Tax. Current Tax is measured at the amount expected to be paid to tax authorities in accordance with Income Tax Act. Deferred Tax is recognised, subject to consideration of prudence on timing differences, being difference in taxable income and accounting income/ expenditure that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent years. Deferred taxes are reviewed for their carrying value at each balance sheet date.

9. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the Recoverable Amount is less than its carrying value. Carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset with its estimated current realizable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment has to be recognized and it is measured by the amount by which the carrying amount of the assets exceeds estimated current realizable value of the asset.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

(i) In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Corporation recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) Contingent Assets are not recognized.

(v) Contingent Liability is potential liability that may occur depending upon outcome of an uncertain future event. A contingent liability is recorded in the accounting records, if contingency is probable and amount of liability can be reliably estimated.

5.6 NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities not provided:

A. Service Tax:

Explanatory Notes:

I. October 1, 2006 to September 30, 2011 (₹5,367.42 crore):

The Service Tax Department *vide* order dated January 10, 2013, raised a service tax demand amounting to ₹5,367.42 crore for the period October 1, 2006 to September 30, 2011 (including interest and penalty) by treating the activity of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) under the category of 'General Insurance Business'. The Corporation filed an appeal on April 8, 2013 at CESTAT against the order. CESTAT *vide* order dated March 11, 2015 granted relief to the Corporation by setting aside entire demand of ₹5,367.42 crore for the period prior to September 20, 2011. However, CESTAT also held that the activity of the Corporation is covered under the category of "General Insurance Business" and the Corporation is liable to pay Service Tax. The Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court for admission of appeal against CESTAT order setting aside the entire demand of ₹5,367.42 crore. The Corporation has filed a counter affidavit in Supreme Court on July 20, 2016 and the matter is yet to come up for hearing. The Corporation also filed an appeal on September 9, 2015 before the Hon'ble Mumbai High Court against the confirmation of categorisation of activity as falling under "General Insurance Business".

In the meantime, Service Tax Department

approached CESTAT for levy of penalty under Section 76 instead of Section 78 for the period April 1, 2011 to September 30, 2011 amounting to ₹283 crore which was also dismissed *vide* order dated April 27, 2017 on the grounds that the issue has been decided in favour of the Corporation on merit *vide* order dated March 11, 2015. [Section 76 provides for levy of penalty where a person liable to pay Service Tax fails to pay Service Tax; Section 78 provides for levy of penalty when the Service Tax had not been levied or not been paid on account of fraud, wilful misstatement, suppression or collusion]. Service Tax Department approached the Hon'ble Supreme Court against the said order of the CESTAT. The Hon'ble Supreme Court tagged the same with Civil Appeal Nos.3340-3342 of 2016.

II. October 1, 2011 to March 31, 2013 (₹118.64crore plus interest for delay ₹56.87crore):

Consequent to the Computer Aided Audit Programme (CAAP Audit), Service Tax Department, *vide* letter dated June 26, 2014 asked the Corporation to pay ₹118.64 crore as 'additional service tax liability' for the period from October 1, 2011 to March 31, 2013, by treating the premium received by the Corporation as 'exclusive of Service Tax'. The Corporation had treated the premium received for the period as 'inclusive of Service Tax'. The Corporation paid an amount of ₹88.44 crore on January 8, 2015 and ₹30.2 crore on June 30, 2015 (total of ₹118.64 crore) 'under protest'. The Corporation also paid the interest of ₹39.46 crore (Service Tax authorities considered March 31 and October 06 as the due date for payment for calculation of interest vis-à-vis June 06 and December 06 respectively as determined by the Corporation) 'under protest'.

Commissioner (Appeals) *vide* order dated January 11, 2016 had held that the treatment of premium by the Corporation as 'inclusive of service tax' was as per provisions of law. However, Commissioner did not dwell on the issue relating to due date of payment under Point of Taxation Rules 2011. The Corporation accordingly filed an appeal before CESTAT against the order on April 18, 2016. Department also filed an appeal before CESTAT against the order of Commissioner (Appeals).

Department issued a Show Cause Notice in May 2016 for the interest payment of ₹17.40 crore (excluding ₹39.6 crore paid by DICGC). Commissioner *vide* order dated August 16, 2018had confirmed the demand raised. The Corporation filed an appeal before CESTAT, Mumbai on November 26, 2018. DICGC filed an application for refund *vide* letter dated June 1, 2018 for ₹158 crore as payment was made under protest. Assistant Commissioner *vide* order dated May 20, 2020 rejected the request for refund. The Corporation filed an appeal before Commissioner (appeals) on October 20, 2020 against the order. Subsequently, a personal hearing in respect of the refund of ₹158 Crore was held on January 6, 2021. As a result, the Corporation received an order dated March 18, 2021 wherein Commissioner (Appeals) set aside the impugned order and decided the issue pertaining to refund of ₹158 crore in favour of the Corporation.

As the decision was in the Corporation's favour, the Corporation approached Service Tax Department for refund *vide* letter dated June 2, 2021. However, Service Tax Department filed an appeal against the decision in CESTAT. A copy in this regard was received by the Corporation on August 17, 2021.CESTAT decided the same in favour of DICGC *vide* order dated July 14, 2023. The Corporation has received the refund of ₹158 crore in April 2024.

B. Claims:

(₹ in lakhs)

Contingent liability pertaining to	Accounting Code	March 31, 2024	March 31, 2023
a) Deregistered Banks	1080002	6,981.69*	41,858.21
b) Untraceable depositors	1080006	17,377.69	14,940.37
c) Unidentifiable depositors	1080005	9,156.51	8,764.66
d) Banks under AID	1080003	51,566.35	50,721.81

**CL created for Botad People's Co-operative Bank Ltd. (₹ 13.20 crores) is not considered as the same was notified as non-banking institution and DICGC liability has not been invoked for the same.*

Source: DICGC

(₹ in lakhs)

Reversal of provisions in respect of	Accounting Code	During 2023-24	During 2022-23
a) Untraceable depositors	1080006	2,438.52	-
b) Unidentifiable depositors	1080005	391.84	-

Source: DICGC

2. Amendment of Section 18 of DICGC Act, 1961:

Apropos the amendment to DICGC Act, 1961 a new section 18A has been inserted in the Act with effect from September 1, 2021, wherein DICGC is liable to pay depositors of such insured banks in respect of which any direction is issued or any prohibition or order or scheme is made under any of the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and such direction, prohibition, order or scheme provides for restrictions on depositors of such bank from accessing their deposits. Accordingly, DICGC has paid ₹1,26,121.23 lakhs in respect of 28 banks during the year (₹64,991.90 lakhs in respect of 28 banks during 2022-23).

3. Investment Fluctuation Reserve:

The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained as a cushion against market risk. IFR held in excess of the market risk is retained and carried forward in terms of accounting policy. As on March 31, 2024, IFR of ₹8,15,707.66 lakhs was maintained (₹6,96,696.63 lakhs as on March 31, 2023).

4. Intra Day Liquidity Arrangement with RBI:

The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹2,500 crore earmarked by the Reserve Bank of India towards Intra Day Liquidity (IDL) facility extended to the Corporation.

5. Repo transactions (As per RBI prescribed format)

In Face Value Terms (₹ in lakhs)

Disclosure	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2024
I. Securities Sold under Repo				
Government Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
II. Securities Purchased under Reverse Repo				
Government Securities	5,462.00	13,72,846.00	1,83,701.91	17,133.00
Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

Source: DICGC

6. Income Tax:

The Corporation will continue to exercise the option of paying income tax at the rate of 22 per cent as provided in Section 115BAA of the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 for Financial Year 2023-24 (Assessment Year 2024-25).

Tax expense comprises of current and deferred tax.

Current Tax:

Current tax is the amount of Income tax determined to be paid (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

Deferred Tax:

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future. Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Provisions:

Provision made towards Taxes -	Current Tax-₹8,20,000 Lakhs
	Deferred Tax-₹ 3.76 Lakhs

The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(amount in ₹)

Deferred Tax Asset / Liability	As at March 2024
Deferred Tax Asset	
Provision for depreciation in the value of investments	9,86,246
Deferred Tax Liability	
Depreciation on fixed assets	(13,62,161)
Net Deferred Tax Asset/ (Liability)	(3,75,916)

Source: DICGC

7. Actuarial Valuation:

Risk default probability and loss ratio approach were used for calculating the actuarial valuation as on March 31, 2024.

8. Related Party Disclosure:

Key Management Personnel:

Dr. Deepak Kumar, Executive Director, Reserve Bank of India, held the charge of the affairs of the Corporation till April 30, 2024. He drew salary and perquisites from the Reserve Bank of India. Shri R. Lakshmi Kanth Rao, Executive Director, Reserve Bank of India, held the charge of the affairs of the Corporation from May 10, 2024 to June 30, 2024. As on Date, Shri Arnab Kumar Chowdhury, Executive Director holds the charge of the affairs of the Corporation.

9. Capital Work in Progress:

Considering the growing requirements and evolving landscape of deposit insurance, a need was felt for a new application for DICGC, with state-of-the-art functionalities to complement the Corporation's vision to align itself with the international best practices. This application, apart from managing the routine operations of the department, shall provide automation for tedious tasks, and extensive insights based on its data analytics capabilities. This technological leap shall streamline our processes drastically and improve efficiency of operations.

Reserve Bank Information Technology Private Limited (ReBIT) services are being utilized for the software development. The total cost of the project has been estimated at ₹6.5 crore, and expenses incurred till March 31, 2024 are to the tune of ₹31.1 lakh (excluding GST). The development shall be tentatively completed in 2025-26.

10. Leases:

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals to the Reserve Bank of India are charged to the profit and loss account on accrual basis.

11. Segment Reporting:

The Corporation is at present primarily engaged in providing deposit insurance to banks at a uniform rate of premium irrespective of the category of the bank. Thus, in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either business or geographical.

12. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

Printed at: Onlooker Press Mob.: 9321927244